

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. MehtaApplicant

Versus

Union of India &Ors.... Respondent

**STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, CHAMOLI,
UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE,
CHAMOLI, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER
DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN
THE ABOVEMENTIONED MATTER**

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Sr/</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Chamoli, Uttarakhand through District Magistrate, Chamoli, Uttarakhand in compliance of orders dated 05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the abovementioned matter	4-18
2.	<u>ANNEXURE-1</u> : A true copy of the order dt.05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	19-29
3.	<u>ANNEXURE-2</u> : A copy of the Compliance Report alongwith its Annexures.	30-393

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/115198

Filed by:

[KAUSHAL GAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /

Respondent

C-203, LGF,

Defence Colony, N. Delhi-110024

Mobile No. 9811101934

Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

S. NO	DOCUMENT PAERICULARS	PAGE NO.
1.	ANNEXURE-2-(01) Gazette notification dated 18.07.2017 vide which District Ganga Protection Committee in District was constituted.	31-37
2.	ANNEXURE-2-(02) Constitution of District Ganga Protection Committee as per para 53(2) of the 2016 order with district collector as chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter dated 18.07.2017.	38-44
3.	ANNEXURE-2-(03) Minutes of the meeting held under the District Ganga Committee till date.	45-276
4.	ANNEXURE-2-(04) Order of District Magistrate regarding appointment of nodal officers as per the notification no. 2458 dated 07.10.2016	277-279
5.	ANNEXURE-2-(05) Tributary wise plan/presentation prepared by DGC , Chamoli to keep the tributaries of river Ganga clean	280-375
6.	ANNEXURE-2-(06) Compliance report filed by the Project Manager, Construction and Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Gopeshwar regarding the work done to prevent pollution of Alaknanda River in Chamoli District.	376-378
7.	ANNEXURE-2-(07) Report regarding segregation, processing and	379-384

	selling of solid waste along with challans that have been under the Anti-Littering and Anti Spitting Act.	
8.	ANNEXURE-2-(08) Compliance filed by the Officer-in-Charge, Shri Kedamath-Badrinath Temple Committee, Shri Badrinath Dham	385-390
9.	ANNEXURE-2-(09) Report filed by the Deputy District officer, Joshimath stating the process of displacement along with a geological survey that has been carried out after the landslide and earthquake in Joshimath	391
10.	ANNEXURE-2-(10) Report filed by the Deputy District officer, Chamoli regarding the process of land selection and geological survey which is in progress for the displacement of families affected by landslide in village Mathjhadeta.	392
11.	ANNEXURE-2-(11) Compliance filed by the District Agriculture Officer, Chamoli regarding non-usage, limited usage of pesticides in Chamoli	393

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. MehtaApplicant

Versus

Union of India &Ors.... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, CHAMOLI,
UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE,
CHAMOLI, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER
DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN
THE ABOVEMENTIONED MATTER



I, Himanshu Khurana S/o Shri Shyam khurana aged about 31 years, presently posted as District Magistrate, Chamoli, District Chamoli, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Chamoli, Uttarakhand through District Magistrate, Chamoli, Uttarakhand.
2. That the abovementioned matter was listed on 05.09.2023 before this Hon'ble Tribunal and after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass a detailed order, the relevant portion of the same



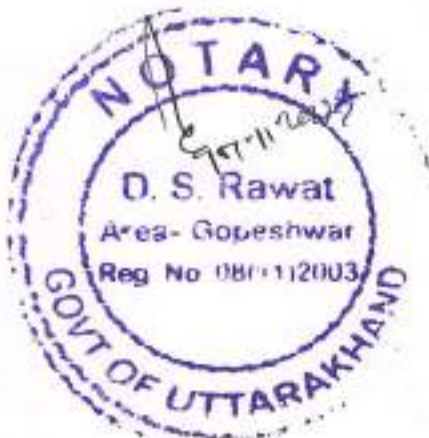
is quoted below:-

"....."

"....."

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a flourish.

clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

X XXXXXXXXX

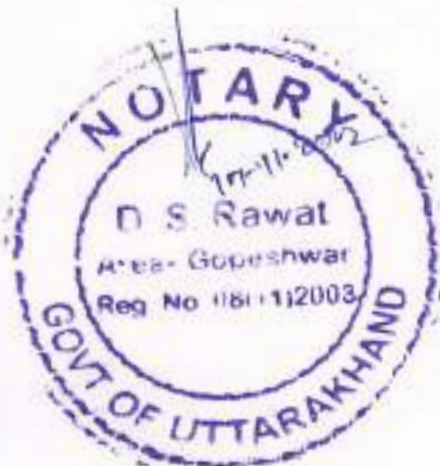
4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

- i. Chamoli
- ii. Dehradun
- iii. Haridwar
- iv. PauriGarhwal
- v. Rudraprayag
- vi. Tehri
- vii. Uttarkashi

Tributaries

- viii. Nainital
- ix. Almora
- x. Pithoragarh
- xi. Champawat
- xii. Bageshwar
- xiii. Udham Singh Nagar





5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016. 6 6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag) II. Middle range (Devprayag till Rishikesh) III. Plains (Rishikesh to Roorkee) 7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

X xxxxxxxx

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8



weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

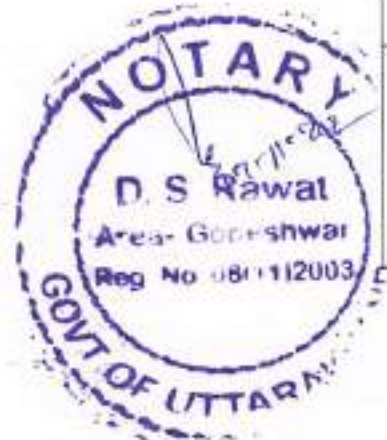
11. List this matter on 24.11.2023."

A copy of the order dated 05.09.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.

3. That in compliance of the abovementioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following steps were taken by the District Ganga Protection Committee, Chamoli, as far as District Chamoli is concerned:-

Implementation and Compliance Report

Sr.No.	Key paras of 2016 order pertaining to District Ganga Committee's	Implementation of order by District Ganga Committee
1	53. Constitution of District Ganga Protection Committees	(1) In exercise of power conferred by sub-sections (1) and (3) of Environment Protection Act 1986 and para 53 of the 2016 order, Central Government constituted District Ganga Protection Committee in District Chamoli vide order



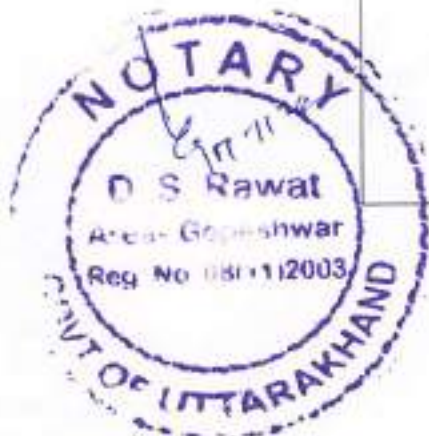
Ar

		S.O. 2250(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II) dated 18th July 2017(Annexure – 2-(01)) (2) The constitution of District Ganga Protection committee has been done as per para 53(2) of the 2016 order with District Magistrate as Chairperson, ex-officio members and nominated members.(Annexure-2-(02)) (3) District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in 2017. 47 DGC meetings have been convened and various aspect of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner. All the minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report in-(Annexure -2-(03)) (4) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Chamoli has been conducting their Monthly, Mandated, Monitored, Minutes meetings (4M meeting) with the minutes uploaded on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS).
2	54. Superintendence, direction, and control of District Ganga Committee	The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee is being exercised by National Mission for Clean Ganga through State Programme Management Group (SPMG), NamamiGange, Dehradun Uttarakhand. Meetings of State Ganga Committee, Supervisory Committee and Executive



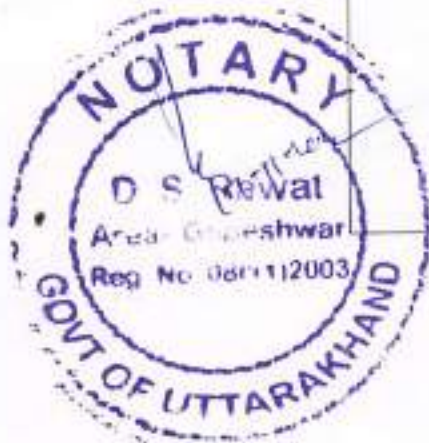
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

		Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secretary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.
<u>3</u>	55. Function and powers of District Ganga Committees.	1- Every district Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries. 2-Identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the river Ganga for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof; 3-Taking remedial action at its own end for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District. 4- In the event of its inability to take remedial action, reporting to the National Mission for Clean Ganga and concerned state Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

		5-Taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this order so as to prevent the environmental pollution in the river Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force. 6-In case the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force. 7-The district Ganga committee shall take all the such emergency measures as specified in paragraph 7. (Annexure -2-(01)) All the minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report in – (Annexure-2-(03))
<u>4</u>	56. Designation of Nodal Officer.	District Ganga Committee through Chairman, DGC has nominated as Nodal Officer for the purposes of this Order – (a) Gram Pradhan of Gram Sabha of 29 revenue villages in the areas abutting the River Alaknanada and its tributaries. (b) Chairperson of 6 Nagar Panchayat and Nagar Palika Parishads covering various revenue villages/wards abutting the river Alaknanada and its tributaries.



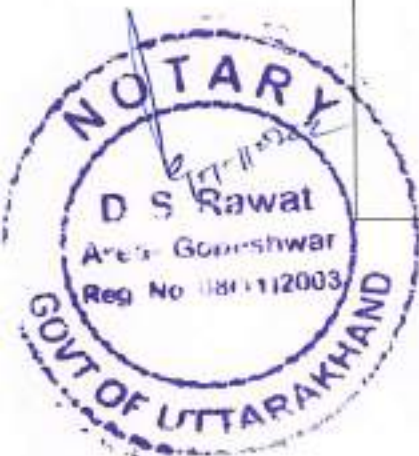
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

		The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area. He/she shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action. (Annexure-2-(04))
5	57. Preparation of plans.	As per directions of NMCG and State Programme Management Group, Namami Gange, a Tributary wise plan/presentation was prepared by DGC and submitted to State Program Management Group, Namami Gange Uttarakhand vide letter no. 2216/2-42 dated 21 October, 2023. Also preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan (DGP) which has been attended by members of DGC. Tributaries wise Action Plan is annexed as (Annexure-2-(05))



Report on issues raised by the Applicant

Sl. No.	Cities / Panchayats	Issues raised pertaining to District Chamoli	Action taken/Initiated																																										
2.	Alaknanda Basin i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandpraya x. Kaleshwar xi. Karnpraya xii. Gauchar	Untapped Sewage	Detail STPs constructed in District under Namami Gange Programme:- <table><tr><th>S. N.</th><th>Town</th><th>Project Name</th><th>Nos. of STP</th><th>Total installed capacity</th><th>Carrier line</th></tr><tr><td>1</td><td>Badrinath</td><td>Badrinath I&D with STP</td><td>02</td><td>1.01 MLD</td><td>0.270 KM</td></tr><tr><td>2</td><td>Joshimath</td><td>Joshimath I&D with STP</td><td>02</td><td>3.78 MLD</td><td>2.10 KM</td></tr><tr><td>3</td><td>Chamoli-Gopeswar</td><td>Chamoli-Gopeswar I&D with STP</td><td>05</td><td>4.37 MLD</td><td>1.046 KM</td></tr><tr><td>4</td><td>Nandprayag</td><td>Nandprayag I&D with STP</td><td>02</td><td>0.15 MLD</td><td>0.45 KM</td></tr><tr><td>5</td><td>Karanprayag</td><td>Karanprayag I&D with STP</td><td>05</td><td>0.35 MLD</td><td>1.225 KM</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>16</td><td>9.66 MLD</td><td>5.091 KM</td></tr></table>	S. N.	Town	Project Name	Nos. of STP	Total installed capacity	Carrier line	1	Badrinath	Badrinath I&D with STP	02	1.01 MLD	0.270 KM	2	Joshimath	Joshimath I&D with STP	02	3.78 MLD	2.10 KM	3	Chamoli-Gopeswar	Chamoli-Gopeswar I&D with STP	05	4.37 MLD	1.046 KM	4	Nandprayag	Nandprayag I&D with STP	02	0.15 MLD	0.45 KM	5	Karanprayag	Karanprayag I&D with STP	05	0.35 MLD	1.225 KM	Total			16	9.66 MLD	5.091 KM
			S. N.	Town	Project Name	Nos. of STP	Total installed capacity	Carrier line																																					
			1	Badrinath	Badrinath I&D with STP	02	1.01 MLD	0.270 KM																																					
			2	Joshimath	Joshimath I&D with STP	02	3.78 MLD	2.10 KM																																					
			3	Chamoli-Gopeswar	Chamoli-Gopeswar I&D with STP	05	4.37 MLD	1.046 KM																																					
			4	Nandprayag	Nandprayag I&D with STP	02	0.15 MLD	0.45 KM																																					
		5	Karanprayag	Karanprayag I&D with STP	05	0.35 MLD	1.225 KM																																						
		Total			16	9.66 MLD	5.091 KM																																						
		Municipal solid waste	Details of Sewer line laid in District under Namami Gange Programme:- <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Town</th><th>Project Name</th><th>Sewer line</th></tr><tr><td>1</td><td>Badrinath</td><td>Badrinath I&D</td><td>5.115 KM</td></tr><tr><td>2</td><td>Joshimath</td><td>Joshimath I&D</td><td>14.64 KM</td></tr><tr><td>3</td><td>Chamoli-Gopeswar</td><td>Chamoli-Gopeswar I&D</td><td>24.23 KM</td></tr></table>	Sl. No.	Town	Project Name	Sewer line	1	Badrinath	Badrinath I&D	5.115 KM	2	Joshimath	Joshimath I&D	14.64 KM	3	Chamoli-Gopeswar	Chamoli-Gopeswar I&D	24.23 KM																										
			Sl. No.	Town	Project Name	Sewer line																																							
			1	Badrinath	Badrinath I&D	5.115 KM																																							
			2	Joshimath	Joshimath I&D	14.64 KM																																							
3	Chamoli-Gopeswar		Chamoli-Gopeswar I&D	24.23 KM																																									
All 28 polluted drains in Chamoli District was tapped and these tapping drains flow discharged into the 16 STPs. (ANNEXURE 2(6))																																													
A total of 10 municipal bodies are formed under Chamoli district, 04 Municipal Councils and 06 Nagar Panchayats. The following actions were taken by all the Urban Local Bodies (ULBs) under Solid Waste Management Rule, 2016:-																																													
2- Door to Door collection is being done in all 64 ward of 10 ULBs. From April 1, 2023 to October 15, 2023 ULBs have collect an revenue of Rs 76,78,659.00 (Rs seventy six																																													

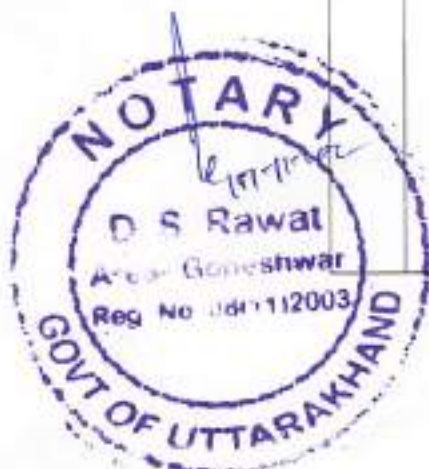


		lakh seventy eight thousand six hundred ninety nine) from Door to Door collection. Regular clening of Footpath, roads, drains and public places is being done by all 10 ULBs. 1- From 1st April, 2023 to 15th October, 2023, total 433 challans have been issued by All ULBs of District Chamoli. Due to which an revenue of Rs 2,54,650.00 (Rs two lakh fifty four thousand six hundred fifty) has been collect. 3- From 1st April, 2023 to 15th October, 2023, total 608826.6 kg has been compacted by all the ULB of the district in compactor machines. Due to which an revenue of Rs 64,82,067.00 (Rs sixty-four lakh eighty-two thousand sixty-seven) has been collect. 4- From 1st April, 2023 to 15th October, 2023, total 684 challans have been issued by all the ULBs of the district under the Anti Littering and Anti Spitting Act. Due to which an revenue of Rs 3,49,800.00 (Rs three lakh forty nine thousand eight hundred) has been collect. (ANNEXURE 2(7))
	High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above)	03-Shri Badrinath Temple and its area are under the control of the Temple Committee. For its continuous cleanliness and garbage disposal, 22 sanitation workers have been deployed by the temple committee and the garbage collected by them is filled in gunny bags and transported to the garbage disposal vehicle of Nagar Panchayat Badrinath. To maintain the complete cleanliness and garbage disposal system during the Yatra period, a nodal officer has also been deployed on behalf of the temple committee. (ANNEXURE 2(8))



A handwritten signature in blue ink, likely of the official mentioned in the notary seal.

	Joshimath and Chamoli are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking.	Joshimath:- All 09 wards of Nagr Palika Parishad, Joshimath of Tehsil Joshimath have been affected by land subsidence/landslides. Technical survey of the residential/commercial and government buildings located in these places has been done by CBRI Roorkee and according to the list provided after the survey, total of 32 buildings have been registered as demolished (black category) and 480 buildings are unusable (red category). Thus, total of 515 buildings are registered in black and red category. Based on the survey report of the survey team/CBRI Roorkee in Joshimath landslide, at present, total amount of Rs 4,84,500.00 has been distributed to 323 affected families at the rate of Rs 1,50,000.00 per family including advance amount of rehabilitation package and non-adjustable lump sum grant. A total amount of Rs 18,50,000.00 has been distributed to 37 building owners whose land ownership status is not clear, at the rate of Rs 50,000.00 per family as non-adjusted lump sum grant. A total amount of Rs 1,52,00,000.00 has been distributed to a total of 304 tenants living in the affected buildings at the rate of Rs 50,000.00 per family. Apart from the above, after the technical team evaluated the buildings of 172 affected building owners, after adjusting the advance amount, the full payment of the said buildings of total amount of Rs 40,96,92,076.00 has been distributed to the concerned building owners. Pre-fabricated huts are also being prepared for the rehabilitation of affected building owners. At present 15 pre-fabricated huts (2 BHK) have
--	--	--



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

		been prepared by RWD. In view of the danger posed to the populated areas due to landslides in the hill side of the populated area of village Pagnaun, a geological survey of the said village has been conducted. The process of displacement will be started on the basis of geological survey report. In view of the urgency, a temporary tin shed with 645 tin seats has been distributed to the families. 41 land subsidence/landslides affected families in Talla Badginda Tok of village Urgan have been shifted to a safe place of their private land.(ANNEXURE 2(9)) Chamoli:- In Tehsil Chamoli/Nandprayag area, 06 landslide affected families of village Baula, were displaced to a safe place in the state government land at Chhira Tok of Durgapur in village Baula in year 2019. Similarly, 03 families affected by landslide in village Ropa have been displaced to their private land near the village in the year 2022-23. In village Bhadakoti, the process of displacement is in progress by paying Rs. 3.00 lakh per family as the first installment of relief assistance to 03 families affected by landslide, whose residential houses were no longer fit for habitation, in their private land. The process of land selection and geological survey is in progress for the displacement of 04 families affected by landslide in village Mathjhadeta.(ANNEXURE 2(10))
6.	Under the Namami Gange scheme, a ban on Agricultural has been imposed on the sale of run- off and pesticides/chemicals in all the clusters and contaminati the agriculture department is providing bio-on of Rivers fertilizers and bio-chemicals to the farmers. and streams due to the absence of chemicals in the run	



Q

		with pesticides and other chemicals.	off. the rivers and water streams are not getting polluted. (ANNEXURE 2(11))
--	--	--------------------------------------	--

The detailed Compliance Report by District Ganga Protection Committee, Chamoli, Uttarakhand, along with Annexures, is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2.

4. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Chamoli, in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.



ETS

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true



De

and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Chamoli, Uttarakhand on this 17 day of November, 2023.

DEPONENT

Filed by:



K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119153

[KAUSHAL GAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent

C-203, LGF,

Defence Colony, N. Delhi-110024

Mobile No. 9811101934

Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

certified that ~~Sarvesh~~ Himanshu Koberan
the deponent is identified by ~~Rakesh Raut~~
beginning of ~~the~~ ~~the~~
signature - ~~Ganeshwar Chandel~~
D. S. Rawat
advocate Notary
Ganeswar Chamot
9 Nov 2023

Item No. 09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****(BY HYBRID MODE)**

Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 05.09.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

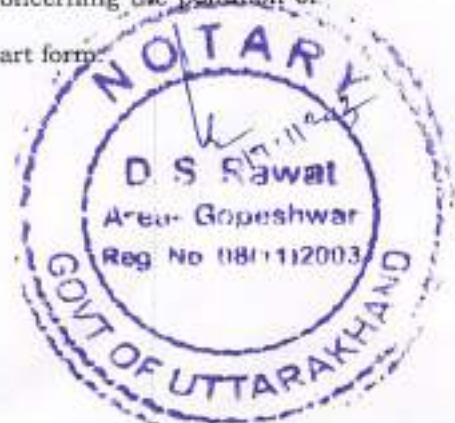
Applicant: Ms. Katyayni, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Gijl C. George, Adv. for NMCQ
Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & SIDCUL
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB

ORDER

1. This Original Application, registered after transfer of the CWP No. 2737/1985 from the Hon'ble Supreme Court, involves the issue of prevention, control and abatement of pollution of river Ganga. The Tribunal vide order dated 28.08.2023, had expressed that the matter will be heard State-wise/city-wise involving the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.



3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abutting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

**53. Constitution of District Ganga Protection Committees.- (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.*

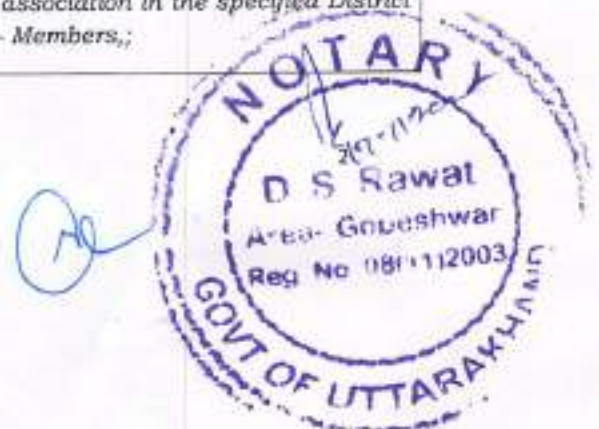
(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;

d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;



(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio

(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order; Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

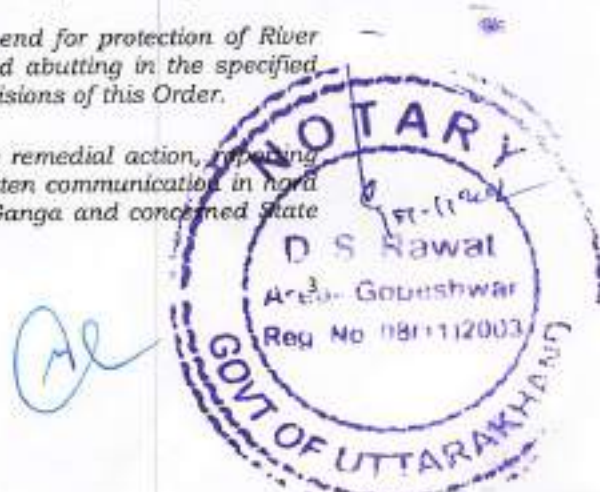
55. Functions and powers of District Ganga Committees.- (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State



Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.-

(1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order -

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.-

(1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga and other



authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

- i. Chamoli
- ii. Dehradun
- iii. Haridwar
- iv. Pauri Garhwal
- v. Rudraprayag
- vi. Tehri
- vii. Uttarkashi

Tributaries

- viii. Nainital
- ix. Almora
- x. Pithoragarh
- xi. Champawat
- xii. Bageshwar
- xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.



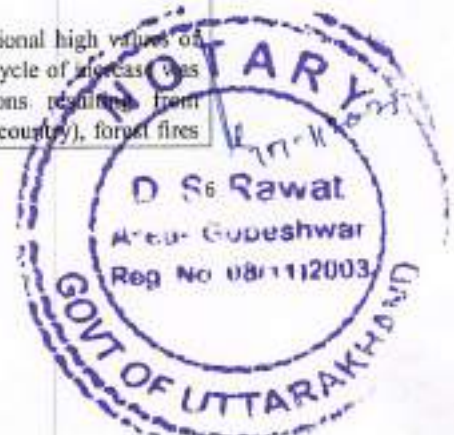
6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-

- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)
- II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)
- III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

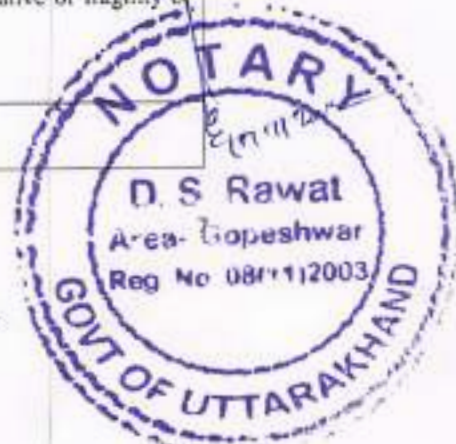
7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

I. UPPER HIMALAYAS (from source till Devprayag)

#	Cities / Panchayats	Issues
1.	Bhagirathi Basin i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact- Food security, water security and energy security of the Northern part of the country. 2. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well. Gangotri- Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG), an autonomous institution under Department of Science & Technology, in a study conducted at Chirbasa station near Gangotri Glacier, for the Year 2016, found that <u>black carbon (BC)</u> concentration in this region has changed drastically during summer. Black carbon is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon. It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires



#	Cities / Panchayats	Issues
		(along the Himalayan slopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions. (As reported by WHG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB) 3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/ weirs/ barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small/ local streams. 4. Sewage from Hotels/ dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas. 5. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals. 6. Narendra Nagar and Tehri- MSW disposal and legacy waste.
2.	Alaknanda Basin i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandprayag x. Kaleshwar xi. Karnprayag xii. Gauchar xiii. Rudraprayag xiv. Srinagar xv. Kirtinagar	1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above) 4. Joshimath and Chamoli- are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking. 5. Srinagar- River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP) Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter- generational usage). 6. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.
3.	Mandakini Basin i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley 6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.
5.	Yamuna Basin i. Badkot	1. Mostly clean at Yamunotri.



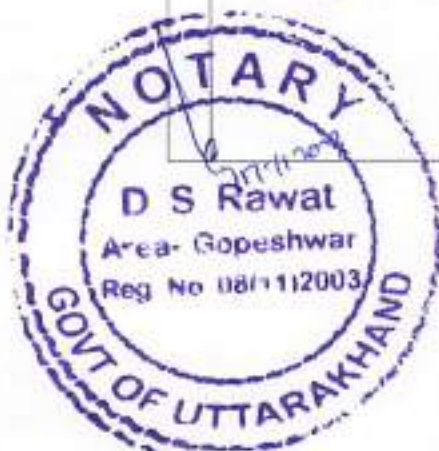
#	Cities / Panchayats	Issues
	ii. Naugaon iii. Nainbagh iv. Vikasnagar v. Dhakrani	2. STP needed for towns/ panchayats with hotels and commercial buildings. 3. MSW disposal needed

II. MIDDLE RANGE (Devprayag till Rishikesh)

#	Cities/Panchayats	Issues
	<u>Ganga Basin</u> i. Devprayag ii. Kaudiyala iii. Singtali iv. Byasi v. Shivpuri vi. Rishikesh <u>Tributary cities</u> i. Almora ii. Haldwani iii. Kashipur iv. Sitarganj	1. Devprayag- Sewage/ FC. Status of STP operating and proposed. 2. Kaudiyala- Rishikesh: lots of hotels, tourists and related footprints, eg solid waste and sewage. Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Muni ki Reti. Tributaries cities- industrial and municipal/ legacy waste. Almora also witnesses mining issues. Agricultural run- off: Agricultural practices on the river bank may have considerable impact on contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.

III. PLAINS (Rishikesh to Roorkee)

#	Cities/Panchayats	Issues
	<u>Ganga Basin</u> i. Dehradun ii. Haridwar iii. Roorkee	1. Forest fires 2. water scarcity 3. sewage 4. MSW disposal 5. construction demolition waste 6. Industrial effluent discharge 7. Legacy waste 8. water consumption and waste water generation by Industries/ STPs and CETPs. 9. Mining



<u>Yamuna Basin</u>	1. Sewage	
i. Dehradun	2. Industrial effluent discharge	
	3. MSW disposal	
	4. Assan river sand mining	

8. The written submission also discloses the list of drains in Ganga River Rejuvenation in Uttarakhand which is as under:-

LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION

Uttarkashi & Devprayag	1. Storm Water Drain Uttarkashi 2. Kodia nala Devprayag	
Rishikesh	3. Triveni Drain/ Saraswati Nala 4. Rambha River 5. Lakkar Ghat STP Drain 6. IDPL- STP Drain 7. Swarg Ashram STP Drain 8. Gadhi Shyampur Drain	
Haridwar	9. Jagjeetpur STP Drain 10. Kassavan Drain 11. Pandey wala Drain 12. Matri Sadan Drain	
Laksar	13. Laksar Drain	
Dehradun		

<https://epch.nic.in/wqm/pollution-assessment-ganga-2013.pdf>

9. According to the information catered by the applicant, following industrial estates have been set up in the Ganga basin:

INDUSTRIAL ESTATE IN GANGA BASIN



Integrated Industrial Estate	SIDCUL	Private Industrial Estate
- Integrated Industrial Estate, IIE Haridwar - Integrated Industrial Estate, Pantnagar - Integrated Industrial Estate, Kotdwar - Integrated Industrial Estate, Dehradun (IT Park) - Integrated Industrial Estate, Selaqui (Pharma City) - Integrated Industrial Estate, Kashipur (Escort Farm) - Integrated Industrial Estate, Sitarganj Phase II	- SIDC, Tatasu Mazadi, Kamaprayag - SIDC, Muni Ki Reti (Rishikesh) - SIDC, Selaqui (Dehradun) - Textile Park, Kashipur - SIDC Kashipur - SIDC-Haridwar-Site-II	- Dev Bhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee. - M/S Omega Industrial Estate, Dabhora, Ahatmali, Kashipur. - Rajpur Co-operative Industrial Area, Rajpur-Bhagwanpur, Roorkee. - M/S Mool Chand Industrial Estate Pvt. Ltd. - M/S Gangapur Kashipur Industrial Area, Kashipur. - M/S Rajpur-Bhagwanpur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee. - M/S Sara Industrial Estates Ltd. Shankarpur-Hukmatpur, Dehradun (Joint venture between IEL and SIDCUL).

INDUSTRIAL & CETP PROFILE

Total Number of Industries, 2023	Total CETPs, 2023
12728	3 CETPs.
(890 water polluting)	1 CETP Pantnagar & 1 CETP US Nagar- non-compliant.

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand



for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 05, 2023
Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)
SN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D S Rawat".



ANNEXURE-2
25130

30

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in
Phone/Fax No :- 01372-252175

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक / 29-3(3) दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 20 / 2023

श्री अखिलेश भट्ट,
वन क्षेत्राधिकारी,
पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित original Application No- 200 of 2014 M.C. Mehta Vs Union of India and Ors. में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी/प्रतिवाद किये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-733/इक्कीस/एल0बी0सी0-1/2022-23 दिनांक 17-11-2023.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित original Application No- 200 of 2014 M.C. Mehta Vs Union of India and Ors. में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में महाधिवक्ता श्री कौशल पति गौतम, महाधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, एम0/11 ग्राउण्ड फ्लोर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 नई दिल्ली मो0 9811101934 से सम्पर्क स्थापित कर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें। प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।

संलग्न:- यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर/
सदस्य संयोजक-जिला गंगा संरक्षण समिति
चमोली।

पत्रांक 2619 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1- जिलाधिकारी चमोली को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2- श्री कौशल पति गौतम, महाधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, एम0/11 ग्राउण्ड फ्लोर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 नई दिल्ली मो0 9811101934 को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से सादर प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में तैयार प्रतिशपथ पत्र को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल करने की कृपा करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर/
सदस्य संयोजक-जिला गंगा संरक्षण समिति
चमोली।

25131

Annexure-2-(01)
(31)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2000] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2017/आषाढ़ 27, 1939
No. 2000] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2017/ASADHA 27, 1939

जन संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. जा. 2245(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. जा. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला रायबरेली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

- | | | |
|------|---|-----------------|
| i | जिलाधिकारी, रायबरेली | —अध्यक्ष |
| ii | अग्निशक्ती अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय प्रखण्ड, रायबरेली | —सदस्य |
| iii | अग्निशक्ती अभियंता, भारदा महायक कमांड (दक्षिण), रायबरेली | —सदस्य |
| iv | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली | —सदस्य |
| v | अग्निशक्ती अभियंता, जल निगम, रायबरेली | —सदस्य |
| vi | अग्निशक्ती अभियंता, ग्रामीण अभिवृद्धि विभाग, रायबरेली | —सदस्य |
| vii | अग्निशक्ती अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली | —सदस्य |
| viii | जिला अग्निशक्ती अधिकारी, रायबरेली | —सदस्य व संयोजक |



(1)

ख- नामित सदस्यगण :

i	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विज्ञान व राजस्व), रायबरेली	—सदस्य
ii	अध्यक्ष, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली	—सदस्य
iii	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत खजूर गाँव विकास खंड, नालगंज, रायबरेली	—सदस्य
iv	श्री विमल कुमार, सहायक पर्यावरण अभिवृत्ता, रायबरेली	—सदस्य
v	श्री बी.पी. मौर्य, सहायक वैज्ञानिक, रायबरेली	—सदस्य
vi	श्री तीरभ्रम बंसल, मेसर्स टेक्नो प्लास्टिक्स, रायबरेली	—सदस्य

- नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्वा. -01/2016-17/111/एनएससीजी (खंड- II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O.2245 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Rae Bareilly, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| (a) | District Magistrate, Rae Bareilly, | —Chairperson; |
| (b) | Executive Engineer, Public Works Department, Provincial Division, Rae Bareilly, | —Member; |
| (c) | Executive Engineer, Sharda Suhayak Command (South), Rae Bareilly, | —Member; |
| (d) | Chief Medical Officer, Rae Bareilly, | —Member; |
| (e) | Executive Engineer, Jal Nigam, Rae Bareilly, | —Member; |
| (f) | Executive Engineer, Rural Engineering Department, Rae Bareilly, | —Member; |
| (g) | Regional Officer, Pollution Control Board, Rae Bareilly, | —Member; |
| (h) | District Forest Officer, Rae Bareilly, | —Member and
Convenor; |




B. Nominated Members:

- | | |
|---|----------|
| (a) Additional District Magistrate (Finance & Revenue) Rae Bareilly, | —Member; |
| (b) Chairman, Nagar Panchayat, Dalmau, Rae Bareilly, | —Member; |
| (c) Gram Pradhan, Gram Panchayat Khajoor Gaon Vikas Khand, Lalganj, Rae Bareilly, | —Member; |
| (d) Sri Vimal Kumar, Assistant Environment Engineer, Rae Bareilly, | —Member; |
| (e) Sri V. P. Maurya, Assistant Scientist, Rae Bareilly, | —Member; |
| (f) Sri Saurabh Kansal, M/s. Techno Plastics, Rae Bareilly, | —Member. |

2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.

3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.

4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2246 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिमूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कासगंज के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित —सदस्य शामिल होंगे :

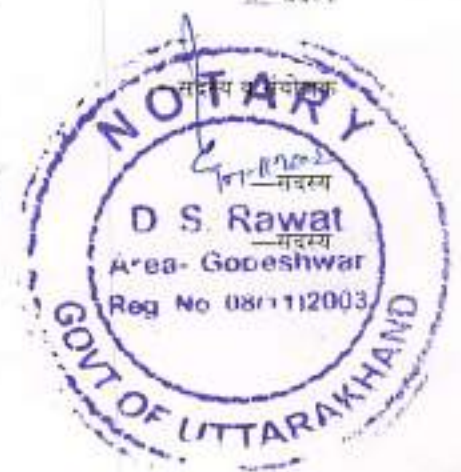
क- पदेन सदस्यगण

- | | | |
|-----|---|----------|
| i | जिलाधिकारी, कासगंज | —अध्यक्ष |
| ii | अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कासगंज | —सदस्य |
| iii | अधिशायी अभियंता, मिर्चाई विभाग, कासगंज | —सदस्य |
| iv | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज | —सदस्य |
| v | अधिशायी अभियंता, जल निगम, कासगंज | —सदस्य |
| vi | परियोजना प्रबन्धक, समुदाय प्रदूषण निरोधक इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा | —सदस्य |
| vii | प्रभागीय वन अधिकारी, कासगंज | |

ख- नामित सदस्यगण :

- | | |
|----|-----------------------------|
| i | पुलिस अधीक्षक, कासगंज |
| ii | मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज |

De



- | | | |
|-----|---|--------|
| iii | अधिशामी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोरोन | —सदस्य |
| iv | श्री राधे श्याम फरतेवान, मोहल्ला चन्दन चौक, सोरोन,
(पर्यावरणविद) | —सदस्य |
| v | श्री संतोष कुमार मिश्रा, मोहल्ला-टेहरा नीम, सोरोन (पर्यावरणविद) | —सदस्य |
| vi | प्रबन्धक, न्योली शुगर फ्रेक्टरी, न्योली, | —सदस्य |
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
3. जिला बंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिमूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिखे गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
4. नामित सदस्यों को साप्ताहिक भत्ता/दैनिक भत्ता और मिटिंग फंड्स राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होंगी।
5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिमूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्वा.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ बंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

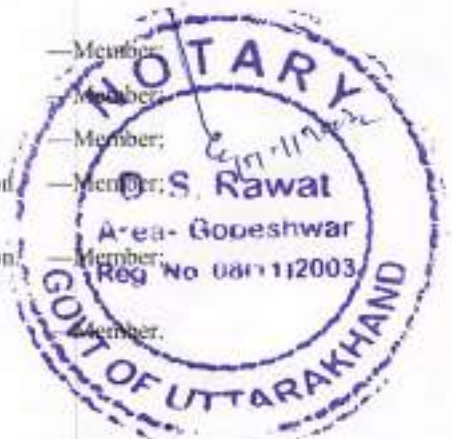
S.O. 2246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Kasganj, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| (a) | District Collector, Kasganj, | —Chairperson; |
| (b) | Executive Engineer, Public Works Department, Kasganj, | —Member; |
| (c) | Executive Engineer, Irrigation Department, Kasganj, | —Member; |
| (d) | Chief Medical Officer, Kasganj, | —Member; |
| (e) | Executive Engineer, Jal Nigam, Kasganj, | —Member; |
| (f) | Project Manager, Yamuna Pollution Control Unit, U P Jal Nigam, Agra, | —Member; |
| (g) | Divisional Forest Officer, Kasganj, | —Member and
Convenor; |

B. Nominated Members:

- | | | |
|-----|---|----------|
| (a) | Superintendent of Police, Kasganj, | —Member; |
| (b) | Chief Development Officer, Kasganj, | —Member; |
| (c) | Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Soron, | —Member; |
| (d) | Sri Radhye Shyam Phartewal, Mohalla Chandan Chowk, Soron
(Environmentalist), | —Member; |
| (e) | Sri Santosh Kumar Mishra, Mohalla - Terha neem, Soron
(Environmentalist), | —Member; |
| (f) | Manager, Nyoli Sugar Factory, Nyoli, | —Member. |



2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.
4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

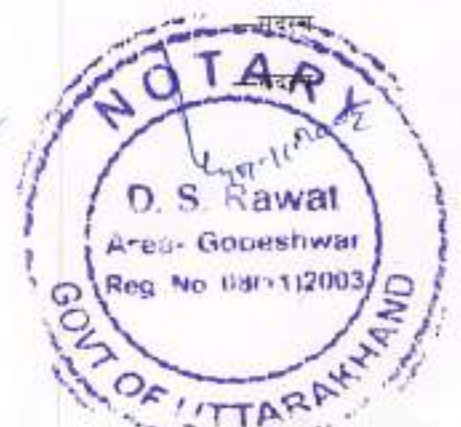
का. आ. 2247(अ).—केंद्र सरकार के दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला उन्नाव के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i	जिलाधिकारी, उन्नाव	—अध्यक्ष
ii	सहायक अभियंता, निर्माण प्रखंड-1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव	—सदस्य
iii	सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, उन्नाव	—सदस्य
iv	फिजीमियन, जिला चिकित्सालय, उन्नाव	—सदस्य
v	सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड, उन्नाव	—सदस्य
vi	सहायक अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, उन्नाव	—सदस्य
vii	सहायक अभियंता (पर्यावरण), उन्नाव	—सदस्य
viii	उप प्रभागीय वन अधिकारी, उन्नाव	—सदस्य व संयोजक

ख- नामित सदस्यगण :

i	श्री अतीन्द्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव	—सदस्य
ii	श्री राम चन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उन्नाव	—सदस्य
iii	श्री राम गोपाल द्विवेदी, प्रधान, कनिकामऊ, विकास खंड, सिकंदरपुर सरोसी, उन्नाव	—सदस्य
iv	श्री पंकज यादव, सहायक अभियंता (प्रदूषण), उन्नाव	—सदस्य
v	श्री राजनीकान्त श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मण्डल, उन्नाव	—सदस्य



2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
4. नामित सदस्यों को वाचा भत्ता/दैनिक भत्ता और मिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्वा. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Unnao, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

1. Ex-officio Members:

- | | |
|--|-----------------------|
| (a) District Magistrate, Unnao, | —Chairperson; |
| (b) Assistant Engineer, Construction Division-1, Public Works Department, Unnao, | —Member; |
| (c) Assistant Engineer, Irrigation Department, Unnao, | —Member; |
| (d) Physician, District Hospital, Unnao, | —Member; |
| (e) Assistant Engineer, Rural Engineering Division, Unnao, | —Member; |
| (f) Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam, Unnao, | —Member; |
| (g) Assistant Engineer (Pollution), Unnao, | —Member; |
| (h) Deputy Divisional Forest Officer, | —Member and Convenor; |

2. Nominated Members:

- | | |
|--|----------|
| (a) Sri Atindra Singh, District Agriculture Officer, Unnao, | —Member; |
| (b) Sri Pankaj Yadav, Assistant Engineer (Pollution), | —Member; |
| (c) Sri Ram Chandra Gupta, Chairman, Nagar Palika Parishad, | —Member; |
| (d) Sri Ram Gopal Dwivedi, Pradhan, Kanikamau Vikas Khand, Sikandarpur Sarosi, | —Member; |
| (e) Sri Rajnikant Srivastava, Chairman, Udyog Vyapar Mandal, Unnao, | —Member. |

2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.

Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga



आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

क्र. अ. 2248(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्वानरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i	जिलाधिकारी, कानपुर (शहर)	—अध्यक्ष
ii	अधिक्षासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर	—सदस्य
iii	अधिक्षासी अभियंता, वैराज निर्माण प्रखण्ड -2, फूलबाग, कानपुर	—सदस्य
iv	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, पांडुनगर, कानपुर	—सदस्य
v	अधिक्षासी अभियंता, जल निगम, कानपुर	—सदस्य
vi	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण निबंधन बोर्ड, कानपुर	—सदस्य
vii	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक बानिकी, कानपुर प्रभाग, कानपुर (शहर)	—सदस्य व संयोजक

ख- नामित —सदस्य:

i	अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर (शहर)	—सदस्य
ii	श्री निर्भय सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बिल्हौर	—सदस्य
iii	श्री कमलेश कशेरिया, अध्यक्ष, नगर पंचायत, शिवराजपुर	—सदस्य
iv	श्री अनिल कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय राजवन्दी सिंह, 578, लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, कानपुर (शहर)	—सदस्य
v	श्री उमेश चन्द्र निगम, 35 -सूर्य बिहार, खोरा आज़ाद नगर, कानपुर, संयुक्त गंगा विचार मंच	—सदस्य
vi	श्री सुनील गुप्ता, पीआईए, जे- 24-पनकी औद्योगिक क्षेत्र, साइड नं- 3, कानपुर	—सदस्य

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकती है।



[क्र. सं. स्वा. -01/2016-17/111/एनएनसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Kanpur, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| (a) District Magistrate, Kanpur (City), | - | Chairperson; |
| (b) Executive Engineer, Public Works Department, Provincial Division, Kanpur, | - | Member; |
| (c) Executive Engineer, Barrage Construction Division-2, Phoolbagh, Kanpur, | - | Member; |
| (d) Nagar Health Officer, Kanpur Municipal Corporation, Kanpur, | - | Member; |
| (e) Executive Engineer, Jal Nigam, Pandu Nagar, Kanpur, | - | Member; |
| (f) Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur, | - | Member; |
| (g) Divisional Director, Social Forestry, Kanpur Division, Kanpur (City), | - | Member and Convenor; |

B. Nominated Members:

- | | | |
|--|---|---------|
| (a) Additional District Magistrate, Kanpur (City), | - | Member; |
| (b) Sri Nirbhoy Singh, Chairman, Nagar Palika Parishad, Billhore, | - | Member; |
| (c) Sri Kamlesh Katheria, Chairman Nagar Panchayat, Shivrajpur, | - | Member; |
| (d) Sri Anil Kumar Singh, S/o Late Rajbali Singh, 578, Lakhanpur Housing Society, Kanpur (City), | - | Member; |
| (e) Sri Umesh Chandra Nigam, 35-Surva Vihar, Khora Azad Nagar, Kanpur, Joint Ganga Vihar Manch, | - | Member; |
| (f) Sri Sunil Gupta, PIA, J-24-Panki Industrial Area, Side No.3 Kanpur, | - | Member. |

2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.

3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.

4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.



[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2249(अ).—जैद सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला रुद्रप्रयाग के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i.	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग	—अध्यक्ष
ii.	अग्निशक्ती अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iii.	अग्निशक्ती अभियंता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iv.	अग्निशक्ती अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
v.	परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
vi.	सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	—सदस्य
vii.	उप-प्रभागीय वन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—सदस्य व संयोजक

ख- नामित सदस्य:

i.	जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
ii.	अग्निशक्ती अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iii.	अग्निशक्ती अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्तमुनि	—सदस्य
iv.	श्री जगत सिंह चौधरी (जंगली), ग्राम व डाकघर कोटमल्ला, पर्यावरणविद	—सदस्य
v.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी, श्री अगस्त्या संगीतालय, पर्यावरणविद	—सदस्य
vi.	श्री पूरन सिंह नेगी, मेसर्स सूरज बेकर्स एम.ओ.आस्थान भातबडी सैन, उद्योग संघ- प्रतिनिधि	—सदस्य

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की उपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की उपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्देश दे सकेंगी।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन



ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Rudrapur, in the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) District Collector, Rudrapur, | —Chairperson; |
| (b) Executive Engineer, Public Works Department, Rudrapur, | —Member; |
| (c) Executive Engineer, Irrigation Department, Rudrapur, | —Member; |
| (d) Executive Engineer, Rural Engineering Service, Rudrapur, | —Member; |
| (e) Project Manager, Swajal Project, Rudrapur, | —Member; |
| (f) Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun, | —Member; |
| (g) Sub-Divisional Forest Officer, Rudrapur, | —Member and
Convenor; |

B. Nominated Members:

- | | |
|---|----------|
| (a) District Development Officer, Rudrapur, | —Member; |
| (b) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudrapur, | —Member; |
| (c) Executive Officer, Nagar Panchayat, Agastmuni, | —Member; |
| (d) Mr. Jagat Singh Chaudhary (Jungli), Village and Post Office Kotmalla, Environmentalist, | —Member; |
| (e) Mr. Rajendra Prasad Goswami, Shri Agastya Sangeetalay, Environmentalist, | —Member; |
| (f) Mr. Purn Singh Negi, M/s. Sujal Bakers M.O. Aashthan Bhatwadi Sain, Udhog Sangh – Representation, | —Member; |

2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.

3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.

4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chair Person may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017



का. आ. 2250(अ) — केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जिला चमोली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i	जिला कलेक्टर, चमोली	—अध्यक्ष
ii	अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर	—सदस्य
iii	अधिशाली अभियंता, सिंचाई विभाग, चमोली	—सदस्य
iv	अधिशाली अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर	—सदस्य
v	अधिशाली अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर	—सदस्य
vi	सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	—सदस्य
vii	प्रभागीय वन अधिकारी, वट्टीनाथ वन प्रभाग	—सदस्य व संयोजक

ख- नामित सदस्यगण :

i	परियोजना प्रबन्धक, स्वजन परियोजना, गोपेश्वर चमोली	—सदस्य
ii	अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली- गोपेश्वर	—सदस्य
iii	अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	—सदस्य
iv	श्री मतीश चौहान, अध्यक्ष, यू.सी.ओ. क्लब, भुंठार, जोशीमठ, चमोली	—सदस्य
v	श्रीमती चंद्रकला तिवारी, जय माँ नन्दा समिति, गोपेश्वर	—सदस्य
vi	श्री अंबोला पुरोहित, अध्यक्ष, व्यापार संघ, गोपेश्वर	—सदस्य

- नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्देश ले सकते हैं।

[फा. सं. स्वा. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन



ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2250(E).—To exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment Protection, Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Chamoli, in the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

- District Collector, Chamoli,
- Executive Engineer, Public Works Department, Gopeshwar,
- Executive Engineer, Irrigation Department, Chamoli,

—Chairperson;
—Member;
—Member;

- | | |
|--|--------------------------|
| (d) Executive Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Gopeshwar, | —Member; |
| (e) Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Gopeshwar, | —Member; |
| (f) Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, Dehradun, | —Member; |
| (g) Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division, | —Member and
Convenor; |

B. Nominated Members:

- | | |
|---|----------|
| (a) Project Manager, Swajal Project, Gopeshwar Chamoli, | —Member; |
| (b) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Chamoli – Gopeshwar, | —Member; |
| (c) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Karnprayag, | —Member; |
| (d) Mr. Satish Chauhan, Chairman, UCO Club, Bhiyundar, Joshimath Chamoli, | —Member; |
| (e) Smt. Chandrakala Tiwari, Jai Maa Nanda Samiti, Gopeshwar, | —Member; |
| (f) Mr. Ankola Purohit, Chairman, Vyapar Sangh, Gopeshwar, | —Member; |
2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.
 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]
 RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
 National Mission for Clean Ganga



25143

कार्यालय जिलाधिकारी जनपद चमोली

43

81 / गंगा संरक्षण समिति / 2016-17

दिनांक: 30 अक्टूबर 2017

ता में,

कार्यक्रम निदेशक,
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे देहरादून,
उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद स्तरीय जिला गंगा संरक्षण समिति गठन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 478/SPMG/NGRBA/S.C.C/21 दिनांक 18.04.2017 के क्रम में जनपद चमोली में जिला गंगा संरक्षण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

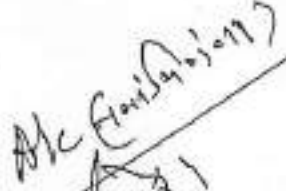
समिति की संरचना

क्र०सं०	समिति की संरचना का विवरण	विभाग का नाम	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी का नाम/पद	पद
(ए)	जिला कलेक्टर	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी चमोली	अध्यक्ष
(बी)	विनिर्दिष्ट जिले की नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम दो प्रतिनिधि		1- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद सोपेश्वर - चमोली 2- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद कठप्रिया - चमोली	सदस्य -
(सी)	राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले में कार्यरत लोक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पेयजल विभाग, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ग्रामीण पेयजल विभाग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1- अधि०अभि० लो०नि०वि० गोपेश्वर 2- अधि०अभि० सिंचाई वि०, चमोली 3- मुख्य चिकित्सक अधिकारी, चमोली 4- अधि०अभि० जल निगम, गोपेश्वर 5- अधि०अभि० जल संस्थान, गोपेश्वर 6- सहायक पर्यावरण अभिज्ञता क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य क्षेत्र
(डी)	विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नामित गंगा संरक्षण कार्यकलापों से सम्बन्धित पर्यावरणविद और स्थानीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि	पर्यावरणविद स्थानीय उद्योग व्यापार संघ प्रतिनिधि	1- श्री सतीश चौहान, अध्यक्ष युको क्लब, भ्यूंडार जोशीमठ चमोली। 2- श्रीमती चन्द्रकला तिवारी, जय मां नंदा समिति, गोपेश्वर चमोली 1- श्री अंकोला पुरोहित, अध्यक्ष व्यापार संघ गोपेश्वर।	सदस्य सदस्य सदस्य

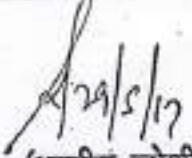
25144

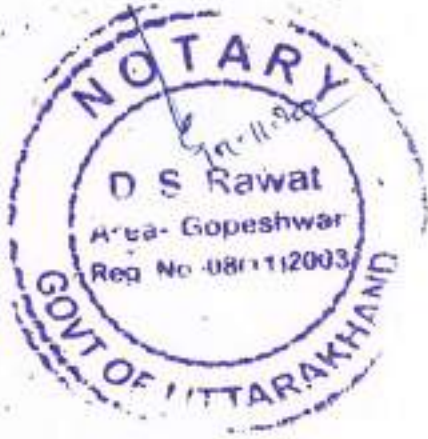
44

विनिर्दिष्ट जिले का एक डिविजनल वन अधिकारी	डिविजनल वन अधिकारी	1- डी0एफ0300, बद्रीनाथ वनप्रभाग	सद
(एक) एक जनपद स्तरीय अधिकारी जिसे जिला कलेक्टर नामित करें	स्वजल परियोजना	1-परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, गोपेश्वर धमोली।	सद


 आ. सी. गौर


पैकी नं. 9336
 फ. नं. 2-42
 दि. 20/6/17
 प्रमाणित - जिलाधिकारी वन प्रभाग


 (आशीष जोशी)
 जिलाधिकारी
 जनपद धमोली




25145

दिनांक 26-10-2023 को आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

45

आज दिनांक 26-10-2023 को आपके निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नगरीय गंगा परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में राप्तर संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च-2023 तक कुल 41 बैठकें तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह सितम्बर-2023 तक कुल 06 बैठकें आहूत हुईं जिनसे संबंधित कार्यवृत्त GDPMS Portal पर Upload किए जा चुके हैं।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewerage:-

(i)- I&D and STP Projects:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.76	7.62	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1223M) - Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work) - Completed. (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1044 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (ii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.85	39.78	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed (ii) Steel Truss Bridge - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar
	Total:-	163.44	96.33	94.39		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें से 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं में से 11 STP वर्तमान में क्रियान्वित है एवं 01 STP जो श्री बद्रीनाथ में गारटर प्लान कार्य के तहत लाईन क्षतिग्रस्त होने से क्रियान्वित नहीं है।

अवशेष 03 STP जो कर्णप्रयाग स्थान से संबंधित हैं वर्तमान तक कार्यवाही संस्था द्वारा हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। इस संबंध में पूर्व में कार्यवाही संस्था निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर तथा जल संस्थान कर्णप्रयाग को उक्त STP का संयुक्त निरीक्षण कर हस्तांतरित करने हेतु निर्देश दिए गए थे जो वर्तमान तक हस्तांतरित न होने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार एसोटीओपीओ को शीघ्र हस्तांतरित कर जिला बैठक से पूर्व सम्पुलन आख्या प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद में निर्मित एसोटीओपीओ के संवाहन एवं Tributary wise Action Plan निर्माण हेतु संबंधित संबंधित विभागों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए:-

- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर को जनपद में अन्य प्राइवेट संस्थाओं द्वारा पूर्व निर्मित STP का भी समय-समय पर निरीक्षण करते हुए उससे संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- जल संस्थान द्वारा संचालित STP का निरीक्षण करते हुए STP के कार्य प्रदर्शन संबंधी संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रस्तुत करेंगे।

o/c

—अध्यक्ष 02 पृष्ठ—

25146

- ❖ जल संस्थान द्वारा संचालित STP का Real time monitoring रिपोर्ट नियमित रूप से संबंध में जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा नियमित रूप से STP का Real time monitoring की जा रही है जो उनके द्वारा गंगा तरंग ऐप पर अपलोड की जाती है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जल संस्थान को निर्देश दिए गए कि उनके द्वारा गंगा तरंग ऐप पर अपलोड की जा रही सूचना नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए।
- ❖ जल संस्थान संचालित STP के अंतर्गत Sludge Management के अंतर्गत एस०टी०पी० से तैयार खाद की मात्रा आदि के प्रतिमाह आंकड़े कृषि विभाग एवं जिला गंगा संरक्षण समिति को प्रस्तुत करें तथा Sludge से खाद तैयार कर NGO द्वारा निस्तारण किया जाए एवं इससे प्राप्त आय का विवरण संधारित करते हुए उपलब्ध कराई जाए।
- ❖ एस०टी०पी० से तैयार खाद के उपयोग/विपणन/पैकेजिंग हेतु कृषि विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए गए ताकि स्वयं सहायता समूह STP से निर्मित खाद आदि का उचित विपणन कर सकें।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग/मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टैपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

II- Progress of connecting sewer lines to STP:- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सॉक पिटर/सेप्टिक टैंक की संख्या
					गत माह तक	माह में	योग	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	410	05	415	5095
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	214	01	215	3683
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	305	-	305	135
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	929	06	935	10848

अधिशासी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन नहीं है वहां पर निवासित परिवारों द्वारा अपने-अपने सॉक पिटर बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाती है।

उपरोक्तानुसार निर्मित STP से सीवर संयोजन की धीमी प्रगति के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जल संस्थान को शत-प्रतिशत सीवर संयोजन कराए जाने तथा कर्णप्रयाग से संबंधित सीवर संयोजन के आंकड़े भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-

जनपद में स्थानीय निकायों के रेगुलेशन से संबंधित निकायों में ठोरा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोरा अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रांतर्गत सोरा रीग्रिगेशन एवं डुअर डु डुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से करवाए जाते हैं जो खुले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा का विवरण-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	वार्ड के अंतर्गत कुल परिवारों/घरों की संख्या	डोर-दु-डोर कलेक्शन परिवारों/घरों की संख्या	गत माह तक डोर-दु-डोर कलेक्शन से अर्जित आय	माह में डोर-दु-डोर कलेक्शन से अर्जित आय	कुल अर्जित आय
1	धमोली/गोपेश्वर	11	5510	5023	378785	35880	414665
2	जोशीमठ	9	3898	3898	914445	305920	1220365
3	कर्णप्रयाग	7	2475	2475	1620685	18200	1638885
4	गौचर	7	2868	2868	1171776	25696	1197472
5	पीपलकोटी	4	856	852	134880	32000	166880
6	पोखरी	7	1436	1696	210050	2100	212150
7	नंदप्रयाग	4	424	382	2666602	0	2666602
8	धराली	4	977	110	2200	2300	4500
9	गैरसैण	7	980	980	54350	4000	58350
10	बद्रीनाथ	4	850	850	73710	24600	98310
	योग:-	64	20274	19134	7227483	450696	7678179

(ब)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा निस्तारण का विवरण-

क्र० सं०	निकाय का नाम	गत माह तक गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट की मात्रा कियारा में	माह में गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट की मात्रा कियारा में	कुल गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट की मात्रा कियारा में	गत माह तक गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट से अर्जित आय	माह में गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट से अर्जित आय	कुल अर्जित आय
1	धमोली/गोपेश्वर	6063	-	6063	5663	-	5663
2	जोशीमठ	150	0	150	600	-	600
3	कर्णप्रयाग	105	30	135	-	-	-
4	गौचर	535	60	595	-	-	-
5	पीपलकोटी	-	-	-	-	-	-
6	पोखरी	315	25	340	-	-	-
7	नंदप्रयाग	170	20	190	-	-	-
8	धराली	-	-	-	-	-	-
9	गैरसैण	25	10	25	-	-	-
10	बद्रीनाथ	-	-	-	-	-	-
	योग:-	7363	145	7498	6263	-	6263

(स)स्थानीय निकायों के अंतर्गत एण्टीलिटिंग एण्ड एण्टी स्पिटिंग एक्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण-

क्र० सं०	निकाय का नाम	गत माह तक किए गए चालानों की संख्या	माह में किए गए चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	गत माह तक प्राप्त धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	कुल प्राप्त आय
1	धमोली/गोपेश्वर	41	3	44	32700	600	33300
2	जोशीमठ	62	7	69	55700	2300	58000
3	कर्णप्रयाग	61	6	67	51200	6000	57200
4	गौचर	185	10	195	48900	2000	50900
5	पीपलकोटी	23	0	23	28850	0	28850
6	पोखरी	38	2	40	8300	300	8600
7	नंदप्रयाग	17	3	20	18600	1500	20100
8	धराली	3	2	5	1500	1000	2500
9	गैरसैण	50	0	50	15400	0	15400
10	बद्रीनाथ	141	26	167	61250	14500	75750
	योग:-	621	59	680	322400	28200	350600

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत ठोरा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित रूप से डोर-दु-डोर कूड़ा एकत्रीकरण कियारा से अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक माह कूड़ा कार्यवाही की प्रगति/आंकड़े जिला नगर संस्था समिति को प्रस्तुत करेंगे।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर प्रालिका परिषद धमोली गोपेश्वर (नोडल)।

—रूपरा: 04 पर—

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद के समस्त नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदियों में नहीं डाला जाता है। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन/ सैटिक निकायों के अंतर्गत गंगा/ सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबा/ सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	होटल/ धर्मशाला/ लॉज / आश्रमों की संख्या	कक्षों की संख्या	सैटिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	पाश्र्विक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	8	17	4
2	जोशीमत	40	398	16	24	1
3	कर्णप्रयाग	29	247	29	-	2
4	गौघर	8	220	8	-	2
5	नंदप्रयाग	2	13	8	-	-
6	पीपलकोटी	-	-	-	-	-
7	पोखरी	-	-	-	-	-
8	थराली	-	-	-	-	-
9	गैरसीण	-	-	-	-	-
10	बद्रीनाथ	126	2520	6	120	4
	योग:-	230	3636	75	161	13

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा चिकित्सालयों आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है।

कार्यवाही:- अपिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ०प्र० निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस०टी०पी० का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में वर्तमान में जनपद चमोली हेतु रु० 2123.01 लाख की कार्ययोजना संकलित कर कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप (SPMG) को प्रेषित की जा चुकी है।

कार्यवाही:- सदस्य सचिव/प्रमाणीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-

1- Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणीकरण, निशुल्क वर्मीबैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	वित्तीय आवंटन (लाख में)	वित्तीय पूर्ति (लाख में)
1	कुल घयनित क्षेत्रफल (है० में)	5000	5000	-	-	-
2	कुल कलस्टरों की संख्या	128	128	-	-	-
3	कुल घयनित कृषक	9347	9347	-	-	-
4	कुल अग्रिमोन्नत विकासक	07	07	-	-	-
5	DGS प्रणाली के माता कुल वितरित SCOPE प्रमाण-पत्र	128	128	-	-	-
6	कुल व्यय घनरेखा (वितरित ०१ वर्ष में)	5000	5000	850	422.29	422.29

कृषि निगम, उत्तरांचल विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हैक्टर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 6.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना जैविक खेती हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डो/फ्लैक्सी बैनर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली/रुमर: 05 पर-

2. Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक गेवुरल लैण्डरकेप मय के अंतर्गत 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डरकेप में 351.38 हेक्टेयर निजी नाफ्भूमि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशनल प्लांटेशन के अंतर्गत 38.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हेक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में धराती कोटमदी तोक एवं बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा घाटिका निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2023-24 हेतु कार्ययोजना उच्च स्तर को प्रेषित की जा चुकी है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, गंगादेवी, कैदारनाथ एवं बदीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3. Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

NMCG एवं SPMG के निर्देशानुसार समय-समय पर जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों का विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन नियमित रूप से कराया जा है। नमामि गंगे के अंतर्गत समय-समय पर उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्षारोपण, आई0ई0सी0 गतिविधियों आयोजित की जाती है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc.:-

Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियालसैण)

3- नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बदीनाथ घाट में स्नानघाट एवं शौचालय ब्लॉक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में:-

बैठक में WAPCOS Ltd. के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि श्री बदीनाथ घाट में उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्नानघाट एवं शौचालय ब्लॉक का कार्य किया जा रहा है जो प्रगति में है तथा स्नानघाट एवं शौचालय निर्माण के लिए निर्धारित भूमि को ब्रह्मकपाल के निकट स्थित है जो ब्रह्मकपाल पञ्चा समिति द्वारा अपनी निजी भूमि बताया जा रहा है जो कार्य निर्माण कार्य में असुविधा होने से उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति से आवश्यक कार्यवाही करते हुए 10/08/2023 जारी करने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में उक्त भूमि अधिग्रहण के संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी एवं राज्य सरकार/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी जोशीमठ को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः उप जिलाधिकारी जोशीमठ उक्त प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कार्य 2008 निर्माण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- उप जिलाधिकारी, जोशीमठ/

—क्रमशः 06 पर—

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए छि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शीघ्र सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

[Signature]
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बुद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बुद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2274 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 26 / 2023

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. उप जिलाधिकारी, जोशीमठ।
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 105 (नयां नं०-545/941 द्वितीय तल) राजपुर रोड, आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने, देहरादून।
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली—गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नौडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
16. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
17. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, केदारनाथ, नंदादेवी वन प्रभाग।
18. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
19. जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली।



[Signature]
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बुद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

[Signature]

दिनांक 25-09-2023 को आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 25-09-2023 को आपके निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च-2023 तक कुल 41 बैठकों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अगस्त-2023 तक कुल 05 बैठक आहूत हुई जिनसे संबंधित कार्यवृत्त GDPMS Portal पर Upload किए जा चुके हैं।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.73	7.53	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 STP Handled over to UJS Karanprayag and 3 STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (iii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iv) Scheme Handled over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handled over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.74	39.78	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed. (ii) Steel Truss Bridge - Completed. (iii) Scheme Handled over to UJS Gopeshwar.
	Total:-	163.44	96.19	94.30		

निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें से 12 STP जल संरक्षण को हस्तागत कर दिए गए हैं में से 11 STP वर्तमान में क्रियान्वित हैं एवं 01 STP जो श्री बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्य के तहत लाईन क्षतिग्रस्त होने से क्रियान्वित नहीं है।

अवशेष 03 STP जो कर्णप्रयाग स्कीम से संबंधित हैं वर्तमान तक कार्यदायी संस्था द्वारा हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। इस संबंध में पूर्व में कार्यदायी संस्था निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर तथा जल संस्थान कर्णप्रयाग को उक्त STP का संयुक्त निरीक्षण कर हस्तांतरित करने हेतु निर्देश दिए गए थे जो वर्तमान तक हस्तांतरित नहीं होने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार एसओटीपीओ को शीघ्र हस्तांतरित कर आगामी दिनांक से पर्याप्त अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद में निर्मित एसओटीपीओ के संचालन एवं Tributary wise Action Plan निर्माण हेतु संबंधित क्षेत्रीय विभागों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए:-

- Tributary wise Action Plan तैयार किए जाने के संबंध में निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि एक्शन प्लान निर्माण की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर 15 दिन के अंदर उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।

- निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर को जनपद में अन्य प्राइवेट संस्थाओं द्वारा पूर्ण निर्मित STP की भी समीक्षा कर निर्देशन करते हुए उससे संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

- ❖ जल संस्थान द्वारा संचालित STP का निरीक्षण करते हुए प्रगति से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रस्तुत करेंगे।
- ❖ जल संस्थान द्वारा संचालित STP का Real time monitoring रिपोर्ट नियमित रूप से संबंध में जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा नियमित रूप से STP का Real time monitoring की जा रही है जो उनके द्वारा गंगा तरंग ऐप पर अपलोड की जाती है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जल संस्थान को निर्देश दिए गए कि उनके द्वारा गंगा तरंग ऐप पर अपलोड की जा रही सूचना नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए।
- ❖ जल संस्थान संचालित STP के अंतर्गत Sludge Management के अंतर्गत एस0टी0पी0 से तैयार खाद की मात्रा आदि के प्रतिमाह आंकड़े कृषि विभाग एवं जिला गंगा संरक्षण समिति को प्रस्तुत करें तथा Sludge से खाद तैयार कर NGO द्वारा निस्तारण किया जाए एवं इससे प्राप्त आय का विवरण संचारित करते हुए उपलब्ध कराई जाए।
- ❖ एस0टी0पी0 से तैयार खाद के उपयोग/विपणन/पैकेजिंग हेतु कृषि विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए गए ताकि स्वयं सहायता समूह STP से निर्गित खाद आदि का उचित विपणन कर सकें।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग/मुख्य कृषि अधिकारी घमोली।

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराए गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

II- Progress of connecting sewer lines to STP:- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे मकानों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सौक पिटर/सेप्टिक टैंक की संख्या
					गत माह तक	माह में	योग	
1	गोपेश्वर/घमोली	गोपेश्वर/घमोली	5510	-	405	05	410	5100
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	214	-	214	3684
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	305	-	305	135
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	924	05	929	10854

अधिशासी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन नहीं है वहां पर निवासित परिवारों द्वारा अपने-अपने सौक पिट्स बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से पैकिंग की जाती है।

उपरोक्तानुसार निर्मित STP से सीवर संयोजन की धीमी प्रगति के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जल संस्थान को शत-प्रतिशत सीवर संयोजन कराए जाने तथा कर्णप्रयाग से संबंधित सीवर संयोजन के आंकड़े भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) घमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary.

I- Compliance status of drainage in relation to the Municipal Solid Waste:-

जनपद में स्थानीय निकायों के समामित क्षेत्रों से संबंधित निकायों में घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका घमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सौरा सैनिटेशन एवं झुआर दु झुआर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जा रहे हैं। नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा का विवरण-

क्र. सं.	निकाय का नाम	घरों की संख्या	घरों के अंतर्गत कुल परिवारों/घरों की संख्या	डोर-टू-डोर कलेक्शन परिवारों/घरों की संख्या	गत माह तक डोर-टू-डोर कलेक्शन से अर्जित आय	माह में डोर-टू-डोर कलेक्शन से अर्जित आय	कुल अर्जित आय	गीला कूड़ा/मात्रा/वजन (टन में)	सूखा कूड़ा/मात्रा/वजन (टन में)
1	चमोली/गोपेश्वर	11	5510	5023	378785	-	378785	20.00	15.00
2	जोशीमठ	9	3898	3508	904745	40000	944745	15.00	30.00
3	कणप्रयाग	7	2475	2475	1620685	12000	1632685	11.00	21.00
4	गौघर	7	2868	2868	1171776	16010	1187786	10.00	17.00
5	पीपलकोटी	4	856	800	112880	22000	134880	0.30	0.25
6	मोखरी	7	1436	1296	206350	3700	210050	0.70	1.30
7	नंदप्रयाग	4	424	382	260602	6000	266602	0.30	0.20
8	धराली	4	977	110	2200	2300	4500	0.80	0.80
9	गैरसैण	7	980	980	504350	4000	54350	15.00	21.00
10	बद्रीनाथ	4	850	850	67210	6500	73710	7.20	10.29
योग:-		64	20274	18292	5229583	112510	7288093	80.30	116.84

(ब)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा निस्तारण का विवरण:-

क्र. सं.	निकाय का नाम	गत माह तक गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट की मात्रा किग्रा में	माह में गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट की मात्रा किग्रा में	कुल गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट की मात्रा किग्रा में	गत माह तक गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट से अर्जित आय	माह में गीले कूड़े से बने कम्पोस्ट से अर्जित आय	कुल अर्जित आय
1	चमोली/गोपेश्वर	6063	-	6063	5663	-	5663
2	जोशीमठ	-	150	150	600	-	600
3	कणप्रयाग	75	30	105	-	-	-
4	गौघर	535	40	575	-	-	-
5	पीपलकोटी	-	-	-	-	-	-
6	मोखरी	250	65	315	-	-	-
7	नंदप्रयाग	170	20	190	-	-	-
8	धराली	2	3	5	-	-	-
9	गैरसैण	25	-	25	-	-	-
10	बद्रीनाथ	-	-	-	-	-	-
योग:-		7120	308	7428	6263	-	6263

(स)स्थानीय निकायों के अंतर्गत एंटीलिटरिंग एण्ड एंटी स्पिटिंग एक्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण:-

क्र. सं.	निकाय का नाम	गत माह तक किए गए चालानों की संख्या	माह में किए गए चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	गत माह तक प्राप्त धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	कुल प्राप्त आय
1	चमोली/गोपेश्वर	46	-	46	17700	-	17700
2	जोशीमठ	26	1	27	24900	200	25100
3	कणप्रयाग	26	4	30	46100	2000	48100
4	गौघर	58	2	60	20800	1000	21800
5	पीपलकोटी	32	4	36	29250	3700	32950
6	मोखरी	62	1	63	29600	100	29700
7	नंदप्रयाग	76	2	78	33800	2000	35800
8	धराली	0	2	2	-	1000	1000
9	गैरसैण	77	1	78	29900	500	30400
10	बद्रीनाथ	6	-	6	8500	-	8500
योग:-		409	17	426	240550	10500	251050

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत डोर अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी संचयन/नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहीकरण किया जाए, साथ ही डोर अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक माह कृत कार्यवाही की प्रगति/आंकड़े जिला गंगा संरक्षण समिति को प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोजल) /

—कमल 04 पर—

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद के समस्त नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदियों में नहीं डाला जाता है। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन/सेप्टिक टैंकों का निर्माण कराया गया है जिनका समय-समय पर नगर निकायों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है। नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कक्षों की संख्या	सेप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	पाक्षिक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	8	17	4
2	जोशीमठ	40	398	16	24	1
3	कर्णप्रयाग	29	247	29	-	2
4	गोघर	8	220	8	-	2
5	नंदप्रयाग	2	13	8	-	-
6	भीमलकोटी	-	-	-	-	-
7	पोखरी	-	-	-	-	-
8	धराली	-	-	-	-	-
9	नैरसिंग	-	-	-	-	-
10	बद्रीनाथ	126	2520	6	120	4
	योग:-	230	3636	75	161	13

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा धर्मशालाओं आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ०प्र० निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस०टी०पी० का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में वर्तमान में जनपद चमोली हेतु रु० 2123.01 लाख की कार्ययोजना संकलित कर कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप (SPMG) को प्रेषित की जा चुकी है।

कार्यवाही:- सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-**1- Promotion of Natural/Organic farming**

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम को साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्मीबैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोन, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	मद	नैतिक लक्ष्य	नैतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	वित्तीय आवंटन (लाख में)	वित्तीय पूर्ति (लाख में)
1	कुल जैविक क्षेत्रफल (हेक्टर में)	5000	5000	-	-	-
2	कुल कलस्टरों की संख्या	128	128	-	-	-
3	कुल घायित कृषिक	9347	9347	-	-	-
4	कुल राफ्टिंग साखंड	07	07	-	-	-
5	PGS प्रणाली से राज्य स्तर पर वितरित SCOPE	128	128	-	-	-
6	कुल कृषिकों को निवेश (दिनांक 30.06.2023 तक)	5000	5000	850	422.29	422.29

कृषि विभाग द्वारा जारी प्रति विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हेक्टेयर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 8.39 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा नैतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डों/फ्लैगशिप डैनर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

—कलसः 08 पर—

2. Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक नेचुरल लैण्डस्केप गढ़ के अंतर्गत 379.63 है० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.60 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हैक्टेयर निजी नाफ्फूमि में लगभग 52700 पौध रोपण इस्टीमेशन फ्लैटिशन के अंतर्गत 38.25 हैक्टेयर क्षेत्र में 3825 कलदार पौधों का रोपण तथा 160 हैक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में थराली कोटगढ़ी तोक एवं बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा यादिका निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2023-24 हेतु कार्ययोजना उच्च स्तर को प्रेषित की जा चुकी है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, नंदापेदी, कंदारनाथ एवं बदीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

NMCG एवं SPMG के निर्देशानुसार समय-समय पर जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों का विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन नियमित रूप से कराया जा है। नमामि गंगे के अंतर्गत समय-समय पर उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्षारोपण, आई0ई0सी0 गतिविधियों आयोजित की जाती है। इसी क्रम में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत दिनांक 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर-2023 तक "स्वच्छता ही सेवा" अभियान का आयोजन हेतु नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर (नोडल) को नागित किया गया है जिनके द्वारा उक्त अभियान नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

2- Catch the rain, Campaign: water conservation during monsoon period etc:-

जिला पर्यटन अधिकारी चमोली हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign: water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

3. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बद्दीनाथ धाम में स्नानघाट एवं शौचालय ब्लॉक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में:-

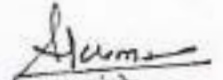
बैठक में WAPCOS Ltd. के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि श्री बद्दीनाथ धाम में उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्नानघाट एवं शौचालय ब्लॉक का कार्य किया जा रहा है जो प्रगति में है तथा स्नानघाट एवं शौचालय निर्माण के लिए सीमांकित भूमि जो ब्रह्मकपाल के निकट स्थित है को ब्रह्मकपाल पण्डा समिति द्वारा अपनी निजी भूमि बताया जा रहा है के कारण निर्माण कार्य में अस्तुविधा होने से उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति से आवश्यक कार्यवाही करते हुए एनओओसी जारी करने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में उक्त भूमि अधिग्रहण के संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी चमोली तथा सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी जोशीमठ को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः उप जिलाधिकारी जोशीमठ उक्त प्रस्तावित सीमांकित भूमि का संयुक्त निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- उप जिलाधिकारी, जोशीमठ।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शीघ्र सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
अपर जिलाधिकारी, चमोली।


सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

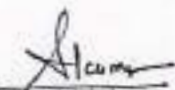
पत्रांक 1815 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 27 / 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. उप जिलाधिकारी, जोशीमठ।
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 105 (नयां नं०-545/941 द्वितीय तल) राजपुर रोड, आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने, देहरादून।
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
6. महापंचायत जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
7. जिलाधिकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अपिभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य तकिएसाधिकारी जनपद चमोली।
10. अपिभारी अधिकारी लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
11. अपिभारी अधिकारी उत्तराखण्ड जल संरक्षण गोपेश्वर।
12. परियोजना प्रबंधक उत्तम परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
16. मुख्य कार्य अधिकारी, चमोली।
17. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, कंदारनाथ, नंदादेवी वन प्रभाग।
18. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
19. जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली।

५८




सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 18-08-2023 को उपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में
आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

57

आज दिनांक 18-08-2023 को उपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा न्यायि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च 2023 तक कुल 41 बैठकों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह जुलाई-2023 तक कुल 04 बैठक आहूत हुई जिनसे संबंधित कार्यवृत्त GGPMS Portal पर Upload किए जा चुके हैं।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Ganges:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम मोहेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.73	7.53	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli- Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.74	39.78	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) -- Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed.(ii) Steel Truss Bridge - Completed.(iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
	Total:-	163.44	96.19	94.30		

निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम मोहेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें से 12 STP जल संस्थान को हस्तागत कर दिए गए हैं में से 11 STP वर्तमान में क्रियान्वित हैं एवं 01 STP जो श्री बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्य के तहत लाईन क्षतिग्रस्त होवे से क्रियान्वित नहीं है। अवशेष 03 STP जो कर्णप्रयाग, नन्दाप्रयाग तथा 01 STP मारवाड़ी जोशीमठ स्कीम से संबंधित संबंधित हैं के हस्तांतरण हेतु कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर दी जाएगी अथवा संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार एरा0टी0पी0 को शीघ्र हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

अग्राह्य मोहोदय द्वारा कार्यविधि में निर्मित एरा0टी0पी0 के संचालन एवं Tributary wise Action Plan निर्माण हेतु संबंधित संबंधित विभागों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए:-

- ❖ Tributary wise Action Plan निर्माण हेतु थराली, गौवर, पीपलकोटी, गंदानगर घाट, पोखरी, आदिबदी, नैरसिंग आदि नगर विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे STP निर्मित नहीं है को सम्मिलित करते हुए हाउस टू हाउस सीवर संयोजन सहित कार्ययोजना तैयार कर 01 अक्टूबर 2023 को अंतर्गत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- ❖ जिला एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम मोहेश्वर को जनपद में अन्य प्राइवेट संस्थाओं द्वारा पूर्व निर्मित STP का भी समग्र रूप से निरीक्षण करते हुए उससे संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- ❖ जल संस्थान द्वारा संचालित STP का निरीक्षण करते हुए प्रगति से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रस्तुत करेंगे।
- ❖ जल संस्थान द्वारा संचालित STP का Real time monitoring रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे।

—कमलेश 02 पर—

- ❖ जल संस्थान संघाजित STP के अंतर्गत Sludge Management के अंतर्गत एस0टी0पी0 से तैयार खाद की मात्रा आदि के प्रतिमाह आंकड़े कृषि विभाग एवं जिला गंगा संस्थान समिति को प्रस्तुत करें तथा Sludge से खाद तैयार कर NGO द्वारा निस्तारण किया जाए एवं इससे प्राप्त आय का विवरण रखा जाए।
- ❖ एस0टी0पी0 से तैयार खाद के उपयोग/विपणन/पैकेजिंग हेतु कृषि विभाग स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने जिससे कि स्वयं सहायता समूह STP से निर्मित खाद आदि का उचित किण्वन कर सकें।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग/मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराए गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

II- Progress of connecting sewer lines to STP:- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति मत माह तक	माह में	योग	कुल सॉक पिटर/सेप्टिक टैंक की संख्या
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	400	05	405	5105
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	211	03	214	3684
3	बदीनाथ	बदीनाथ	440	135	305	-	305	135
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	916	08	924	10859

अधिशासी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन नहीं हैं वहाँ पर निवासित परिवारों द्वारा अपने-अपने सॉक पिटर बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाती है।

सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति के संबंध में जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय घरों तक सीवर लाईन निर्मित न होने के कारण उन्हें एस0टी0पी0 से नहीं जोड़ा जा सका है जिस हेतु विभाग को सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु फण्ड उपलब्ध न होना प्रमुख कारण बताया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उक्त कार्य हेतु मिसिंग लिंक स्कीम के तहत प्रस्तावित करते हुए शीघ्र जहाँ सीवर लाईन नहीं बिछी है सीवर लाईन बिछाते हुए शत-प्रतिशत एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

1- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के नमानि गंगे से संबंधित निकायों में होस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत होस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैग्रिगेशन एवं डुअर डु डुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	घर/मकानों की संख्या	दुकानों की संख्या	Institutions +Schools+ Office+ Others की संख्या	कुल डोर डु डोर कलेक्शन की संख्या	कुल डोर डु डोर कलेक्शन वाले घरों/दुकानों की संख्या	दि० 1.4.22 से वर्तमान तक यूजर चार्ज	कुल डोर डु डोर सैग्रिगेशन वाले घरों/दुकानों की संख्या
1	चमोली	11	5510	858	101	6469	5648	331715	0
2	जोशीमठ	9	3898	471	42	4411	4371	891745	3866
3	कर्णप्रयाग	2	2475	246	55	2774	2774	308540	2774
4	नोडल	1	2868	346	36	3250	3250	352160	2775
5	बिंदुप्रयाग	1	140	33	849	699	260602	711	1166
6	बदीनाथ	4	424	311	5	1166	1166	428970	1166
	योग:-	47	11783	2372	272	18919	17908	2573732	11292

—अमरेश 03 पर—

(ब) स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा निस्तारण का विवरण

क्र.सं.	निकाय का नाम	वाडों की संख्या	कूड़ा उत्पादन प्रतिदिन (टन में)			01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक निस्तारित कूड़ा का विवरण					
			जैविक	अजैविक	कुल	कॉम्पोस्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कम्पोस्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कुल योग	
1	चमोली	11	4.00	1.00	5.00	41.61	315984	5.00	-	46.630	315984
2	जोशीमठ	9	1.00	2.20	3.20	152.00	1999695	1.20	-	153.200	1999695
3	कनप्रयाग	7	0.90	1.20	2.10	65.00	556424	2.10	-	67.100	556424
4	गौधर	7	1.40	3.50	4.90	56.82	312187	4.90	-	61.720	312187
5	नंदप्रयाग	4	0.30	0.20	0.50	0.245	30000	0.50	-	1.245	30000
6	बदीनाथ	4	0.14	0.16	0.30	75.70	651628	0.30	-	76.000	651628
	योग:-	42	7.74	8.26	16.00	391.895	3865918	16.00	-	407.895	3865918

(स) स्थानीय निकायों के अंतर्गत एन्टीलिटिंग एण्ड एन्टी रिपटिंग एक्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	निकाय का नाम	वाडों की संख्या	01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक किए गए चालानों का विवरण					
			एन्टीलिटिंग एण्ड एन्टी रिपटिंग एक्ट के तहत		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत		योग	
			चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय
1	चमोली	11	38	31600	44	17300	82	48900
2	जोशीमठ	9	55	49800	25	24400	80	74200
3	कनप्रयाग	7	27	30100	26	11100	53	41200
4	गौधर	7	55	16300	54	18800	109	35100
5	नंदप्रयाग	4	14	17500	76	33800	90	51300
6	बदीनाथ	4	141	61650	14	17300	155	78950
	योग:-	42	330	206950	239	122700	569	329650

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक माह कृता कार्यवाही की प्रगति/आंकड़े जिला गंगा संरक्षण समिति को प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद के समस्त नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदियों में नहीं डाला जाता है। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन/ सैप्टिक टैंकों का निर्माण कराया गया है जिनका समय-समय पर नगर निकायों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है। नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कचरे की संख्या	सैप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	पाक्षिक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17	04
2	जोशीमठ	40	398	16	24	01
3	नंदप्रयाग	02	13	08	-	-
4	कनप्रयाग	29	247	29	-	02
5	गौधर	08	220	08	-	02
6	बदीनाथ	126	2520	06	120	04
	योग:-	230	3636	75	161	13

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आश्रमों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा धर्मशालाओं आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रयाग उद्योगिक क्षेत्र के अनुसार गिनी औद्योगिक आश्रम कालेश्वर में 06 मुख्यतः विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 में स्वयं उद्योगों को उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किए गए हैं। आश्रम में 15 इकाई स्थापित है जो कोई भी वैश्विक से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आश्रम में उद्योग निर्माण नियम श्रीनगर गवर्नल द्वारा एसओटीपी का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को सीवेज को नहरान से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

—अग्र: 04 पर—

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर सांख्यिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लगाए गए देवलीबगम तक पर्यटकों को सफाई करवाए जाने हेतु देवलीबगम में नदी के किनारे हट्टा की स्थापना/स्थल विकास एवं सीनरमीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य के MoU की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे संचालित किया जाए।

अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में वर्तमान में जनपद चमोली हेतु रु० 2123.01 लाख की कार्ययोजना संकलित कर कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप (SPMG) को प्रेषित की जा चुकी है।

कार्यवाही:- सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-

1- Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषि को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्गीकरण, बीज रोपण सामग्री, प्रोग, बायोफर्टिलाइजर आदि जीव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मद	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	वित्तीय आवंटन (लाख में)	वित्तीय पूर्ति (लाख में)
1	कुल चयनित क्षेत्रपाल (है० में)	5000	5000	-	-	-
2	कुल कलस्टरों की संख्या	128	128	-	-	-
3	कुल चयनित कृषक	9347	9347	-	-	-
4	कुल सम्मिलित किसानखण्ड	7	7	-	-	-
5	PGS प्रणाली के तहत कुल वितरित SCOPE प्रमाण-पत्र	128	128	-	-	-
6	कुल व्यय धनराशि (दिगा 03 वर्ष में)	5000	5000	850	422.29	422.29

कृषि विभाग द्वारा जोशीमठ विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हैक्टेयर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 6.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डो/पलेक्सी बेनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity; Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक नेचुरल लैण्डस्केप मद के अंतर्गत 379.63 है० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हैक्टेयर निजी नापमुनि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशनल प्लांटेशन के अंतर्गत 38.25 हैक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हैक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में थराली कोटगढी तोक एवं बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा बाटिका निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2023-24 हेतु कार्ययोजना उच्च स्तर को प्रेषित की जा चुकी है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, नंदादेवी, केदारनाथ एवं बट्टीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नगरीय गंगा परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम, समुदायों को कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिसारी अधिकारी (नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिसारी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachh Panchayat, Afforestation etc.:-

जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के निर्देशानुसार समय समय पर जिला गंगा संरक्षण समिति के सचिव/प्रमुख के अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

कार्यवाही:- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/जिला आयुर्वेदिक एवं वन अधिकारी चमोली/जिला कृषि अधिकारी चमोली/जिला नगर विकास अधिकारी चमोली/जिला नगर विकास अधिकारी चमोली/नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

—कमरा 05 पर—

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोटियालसैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियालसैण)

उक्त में अग्रज महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शीघ्र सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

[Signature]
अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
अपर जिलाधिकारी, चमोली।

[Signature]
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1024 / 2-49 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 21 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप तमांगि गंगे उत्तराखण्ड, 105 (नयां नं०-545/941 द्वितीय तल) राजपुर रोड, आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने, देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य विद्युत्ताधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
18. समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, चमोली (गोपेश्वर)
19. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, केदारनाथ, नंदादेवी वन प्रभाग।
20. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
21. जिला पंचायत सचिव अधिकारी चमोली।



[Signature]
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

दिनांक 18-07-2023 को आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 18-07-2023 को सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नामांकि मंथन परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की विमर्शानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर मंत्रियों का अनुमोदन के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा माह मार्च-2023 तक कुल 41 बैठकों आहूत होने से अवगत कराया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह जून-2023 तक कुल 03 बैठक आहूत हुई जो GDPMS Portal पर Upload की गई है।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Ganges:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewerage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.73	7.53	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Trapping Arrangements - 7 Nos completed (iii) 2 STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.74	39.78	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sarathan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (270 m) - Completed (ii) Steel Truss Bridge - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar
Total:-		163.44	96.19	94.30		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं में से 11 STP वर्तमान में क्रियान्वित हैं एवं 01 STP जो श्री बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्य के तहत लाईन क्षतिग्रस्त होने से क्रियान्वित नहीं है। अथर्व 03 STP जो कर्णप्रयाग स्कीम तथा 01 STP मारवाड़ी जोशीमठ स्कीम से संबंधित संबंधित हैं के हस्तांतरण हेतु कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार एसाटीओपीओ को शीघ्र हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिसूची अनिवार्य जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग

(ii)- Status of Nala Trapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार नाला बंदी प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

—कमल 02 पर—

11- Progress of connecting sewer lines to STP:-

उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार गन्गी की सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	मूल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/ परिवारों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सॉफ्ट पिटर/सेप्टिक टैंक की संख्या
					गत माह तक	माह में	योग	
1	गोपेश्वर/ बमोली	गोपेश्वर/ बमोली	5510	-	196	98	409	5110
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	208	93	211	3687
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	410	135	105	-	105	135
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	गोखरी	गोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	909	67	916	10867

अधिशारी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईनें नहीं हैं वहां पर निवासित परिवारों द्वारा अपने-अपने सॉफ्ट पिटर बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाती है। अद्यतन महोदय द्वारा संबंधित विभाग को सीवर लाईनों को शत-प्रतिशत एराउटिंग से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पब्लिक निगम गोपेश्वर/ अधिशारी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) बमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/naals bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

1- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के नगानि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका बमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रांतर्गत सौर सीग्रेशन एवं दुअर दु दुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	घर/ मकानों की संख्या	दुकानों की संख्या	Institutions +Schools+ Office+ Others की संख्या	कुल डोर दु डोर कलेक्शन की संख्या	कुल डोर दु डोर कलेक्शन वाले घरों/ दुकानों की संख्या	दि० 1.4.22 से वर्तमान तक यूजर चार्ज	कुल डोर दु डोर सीग्रेशन वाले घरों/ दुकानों की संख्या
1	बमोली	11	5510	858	101	6469	5004	282945	65
2	जोशीमठ	9	3898	471	42	4411	4371	891745	3866
3	कणप्रयाग	7	2475	246	55	2774	2774	295900	2774
4	गोखरी	7	2868	346	36	3250	3250	313560	2775
5	नंदप्रयाग	4	676	140	33	849	699	260602	711
6	बद्रीनाथ	4	850	311	5	1166	1166	34610	1166
	योग:-	42	16277	2372	272	18919	17264	2079362	11357

(ब)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा निस्तारण का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	कूड़ा उत्पादन प्रतिदिन (टन में)			01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक निस्तारित कूड़ा का विवरण					
			घरेलू	वैजिक	कुल	कॉम्पैक्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कम्पोस्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कुल योग	
										मात्रा	अर्जित आय
1	बमोली	11	4.00	1.00	5.00	41.63	315984	5.00	-	46.63	315984
2	जोशीमठ	9	1.00	2.20	3.20	152.00	1999695	3.20	-	155.2	1999695
3	कणप्रयाग	7	0.99	1.20	2.10	42.00	451413	2.10	-	44.1	451413
4	गोखरी	7	1.40	3.50	4.90	56.82	312187	4.90	-	61.72	312187
5	नंदप्रयाग	4	0.30	0.20	0.50	0.745	30000	0.50	-	1.245	30000
6	बद्रीनाथ	4	-	-	-	28.80	187900	0.547	-	29.347	187900
	योग:-	42	7.60	8.70	15.70	321.995	3297179	16.247	-	338.242	3297179

(स)स्थानीय निकायों के अंतर्गत एन्टीलिटिंग एण्ड एन्टी रिफ्टिंग एक्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण:-

25164

64

क्र० सं०	निकाय का नाम	वाडों की संख्या	01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक किए गए चालानों का विवरण					
			एन्टीलिटिंग एण्ड एन्टी रिफ्टिंग एक्ट के तहत		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत		योग	
			चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय
1	बनोली	11	35	31000	40	16900	75	47900
2	जोशीमठ	9	49	39800	25	24400	74	64200
3	कर्णप्रयाग	7	16	8300	26	9100	42	17400
4	गौधर	7	55	16300	53	18300	108	34600
5	नंदप्रयाग	4	14	17500	76	33800	90	51300
6	बद्रीनाथ	4	123	54750	06	8500	129	63250
	योग:-	42	292	167650	226	111000	518	278650

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत टोरा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बनोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद के समस्त नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदियों में नहीं डाला जाता है। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन/सेप्टिक टैंकों का निर्माण कराया गया है जिनका समय-समय पर नगर निकायों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है। नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कक्षों की संख्या	सेप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	मासिक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	बनोली-गोपेश्वर	25	238	08	17	05
2	जोशीमठ	40	398	16	24	01
3	नंदप्रयाग	02	13	08	-	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-	02
5	गौधर	08	220	08	-	03
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120	03
	योग:-	230	3636	75	161	14

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आरथानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा चिकित्सालयों आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद बनोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार निम्नी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैंमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ०प्र० निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस०टी०पी० का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- जिला उद्योग केन्द्र, बनोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी बनोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगारू से देवलीबमड़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबमड़-नदी के किनारे हटरा की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही पूर्ण है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य के MoU की कार्यवाही पूर्ण करत हुए इसे संचालित किया जाए।

रूप से अतिरिक्त अर्थ गंगा के तहत विभिन्न विभागों के क्षेत्रांतर्गत आजीविका गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए जनपद की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है जो शीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित की जाएगी।

कार्यवाही:- सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग

B- Local Agency which area state/district specific to be decided locally:-

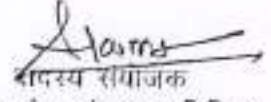
1. Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलरटर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एगरोपार्कर भूगर्भ के राख्य कृषिों को जैविक प्रभाणीकरण, मिश्रित वर्गवैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोग, कृषि विज्ञान आदि जैव निवेश को विवर्ण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

6. Assistance required from the Govt. of India in general and from NMCG in particular.
7. IEC and public out reach activity in the District.

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल नगर निकाय)/ अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल जल संस्थान)/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग विभाग, चमोली, गोपेश्वर।/ क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चमोली।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शीघ्र रादरस संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।


रादरस संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

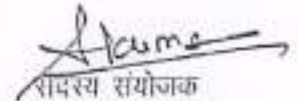
II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 374 / 242 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 19 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 105 (नया नं०-545/941 द्वितीय तल) राजपुर रोड, आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने, देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
18. सगन्धक नेहरु युवा केन्द्र, चमोली (गोपेश्वर)
19. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, केदारनाथ, नंदादेवी वन प्रभाग।
20. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
21. जिला पंचायत नगर अधिकारी चमोली।




रादरस संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 06-06-2023 को आहूत 'जिला गंगा संरक्षण समिति' की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 06-06-2023 को आपकी अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा माह मार्च-2023 तक कुल 41 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह मई-2023 तक कुल 02 बैठक आहूत हुई जो GDPMS Portal पर Upload की गई है।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.69	7.53	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Charnoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.63	39.78	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed. (ii) Steel Truss Bridge - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
Total:-		163.44	96.04	94.30		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं में से 11 STP वर्तमान में क्रियान्वित हैं एवं 01 STP जो श्री बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्य के तहत लाईन क्षतिग्रस्त होने से क्रियान्वित नहीं है। अवशेष 03 STP जो कर्णप्रयाग स्कीम तथा 01 STP मारवाड़ी जोशीमठ स्कीम से संबंधित संबंधित हैं के हस्तांतरण हेतु दोनों विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य कराया जा चुका है जिनके हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार एसएटीपीड को शीघ्र हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संदर्भ में अवगत कराया गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टैपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

—कमरा: 02 पर—

II- Progress of connecting sewer lines to STP:- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सौक पिट/सैथिक टैंक की संख्या
					गत माह तक	माह में	योग	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	396	-	396	5114
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	208	-	208	3690
3	बदीनाथ	बदीनाथ	440	135	305	-	305	135
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	909	-	909	10874

अधिशारी अग्रियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन नहीं हैं वहाँ पर निवासित परिवारों द्वारा अपने-अपने सौक पिट्स बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को सीवर लाईनों को शत-प्रतिशत एसोटीटीओ से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड मेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशारी अग्रियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

1- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका चमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैग्रिगेशन एवं डुअर टु डुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	घर/मकानों की संख्या	दुकानों की संख्या	Institutions+ Schools+ Office+ Others की संख्या	कुल डोर टु डोर कलैक्शन की संख्या	कुल डोर टु डोर कलैक्शन वाले घरों/दुकानों की संख्या	दि० 1.4.22 से वर्तमान तक यूजर चार्ज	कुल डोर टु डोर सैग्रिगेशन वाले घरों/दुकानों की संख्या
1	चमोली	11	5510	858	101	6469	5004	250095	415
2	जोशीमठ	9	3898	471	42	4411	4371	889745	3866
3	कर्मप्रयाग	7	904	246	55	1205	1205	296300	1165
4	गौधर	7	2868	346	36	3250	3250	1130910	2775
5	नंदप्रयाग	4	676	140	33	849	699	260605	711
6	बदीनाथ	4	850	311	5	1166	1166	365260	1166
	योग:-	42	14706	2372	272	17350	15695	3192915	10098

(ब)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा निस्तारण का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	कूड़ा उत्पादन प्रतिदिन (टन में)			01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक निस्तारित कूड़ा का विवरण				
			जैविक	अजैविक	कुल	कॉम्पोस्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कम्पोस्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कुल योग
1	चमोली	11	4.00	1.00	5.00	41.63	315984	0.40	-	42.03
2	जोशीमठ	9	1.00	2.20	3.20	152.00	1791106	-	-	152.00
3	कर्मप्रयाग	7	1.80	0.80	2.60	16.50	382528	-	-	16.50
4	गौधर	7	1.40	3.50	4.90	46.06	253679	6.50	-	52.56
5	नंदप्रयाग	4	0.30	0.20	0.50	0.745	30000	25.00	-	25.745
6	बदीनाथ	4	7.60	8.70	16.30	36.80	329598	-	-	36.80
	योग:-	42	7.60	8.70	16.30	293.735	3102895	31.90	-	325.635

(संस्थानीय निकायों के अंतर्गत एण्टीलिटरिंग एण्ड एण्टी रिफ्टिंग एक्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	बाडों की संख्या	01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक किए गए चालानों का विवरण					
			एण्टीलिटरिंग एण्ड एण्टी रिफ्टिंग एक्ट के तहत		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत		योग	
			चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय
1	चमोली	11	35	31600	40	16900	75	47900
2	जोशीमठ	9	46	33300	25	24400	71	57700
3	कर्णप्रयाग	7	15	7800	22	5600	37	13400
4	गौघर	7	43	13900	47	16000	90	29900
5	नंदप्रयाग	4	14	17500	76	33800	90	51300
6	बद्रीनाथ	4	105	48100	88	8800	113	56900
	योग:-	42	258	151600	218	105500	476	257100

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत होरा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद के समस्त नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदियों में नहीं डाला जाता है। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन/ सैप्टिक टैंकों का निर्माण कराया गया है जिनका समय-समय पर नगर निकायों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है। नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कक्षाओं की संख्या	सैप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	पाश्र्विक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17	04
2	जोशीमठ	40	398	16	24	01
3	नंदप्रयाग	02	13	08	-	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-	02
5	गौघर	08	220	08	-	03
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120	-
	योग:-	230	3636	75	161	10

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा चिकित्सालयों आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार गिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 68 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ०प्र० निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस०टी०पी० का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लाट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगारू से देवलीबगढ़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगढ़ में नदी के किनारे हटस की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य के MoU की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे संचालित किया जाए।

उक्त कार्यवाही के अलावा गंगा के तहत विभिन्न विभागों के क्षेत्रान्तर्गत आजीविका गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए जनपद की विस्तृत कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के निदेशन में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर REAP द्वारा संचालित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर REAP को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंतर्गत जनपद की कार्ययोजना संकलित कर उपलब्ध कराते हुए उच्च स्तर की प्रेषित जाए।

कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, REAP / सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग

—क्रमशः 04 पर—

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-**1- Promotion of Natural/organic farming**

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलरटर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क बर्गीकरण, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल हे० में	ग्रामों की संख्या	कृषिकों की संख्या
1	दशोली	1200	24	2418
2	जोशीमत	820	19	1321
3	पोखरी	240	07	441
4	कर्णप्रयाग	950	25	1678
5	नारायणबगड	750	22	1310
6	बराली	800	22	1535
7	देवास	240	09	543
	योग:-	5400	128	9246

साथ ही कृषि अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जोशीमत विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हेक्टेयर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 0.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डो/फ्लेक्सरी बैनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

1- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक नेचुरल लैण्डस्केप मद के अंतर्गत 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हेक्टेयर निजी नाफमूमि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशन प्लान्टेशन के अंतर्गत 38.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हेक्टेयर क्षेत्र जल एवं गूदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में थराली कोटगढ़ी तोक एवं वामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा वाटिका निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो माह जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, नंदादेवी, कंदारनाथ एवं बद्दीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण)

C- Seasonal Agenda:-**1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-**

NMEG एवं SPMG के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों का विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन नियमित रूप से कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिकोण से माह जून (जिसके 03 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2023 तक) में बड़े पैमाने पर जन आन्दोलन/समन्वित गतिविधियों के आयोजन हेतु "मिशन लाईफ" आयोजन कराए जाने के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली हेतु निर्धारित 8 से 12 मई 2023 के मध्य तथा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 05 जून को "मिशन लाईफ" शिक्षा विभाग/जिला आयुर्वेदिक/वन विभाग/नगर पालिकाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए उपरोक्तानुसार कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं कार्यक्रम विवरण आदि सदस्य संयोजक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- मुख्या शिक्षा अधिकारी, चमोली/जिला आयुर्वेदिक एवं यूना अधिकारी चमोली/जिला क्रीड़ा अधिकारी चमोली/ जिला सामुदायिक नेहरू युवा केन्द्र गोपेश्वर/

—अनुरा 05 पर—

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रमति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त संबंधित विभागों को गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने हेतु स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में रुचि रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए अरबन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अद्यतन अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अधिका

जिला गंगा संरक्षण समिति/
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 6341 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, जून 08 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 105 (नयां नं०-545/941 द्वितीय तल) राजपुर रोड, आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने, देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
18. समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, चमोली (गोपेश्वर)
19. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, केदारनाथ, गन्दादेवी वन प्रभाग।
20. परियोजना निदेशक, प्रभागीय विकास विभाग चमोली।
21. जिला पंचायत युवा अधिकारी चमोली।
22. जिला औद्योगिक एवं मूल्य अधिकारी, चमोली।
23. जिला क्रीडा अधिकारी, चमोली।
24. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, REAP गोपेश्वर चमोली।



सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 04-05-2023 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

71

आज दिनांक 04-05-2023 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला-गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा गंगा परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा माह मार्च-2023 तक कुल 41 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 01 बैठक आहूत हुई जो GDPMS Portal पर Upload की गई है।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.69	7.53	Completed	Civil works :- I. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed, (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- I. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed, (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chumoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- I. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.63	39.31	Work in progress	Civil works :- I. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- I. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed.(ii) Steel Truss Bridge - Completed.(iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
Total:-		163.44	96.04	93.83		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं में से 11 STP वर्तमान में क्रियान्वित हैं एवं 01 STP जो श्री बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्य के तहत साईन क्षतिग्रस्त होने से क्रियान्वित नहीं है। अवशेष 03 STP जो कर्णप्रयाग स्कीम तथा 01 STP मारवाड़ी जोशीमठ स्कीम से संबंधित संबंधित हैं जो जल संस्थान को हस्तगत नहीं हुए हैं जिनमें हस्तांतरण हेतु दोनों विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराए जाने से अवगत कराए जाने पर संयुक्त निरीक्षण हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:-

1- दिनांक 10-05-2023 को - कर्णप्रयाग एसटीपी।

2- दिनांक 11-05-2023 को - जोशीमठ मारवाड़ी एसटीपी।

अध्यक्ष उद्देश्य द्वारा संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों को आवश्यक रूप से एसटीपी को संयुक्त निरीक्षण करते हुए निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिसूची अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

क्रमशः 02 पर

II- Progress of connecting sewer lines to STP:- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सॉक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
					गत माह तक	माह में	योग	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	396	-	396	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	208	-	208	3703
3	बदीनाथ	बदीनाथ	440	135	305	-	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	गोखरी	गोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	909	-	909	10947

अधिशारी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईनें नहीं हैं वहां पर निवासित परिवारों द्वारा अपने-अपने सॉक पिट्स बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से जाँच की जाती है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिशारी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका चमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैनिटेशन एवं डुअर टु डुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	घर/मकानों की संख्या	दुकानों की संख्या	Institutions+ Schools+ Office+ Others की संख्या	कुल डोर टु डोर कलेक्शन की संख्या	कुल डोर टु डोर कलेक्शन वाले घरों/दुकानों की संख्या	दि० 1.4.22 से वर्तमान तक यूजर चार्ज	कुल डोर टु डोर सैनिटेशन वाले घरों/दुकानों की संख्या
1	चमोली	11	5510	858	101	6469	5004	208875	415
2	जोशीमठ	9	3898	471	42	4411	4371	787045	3866
3	कर्मप्रयाग	7	904	246	55	1205	1205	233490	1165
4	गोखरी	7	2868	346	36	3230	3230	268950	2186
5	नंदप्रयाग	4	676	140	33	849	699	212562	711
6	बदीनाथ	4	850	311	5	1166	1166	365260	1166
	योग:-	42	14706	2372	272	17330	15675	2076182	9509

(ब)स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पादित कूड़ा निस्तारण का विवरण:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	कूड़ा उत्पादन प्रतिदिन (टन में)			01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक निस्तारित कूड़ा का विवरण					
			जैविक	अजैविक	कुल	कॉम्पैक्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कम्पोस्ट कूड़ा की मात्रा	अर्जित आय	कुल योग	
1	चमोली	11	4.00	1.00	5.00	39.04	265154	0.30	-	39.34	265154
2	जोशीमठ	9	1.00	2.20	3.20	100.00	1371210	-	-	100.00	1371210
3	कर्मप्रयाग	7	0.90	1.80	2.70	16.50	382528	-	-	16.50	382528
4	गोखरी	7	1.40	1.40	2.80	30.73	199499	6.50	-	37.23	199499
5	नंदप्रयाग	4	0.30	0.30	0.60	0.745	30000	25.00	-	25.745	30000
6	बदीनाथ	4	0.30	0.30	0.60	36.80	329598	-	-	36.80	329598
	योग:-	42	7.90	7.00	14.90	223.815	2577989	31.80	-	255.615	2577989

(स)स्थानीय निकायों के अंतर्गत एण्टीलिटरिंग एण्ड एण्टी रिफ्टिंग एक्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण:-

क्र.सं.	निकाय का नाम	घाटों की संख्या	01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक किए गए घाटानों का विवरण				योग	
			एण्टीलिटरिंग एण्ड एण्टी रिफ्टिंग एक्ट के तहत		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत			
			घाटानों की संख्या	प्राप्त आय	घाटानों की संख्या	प्राप्त आय	घाटानों की संख्या	प्राप्त आय
1	चमोली	11	32	30400	34	14600	66	45000
2	जोशीमठ	9	39	23700	16	13700	55	37400
3	कर्णप्रयाग	7	10	5000	13	3600	23	8600
4	गौघर	7	36	10000	46	15800	82	25800
5	नंदप्रयाग	4	12	17100	76	33800	88	50900
6	वद्रीनाथ	4	80	35400	08	8800	88	44200
	योग:-	42	209	121600	193	90300	402	211900

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत होरा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी शीघ्र नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद के समस्त नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदियों में नहीं डाला जाता है। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन/सीटिक टैंकों का निर्माण कराया गया है जिनका समय-समय पर नगर निकायों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है। नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पो से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कचरे की संख्या	सीटिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	पाश्विक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17	08
2	जोशीमठ	40	398	16	24	01
3	नंदप्रयाग	02	13	08	-	02
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-	01
5	गौघर	08	220	08	-	-
6	वद्रीनाथ	126	2520	06	120	-
	योग:-	230	3636	75	161	12

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा धर्मशालाओं आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैनिकल से संयमित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उद्योग निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगासू से देवलीबगड़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगड़ में नदी के किनारे हटस की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे संचालित किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त अर्थ गंगा के तहत विभिन्न विभागों के क्षेत्रांतर्गत आजीविका गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए जनपद की विस्तृत कार्ययोजना मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी वद्रीनाथ वन प्रभाग के निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर REAP द्वारा संकलित की जा रही है। सदस्य संयोजक के अनुसार कृषि विभागों द्वारा अपशिष्ट विभाग से संबंधित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषि विभागों द्वारा अपशिष्ट विभाग को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके द्वारा जनपद की कार्ययोजना पर निर्देशानुसार कार्य स्तर को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा सके।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली/निर्देशक मत्स्य विभाग/परियोजना निर्देशक जी0आर0डी0ए0/महाप्रबंधक जिला उद्योग विभाग/जिला पंचायत राज अधिकारी/लघु सिंचाई विभाग/सिंचाई विभाग/नगर पालिका परिषद चमोली/जल संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ नंदादेवी/ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, REAP।

क्रमांक: 04 पए

74

1- Promotion of Natural/organic farming
जनपद के अंतर्गत वर्तमान में गेहूँ/जैविक होती को बढ़ाना दिए जाने हेतु कलक्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एकस्पोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणीकरण, निशुल्क यर्मीषैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जीव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल हे० मी	ग्रामों की संख्या	कुलों की संख्या
1	दरौली	1200	24	2418
2	जोशीगठ	820	19	1321
3	पोखरी	240	07	441
4	कर्मप्रयाग	950	25	1678
5	नारायणगढ़	750	22	1310
6	राशली	800	22	1535
7	देवाल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

साथ ही कृषि अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जोशीमठ विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हेक्टर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 6.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डों/पलैक्सी बैनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.
1- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक नेचुरल लैण्डस्केप मड के अंतर्गत 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एशीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हेक्टेयर निजी नापभूमि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशनल प्लांटेशन के अंतर्गत 38.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हेक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में थराली कोटगढी तोक एवं बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा बाटिका निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो माह जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा, नन्दादेवी, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक सफाई-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्याक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नौडल), नगर पालिका परिक्रम चमोली-गोपेश्वर/लण्ड

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिकद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैज)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

NMCG एवं SPMG के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों का विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन नियमित रूप से कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिगत माह मई व जून (दिनांक 03 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2023 तक) में बड़े पैमाने पर जन आनंदोलन/आउटरिज गतिविधियों के आयोजन हेतु "मिशन लाईफ" आयोजन कराए जाने के निर्देशों के अनुपालन में जनपद गंगोली हेतु निर्धारित 8 से 12 मई 2023 के मध्य उक्त आयोजन हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार दायित्व निर्धारित करते हुए कार्यक्रम कार्यक्रम कर कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं विवरण सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी यद्विनाथ वन प्रभाग को उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्र.सं.	कार्यक्रम	संबंधित विभाग जिसके द्वारा कार्यक्रम आयोजन कराया जाना है
1.	Cultural Events	मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली
2.	Ghat pur Yoga	इजला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)
3.	Ganga Maahatma	जिला प्रशिक्षा अधिकारी, चमोली
4.	Nakkad Natas/ Skits	सामन्वयक, गैरहकु युवा केन्द्र, चमोली (गोपेश्वर)

मुख्य शिक्षा अधिकारी, चंगोली/जिला आयुर्वेदिक एवं यूना अधिकारी चंगोली/जिला क्रीडा
अधिकारी चंगोली/ जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र गोपेश्वर/

—JUNE 25 97—

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

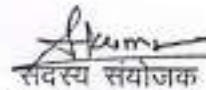
कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त संबंधित विभागों को बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी
जनपद चमोली।

परियोजना निदेशक
डी0आर0डी0ए0
चमोली-गोपेश्वर


सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

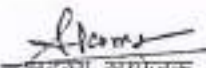
॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 5-23 12-42 दिनांक, गोपेश्वर, मई 10 / 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
18. समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, चमोली (गोपेश्वर)
19. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, केदारनाथ, नंदादेवी वन प्रभाग।
20. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
21. जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली।
22. जिला आयुर्वेदिक एवं यूना. अधिकारी, चमोली।
23. जिला ब्रीड़ा अधिकारी, चमोली।




सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

25176

(76)

दिनांक 28-04-2023 को आहुत जिला गंगा संरक्षण समिति' की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 28-04-2023 को सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहुत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा गंगा परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर वज्रों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी वद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा माह मार्च-2023 तक कुल 40 बैठकों आहुत होने से अवगत कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 बैठकों आहुत हुई जो GDPMS Portal पर Upload की गई हैं।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.69	7.53	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extn Work)- Completed. (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.63	39.31	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				Completed	STP Work is Completed.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed.(ii) Steel Truss Bridge - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
Total:-		163.44	96.04	93.83		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तागत कर दिए गए हैं तथा 03 जो कर्णप्रयाग तथा 01 मारवाड़ी जोशीमठ से संबंधित संबंधित हैं को जल संस्थान को हस्तांतरित किए जाने की कार्यवाही प्रगति में है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को शीघ्र अवशेष एस0टी0पी0 हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/
अधिराशी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में 31/03/2023 को बताया गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

II- Progress of connecting sewer lines to STP:- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिवारों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिखे जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सॉक पिटर/सेप्टिक टैंक की संख्या
					गत ग्राहक	ग्राहक में	योग	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	396	-	396	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	208	-	208	3703
3	बदीनाथ	बदीनाथ	440	135	305	-	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	909	-	909	10947

अधिशारी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन नहीं है वहां पर नियोजित परिवारों द्वारा अपने-अपने सॉक पिटर बनाए गए हैं जिनसे ओवर फ्लो की कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा कहीं भी सीवर खुले में नहीं बह रहे हैं जिसकी नगर पालिकाओं द्वारा नियमित रूप से चैकिंग की जाती है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिशारी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका चमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैनिटेशन एवं ड्रुअर टु ड्रुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलवा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कचरे की संख्या	सेप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	पाक्षिक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17	08
2	जोशीमठ	40	398	16	24	01
3	नंदप्रयाग	02	13	08	-	02
4	कनकप्रयाग	29	247	29	-	01
5	गौघर	08	220	08	-	-
6	बदीनाथ	126	2520	06	120	-
	योग:-	230	3636	75	161	12

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा चिकित्सालयों आदि का औद्योगिक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा उत्सर्जित मलवा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है। निरीक्षण की निकायवार सूचना नोडल-अधिशारी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार गिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैंमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ0प्र0 निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है।

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Camps: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहित्यिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगारू से देवलीगढ़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीगढ़ में नदी के किनारे पर्यटन के स्थापना/स्थल विकास एवं सीनियरीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य को MoU की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे संचालित किया जाए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली।

—समस्त 03 पर—

B- Local Agenda which area state/district specific or decided locally:-

1- Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में मेघुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलरटर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एवशपोजर भ्रमण कार्यक्रम को साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणीकरण, निशुल्क वर्मीबैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका वितरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल है० में	घाटों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	दरौली	1200	24	2418
2	जोशीमठ	820	19	1321
3	पोखरी	240	07	441
4	कर्मप्रयाग	950	25	1678
5	नारायणगढ़	750	22	1310
6	धराली	800	22	1535
7	देवाल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

साथ ही कृषि अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जोशीमठ विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हैक्टेयर क्षेत्र में मेघुरल/जैविक खेती हेतु रु० 6.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोझी/पल्लवरी बैनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

1- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक मेघुरल लैण्डस्केप नद के अंतर्गत 379.63 है० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हैक्टेयर निजी नापभूमि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशनल प्लांटेशन के अंतर्गत 38.25 हैक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हैक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में धराली कोटगढ़ी तोक एवं बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा घाटिका निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो माह जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, नंदादेवी, कैदारनाथ एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्मप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

NMCG एवं SPMG के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों का विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन नियमित रूप से कराया जाता है।

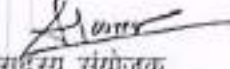
कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका गोपेश्वर (नोडल)/ मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली/परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/परियोजना प्रबंधक, स्वजल/जिला नगरविकास एवं युवा केंद्र गोपेश्वर/जिला सूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर।

2- Catch the rain **अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)** को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

—कमरा: 04 पर—

अतः मैं आग्रहपूर्वक रूप से समस्त संबंधित अधिकारियों को सूचित कर देता हूँ कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एवं प्रमाण के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से सफलता कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

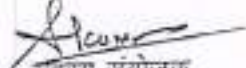

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

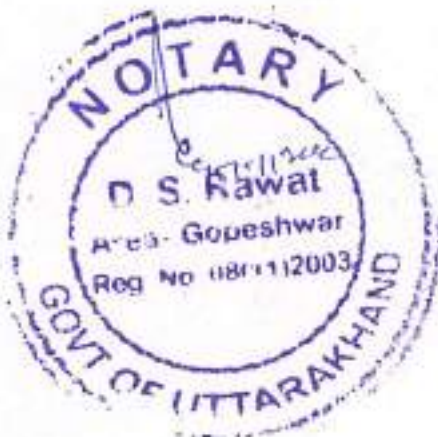
II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 5438 / 2-A2 दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल 29 / 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुशासन इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर।
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
18. समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र चमोली (गोपेश्वर)।
19. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, केदारनाथ, नंदादेवी वन प्रभाग।
20. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
21. जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली।


सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



दिनांक 10-03-2023 को जिलाधिकारी चमाला का जयपुरा न जलवा 80
 "जिला गंगा संरक्षण समिति" बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 10-03-2023 को आपकी अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।
 जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल-2022 से फरवरी-2023 तक 08 बैठकों (वर्तमान तक कुल 39 बैठकों) आयोजित हुई हैं।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

PROGRESS					
SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.69	7.53	Completed Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (iii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshinath	62.40	40.63	39.31	Work in progress Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				96% STP Work is Completed. Trial & Run Started.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed. (ii) Steel Truss Bridge - Completed. (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
Total:-		163.44	96.04	93.83	

निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में वर्तमान में 96% कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें Trial & Run प्रगति में है। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तागत कर दिए गए हैं तथा 03 जो, कर्णप्रयाग से संबंधित हैं में वर्तमान तक जल संस्थान कर्णप्रयाग को हस्तांतरित न किए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को शीघ्र अवशेष एसओटीपीओ हस्तांतरण की कार्यवाही आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशारी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर एवं कर्णप्रयाग

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ क्रमशः 02 पर-

[illegible]

(अ) स्वामीय निकायों के अर्थात् स्वामिन् कक्षा का विवरण:-

— ၁၂၂ —

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के
नगरीय नालों से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय
अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय
निकायों के क्षेत्रगत नालों से संबंधित नालों एवं कुआरों द्वारा कड़ा एककीकरण कार्य निष्पन्न रूप से करार जाने तथा जो नालों
संबंधित नदी में गिरते हैं उनमें जाने वाले जंगल जंगल को निष्पन्न सफाई करार जाने से अवगत करवाया गया है जिसका

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river

በገቢ (ወጪ) ይክፈል የቀጠለ ለገቢ / (ወጪ) ይክፈል የቀጠለ የገቢያዊ ምርጫ

[illegible][illegible][illegible]

II-Progress of connecting sewer lines to STP:

(स)स्थानीय निकायों के अंतर्गत एण्टीलिटरिंग एण्ड एण्टी रिफिलिंग तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत की गई कार्यवाही का विवरण:-

25182

82

क्र० सं०	निकाय का नाम	घाटों की संख्या	01 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक किए गए चालानों का विवरण					
			एण्टीलिटरिंग एण्ड एण्टी रिफिलिंग एक्ट के तहत		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत		योग	
			चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय	चालानों की संख्या	प्राप्त आय
1	चमोली	11	30	29400	26	10600	56	40000
2	जोशीमठ	9	39	23700	16	13700	55	37400
3	कर्णप्रयाग	7	10	5000	13	3600	23	8600
4	गौचर	7	34	9800	42	15400	76	25200
5	नंदप्रयाग	4	12	17100	60	24500	72	41600
6	बद्रीनाथ	4	80	35400	8	8800	88	44200
	योग:-	42	205	120400	165	76600	370	197000

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-दू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कचरे की संख्या	सेप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या	मासिक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17	05
2	जोशीमठ	40	398	16	24	01
3	नंदप्रयाग	02	13	02	-	02
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-	01
5	गौचर	08	220	08	-	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120	-
	योग:-	230	3636	69	161	09

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा चिकित्सालयों आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा उत्सर्जित मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है। निरीक्षण की निकायवार सूचना नोडल-अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ०प्र० निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस०टी०पी० का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया कि आर०ओ० प्रदूषण बोर्ड से जनपद के समस्त उद्योगों का परीक्षण कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि संचालित उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं तदनुसार कार्यवाही शीघ्र की जाए।

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगसू से देवलीबगड़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगड़ में नदी के किनारे बस की स्थापना/स्थल विकास एवं सीन्डर्रीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य के MoU की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे संचालित किया जाए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली।

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-

1- Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत जलवायु/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्मीबैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल हे० में	घाटों की संख्या	पूरा वन संपन्न
1	दशोली	24	2418	
2	जोशीगढ	19	1321	
3	पोखरी	07	441	
4	कर्णप्रयाग	25	1678	
5	नारायणगढ	22	1310	
6	धराती	22	1535	
7	देवात	09	543	
	योग:-	128	9246	
		5000		

साथ ही कृषि अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जोशीगढ विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हेक्टेयर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 6.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्हो/पलैक्ती बैनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक नेचुरल लैण्डस्केप मड के अंतर्गत 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हेक्टेयर निजी नापभूमि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशनल प्लांटेशन के अंतर्गत 38.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हेक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में बदीनाथ वन प्रभाग के धराती कोटगढ़ी तोक एवं अलकनंदा वन प्रभाग के बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा बाटिका निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो माह जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, नंदादेवी, कंदारनाथ एवं बदीनाथ वन प्रभाग

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी NMCG एवं SPMG के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में दिनांक 16 मार्च से 31 मार्च 2023 तक "गंगा स्वच्छता पखवाड़ा" कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा संबंधित विभागों को निर्धारित तिथियों को "गंगा स्वच्छता पखवाड़ा" कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभागों को निर्धारित तिथियों को "गंगा स्वच्छता पखवाड़ा" कार्यक्रम आयोजित करते हुए कार्यकर्ताओं का विवरण एवं फोटोग्राफ SPMG तथा सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका गोपेश्वर (नोडल)/ मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली/परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/परियोजना प्रबंधक, स्वजल/जिला समन्वयक, महारू युवा केन्द्र गोपेश्वर/जिला सूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर।

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc.:- Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सैण)

अन्य बिन्दु:-

25184

1. जनपद के अंतर्गत Tributary wise action plan adopting holistic and integrated basin approach for river हेतु एक्सन प्लान तैयार किए जाने के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अग्रगत कम्प्लेक्स गया कि उनके द्वारा अपने पत्र संख्या-3015/2-42/26-1 दिनांक 02-02-2023 से संबंधित विभाग परियोजना प्रबंधक गंगा इकाई, पेयजल निगम, अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद चमोली, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर, महा प्रबंधक उद्योग विभाग तथा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चमोली को एक सप्ताह के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराए जाने हेतु लिखा गया था जो कि वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित विभागों को एक सप्ताह के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:-परियोजना प्रबंधक गंगा इकाई, पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद चमोली/अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर/ महा प्रबंधक उद्योग विभाग गोपेश्वर/क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चमोली

2. ग्रामीण क्षेत्रों में टोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था के संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग तथा जिला पंचायत राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था कराए जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:-ग्रामीण विकास विभाग चमोली/जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त संबंधित विभागों को बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी
जनपद चमोली।

Scuma
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 4695 / 2-42/26-1 दिनांक, गोपेश्वर, मार्च 18 / 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन गुप्त नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नौउल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यावरण अधिकारी चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
18. समन्वयक नहर, युवा केन्द्र चमोली (गोपेश्वर)
19. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा, केदारनाथ, नन्दादेवी वन प्रभाग।
20. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग चमोली।
21. जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली।

Scuma
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

01C

दिनांक 06-02-2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

85

आज दिनांक 06-02-2023 को आपकी अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नामांगी गंगा परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी यद्वीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 38 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

A. Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.69	7.53	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.52	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	33.02	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.63	39.31	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARJ				96%	STP Work is Completed. Trial & Run Started.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (279 m) - Completed. (ii) Steel Truss Bridge - Completed. (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
Total:-		163.44	96.04	93.83		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में वर्तमान में 96% कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें Trial & Run प्रगति में है। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं तथा 03 जो कर्णप्रयाग से संबंधित हैं में वर्तमान तक जल संस्थान कर्णप्रयाग को को हस्तांतरित न किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई।

बैठक में निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के परियोजना प्रबंधक अथवा उच्च अधिकारी स्वयं उपस्थित न होने के कारण उक्त बिंदु की समीक्षा नहीं हो पाई। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा भविष्य में कार्यवाही संस्था के उच्च अधिकारी स्वयं बैठक में उपस्थित होने के कड़े निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिराष्ट्रीय अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अध्ययन करते हुए बताया कि सभी 28 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

— 02 पर —

II- Progress of connecting sewer lines to STP:-

से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	सीवर संयोजन की प्रगति			कुल सैंक पिटर/सेप्टिक टैंक की संख्या
					गत माह तक	माह में	योग	
1	गोपेश्वर/घमोली	गोपेश्वर/घमोली	5510	-	386	10	396	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	208	-	208	3703
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	305	-	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	899	10	909	10947

अधिकांश अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा लोगों को सीवर संयोजन हेतु जागरूक किया जा रहा है किंतु कतिपय स्थानों पर निर्माण इकाई गंगा द्वारा मिस्ट्रड चैम्बर न बनाए जाने के कारण सीवर संयोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध निर्माण इकाई गंगा द्वारा अवगत कराया गया मिस्ट्रड चैम्बर निर्माण कार्य हेतु डीपीओआर तैयार कर स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो स्वीकृत होने पर मिस्ट्रड चैम्बर निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी माहोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शीघ्र मिस्ट्रड चैम्बर निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

कार्यवाही:- रियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिकांश अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/नगर पालिका परिषद (नोडल) घमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- जनपद में स्थानीय निकायों के नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका घमोली (नोडल) के अनुसार स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संबंधित नगर निकायों द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैग्रिगेशन एवं डुअर दु डुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है।

अध्यक्ष माहोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-दू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद घमोली गोपेश्वर (नोडल)।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कक्षों की संख्या	सेप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या
1	घमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17
2	जोशीमठ	40	398	16	24
3	नन्दप्रयाग	02	13	02	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-
5	गौचर	08	220	08	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120
	योग:-	230	3636	69	161

अध्यक्ष माहोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से होटलों तथा चिकित्सालयों आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा उत्सर्जित मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है। निरीक्षण की निकायवार सूचना नोडल-अधिकांश अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर आगाभी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- अधिकांश अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद घमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महाप्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ०प्र० निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस०टी०पी० का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा उद्योगों को प्लांट के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। अध्यक्ष माहोदय द्वारा उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया कि आ०उ० प्रदूषण बोर्ड से जनपद के समस्त उद्योगों का परीक्षण कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि संचालित उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं। राफ्टिंग कार्यवाही शीघ्र की जाए।

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, घमोली-गोपेश्वर
—कमरा: 03 पर—

25187

3- **Arth Ganga:** अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के किनारे पर्यटकों के विनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगरू से देवलीबगढ़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगढ़ में नदी के किनारे हट्टस की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें MoU की कार्यवाही प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र उक्त कार्य के MoU की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे संचालित किया जाए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली।

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-

1- Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत वर्तमान में नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्गीकृत, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल है० में	ग्रामों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	दशोली	1200	24	2418
2	जोशीमठ	820	19	1321
3	पोखरी	240	07	441
4	कर्णप्रयाग	950	25	1678
5	नालायनबगढ़	750	22	1310
6	थराली	800	22	1535
7	देवाल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

साथ ही कृषि अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जोशीमठ विकास खण्ड के अंतर्गत 850 हैक्टेयर क्षेत्र में नेचुरल/जैविक खेती हेतु रु० 6.39 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोडों/पलेक्खी बैनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

I- **Afforestation:-** प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा वर्तमान तक नेचुरल लैंडस्केप मद के अंतर्गत 379.63 है० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैंडस्केप में 351.38 हैक्टेयर निजी नापमूमि में लगभग 52700 पौध रोपण, इस्टीमेशन प्लांटेशन के अंतर्गत 38.25 हैक्टेयर क्षेत्र में 3825 फलदार पौधों का रोपण तथा 160 हैक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में बद्रीनाथ वन प्रभाग के थराली कोटगढ़ी तोक एवं अलकनंदा वन प्रभाग के बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा वाटिका निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो माह जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।

इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता श्री दिनेश तिवारी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जनपद में गांवों की सीमाओं पर बांस/रिंगाल का रोपण कराया जाए जिससे जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा के साथ ग्रामीणों द्वारा बांस/रिंगाल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर उसका विपणन कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जय मां नंदा समिति की अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रकला तिवाड़ी द्वारा भी यह सुझाव दिया गया कि उक्तानुसार बांस/रिंगाल रोपण कार्य प्रत्येक ग्राम में महिला मंगल दलों के माध्यम से कराया जाय।

उक्त के संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कार्य हेतु मनरेगा एवं वन विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- मुख्य विकास अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा, नंदादेवी, कैदारनाथ एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग

II- **Promotion of river/ghat based tourism etc.:-** गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत सगरत नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ganga River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में प्रामाणिक गंगा परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम समिति द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित साफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी (नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल सँग)

—प्रम. 04 पर—

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

25188

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में समय-समय पर उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार IEC गतिविधियों के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्षारोपण, विद्युत प्रतियोगिताएं आदि सम्पादित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका गोपेश्वर (नोडल) / मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल सैण)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त संबंधित विभागों को बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति /
जिलाधिकारी
जनपद चमोली।

Sum
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति /
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 4023 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 14 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला प्रबंधन अधिकारी, चमोली।
17. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।



o/c

Sum
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति /
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 17-12-2022 का जिलाधिकारी चमाला की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण 25189 की बैठक का कार्यवृत्त" (89)

आज दिनांक 17-12-2022 को आपकी अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नामांगी गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करती हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी यद्वीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 37 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

A- Mandated Agenda:-

I- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- **I&D and STP Project:-** परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.36	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iv) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	64.34	33.72	32.66	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	40.63	39.31	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				95%	STP Work is Completed. Trial & Run Started.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.47	9.45	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed.(ii) Steel Truss Bridge - Completed.(iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
	Total:-	163.44	95.94	93.26		

निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में वर्तमान में 95 % कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें Trial & Run प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पेयजल निगम गंगा को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश देते हुए सभी कार्यस्थलों पर कार्यों के बोर्ड आवश्यक रूप से लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए। पेयजल निर्माण गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं तथा 03 जो कर्णप्रयाग से संबंधित हैं में संयुक्त निरीक्षण कार्य प्रगति में है से अवगत कराया गया जिन्हें शीघ्र जल संस्थान को हस्तगत कराए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिरासी अनियंता जल संस्थान-गोपेश्वर

(ii)- **Status of Nala Tapping:-** निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति से संबंधित अवगत कराया गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 (तहसील नाला, लुण्ठिरी नाला एवं कौमेट लॉज नाला) नालों को जो मारवाड़ी STP से संबंधित है को उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

—क्रमस: 02 पर—

II- Progress of connecting sewer lines to STP:

से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे गणनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	ऐसे गणनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं		कुल संयोजन	कुल सीक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
					घरेलू	अघरेलू		
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	294	91	385	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	159	48	207	3703
3	बर्दीनाथ	बर्दीनाथ	440	135	173	132	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	626	271	897	10947

अधिकांसी अभियंता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उनके द्वारा गोपेश्वर नगर क्षेत्रांतर्गत सीवर संयोजन हेतु सहायक अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो प्रत्येक सप्ताह सीवर संयोजनों की प्रगति से अवगत कराएगी। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में प्रगति अत्यंत ही न्यून है जिसे युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में जनपद में प्रत्येक नगर क्षेत्रांतर्गत सीवर संयोजन हेतु समिति गठित कर शत-प्रतिशत सीवर संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाए। अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिकांसी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर को गोपेश्वर नगर क्षेत्रांतर्गत कुण्ड कालोनी में सीवर कनेक्शन दिए जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। अधिकांसी अभियंता जल संस्थान द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सीवर लाईन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा मिस्ड चैम्बर नहीं बनाए गए हैं जिससे बाजार क्षेत्र में कनेक्शन जोड़े जाने में असुविधा हो रही है। इस संबंध में निर्माण निगम गंगा इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि मिस्ड चैम्बर निर्माण हेतु डीपीआर में प्राविधानित न होने के कारण चैम्बर नहीं बनाए गए हैं फलस्वरूप उक्त चैम्बर जल संस्थान द्वारा ही निर्मित किए जाने हैं। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकांसी अभियंता जल संस्थान को निर्देशित किया गया कि एक बार डीपीआर का स्वयं अवलोकन करें कि मिस्ड चैम्बर हेतु डीपीआर में प्रस्तावित है कि नहीं तदनुसार अगली बैठक से पूर्व अवगत कराएं।

कार्यवाही:- अधिकांसी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के नमानि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वाहों की संख्या	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट									
			कुल उत्पादन (टन में)			डोर टू डोर कलेक्शन वाले वाहों की संख्या	सॉल्ट सेविगेशन वाले वाहों की संख्या	जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट निर्माण		प्लास्टिक कोंटेनरर यूनिट की संख्या	प्रतिदिन कोंमेस्ट किए जाने वाले कूड़े की मात्रा टन में	आतिथि तक कूड़े से कुल जर्जित आय (लाख में)
			जैविक	अजैविक	कुल			ऑन साईट कम्पोस्टिंग	पिट कम्पोस्टिंग			
1	चमोली-गोपेश्वर	11	4.00	1.00	5.00	11	11	03	40	01	0.30	18.30
2	कनप्रयाग	07	1.20	2.00	3.20	07	07	0	12	01	1.00	14.67
3	जोशीमठ	09	1.00	2.20	3.20	09	09	0	0	01	1.50	77.50
4	गौधर	07	1.82	3.38	5.20	07	07	15	0	01	1.50	5.61
5	नंदप्रयाग	04	0.20	0.30	0.50	04	04	01	5	01	0.04	1.04
6	बर्दीनाथ	04	0.18	0.12	0.30	04	04	0	3	01	0.05	3.17
	योग:-	42	8.40	9.00	17.40	42	42	19	60	06	4.39	120.29

क्र० सं०	निकाय का नाम	वालों की संख्या	डोर टू डोर कलेक्शन वाले वालों की संख्या	सॉल्ट सेविगेशन वाले वालों की संख्या	एस. एम.सी. की स्थिति	Management बाईसीज प्रकाशन की स्थिति	डिस्चार्ज वाहन की उपलब्धता	लॉगरी वेस्ट की मात्रा टन में	अव्युक्ति
1	चमोली-गोपेश्वर	11	11	11	Yes	No	N/A	1064.00	लोगरी वेस्ट के निस्तारण हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।
2	कनप्रयाग	07	07	07	Yes	Yes	N/A	22.00	
3	जोशीमठ	09	09	09	Yes	Yes	N/A	50.00	
4	गौधर	07	07	07	Yes	Yes	N/A	15.00	
5	नन्दप्रयाग	04	04	04	Yes	Yes	N/A	0.00	
6	बर्दीनाथ	04	04	04	Yes	Yes	Yes	0.00	
	योग:-	42	42	42	-	-	-	1151.00	

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कड़ा एकत्रीकरण किया जाए साथ ही अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के व्यवस्था निस्तारण के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए :-

1. सोर्स सेग्रिगेशन के संबंध में नगर पालिका एवं गीला एवं सूखा कूड़ा को निस्तारित किए जाने हेतु नगरों के अंतर्गत सूखा एवं गीला कूड़ा हेतु अलग-अलग डस्टबिन वितरित करें।
2. समस्त उप जिलाधिकारी समग्र-समग्र पर निरीक्षण करें कि नगर निकायों द्वारा सोर्स सेग्रिगेशन कार्य किया जा रहा है कि नहीं यदि किसी निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है तो संबंधित नगर निकाय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)/समस्त उप जिलाधिकारी चमोली।

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/ सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबा/ सीवेज आदि से संबंधित निकायवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लीज/आश्रमों की संख्या	कक्षा की संख्या	सीप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17
2	जोशीगढ	40	398	16	24
3	नंदप्रयाग	02	13	02	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-
5	गौघर	08	220	08	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120
	योग:-	230	3636	69	161

अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित उपरोक्त आस्थानों में प्रत्येक नगर निकाय आवश्यक रूप से 25 प्रतिशत होटलों तथा धिकित्सालयों आदि का औचक निरीक्षण करें कि उनके द्वारा उत्सर्जित मलबा नदियों में तो नहीं डाला जा रहा है। निरीक्षण की निकायवार सूचना नोडल-अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) के अनुसार उनके द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैनिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहां पर कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा कनेक्शन दिए जाने का कार्य वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो दिनांक 31-12-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत कनेक्शन किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया कि आशुओ0 प्रदूषण बोर्ड को जनपद के समस्त उद्योगों की एक बार चैकिंग हेतु पत्र प्रेषित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि संचालित उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिशेषित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं तदनुसार कार्यवाही शीघ्र की जाए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला उद्योग केन्द्र गोपेश्वर को निर्देशित किया गया कि जनपद में अन्य क्षेत्रों का भी चिन्हीकरण करें जहां पर उद्योग स्थापित किए जा सकें।

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगासू से देवलीबगढ़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगढ़ में नदी के किनारे हट्स की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किए गए हैं जिससे जनपद में युवाओं को रोजगार/आजीविका उपलब्ध हो रही है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यटन विभाग को अन्य स्थलों का भी चयन करने के निर्देश दिए गए।

अर्थ गंगा के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद के चारों वन प्रभागों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जड़ी-बूटी शोध संस्थान, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग के समन्वय से सड़कों के किनारे पर्यटन एवं आर्थिकी के दृष्टिगत स्थानीय सड़कों के माध्यम से अद्विजा, तोजपात, अखरोट, दाड़िम आदि पौधों का वृक्षारोपण तथा वन पंचायतों की बंजर भूमि पर तैमियर घास तथा लैमनेग्रस तथा फुटकी के पौधों का रोपण करने हेतु हेतु कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह के अंतर्गत उपलब्ध कराते हैं निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ /अलकनंदा/कंदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर/नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग जोशीगढ ।

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-**1- Promotion of Natural/organic farming**

जनपद के अंतर्गत नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर प्रमण कार्यक्रम के साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्गीकृत, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जीव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं०	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल हे० में	घाटों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	बशौली	1200	24	2418
2	जोशीमठ	820	19	1321
3	फोखरी	240	07	441
4	कर्णप्रयाग	950	25	1678
5	नारायणगढ़	750	22	1310
6	थराली	800	22	1535
7	देवाल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डो/पलैक्सी बैनर आदि के माध्यम बृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

1- Afforestation:- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग को नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग को नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत डीपीओआर० के अनुसार वर्तमान तक 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 351.38 हे०टेयर निजी नाफभूमि में लगभग 52700 पौध रोपण तथा 180 हे०टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-22 में प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में बद्रीनाथ वन प्रभाग के थराली कोटगढ़ी तोक एवं अलकनंदा वन प्रभाग के बामणी वन पंचायत में 01-01 गंगा वाटिका निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है। वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक कोई लक्ष्य स्वीकृत नहीं हुए हैं।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के अंतर्गत समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम समा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियालसैन)

C- Seasonal Agenda:-**1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-**

जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों के अंतर्गत समय-समय पर स्वच्छता पखवाड़ा, कृषारोपण, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि सम्पादित किए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:-

- नगर पालिकाओं द्वारा IEC गतिविधियों अंतर्गत समय-समय पर स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
- नगर पालिकाएं समस्त घाटों पर नमामि गंगे के प्रचार-प्रसार हेतु बोर्ड लगाएं।
- जनपद के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा भी IEC गतिविधियों अंतर्गत समय-समय पर स्कूलों/कॉलेजों में गंगा स्वच्छता कार्यक्रम तथा विविध स्थापन, पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका गोपेश्वर (नोडल)/ मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली

—कृपया 05 पर—

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period
अधिशारी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोटियालसैण)
during monsoon period से संबंधित प्रगति तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

25193

93

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत आवश्यक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक

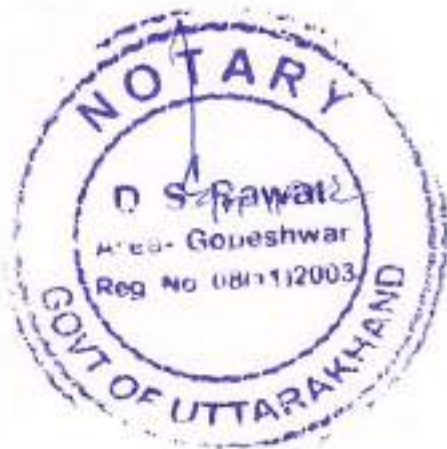
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 2966 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर 17 / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशारी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
8. अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशारी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशारी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशारी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली।
17. समस्त उप जिलाधिकारी, चमोली।
18. जिला कृषिक अधिकारी, चमोली।



सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

25194

(94)

दिनांक 10-11-2022 को जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 10-11-2022 को आपकी अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नामा गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी चंदीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 38 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

PROGRESS					
SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.33	Completed
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.71	Completed
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	38.13	38.11	Work in progress
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				92%
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.24	9.21	Completed
Total:-		160.93	93.42	90.84	

निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में वर्तमान में 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें Trial & Run प्रगति में है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पेयजल निगम गंगा को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं तथा 03 जो कर्णप्रयाग से संबंधित हैं में संयुक्त निरीक्षण कार्य प्रगति में है से अवगत कराया गया जिन्हें शीघ्र जल संस्थान को हस्तगत करवा जाए। इस संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिराशी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टैपिंग कर दिया गया है। शेष 03 (तकनीकी त्रुटि 2, 0.5 मी.सी. नाला एवं कॉम्पैट लॉज नाला) नालों को जो मारवाड़ी STP से संबंधित है को उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात टैप किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

II- Progress of connecting sewer lines to STP:-

उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन नगरों में सीवर लाईन नहीं है उनमें निम्नलिखित परिवारों द्वारा अपने घरों में सॉकपिट तैयार किए गए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार से सीवर खुले में नहीं बह रहा है तथा सॉकपिटों के ओवरफ्लो की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा सीवर जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर की गंदगी को राखतान कर निचटातम सीवर चैम्बर में डाले जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विभाग के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिवारों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	ऐसे भवनों/परिवारों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं		कुल संयोजन	कुल सॉक पिट/ सेंटिक टैंक की संख्या
					घरेलू	अधरेलू		
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	294	91	385	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	158	48	206	3703
3	बदोनाथ	बदोनाथ	440	135	173	132	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	625	271	896	10947

अध्यक्ष महोदय द्वारा सीवर संयोजनों की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल) को कड़े निर्देश दिए गए कि शीघ्र शत-प्रतिशत सीवर संयोजन कराए जाए जिस हेतु एक समिति का गठन कर वृहद प्रचार-प्रसार करते हुए प्रत्येक सप्ताह सीवर संयोजनों की प्रगति से अवगत कराएं। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि संबंधित नगरपालिकाएं सगस्त भवन स्वामियों को सीवर कनेक्शन से जोड़े जाने हेतु विशेष अभियान चलाते हुए सीवर संयोजन हेतु वृहद प्रचार प्रसार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) चमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट									
			कुल उत्पदन (टन में)			डोर टू डोर कलेक्शन वाले वार्डों की संख्या	सोर्स सेपिगेशन वाले वार्डों की संख्या	जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट निर्माण		प्लास्टिक कम्पोस्टर यूनिट की संख्या	प्रतिदिन कम्पोस्ट किए जाने वाले कूड़े की मात्रा टन में	अतिरिक्त कूड़े से कुल अर्पित आय (लाख में)
			जैविक	अजैविक	कुल			घाँस साईट कम्पोस्टिंग	पिट कम्पोस्टिंग			
1	चमोली-गोपेश्वर	11	4.00	1.00	5.00	11	11	03	40	01	0.30	18.30
2	कर्मप्रयाग	07	1.20	2.00	3.20	07	07	0	12	01	1.00	14.67
3	जोशीमठ	09	1.00	2.20	3.20	09	09	0	0	01	1.50	77.50
4	गोपेश्वर	07	1.82	3.38	5.20	07	07	15	0	01	1.50	5.61
5	नन्दप्रयाग	04	0.20	0.30	0.50	04	04	01	5	01	0.04	1.04
6	बदोनाथ	04	0.18	0.12	0.30	04	04	0	3	01	0.05	3.17
	योग:-	42	8.40	9.00	17.40	42	42	19	60	06	4.39	120.29

क्र० सं०	निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	डोर टू डोर कलेक्शन वाले वार्डों की संख्या	सोर्स सेपिगेशन वाले वार्डों की संख्या	एच. एस.सी. की स्थिति	Management बार्ड/लोक प्रकाशन की स्थिति	डिराज्य वाहन की उपलब्धता	सीपेसी वेस्ट की मात्रा टन में	अव्युक्ति
1	चमोली-गोपेश्वर	11	11	11	Yes	No	N/A	1064.00	सीपेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।
2	कर्मप्रयाग	07	07	07	Yes	Yes	N/A	22.00	-
3	जोशीमठ	09	09	09	Yes	Yes	N/A	50.00	-
4	गोपेश्वर	07	07	07	Yes	Yes	N/A	15.00	-
5	नन्दप्रयाग	04	04	04	Yes	Yes	N/A	0.00	-
6	बदोनाथ	04	04	04	Yes	Yes	Yes	0.00	-
	योग:-	42	42	42	-	-	-	1151.00	

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में सगस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सही माँदरे में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जा रहा है। साथ ही अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा सोर्स सेपिगेशन के संबंध में नगर पालिका को निर्देशित किया गया कि गीला एवं सूखा कूड़ा को निस्तारित किए जाने हेतु नगरों के अंतर्गत सूखा एवं गीला कूड़ा से अलग-अलग डस्टबिन व्यवस्था किए जाएंगे। इस हेतु स्थानीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

—कमल 03 पर—

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद के अनुसार जनपद में प्रमुख नदियों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलवा/सीवेज आदि से संबंधित निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/राफ्टिंग/आश्रमों की संख्या	कक्षों की संख्या	सीपिकेट टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17
2	जोशीगढ	40	398	16	24
3	नंदप्रयाग	02	13	02	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-
5	गौघर	08	220	08	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120
	योग:-	230	3636	69	161

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि जनपद में गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलवे को नदी में नहीं डाला जा रहा हो। इस हेतु नगर निकाय तथा संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर समस्त होटलों आदि का औचक संयुक्त निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंपों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो तथा यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक सुनिश्चित की जाए। **कार्यवाही:- अधिरासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/समस्त उप जिलाधिकारी चमोली।**

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चमोली (गोपेश्वर) के अनुसार उनके द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान कांलेखर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैंमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहां पर ई0टी0पी0 प्लांट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे थे जिनमें कार्यवाही संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन नहीं किया गया था और ना ही किसी उद्यमी को कनेक्शन से जोड़ा गया था जिसमें वर्तमान में कार्य प्रगति में है तथा सारे उद्यमों को कनेक्शनों से जोड़ दिया जाएगा से अवगत कराया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत कनेक्शन किए जाने के निर्देश देते हुए उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को कड़े निर्देश जारी किए गए कि जिन इकाइयों द्वारा EPT में कनेक्शन नहीं लिए गए हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। **कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर**

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगसू से देवलीवगढ़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीवगढ़ में नदी के किनारे हट्स की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किए गए हैं जिससे जनपद में युवाओं को रोजगार/आजीविका उपलब्ध हो रही है। जनपद के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की गतिविधि प्रस्तावित हैं।

इसी गतिविधि के अंतर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा भी गंगा घाटी के सतत आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा माडल" के अनुरूप उच्च से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जैव विविधता एवं आद्र भूमि संरक्षण कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पांच तालों का सौन्दर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत बगजी बुग्याल संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यटन हेतु बेदिनी बुग्याल पर्यटक स्थल सौन्दर्यीकरण की पांच वर्षीय कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई जिसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। **कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।**

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-**1- Promotion of Natural/organic farming**

जनपद के अंतर्गत नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषिों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्मीटैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विद्यमान खेती का नाम	क्षेत्रफल है0 में	ग्रामों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	दशोली	1200	24	2418
2	जोशीगढ	820	19	1321
3	मोखरी	240	07	441
4	कर्णप्रयाग	950	25	1678
5	नारायणगढ़	750	22	1310
6	दशोली	800	22	1535
7	गुप्त	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोझों/पलैक्सी, डेनर आदि के माध्यम कृषि प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। **कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।**

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Development of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग को नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार वर्तमान तक 379.63 हे0 क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 371.53 हेक्टेयर निजी नापभूमि में लगभग 52000 पौध रोपण, अरबन लैण्डस्केप की इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन के अंतर्गत विभिन्न परिसरों के 38.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 3800 पौध रोपण तथा 160 हेक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही ए0पी0आर0 वर्ष 2021-22 में थराली कोटगढ़ी तोक एवं श्री बद्रीनाथ बागणी वन पंचायत में 01-01 गंगा घाटिका निर्माण कार्य माह अगस्त-2022 में स्वीकृत हुआ है जिसके सापेक्ष वर्तमान में कार्य प्रगति में है। वर्ष 2022-22 में प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/समुद्र विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अनियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियालसैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों के अंतर्गत समय-समय पर स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्षारोपण, विजय प्रतियोगिताएं आदि सम्पादित किए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:-

i- IEC गतिविधियों के अंतर्गत जनपद के स्थान गौघर में दिनांक 14 नवम्बर-2022 से प्रारंभ होने वाले 70वां राज्य औद्योगिक विकास मेला में नमामि गंगे के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न सांस्कृतिक आदि गतिविधियों का आयोजन किए जाने हेतु मेलाधिकारी/उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को निर्देशित किया गया है जिस हेतु गंगा संरक्षण समिति चमोली द्वारा रु0 4.17 लाख की धनराशि भी उन्हें हस्तांतरित की जा चुकी है।

ii-नगर पालिकाओं द्वारा IEC गतिविधियों अंतर्गत समय-समय पर स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

iii-जनपद के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा भी IEC गतिविधियों अंतर्गत समय-समय पर स्कूलों/कॉलेजों में गंगा स्वच्छता कार्यक्रम तथा विजय, भाषण, पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका गोपेश्वर (नोडल)/ मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली

2- जिला गंगा संरक्षण समिति के खाते में आई0ई0सी0 गतिविधि क्रियान्वयन हेतु धनराशि की मांग के संबंध में:-

सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति के खाते में आई0ई0सी0 गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रु0 4.17 लाख को मेलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। हस्तांतरित धनराशि का प्रमाण-पत्र SPMG को प्रेषित करते हुए पुनः अतिरिक्त धनराशि की मांग हेतु भी उनके स्तर से SPMG को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इस संबंध में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी को अतिरिक्त धनराशि अयमुक्त किए जाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग/ मेलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।



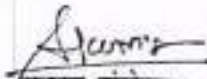
(Handwritten signature)

—कृपया 05 पत्र—

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु नोटल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल रीण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल रीण)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अखररा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

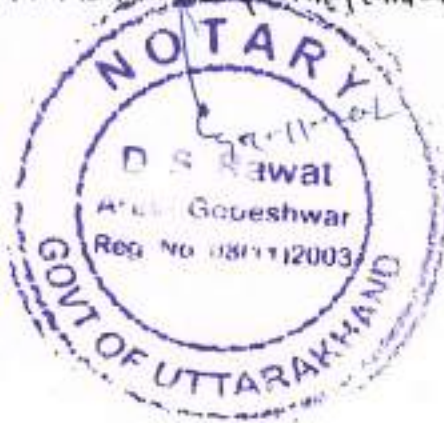

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

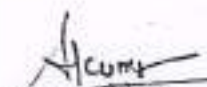
॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2426 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 16 / 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली।
17. समस्त उप जिलाधिकारी, चमोली।
18. अधिशासी अभियंता भूमि संरक्षण विभाग, चमोली।
19. डिप्टी कमिशनर चमोली (गोपेश्वर)।




सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



दिनांक 29-10-2022 को आयोजित "गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

99

आज दिनांक 29-10-2022 को मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा कलते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय न्यायिक नदीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 35 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.33	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tipping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.71	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	38.13	38.11	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				92%	STP Work is Completed. Trial & Run Started.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.24	9.21	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed.(ii) Steel Truss Bridge - Completed.(iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
	Total:-	160.93	93.42	90.84		

निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में वर्तमान में 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें एस0टी0पी0 कार्य पूर्ण होने के पश्चात Trial & Run प्रगति में है जो 03 माह के अंतर्गत पूर्ण होने से अवगत कराया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पेयजल निगम गंगा को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए तथा पूर्ण निर्मित में से जल संस्थान को शीघ्र संयुक्त निरीक्षण कर हस्तांतरण की कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। पेयजल निगम गंगा इकाई द्वारा 12 STP जल संस्थान को हस्तागत कर दिए गए हैं तथा 03 में संयुक्त निरीक्षण प्रगति में है जो शीघ्र जल संस्थान को हस्तागत कर दिए जाएंगे। इन्हें शीघ्र संबंधित विभाग को हस्तागत कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त कार्यों का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु संबंधित विभागों का त्वरित कार्यवाही किए जाने के तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

अधिसूची अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर

—अमर: 02 पर—

(ii)- **Status of Nala Tapping:-** निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 (सहरील नाला, द्रोणागिरी नाला एवं चोमेट लॉज नाला) नालों को जो मारवाड़ी STP से संबंधित है को उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

II- Progress of connecting sewer lines to STP:-

उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन नगरों में सीवर लाईन नहीं है उनमें निवाशित परिवारों द्वारा अपने घरों में सॉकपिट तैयार किए गए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार से सीवर खुले में नहीं बह रहा है तथा सॉकपिट्स के ओवरफ्लो की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा सीवर जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर की गंदगी को सक्शन कर निकटतम सीवर चैम्बर में डाले जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विभाग के अनुसार गवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे घरों/परिवारों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	ऐसे घरों/परिवारों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं	कुल संयोजन	कुल सॉक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
1	गोपेश्वर/घमोली	गोपेश्वर/घमोली	5510	-	294	385	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	158	206	3703
3	बदीनाथ	बदीनाथ	440	135	173	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	1511
	योग:-		11783	135	625	896	10947

देखकर अधिकारी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जल संस्थान को हस्तगत किए गए सीवर योजनाओं से संयोजन किए जाने हेतु कार्यवाही प्रगति में है, इस हेतु स्थानीय लोगों को अपने सॉकपिटों/सीवरों को सीवर लाईन से जोड़े जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित नगरपालिकाएं समस्त भवन स्वामियों को सीवर कनेक्शन से जोड़े जाने हेतु विशेष अभियान चलाते हुए निरीक्षण करें तथा जिनके द्वारा सीवर कनेक्शन नहीं लिया जा रहा है उनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही करते हुए सीवर संयोजन हेतु वृद्ध प्रचार प्रसार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाए।

कार्यवाही:- अधिकारी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)/ नगर पालिका परिषद (नोडल) घमोली

2- Identification and Tapping: Monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid wastes into the river within district boundary:-

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	वालों की संख्या	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट									
			कुड़ा उत्पादन (टन में)			डोर डू डोर कलेक्शन वाले वालों की संख्या	सॉलिड सेप्टिकेशन वाले वालों की संख्या	जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट निर्माण		प्लास्टिक कम्पोस्टर यूनिट की संख्या	प्रशिक्षित किए जाने वाले कुड़े की मात्रा टन में	अतिरिक्त कुड़े से कुल अर्जित आय (लाख में)
			जैविक	अजैविक	कुल			ऑन साइट कम्पोस्टिंग	पिट कम्पोस्टिंग			
1	घमोली-गोपेश्वर	11	4.00	1.00	5.00	11	11	03	40	01	0.30	18.30
2	कर्मप्रयाग	07	1.20	2.00	3.20	07	07	0	12	01	1.00	14.67
3	जोशीमठ	09	1.00	2.20	3.20	09	09	0	0	01	1.50	77.50
4	गोपेश्वर	07	1.82	3.38	5.20	07	07	15	0	01	1.50	5.61
5	नन्दप्रयाग	04	0.20	0.30	0.50	04	04	01	5	01	0.04	1.04
6	बदीनाथ	04	0.18	0.42	0.60	04	04	0	3	01	0.05	3.17
	योग:-	42	8.40	9.00	17.40	42	42	19	60	06	4.39	120.29

क्र० सं०	निकाय का नाम	वालों की संख्या	डोर डू डोर कलेक्शन वाले वालों की संख्या	सॉलिड सेप्टिकेशन वाले वालों की संख्या	एल.एम.सी. की स्थिति	Management बाईलॉजिकल प्रकाशन की स्थिति	डिसाल्ड वाहन की उपलब्धता	लीगेसी वेस्ट की मात्रा टन में	अध्युक्ति
1	घमोली-गोपेश्वर	11	11	11	Yes	No	N/A	1064.00	लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।
2	कर्मप्रयाग	07	07	07	Yes	Yes	N/A	22.00	-
3	जोशीमठ	09	09	09	Yes	Yes	N/A	30.00	-
4	गोपेश्वर	07	07	07	Yes	Yes	N/A	15.00	-
5	नन्दप्रयाग	04	04	04	Yes	Yes	N/A	0.00	-
6	बदीनाथ	04	04	04	Yes	Yes	Yes	0.00	-
	योग:-	42	42	42	-	-	-	1151.00	-

25201

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-दू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण विज्ञा जाए। साथ ही अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सीर्स सेफ्टीमेशन के संबंध में नगर पालिका को निर्देशित विज्ञा गया कि गीला एवं सूखा कूड़ा को निस्तारित किए जाने हेतु नगरों के अंतर्गत सूखा एवं गीला कूड़ा हेतु अलग-अलग डस्टबिन विरहित किए जाएंगे। इस हेतु रणनीति निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala/ Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद द्वारा जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों की संख्या तथा उनसे उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निवारण आंकड़े निम्न प्रकार उपलब्ध कराए गए:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कचरों की संख्या	सीप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17
2	जोशीमठ	40	398	16	24
3	नंदप्रयाग	02	13	02	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-
5	गौचर	08	220	08	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120
	योग:-	230	3636	69	161

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि जनपद में गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में नहीं डाला जा रहा हो। इस हेतु नगर निकाय तथा संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर समस्त होटलों आदि का औषक संयुक्त निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो तथा यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक सुनिश्चित की जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/समस्त उप जिलाधिकारी चमोली।

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) के अनुसार उनके द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहां पर ई0टी0पी0 प्लान्ट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे थे जिनमें कार्यवाही संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन नहीं किया गया था और ना ही किसी उद्यमी को कनेक्शन से जोड़ा गया था जिसमें वर्तमान में कार्य प्रगति में जो माह जुलाई-2022 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा तथा सारे उद्यमों को कनेक्शनों से जोड़ दिया जाएगा से अवगत कराया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत कनेक्शन किए जाने के निर्देश देते हुए उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को कड़े निर्देश जारी किए गए कि जिन इकाइयों द्वारा **ETP** में कनेक्शन नहीं लिए गए हैं उनके विरुद्ध शीघ्र चालान की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आगामी बैठक से पूर्व प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर स्मार्टिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगासू से देवलीबगड़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगड़ में नदी के किनारे हटस की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किए गए हैं जिससे जनपद में युवाओं को रोजगार/आजीविका उपलब्ध हो रही है। जनपद के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की गतिविधि प्रस्तावित हैं।

इसी गतिविधि के अंतर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा भी गंगा घाटी के सतत आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा साखल" के अन्तर्गत उच्च से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जैव विविधता एवं आद्र भूमि संरक्षण कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पांच स्थानों का सौन्दर्यीकरण एवं विविधता संरक्षण के अंतर्गत बगजी बुग्याल संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यटन हेतु बेदिनी बुग्याल पर्यटक स्थल सौन्दर्यीकरण की पांच वर्षीय कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई जिसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

—क्रमश: 04 पर—

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-**1- Promotion of Natural/organic farming**

जनपद के अंतर्गत नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलरटर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण, निशुल्क कर्मिदंड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र/सं०	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल है० में	घाटों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	दरौली	1200	24	2418
2	जोशीगढ	820	19	1321
3	पोखरी	240	07	441
4	कर्णप्रयाग	950	25	1678
5	नारायणगढ	750	22	1310
6	धराली	800	22	1535
7	देवाल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को बोर्डों/पलेक्सी बैनर आदि के माध्यम वृहद प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग को नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार वर्तमान तक 379.83 है० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लेण्डस्केप में 371.53 हैक्टेयर निजी नापभूमि में लगभग 52000 पौध रोपण तथा 160 हैक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-22 में प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा सड़क के किनारे नमामि गंगे योजना के अंतर्गत फलदार पौध रोपण करते हुए उसके प्रचार-प्रसार हेतु बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के पुनः निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम समा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियालसैण)

C- Seasonal Agenda:-**1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-**

जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों के अंतर्गत समय-समय पर स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्षारोपण, विवज प्रतियोगिताएं आदि सम्पादित किए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:-

- सड़कों के किनारे चूल्हों पर वृक्षारोपण, त्रिफला वृक्षारोपण तथा आयुर्वेदिक पौधों की लेन के रूप में विकसित किए जाएं।
- जिला शिक्षा अधिकारी समस्त स्कूल, कॉलेजों को बच्चों द्वारा स्कूल नर्सरी में पौध तैयार करने हेतु लक्ष्य आवंटित करें जिसे एक प्रतिस्पर्धा के रूप में किया संचालित किया जाए। इस हेतु प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरुस्कार तथा सांत्वना पुरुस्कार दिए जाने की व्यवस्था की जाए। बीज एवं घोविंग बैग्स की आपूर्ति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी से मांग की जाए। इसे वृहद प्रचार-प्रसार के साथ प्रचारित किया जाए।
- इसे नमामि गंगे के लोगो के साथ # टैग के साथ वृहद रूप से प्रचारित किया जाए।
- कृषि विभाग/उद्योग विभाग नमामि गंगे योजना की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करें।
- नमामि गंगे के प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद गंगा किनारे के शहरों तथा सड़कों के किनारे नमामि गंगे के प्रचार-प्रसार हेतु पूर्ण में लगे बोर्डों को सही करते हुए अन्य स्थानों पर नए बोर्ड लगाएं।
- भूमि संरक्षण विभाग जिले के अंतर्गत गौजर घास एवं लेण्डाना घास के उन्मूलन हेतु एक विशेष अभियान चलाएं।
- जिला आयुर्वेदिक विभाग नगर पालिकाएं जनपद में नमामि गंगे की आई०ई०सी० गतिविधि के अंतर्गत हर घर में "गिलोय/कड़ीपत्ती" आदि की आयुर्वेदिक वाटिका विकसित किए जाने हेतु लोगों को प्रेरित करें।

कार्यवाही:- जिला आयुर्वेदिक एवं युवांनी अधिकारी चमोली गोपेश्वर/मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली/अधिशासी अभियंता भूमि संरक्षण विभाग/जिला कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी चमोली।

—कमरा 05 पर—

2- जिला गंगा संरक्षण समिति के खाते में आई0ई0सी0 गतिविधि क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के उपयोग के संबंध में-

आयदा/जिलाधिकारी चमोली के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति के खाते में आई0ई0सी0 गतिविधि क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के उपयोग के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के खाते में अवशेष धनराशि को इस वर्ष माह नवम्बर-2022 में आयोजित होने वाले गीवर मेले में नमामि गंगे योजना के तहत प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने हेतु हस्तांतरित किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। सदस्य संयोजक द्वारा वर्तमान में उक्त खाते में वर्तमान तक अवमुक्त कुल रु० 5.00 लाख के सापेक्ष रु० 4.17 लाख की धनराशि अवशेष होने से अवगत कराया गया, जिसे गीवर मेलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को हस्तांतरित किए जाने की शीघ्र कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग/मेलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।

2- Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु नोडल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल रीण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति सत्कल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

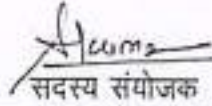
कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल रीण)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

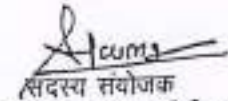
11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक — 2088/26-1/2-42 दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर

29, / 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जल संवाहक चमोली।
14. अधिशासी अभियंता जल निगम, गोपेश्वर।
15. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली।
16. सदस्य उप-जिलाधिकारी, चमोली।
17. अधिशासी अभियंता, मृत्ति संरक्षण विभाग, चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

104

दिनांक 16-09-2022 को आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 16-09-2022 को जिला अधिकारी यमुनोत्तरी की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के तहत में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी नदीनाथ चन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 34 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

A- Mandated Agenda:-

I- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.33	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (ii) Carrier Line (1225M)- Completed (iii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handled over to UJS Karanprayag and 3 Nos. STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (470 m) - Completed (iii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iii) Scheme Handled over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.71	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handled over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	36.63	38.09	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				88%	*Site relocated due to the land slides on the previous site. - Terrace development work of the new site was on progress. But the work was again stopped in Jan-2020 by BRO in view of proposal of road widening in front of the site proposed. - Special protective measures are required to be executed at site due to road widening by BRO. As the approval of revised AA&Fs which includes 'special protective measures' obtained from RWA on dated 31.08.2021. - Special protective measures work completed. - Structural work and Electrical & Mechanical erection works of STP is in progress.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sanathan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.24	9.21	Completed	Civil works :- i. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed (ii) Steel Truss Bridge - Completed (iii) Scheme Handled over to UJS Gopeshwar.
	Total:-	160.93	91.92	90.82		

निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मारवाडी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में कार्य प्रगति में है। 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं तथा 03 में संयुक्त निरीक्षण कार्य प्रगति में है जहाँ सीधे जल संस्थान को हस्तगत कर दिए जाएंगे। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पेयजल निगम गंगा एवं जल संस्थान को सीधे संयुक्त निरीक्षण कर हस्तान्तरण की कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

उपरोक्तानुसार जल संस्थान को सौंपा गया है। STP के संबंध में अधिसूची अधिनियम जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा उनके रखरखाव एवं प्रगति के संबंध में निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत किया गया:-

105

Operational and Maintenance Sewage Treatment Plant

Name of Town	Name of Sewage Scheme	Name of Place STP	Hand-over to U.J.S	Installed Capacity (MLD)	Utilised Capacity (M.L.D.)	Status of Installation of Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) at Sewage Treatment Plant (STPs)	
						Yes	No
Gopeshwar	Gopeshwar	Gopeshwar Vivekanand Colony (Leesa Bend)	June, 2021	1.19	0.05	Yes	-
		Gopeshwar Near Pokhari Band	June, 2021	1.25	0.625	Yes	-
		Gopeshwar Near Pandit Deen dayal park	June, 2021	1.12	0.56	-	No
		Chamoli Near Mahindra showroom	June, 2021	0.76	0.38	-	No
		Chamoli Near Old Suspension Bridge	June, 2021	0.05	0.01	-	No
Nandprayag	Nandprayag	Nandprayag Near Forest Nala	June, 2021	0.10	0.03	-	No
		Nandprayag, Near Sangam road Nala	June, 2021	0.05	0.02	-	No
Joshimath	Joshimath	Joshimath	June, 2021	1.08	0.30	Yes	-
Shri Badrinath	Shri Badrinath	Shri Badrinath near Barani Jhula pul	Nov-21	1.00	0.50	Yes	-
		Shri Badrinath near Badrinath Temple	Nov-21	0.01	0.01	-	No
		Shri Badrinath near Bamni Gaon	Nov-21	0.26	0.13	-	No
TOTAL		11		6.87	2.60	4	7

संचालित एसटीपी के सम्बन्ध में विवरण

S. No	Name of The City/Town	Name of S.T.P	Capacity of the STP (in MLD)	कमियों का विवरण
1	Nandprayag	STP-1, Near Forest Nala, Nandprayag.	0.10	एसटीपी क्षमता के अनुरूप नहीं बनाये जाने के कारण नाले से आने वाला अतिरिक्त पानी ओवरफ्लों के कारण अलकनन्दा नदी में प्रवाहित हो रहा है। एसटीपी की क्षमता बढ़ाई जानी अति आवश्यक है।
2	Badrinath	STP, Near Bamini Jhula Pul, Badrinath.	1.00	एसटीपी हेतु स्थापित परीक्षणशाला में अधिकांश उपकरण खराब हैं, तथा रसायनों की भी कमी है, जिस कारण मानकों के अनुरूप फर्म द्वारा टेस्टिंग नहीं की जा रही है।
3	Badrinath	STP, Near Temple, Badrinath.	0.01	एसटीपी हेतु स्थापित परीक्षणशाला में अधिकांश उपकरण खराब हैं, तथा रसायनों की भी कमी है, जिस कारण मानकों के अनुरूप फर्म द्वारा टेस्टिंग नहीं की जा रही है।
4	Badrinath.	STP, Badrinath, Bamni Gaon with S.P.S	0.26	एसटीपी हेतु स्थापित परीक्षणशाला में अधिकांश उपकरण खराब हैं, तथा रसायनों की भी कमी है, जिस कारण मानकों के अनुरूप फर्म द्वारा टेस्टिंग नहीं की जा रही है। तथा स्थानीय जनता एवं साधु संतो द्वारा विरोध करते हुये एसटीपी को कंधन गंगा के निकट स्थापित किये जाने हेतु कहा जा रहा है, तथा साधु-संतो द्वारा धरना प्रदर्शन की धमकी दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त कमियों का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु संबंधित विभागों का त्वरित कार्यवाही किए जाने को तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिसूची अधिनियम जल संस्थान-गोपेश्वर

(ii) Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 (तहसील नाला, द्रोणागिरी नाला एवं कॉमेड लॉज नाला) नालों को जो मारवाडी STP से संबंधित है जो उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वास्थ्य इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ -प्रमाण: 03 92-

— 9 — አዘዘን ነገሩን ለሁሉም ሰጥቻለሁ

[illegible]

- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-
within district boundary:-

— ३ अक्षर लाल प्रिण्ट प्रयोग हे एकत्र आणिले होते हे प्रमाण प्रदान

[illegible]

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद द्वारा जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों की संख्या तथा उनसे उत्सर्जित मलवा/सीवेज आदि से संबंधित नियमन आंकड़े निम्न प्रकार उपलब्ध कराए गए-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कैंम्पों की संख्या	राफ्टिंग टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17
2	जोशीगढ़	40	398	16	24
3	नंदप्रयाग	02	13	02	-
4	उज्ज्वलप्रयाग	29	247	29	-
5	गौचर	08	220	08	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120
	योग:-	230	3636	69	161

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि जनपद में गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलवे को नदी में नहीं डाला जा रहा हो। इस हेतु नगर निकाय समय-समय पर समस्त होटलों आदि का औचक निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो तथा यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक सुनिश्चित की जाए।

कार्यवाही:- अधिसारी अधिकारी(नोटल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिसारी अभियंता, जल संस्थान (नोटल), गोपेश्वर-चमोली।

III- Compliance status of directions in relation to Industries:-

उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) के अनुसार उनके द्वारा मनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहां पर ई0टी0पी0 प्लांट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे थे जिनमें कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन नहीं किया गया था और ना ही किसी उद्यमी को कनेक्शन से जोड़ा गया था जिसमें वर्तमान में कार्य प्रगति में जो माह जुलाई-2022 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा तथा सारे उद्यमों को कनेक्शनों से जोड़ दिया जाएगा से अवगत कराया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत कनेक्शन किए जाने के निर्देश देते हुए आगामी बैठक से पूर्व प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

3- Arth Ganga: अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के दिशा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगासू से देवलीबगढ़ तक पर्यटकों को राफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगढ़ में नदी के किनारे हट्स की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किए गए हैं जिससे जनपद में युवाओं को रोजगार/आजीविका उपलब्ध हो रही है। जनपद के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की गतिविधि प्रस्तावित है।

इसी गतिविधि के अंतर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा भी गंगा घाटी के सतत आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा मॉडल" के अनुसार उच्च से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जैव विविधता एवं आद्र भूमि संरक्षण कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पर्वत चारों का सौन्दर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत बगजी बुग्याल संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यटन हेतु वेदीसी बुग्याल पर्यटक स्थल सौन्दर्यीकरण की पांच वर्षीय कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई जिसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

क्र.सं. 05 पृष्ठ

A- Local Agenda which area state/district specific or local locality:-

1- Promotion of Natural/organic farming

जनपद के अंतर्गत नैसर्गिक/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु क्लस्टर भवन, कृषिक प्रशिक्षण एवं पुनरुत्थान प्रमर्श कार्यक्रम के साथ कृषिकों को जैविक प्रमाणिकरण, निशुल्क नमूने, बीज रोपण सामग्री, जल, बायोफर्टिलाइजर आदि जीव विवेक वन वितरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल है. में	घाटों की संख्या	कुपड़ों की संख्या
1	दरौली	1200	24	2418
2	लोदीगढ़	820	19	1321
3	चौदरी	240	07	441
4	कनौजगढ़	930	25	1678
5	भारतगढ़	750	22	1310
6	भारतगढ़	800	22	1535
7	देमाल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

अग्रज महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को निम्न कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

2- Conservation of Biodiversity: Afforestation, Promotion of river/ghat based tourism etc.:-

1- Afforestation:- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, मदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग को नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत 30000 हे. के अनुसार वर्तमान तक 379.63 हे. क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एकीकृत लैण्डस्केप में 371.53 हे.टेयर निजी नापमूनि में लगभग 52000 पौध रोपण तथा 160 हे.टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-22 में प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, मदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के पुनः निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता के अनुसार जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनमें आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में अग्रज महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, तकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियालसैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों के अंतर्गत आजादी के अमृतोत्सव पर दिनांक 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का सफलतम आयोजन किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषदों द्वारा गंगा घाटों के किनारे ध्वाजारोहण, परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण गंगा इकाई जल निगम द्वारा नमामि गंगे कार्यालयों में ध्वाजारोहण कार्यक्रम, जिला शिक्षा अधिकारी चमोली द्वारा आजादी के अमृत उत्सव के अंतर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं के माध्यम से रेली आयोजन, विजय प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजन, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग को घाटों पर योगा कार्यक्रम तथा अधिशासी अभियंता जल संस्थान विभाग द्वारा निकायों के संबंधित ध्वाजारोहण कार्यक्रम आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में संबंधित विभागों को कार्यक्रम आयोजन से संबंधित विस्तृत विवरण साथ फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर /परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर/ मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली/ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली गोपेश्वर।

—क्रमशः 06 पर—

25209

109

Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- Catch the rain हेतु मोदल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल रीण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियाल रीण)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1493 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 21 / 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
14. अधिशासी अभियंता, जल विभाग गोपेश्वर।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 17-08-2022 को मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

110

आज दिनांक 17-08-2022 को मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा गंगा में परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बन्नीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 33 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

A- Mandated Agenda:-

1- Progress of Works/O&M under Namami Gange:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(i)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	PROGRESS
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.33	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1225M)- Completed (ii) Nala Tapping Arrangements - 7 Nos completed. (iii) 2 Nos. STP Handed over to UJS Karanprayag and 3 Nos STP Under Process.
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (450 m) - Completed (ii) Steel Bridge (Extra Work)- Completed. (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.71	Completed	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (1046 m) - Completed 2. Steel Truss Bridge (1 No) - Completed (iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	36.63	35.49	Work in progress	Civil works :- 1. I&D Works - Completed (i) Carrier Line (2075 m) - Completed
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				85%	-Site relocated due to the land slides on the previous site. - Terrace development work of the new site was on progress. But the work was again stopped in Jan-2020 by BRO in view of proposal of road widening in front of the site proposed. - Special protective measures are required to be executed at site due to road widening by BRO. As the approval of revised AA&ES which includes 'special protective measures' obtained from NMC on dated 31.08.2021. - Special protective measures work completed. - Structural work and Electrical & Mechanical erection works of STP is in progress.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHARI				Commissioned	Handed over to Uttarakhand Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.24	9.21	Completed	Civil works :- 1. I&D Works completed. (i) Carrier Line (270 m) - Completed.(ii) Steel Truss Bridge - Completed.(iii) Scheme Handed over to UJS Gopeshwar.
Total:-		160.93	101.92	88.23		

निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP में कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें से 12 STP जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं तथा 03 में संयुक्त निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो सीधे जल संस्थान को हस्तगत कर दिए जाएंगे। 01 STP जो नारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में कार्य प्रगति में है जो दिनांक 30-09-2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा से अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश देते हुए आगामी बैठक में प्राप्ति के निर्माण से संबंधित डीपीआर भी प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

—कवर 02 पर—

उपरोक्तानुसार जल संस्थान को हस्तागत किए गए STP के संबंध में अधिसूचनी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा उनके रखरखाव एवं प्रगति के संबंध में प्रत्येक वर्ष विवरण प्रस्तुत किया गया:-

Operational and Maintenance Sewage Treatment Plant

Operational and Maintenance Sewage Treatment Plant							
Name of Town	Name of Sewage Scheme	Name of Place STP	Hand-over to U.J.S	Installed Capacity (MLD)	Utilised Capacity (M.L.D.)	Status of Installation of Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) at Sewage Treatment Plant (STPs)	
						Yes	No
Gopeshwar	Gopeshwar	Gopeshwar Vivekanand Colony (Leesa Bend)	June, 2021	1.19	0.05	Yes	-
		Gopeshwar Near Pokhari Band	June, 2021	1.25	0.625	Yes	-
		Gopeshwar Near Pandit Deen dayal park	June, 2021	1.12	0.56	-	No
		Chamoli Near Mahindra showroom	June, 2021	0.76	0.38	-	No
		Chamoli Near Old Suspension Bridge	June, 2021	0.05	0.01	-	No
						-	No
Nandprayag.	Nandprayag	Nandprayag Near Forest Nala	June, 2021	0.10	0.03	-	No
		Nandprayag, Near Sangam road Nala	June, 2021	0.05	0.02	-	No
Joshimath	Joshimath	Joshimath	June, 2021	1.08	0.30	Yes	-
Shri Badrinath	Shri Badrinath	Shri Badrinath near Bamni Jhula pul	Nov-21	1.00	0.50	Yes	-
		Shri Badrinath near Badrinath Temple	Nov-21	0.01	0.01	-	No
		Shri Badrinath near Bamni Gaon	Nov-21	0.26	0.13	-	No
TOTAL		11		6.87	2.60	4	7

संचालित एसटीपी के सम्बन्ध में विवरण

S. No	Name of The City/Town	Name of S.T.P	Capacity of the STP (in MLD)	कमियों का विवरण
1	Nandprayag	STP-1, Near Forest Nala, Nandprayag	0.10	एसटीपी क्षमता के अनुरूप नहीं बनाये जाने के कारण नाले से आने वाला अतिरिक्त पानी ओवरफ्लों के कारण अलकनन्दा नदी में प्रवाहित हो रहा है। एसटीपी की क्षमता बढ़ाई जानी अति आवश्यक है।
2	Badrinath	STP, Near Bamini Jhula Pul, Badrinath.	1.00	एसटीपी हेतु स्थापित परीक्षणशाला में अधिकांश उपकरण खराब हैं, तथा रसायनों की भी कमी है, जिस कारण मानकों के अनुरूप फर्म द्वारा टेस्टिंग नहीं की जा रही है।
3	Badrinath	STP, Near Temple, Badrinath.	0.01	एसटीपी हेतु स्थापित परीक्षणशाला में अधिकांश उपकरण खराब हैं, तथा रसायनों की भी कमी है, जिस कारण मानकों के अनुरूप फर्म द्वारा टेस्टिंग नहीं की जा रही है।
4	Badrinath	STP, Badrinath, Bamni Gaon with S.P.S	0.26	एसटीपी हेतु स्थापित परीक्षणशाला में अधिकांश उपकरण खराब हैं, तथा रसायनों की भी कमी है, जिस कारण मानकों के अनुरूप फर्म द्वारा टेस्टिंग नहीं की जा रही है। तथा स्थानीय जनता एवं साधु संतों द्वारा विशेष करते हुये एसटीपी को कंचन गंगा के निकट स्थापित किये जाने हेतु कहा जा रहा है, तथा साधु-संतों द्वारा धरना प्रदर्शन की धमकी दी जा रही है।

जल संस्थान द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार विवरण के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त कमियों का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु संबंधित विभागों का स्वरित कार्यवाही किए जाने के तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

Area- Gopeshwar, जल संस्थान प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिसूचनी अभियंता जल संस्थान-गोपेश्वर

(ii)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 (तहसील नाला, दोषगिरी नाला एवं कॉमेट लॉज नाला) नालों को जो मारवाड़ी STP से संबंधित है को उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

—कमरा: 03 पर—

उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन नगरों में सीवर लाईन नहीं है उनमें नियमित परिसरों द्वारा अपने घरों में सॉकपिट तैयार किए गए हैं जिससे कि गिरी भी प्रकार से सीवर खुले में नहीं बह रहा है तथा कर निकटतम सीवर धौमर में डाले जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विभाग के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं हैं	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं।	कुल संयोजन	कुल सॉक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
					घरेलू	अघरेलू	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	292	91	383
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	158	48	206
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	173	132	305
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-
		योग:-	11783	135	623	271	894
							10947

दैनिक में अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जल संस्थान को हस्तगत किए गए सीवर योजनाओं से संयोजन किए जाने हेतु कार्यवाही प्रगति में है, जिस हेतु स्थानीय लोगों को अपने सॉकपिटों/सीवरों को सीवर लाईन से जोड़े जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त कार्य हेतु एक टाईम लाईन तैयार करते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन किए जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि इस हेतु स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रसारित करें तथा एक विशेष अभियान चलाकर एक मोबाइल वाहन में पलैक्सी आदि प्रचार सामग्री लगाते हुए नगरों में लाउडस्पीकर आदि से वृहद प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन का कार्य पूर्ण करते हुए साप्ताहिक रूप से सीवर संयोजन की प्रगति से अवगत कराए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)

III- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता के अनुसार जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनकी प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग/ कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	टीपीओआर के अनुसार स्वीकृत		अवमुक्त (लाख में)	प्रगति		अवशेषित
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशासी	गौसर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभियंता सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्माण कार्य की निरूपित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली को प्रत्येक माह नियमित रूप से प्रगति सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।



कार्यवाही: अधिशासी अधिकारी (नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियालसैण)

I- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अनुसार स्थानीय निकायों के नगर गंगा से संबंधित निकायों में दोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	निकाय का नाम	वालों की संख्या	कूड़ा उत्पादन (टन में)			सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट						
			घरेलू	अवैध	कुल	डोर टू डोर कलेक्शन वाले वालों की संख्या	सोर्स सेपिनेशन वाले वालों की संख्या	जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट निर्माण		प्लास्टिक कॉन्वेक्टर यूनिट की संख्या	प्रतिदिन कॉन्वेक्टर जने वाले कूड़े की मात्रा टन में	अतिरिक्त टन कूड़े से कुल कॉन्वेक्टर मात्रा (मि.मि. में)
								और साईट कम्पोस्टिंग	पिट कम्पोस्टिंग			
1	चमोली-गोपेश्वर	11	4.00	1.00	5.00	11	11	03	41	01	0.063	17.50
2	कर्णप्रयाग	07	1.20	3.00	4.20	07	07	03	04	01	0.050	13.88
3	जोशीमठ	09	1.00	1.20	2.20	09	09	0	0	01	0.500	70.92
4	गौचर	07	2.50	2.70	5.20	07	07	01	07	01	0.052	4.15
5	नन्दप्रयाग	04	0.20	0.30	0.50	04	04	01	05	महीन क्वि की मात्रा है जिसकी स्थाना हेतु कार्यवाही प्रगतिमान है।	0.09	0.70
6	बद्रीनाथ	04	0.35	0.15	0.50	04	04	0	01	01	0.060	0.61
	योग:-	42	9.25	8.35	17.60	42	42	08	58	05	0.730	107.77

क्र.सं.	निकाय का नाम	वालों की संख्या	डोर-टू-डोर कलेक्शन वाले वालों की संख्या	सोर्स सेपिनेशन वाले वालों की संख्या	एस.एस.टी. की स्थिति	Management बर्हत्तीकरण प्रकाशन की स्थिति	मिसल्य वाहन की उपलब्धता	सोर्स वेस्ट की स्थिति
1	चमोली-गोपेश्वर	11	11	11	Yes	No	N/A	-
2	कर्णप्रयाग	07	07	07	Yes	Yes	N/A	15.00
3	जोशीमठ	09	09	09	Yes	Yes	N/A	40.00
4	गौचर	07	07	07	Yes	Yes	N/A	5.20
5	नंदप्रयाग	04	04	04	Yes	Yes	N/A	-
6	बद्रीनाथ	04	04	04	Yes	Yes	Yes	-
7	थराली	04	04	04	Yes	No	N/A	-
8	पोखरी	07	07	04	Yes	No	N/A	-
9	गैरसेन	07	07	07	Yes	No	N/A	-
10	पीपलकोटी	04	04	04	Yes	Yes	N/A	-
	योग:-	64	64	61	-	-	-	60.20

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत दोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

II-Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps

नगर पालिका परिषद द्वारा जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों की संख्या तथा उनसे उत्सर्जित मलबा/सीवेज आदि से संबंधित निकायवार आंकड़े निम्न प्रकार उपलब्ध कराए गए:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	होटल/धर्मशाला/लॉज/आश्रमों की संख्या	कक्षों की संख्या	सीप्टिक टैंकों की संख्या	सीवर से जुड़े होटलों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	25	238	08	17
2	जोशीमठ	40	398	16	24
3	नंदप्रयाग	02	13	02	-
4	कर्णप्रयाग	29	247	29	-
5	गौचर	08	220	08	-
6	बद्रीनाथ	126	2520	06	120
	योग:-	230	3636	69	161

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि जनपद में गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबा को नदी में नहीं डाला जा रहा हो। इस हेतु नगर निकाय समय-समय पर समस्त होटलों आदि का औचक निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो तथा यदि कोई प्रकरण प्रकट होता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक सुनिश्चित की जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।

—कमल 08 पर—

60 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 64 भू-खण्ड उद्योगों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान व 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कृषिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहां पर गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन नहीं किया गया था और ना ही किसी उद्योग को कनेक्शन से जोड़ा गया था जिसमें वर्तमान में कार्य प्रगति में जो माह जुलाई-2022 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा तथा सारे उद्योगों को कनेक्शनों से जोड़ दिया जाएगा से अवगत कराया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत कनेक्शन किए जाने के निर्देश देते हुए आगामी बैठक से पूर्ण प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

3- Arth Ganga:

कार्यवाही:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर

अर्थगंगा योजना के अंतर्गत गंगा के संरक्षण एवं घाटों के किनारे पर स्वरोजगार की स्थापना के संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी चमोली के अनुसार उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा-निर्देशानुसार जनपद स्तर पर साहसिक पर्यटन के अंतर्गत अलकनंदा नदी में लंगासू से देवलीबगड़ तक पर्यटकों को सफ्टिंग करवाए जाने हेतु देवलीबगड़ में नदी के किनारे हट्स की स्थापना/स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किए गए हैं जिससे जनपद में युवाओं को रोजगार/आजीविका उपलब्ध हो रही है। जनपद के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की गतिविधि प्रस्तावित हैं।

इसी गतिविधि के अंतर्गत बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा भी गंगा घाटी के सतत आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा मॉडल" के अनुरूप उच्च से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जैव विविधता एवं आद्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पांच तालों का सौन्दर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत बगजी बुग्याल संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यटन हेतु वेदिनी बुग्याल पर्यटक स्थल सौन्दर्यीकरण की पांच वर्षीय कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गई जिसमें स्वीकृति प्राप्त होने पर पर कार्य सम्पादित किए जाएंगे।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

B- Local Agenda which area state/district specific to be decided locally:-

1- Promotion of Natural/organic farming

बैठक में उपस्थित जिला कृषि अधिकारी चमोली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के अंतर्गत नेचुरल/जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु कलस्टर गठन, कृषिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम के साथ कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण, निःशुल्क वर्मीवैड, बीज रोपण सामग्री, प्रोम, बायोफर्टिलाइजर आदि जैव निवेश का वितरण किया जा रहा है। क्षेत्रफल, ग्रामों की संख्या एवं लाभान्वित कृषकों का विकासखण्डवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल हे० में	ग्रामों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	दशोली	1200	24	2418
2	जोशीमठ	820	19	1321
3	पोखरी	240	07	441
4	कर्णप्रयाग	950	25	1678
5	नामदोलबगड़	750	22	1310
6	भरौली	800	22	1535
7	देवल	240	09	543
	योग:-	5000	128	9246

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी चमोली को निरंतर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला कृषि अधिकारी, चमोली।

—कमरा: 06 पर—

Conservation of Biodiversity: Afforestation, plantation of river/ghat based tourism etc.:-

I- Afforestation:- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग जो नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत 10पी0आर0 के अनुसार वर्तमान तक 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लेण्डस्कोप में 371.53 हेमिटेयर निजी नाभूमि में लगभग 52000 पौध रोपण तथा 160 हेमिटेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-22 में प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत तथ्यों के अनुसार भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाएगा।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

II- Promotion of river/ghat based tourism etc.:- गंगा घाटों एवं नदियों के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को जनपद के समस्त नदियों/घाटों का चिन्हीकरण करते हुए उनके अंतर्गत पर्यटन आधारित कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला पर्यटन अधिकारी चमोली (गोपेश्वर)

3- Maintenance of Ghats: River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता के अनुसार जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनकी प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी०पी०आर० के अनुसार स्वीकृत		अवमुक्त (लाख में)	प्रगति		अवशेषित
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशासी	गौचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभियंता सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली को प्रत्येक माह नियमित रूप से प्रगति सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोठियालसैण)

C- Seasonal Agenda:-

1- Swachta Pakhwada, afforestation etc.:-

जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति के तत्वाधान में IEC गतिविधियों के अंतर्गत आजादी के अमृतोत्सव पर दिनांक 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का सफलतम आयोजन किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषदों द्वारा गंगा घाटों के किनारे ध्वजारोहण, परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुसंधान गंगा इकाई जल विभाग द्वारा नमामि गंगे कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम, जिला शिक्षा अधिकारी चमोली द्वारा आजादी के अमृत उत्सव के अंतर्गत स्कूलों एवं युवाओं के माध्यम से रेली आयोजन, विजय प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजन, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग को घाटों पर योगा कार्यक्रम तथा अधिशासी अभियंता जल संस्थान विभाग द्वारा निकायों के समीप ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में संबंधित विभागों को कार्यक्रम आयोजन से संबंधित विस्तृत विवरण नगर फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर/मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली गोपेश्वर।

—क्रमशः 07 पर—

2. Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period etc:- अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल रीण) को जनपद में Catch the rain, Campaign, water conservation during monsoon period से संबंधित प्रगति तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियाल रीण)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

29/8/22
अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

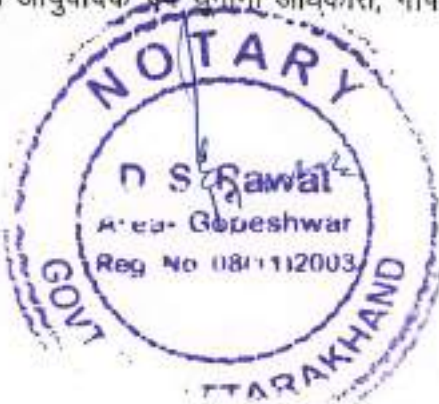
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
पत्रांक 1025 / 242 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 29 / 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
14. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
15. मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली
16. जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, गोपेश्वर
17. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 08-07-2022 को मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

117

आज दिनांक 08-07-2022 को मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 32 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पंचायत नियम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	Remarks
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.33	Completed	
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE				Commissioned	Joint Inspection completed
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE				Commissioned	Joint Inspection completed
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3				Commissioned	Joint Inspection completed
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed	
	STP#1+3 (0.10 MLD) FOREST NALA				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#2 (0.05 MLD) SANGAM NALA				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.71	Completed	
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#3 (1.13MLD) POKHARBEND GOPESHWAR				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL URDHA VANA PARK GOPESHWAR				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan

Stamp: CHAMOLI DISTRICT
OFFICE OF THE
DISTRICT OFFICER
CHAMOLI
Date: 08/07/2022

Signature

Page 02 of 02

Sl.	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Amount Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	Remarks
4	I&D with STP, Joshimath STP#1 (2.70MLD) MARWARI	62.40	36.63	35.49	Work in Progress	- Site relocated due to the land slides on the previous site. - Terrace development work of the new site was on progress. But the work was again stopped in Jan-2020 by BRO in view of proposal of road widening in front of the site proposed. - Special protective measures are required to be executed at site due to road widening by BRO. As the approval of revised AA&ES which includes 'special protective measures' obtained from NMCG on dated 31.08.2021. - Special protective measures work is completed. - Structural work of STP is in progress.
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI				70% (*30-06-2022)	
	I&D With STP, Badrinath STP-(1.00 MLD) STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit				Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
5	I&D With STP, Badrinath STP-(1.00 MLD) STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit	18.18	9.24	9.21	Completed	Handed over to Jal Sansthan
					Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
					Commissioned	Handed over to Jal Sansthan
Total:-		160.93	91.92	88.23	-	

उपरोक्तानुसार STP कार्यों की प्रगति के संबंध में निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP पूर्ण कर 12 जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गए हैं तथा 03 में संयुक्त निरीक्षण कार्य पूर्ण हो गया है जो शीघ्र जल संस्थान को हस्तगत कर दिए जाएंगे। 01 STP जो मारवाड़ी में निर्माणाधीन (2.70 MLD STP) में कार्य प्रगति में है जो माह दिनांक 31-07-2022 तक पूर्ण कर दिया जाएगा से अवगत कराया गया है। अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर

(b)- **Status of Nala Tapping:-** निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 नालों को जो निर्माणाधीन मारवाड़ी STP से संबंधित है को उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन नगरों में सीवर लाईन नहीं हैं उनमें निवासित परिवारों द्वारा अपने घरों में सॉकपिट तैयार किए गए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार से सीवर खुले में नहीं बह रहा है तथा सॉकपिटों के ओवरफ्लो की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा सीवर जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर की गंदगी को सफाई कर निकटतम सीवर चैम्बर में डाले जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विभाग के अनुसार भवनों की सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं।	कुल संयोजन	कुल सॉक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
					घरेलू	अधारेलू	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	284	91	375
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	154	48	202
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	173	132	305
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	611	271	882

—कमल 03 पर—

बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण एवं अनुशासन इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जल संरक्षण को हस्तगत किए गए सीवरेंज योजनाओं से संयोजन किए जाने हेतु कार्यवाही प्रगति में है, जिस हेतु स्थानीय लोगों को अपने सॉकपिटों/सीवरों को सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त कार्य हेतु एक टाईम लाइन तैयार करते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन किए जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि इस हेतु स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रसारित करें तथा एक विशेष अभियान चलाकर एक मोबाईल वाहन में फ्लैक्सी आदि प्रचार सामग्री लगाते हुए नगरों में लाउडस्पीकर आदि से वृहद प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए शत-प्रतिशत सीवर संयोजन का कार्य पूर्ण करते हुए साप्ताहिक रूप से सीवर संयोजन की प्रगति से अवगत कराए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल)

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता के अनुसार जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं जिनकी प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी0पी0आर0 के अनुसार स्वीकृत		अवमुक्त (लाख में)	प्रगति		अव्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशासी	गौचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभियंता सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों/संबंधित विभागों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली को प्रत्येक माह नियमित रूप से प्रगति सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी,

कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली (कोटियालसैंग)

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:

अध्यक्ष महोदय/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि जनपद में गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलमू को चूड़ी में नहीं डाला जा रहा हो। इस हेतु नगर निकाय समय-समय पर समस्त होटलों आदि का औचर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो तथा यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक सुनिश्चित की जाए। साथ ही आप्रगामी कैम्पों में जनपद में प्रत्येक नगर निकायों के अंतर्गत गंगा/सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों की संख्या तथा उनसे उत्सर्जित मलमू/सीवेज आदि से संबंधित निकायों/अधिकारियों/अभियंता बैठक से पूर्व सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग को उपलब्ध कराए हुए प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।

—कमल 04 08—

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा स्थानीय निकायों के अंतर्गत बहने वाले नालों एवं उनसे प्रतिदिन उत्पादित कूड़ा अदि से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशमत	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका गौचर(बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत बद्रीनाथ	06	06	-	06	01	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

उपरोक्तानुसार नमामि गंगे से संबंधित निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	निकाय का नाम	वालों की संख्या	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट									
			कूड़ा उत्पादन (टन में)			डोर टू डोर कलेक्शन वाले वालों की संख्या	सोर्स सेग्रिगेशन वाले वालों की संख्या	जैविक अपशिष्ट से कंपोस्ट निर्माण		प्लास्टिक कॉम्पोस्टर यूनिट की संख्या	प्रतिदिन कॉम्पोस्ट किए जाने वाले कूड़े की मात्रा टन में	व्यक्ति तक कूड़े से कुल अर्जित आय (लाख में)
			जैविक	अजैविक	कुल			ऑन साइट कम्पोस्टिंग	पिट कम्पोस्टिंग			
1	चमोली-गोपेश्वर	11	4.00	1.00	5.00	11	11	03	41	01	0.068	17.50
2	जोशमत	07	1.20	3.00	4.20	07	07	03	04	01	0.050	13.88
3	नंदप्रयाग	09	1.00	1.20	2.20	09	09	0	0	01	0.500	70.92
4	कर्णप्रयाग	07	2.50	2.70	5.20	07	07	01	07	01	0.052	4.16
5	गौचर	04	0.20	0.30	0.50	04	04	01	05	मशीन क्रय कर ली गई है जिसे स्थापित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।	0.00	0.70
6	बद्रीनाथ	04	0.35	0.15	0.50	04	04	0	01	01	0.060	0.61
	योग:-	42	9.25	8.35	17.60	42	42	08	58	05	0.730	107.77

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए:-

- समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे नदियों में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- बैठक में उपस्थित उप महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 60 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित है जो कोई भी कैनैक्स से संबंधित इकाई नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहां पर ई0टी0पी0 प्लांट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे थे जिनमें कार्यवाही संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन नहीं किया गया था और जो ही किसी उद्यमी को कैनैक्स से जोड़ा गया था जिसमें वर्तमान में कार्य प्रगति में है जो मार्च-जुलाई-2022 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा तथा सारे उद्यमों को कैनैक्सों से जोड़ दिया जाएगा से अवगत कराया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत कैनैक्स किए जाने के निर्देश देते हुए आगामी बैठक से पूर्ण प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

— क्रमशः 05—

25221
V. Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात शासन स्तर से अंतिम अधिरूचना जारी की जा चुकी है।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोठियालसौन)

VI. Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- वर्तमान में जनपद में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक याडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII. Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- स्वास्थ्य विभाग जनपद चमोली के अनुसार उनके द्वारा जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्टों का निस्तारण नियमानुसार डीप वैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के अंतर्गत निस्तारित जैव अवशिष्ट की मात्रा आदि की निबधित सूचना संधारित करते हुए नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII. Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग जनपद चमोली के अंतर्गत कोई भी वायोडायवर्सिटी पार्क निर्माणाधीन नहीं है तथा वित्तीय वर्ष 2020-22 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अरबन लैण्डस्केप मद के अंतर्गत अनलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के बागणी वन पंचायत में तथा बद्रीनाथ वन प्रभाग के थराली कोटगढ़ी तोक में 01-01 गंगा घाटिक निर्माण स्वीकृत है जिनके स्थल चयनित करते हुए डी0पी0आर0 उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जिसमें घनराशि अवमुक्त होने पर शीघ्र कार्य कर दिया जाएगा।

अन्य बिंदु:-

उपरोक्तानुसार नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के उपरांत कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशानुसार जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा लोकपर्य हरेला पर होने वाले जीवसौपण कार्यक्रम को "Selfie With Plant" थीम के साथ अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न कॉलेजों/स्कूलों/संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग कर वृहद स्तर से मनाए जाने के संबंध में अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए जिसके संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा इस हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर तथा जिला समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, गोपेश्वर को हरेला कार्यक्रम को उपरोक्त थीम के अनुसार मनाए जाने हेतु पत्र लिखे जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर तथा जिला समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, गोपेश्वर/ वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

— 2490 Jahre —

[illegible][illegible]

उपरीकानुसार नमूने में खोना के अतिरिक्त कार्य वा रई कार्यों की समीक्षा के उपरांत कार्यक्रम निदेशक, राज्य परिवहन मंडल भूप्र., उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशानुसार लिखा गया संक्षेप संहिता द्वारा लेिकपर्यट रहेला पर होने वाले पथारियत कार्यक्रम को "Selfie With Plant" धोन के साथ अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न कॉलोनी / स्थानीय / संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग कर प्रत्येक प्रकार से मांगए जाने के संबंध में अध्यास / मुख्य विकास आधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए जिसके संबंध में भारतीय वन-विकासी कमीशन एवं प्राणा द्वारा इस हेतु मुख्य शिक्षा आिकाणी मार्गदर्शक शोधालय सहितविद्यालय गांधीपुर तथा जिला समाजवाद, नेहरू युवा केन्द्र, गाँधीपुर भी रहेला

माहिती

- 54 -

1. የዘርፉን ከፊት አቀ

[illegible]

പ്രതി-പ്രകൃതി സാക്ഷ്യം - പ്രതിപ്രതി

1. බැංකු, මුදල්, සහ මාලිගම් බැංකු

[illegible]

Handwritten: Handwritten: 1-11-1919

14 13 15

VI. Comparative studies of infections in relation to the mining on the river bed:- when it came to

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$

19. The first two paragraphs of the letter are identical to the letter dated 1998/01/20.

1. Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- Flood (Prevention and Control) Act, 1988 and Flood (Prevention and Control) Rules, 1994.

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु
अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से
उपलब्ध करने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥
पत्रांक 183 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 11 / 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
6. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्मरण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
11. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
12. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
13. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
14. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
15. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
16. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
17. प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर
18. मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली
18. जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, गोपेश्वर



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 18-06-2022 को अपर जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत

124

“जिला गंगा संरक्षण समिति” की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 18-06-2022 को अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 31 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रत्येक गंगा संरक्षण समिति द्वारा अपनी मासिक, निगरानी एवं सूक्ष्म बैठकों को एक निश्चित तिथि और समय पर अधिमानतः माह के द्वितीय शुक्रवार को जिलाधिकारी की सुविधा के अनुरूप निर्धारित समय पर आयोजित किए जाने के निर्देशों के अनुपालन में आगामी माहों में द्वितीय शुक्रवार को उक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

विश्व योगा दिवस की तैयारी:-

बैठक में सर्वप्रथम विश्व योग दिवस के अवसर पर NMCG के निर्देशानुसार दिनांक 21 जून 2022 को जिला गंगा संरक्षण समितियों के तत्वाधान में “घाटों पर योगा” कार्यक्रम मनाए जाने पर चर्चा की गई। जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि SPMG द्वारा दिनांक 21 जून 2022 को चमोली/नंदप्रयाग घाट पर उक्त कार्यक्रम आयोजित कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में बैठक में उपस्थित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त तिथि को NMCG द्वारा चयनित नंदप्रयाग घाट पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को उक्त कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाए जाने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल) को नंदप्रयाग घाट पर साफ-सफाई करते हुए योगा हेतु उक्त घाट पर उचित स्थान उपलब्ध कराने तथा अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला आयुर्वेदिक अधिकारी चमोली को उक्त कार्यक्रम के दौरान के फोटोग्राफ एवं वीडियो, उपस्थिति विवरण तथा कार्यक्रम की संक्षिप्त आख्या संचार विशेषज्ञ, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप देहरादून को उनके ई-मेल- communication.spmg@gmail.com अथवा वाट्सएप नंबर- 844908300 पर प्रेषित करते हुए सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के ई-मेल dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in अथवा वाट्सएप नंबर- 812698148 पर भी उपलब्ध कराने तथा सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी उक्त कार्यक्रम के फोटोग्राफ भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए Digital Dashboard for Ganga Districts Performance Monitoring System (GDPMs) पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/चमोली-गोपेश्वर/ अधिवासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

उक्त के परवर्त नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की निम्न प्रकार प्रकार समीक्षा बैठक आहूत की गई।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

(a) I&D and STP Project: परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

—क्रमशः 02—

Sl.	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Physical Released (Rs. in Crores)	Physical Progress (Rs. in Crores)	Remarks
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.33	Completed
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI				Commissioned
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE				Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR				Commissioned
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE				Commissioned
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No. 1&3				Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed
	STP#1+3 (0.10 MLD) FOREST NALA				Commissioned
	STP#2 (0.05 MLD) SANGAM NALA				Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.71	Completed
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI				Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR				Commissioned
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR				Commissioned
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR				Commissioned
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI				Commissioned
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	36.63	33.82	Work in Progress
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				30% (*30-06-2022)
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI				Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.24	9.21	Completed
	STP#1 (0.01 MLD) Pre-Fab				Commissioned
	STP#2 (0.01 MLD) Pre-Fab				Commissioned
Total:-		140.93	91.92	86.55	



25226

126

उपरोक्तानुसार STP कार्यों की प्रगति के संबंध में निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP पूर्ण हो चुके हैं जल संस्थान को हस्तागत कर दी गई हैं तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन 2.70 MLD STP का कार्य प्रगति में है जो माह जून-2022 तक पूर्ण होने से अवगत कराया गया है। अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित विभागों को उक्त कार्य में अतिरिक्त मैन पावर लगाते हुए प्रतिदिन किए जा रहे कार्य की एक संख्यात्मक माप करते हुए आगामी बैठक में तुलनात्मक रूप से प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशारी अभियंता,

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराए गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 नालों को मारवाड़ी STP के पूर्ण होने के पश्चात उन्हें भी टेप कर दिया जाएगा।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन नगरों में सीवर लाईन नहीं हैं उनमें निवासित परिवारों द्वारा अपने घरों में सॉकपिट तैयार किए गए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार से सीवर खुले में नहीं बह रहा है तथा सॉकपिट्सों के ओवरफ्लो की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा सीवर जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर की गंदगी को सक्शन कर निकटतम सीवर चैम्बर में डाले जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विभाग के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं हैं	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं।		कुल संयोजन	कुल सॉक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
					घरेलू	अधरेलू		
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	282	91	373	5170
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	154	48	202	3703
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	173	132	305	139
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	609	271	880	10947

विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभागों द्वारा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

कार्यवाही:- अधिशारी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर/ परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निम्न प्रकार 02 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण कराया गया जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तागत किए जा चुके हैं। उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित नगर निकायों को निर्मित घाटों की नियमित रूप से सफाई किए जाने, घाटों पर पानी, बिजली, लकड़ी आदि की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए।



कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी (नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-कर्णप्रयाग/

—क्रमशः 04—

II- Compliance status of directions in relation to Dharmshala / Ashrams / Rafting Camps:

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहर में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो। अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर नगर निकायों के अंतर्गत गंगा नदियों के किनारे स्थित नगरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों में संबंधित नगर निकायों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाने तथा यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के

अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा 10 में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका गौचर(बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत बदीनाथ	06	06	-	06	01	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए:-

- समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे गंगा नदी में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।
- प्रतिदिन एकत्रित कूड़े की मात्रा, उसके भण्डारण/निस्तारण तथा प्लास्टिक कूड़े के प्रतिदिन कॉम्पैक्ट किए जाने की मात्रा से नियमित रूप से अवगत कराएं।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित कूड़े के एकत्रीकरण हेतु उनसे शुल्क के रूप में धनराशि वसूली जाने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली

(गोपेश्वर) द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना के अनुसार उनके द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्योगियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कॉमिनल से संबंधित इकाई नहीं है। यहां पर ई0टी0पी0 प्लान्ट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे हुए हैं लेकिन कार्यदात्री संस्था द्वारा अभी तक इन को विद्युत संयोजन किया गया और ना ही किसी उद्यमी को कनेक्शन से जोड़ा गया है जिस हेतु उनके द्वारा कार्यदात्री संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल को पत्र लिखा गया था जिस पर वर्तमान तक उनसे स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली को एक सूचना के अंतर्गत कृत कार्यवाही से अवगत कराए जाने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

—रुमरा: 05—

V- Compliance status of directions in relation to Plains:- सिंचाई विभाग चमोली के अधिशारी अभियंता द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान पश्चिमेव अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण होने के परचात शासन स्तर से अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

कार्यवाही:- अधिशारी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- वर्तमान में जनपद में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्तर्जित मलवा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक बाड़ों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। उत्तर्जित मलवे को नदियों में फेंकने के मागले प्रकाश में आने पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चमोली से जोशीमठ के मध्य कई स्थानों पर सड़क विस्तारीकरण संस्था द्वारा मलवा नीचे गिराया जा रहा है जो कि नदियों में गिर सकता है। इस संबंध में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को पत्र लिखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के वन विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- स्वास्थ्य विभाग जनपद चमोली के अनुसार उनके द्वारा जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्टों का निस्तारण नियमानुसार डीप वैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के अंतर्गत निस्तारित जैव अवशिष्ट की मात्रा आदि की नियमित सूचना संधारित करते हुए नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग जनपद चमोली के अंतर्गत कोई भी वायोडायवर्सिटी पार्क निर्माणाधीन नहीं है। विभाग को नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 तक (माह मार्च-2022 तक) रु० 761.74 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा स्वीकृत शत-प्रतिशत धनराशि व्यय करते हुए 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 371.53 हेक्टेयर निजी नापमूनि में लगभग 52000 पौध रोपण तथा 160 हेक्टेयर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण कराया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-360/2018 मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त संस्थान से दूरभाष से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि विपरीत योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका ड्राफ्ट स्वीकृति हेतु सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड को उपलब्ध कराया जा चुका है जो स्वीकृत होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

—क्रमशः 05—

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

[Signature]
अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।

[Signature]
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 5726 / 2-42/26-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून 20 / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन गुप नमामि गंगे देहरादून,
6. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
11. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
12. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
13. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
14. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
15. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
16. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।



[Signature]
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

[Signature]

दिनांक 24-05-2022 को अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

130

आज दिनांक 24-05-2022 को अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की विमानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक कुल 30 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.29	Completed
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI				Commissioned
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE				Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR				Commissioned
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE				Commissioned
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3				Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.53	4.48	Completed
	STP#1+3 (0.10 MLD) FOREST NALA				Commissioned
	STP#2 (0.05 MLD) SANGAM NALA				Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	33.93	31.38	Completed
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI				Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR				Commissioned
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR				Commissioned
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR				Commissioned
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI				Commissioned
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	36.63	33.16	Work in Progress
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				33%
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI				Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	9.24	9.12	Completed
	STP-(1.00 MLD)				Commissioned
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit				Commissioned
Total:-		160.93	91.92	85.43	-

उपरोक्तानुसार STP कार्यों की प्रगति के संबंध में निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP पूर्ण हो चुके हैं जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई हैं तथा मारवाड़ी में निर्माणाधीन 2.70 MLD STP का कार्य प्रगति में है जो माह जून-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। उपरोक्त कार्यों की प्रगति के संबंध में अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित विभागों को निम्न निर्देश जारी किए गए:-

- अतिरिक्त मैनपावर योजित कर आवश्यक रूप से 20 जून तक शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराए जाएं।
- कार्यों की प्रगति घन मीटर में आंकड़ों के रूप में प्रेषित की जाए।
- पूर्ण हो चुकी योजनाओं के Functional स्थिति का जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा प्रतिदिन बुलेटिन जारी किया जाए।
- जल संस्थान को हस्तांतरित एस0टी0पी0 की जल संस्थान द्वारा प्रतिदिन रीडिंग लेते हुए उसकी आउटपुट का विश्लेषण करते हुए साप्ताहिक रीडिंग प्रस्तुत करेंगे।
- कर्णप्रयाग एस0टी0पी0 योजना की अंतर्गत बीआरओ ब्रिज 0.05 MLD एवं वार्ड नम्बर-1,3 के 0.10 MLD जो कि पूर्ण हो चुके हैं किन्तु वर्तमान तक संबंधित जल संस्थान कर्णप्रयाग को हस्तांतरित नहीं हुए हैं में 02 दिन के अंतर्गत संयुक्त निरीक्षण कार्य पूर्ण करके हस्तांतरित कर सूचना प्रेषित करें।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिसूची अभियंता

—हस्ताक्षर: 02—

25231 **131**
State of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के
 उपर Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराए गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित
 STP से टैपिंग कर दिया गया है शेष 03 नालों को मारवाड़ी STP के पूर्ण होने के पश्चात उन्हें भी टैप कर दिया जाएगा।
कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c) उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नगर का नाम	सीवर योजना का नाम	कुल परिवारों की संख्या	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये जाने सम्भव नहीं है	ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जहाँ सीवर संयोजन दिये गए हैं।	कुल संयोजन	कुल सॉक पिट/सेप्टिक टैंक की संख्या
					घरेलू	अघरेलू	
1	गोपेश्वर/चमोली	गोपेश्वर/चमोली	5510	-	282	91	373
2	जोशीमठ	जोशीमठ	3898	-	154	48	202
3	बद्रीनाथ	बद्रीनाथ	440	135	173	132	305
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग	424	-	-	-	424
5	पोखरी	पोखरी	1511	-	-	-	1511
		योग:-	11783	135	609	271	880
							10947

उपरोक्तानुसार प्रगति के अवलोकन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए:-

- जल संस्थान उपरोक्तानुसार जो घर/परिवार वर्तमान तक सीवर लाईन से नहीं जोड़े गए हैं उन्हें एक अभियान चलाकर इस कार्य में दक्षता रखने वाले संस्थानों/श्रमिकों के माध्यम 01 माह के अंतर्गत शत-प्रतिशत सीवर लाईनों से संयोजित कर प्रगति से अवगत कराएं।
- जिन घरों में सॉक पिट बने हैं उन्हें भी शीघ्र एस0टी0पी0/सीवर लाईनों से जोड़ा जाए।
- बद्रीनाथ धाम में ऐसे 135 परिवार जो सीवर लाईन के नीचे बसे हैं वो भी सीवर लाईनों से जोड़ने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करें ताकि निर्मित एस0टी0पी0 को सदुपयोग हो सके।
- जो एस0टी0पी0 जल संस्थान द्वारा हैण्डओवर प्राप्त किए गए हैं उनके क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिदिन तुलनात्मक आंकड़े संचारित किए जाएं।
- एस0टी0पी0 में रिसाईकिल्ड के पश्चात जो पानी बाहर छोड़ा जाता है उसकी प्रतिदिन टैस्टिंग कर मानकों के अनुसार गुणवत्ता के आंकड़े संचारित करते हुए उपलब्ध कराए जाएं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर/ परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निम्न प्रकार 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण कराया गया जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा घाटों की सफाई आदि के संबंध में निम्न प्रकार निर्देश जारी किए गए:-

- नगर पालिकाएं जहां शवदाह गृह बने हैं, उनमें प्रतिदिन कितने शवदाह किए जाते हैं, उनकी दैनिक रूप से आंकड़े संचारित करते हुए उपलब्ध कराएं।
- शवदाह घाटों एवं स्नानघाटों पर प्रकाश, शौचालय, पानी, लकड़ी तथा नियमित साफ सफाई की उचित व्यवस्था रखी जा जाए।
- बोर्ड द्वारा एक आदेश पारित करवाकर शवदाह पर एक निश्चित धनराशि वसूली किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिसका उपयोग घाटों के अनुसंधान कार्य पर किया जा सकता है के निर्देश जारी किए गए।
- घाटों की साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं से संबंधित फोटोग्राफ सोशल मीडिया आदि प्लेटफार्म पर प्रसारित की जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-कर्मप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में डालने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निगरानी कि होटलों/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो सक्ता के अनुपालन हेतु निम्न निर्देश जारी किए गए:-

- समय-समय पर नगर निकायों के आदेशित गंगा नदियों के किनारे स्थित नगरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों से संबंधित त्रुटि/मिलानों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए।
- यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।

IV- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा जारी गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा 10 में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशीमठ	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका गोचर (बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत बद्दीनाथ	06	06	-	06	01	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए:-

- समस्त नालों की नियमित सफाई तथा नालों का पानी सीधे गंगा नदी में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- निकायों द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जाए।
- प्रतिदिन एकत्रित कूड़े की मात्रा, उसके भण्डारण/निस्तारण तथा प्लास्टिक कूड़े के प्रतिदिन कॉम्पैक्ट किए जाने की मात्रा से नियमित रूप से अवगत कराएं।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित कूड़े के एकत्रीकरण हेतु उनसे शुल्क के रूप में धनराशि वसूली जाने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना के अनुसार उनके द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। यहां पर 50 टी 0 पी 0 प्लांट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व तग हुए हैं लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक न तो विद्युत संयोजन किया गया और ना ही किसी उद्यमी को कनेक्शन से जोड़ा गया है जिस हेतु उनके द्वारा कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल को पत्र लिखा गया था जिस पर वर्तमान तक उनके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली को एक सप्ताह के अंतर्गत कृत कार्यवाही से अवगत कराए जाने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- सिंचाई विभाग चमोली के अधिशारी अभियंता द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात शासन स्तर से अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

कार्यवाही:- अधिशारी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- वर्तमान में जनपद में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन 0 एच 0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक यादों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। उत्सर्जित मलबे को नदियों में फेंकने के मामले प्रकाश में आने पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की ज़रूरी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चमोली से जोशीमठ के मध्य कई स्थानों पर सड़क विस्तारीकरण संस्था द्वारा मलबा नीचे गिराया जा रहा है जो कि नदियों में गिर सकता है। इस संबंध में संबंधित प्रमाणीय निकायों को पत्र लिखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के वन विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- स्वास्थ्य विभाग जनपद चमोली के अनुसार उनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्टों का निस्तारण नियमानुसार डीप फ्रीज में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के अंतर्गत निस्तारित जैव अपशिष्ट की मात्रा आदि की नियमित सूचना संचारित करते हुए नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

—कमरा: 04—

25233

कराया गया कि विभाग जनपद चमोली के अंतर्गत कई गो चयापचयवर्षिटी पार्क निर्माणाधीन नहीं है। विभाग को नगामि गंगे हुई जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा स्वीकृत शत-प्रतिशत धनराशि व्यय करते हुए 379.63 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.80 लाख पौध, एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में 371.63 हैक्टियर निजी नाफगूमि में लगभग 52000 पौध रोपण तथा 160 हैक्टियर क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण कराया गया।

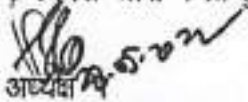
उपरोक्तानुसार के क्रम में अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्न निर्देश अनुपालनार्थ जारी किए गए:-

- विभाग द्वारा नेचुरल लैण्डस्केप के अंतर्गत रोपित पौधों की प्रजातियार/वर्षवार साफलता प्रतिशत के आंकड़े, पौधों की ऊँचाई आदि के विस्तृत आंकड़े संधारित करते हुए प्रस्तुत किए जाएं।
- एग्रीकल्चर लैण्डस्केप योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो फलदार पौध वितरित किए जा रहे हैं, उनकी साफलता के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।
- एग्रीकल्चर लैण्डस्केप मद के अंतर्गत रोपित किए जाने वाले पौधों हेतु किसी एक पूरे गांव का चयन कर उसमें एक ही प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया जाए जिससे भविष्य में उसका आउटपुट प्राप्त हो सके।

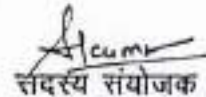
कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-360/2018 मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त संस्थान से दूरभाष से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि विषयांकित योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका ड्राफ्ट स्वीकृति हेतु सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड को उपलब्ध कराया जा चुका है जो स्वीकृत होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।


अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।


सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

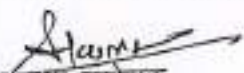
॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 5287 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, मई 28 / 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नगामि गंगे देहरादून,
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता, जल निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता, जल संरक्षण गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।




सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

134

25234

दिनांक 30-12-2021 को जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 30-12-2021 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय उपाधिकारी वरीनाथ चन प्रमान द्वारा दिसम्बर-2017 से माह नवम्बर-2021 तक कुल 29 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार:-

Sl.	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress
1	I&D with STP, Karanprayag	12.01	7.59	7.06	Completed
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI				Commissioned
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE				Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR				Commissioned
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE				Commissioned
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3				Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.51	4.65	4.48	Completed
	STP#1+3 (0.10 MLD) FOREST NALA				Commissioned
	STP#2 (0.05 MLD) SANGAM NALA				Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	38.05	31.18	Completed
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI				Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR				Commissioned
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR				Commissioned
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR				Commissioned
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI				Commissioned
4	I&D with STP, Joshimath	62.40	31.51	28.53	Work in Progress
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI				30%
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI				Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.18	10.13	9.12	Completed
	STP-(1.00 MLD)				Commissioned
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit				Commissioned
Total:-		160.93	91.93	80.37	-

उपरोक्तानुसार कार्यों की प्रगति के संबंध में निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वीकृत कुल 16 STP में से 15 STP का पूर्ण हो चुकी है जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है तथा धारवाड़ी में निर्माणाधीन 2.70 MLD STP का कार्य प्रगति में है जो जून-2022 तक पूर्ण हो जाएगा।

अभियंता अभियंता राज्य संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि गोपेश्वर में निर्मित 05 STP को जो निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा उन्हें हस्तगत की गई है से संबंधित कई सीवर लाईने क्षतिग्रस्त हो चुकी है जो जल्द ही ठीक कराए जाने के पश्चात ही शत-प्रतिशत एस0टी0पी0 को सीवर लाईनों से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी गोपेश्वर द्वारा परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर तथा अभियंता अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर को सीवर लाईने ठीक करवा कर जल्द शत-प्रतिशत एस0टी0पी0 में सम्मिलित करते हुए 01 सप्ताह के अंतर्गत प्रगति से अवगत करवाने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

—प्रमाण—

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping की प्रगति के संबंध में अवगत कराए गया कि कुल 28 नालों में से 25 नालों को संबंधित STP से टेपिंग कर दिया गया है शेष 03 नालों को नारवाडी STP के पूर्ण होने के पश्चात उन्हें भी टेप कर दिया जाएगा।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन शेष है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/ चमोली	270	84	340	-	-	-	270	84	354	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बद्रीनाथ	344	96	440	135	-	135	173	132	305	-	-	-
योग:-	756	219	975	135	-	135	585	269	854	-	-	-

जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार उपरोक्तानुसार 135 परिवार जो सीवर लाईन की संरक्षण के नीचे बसे हैं जिन्हें वर्तमान तक सीवर संयोजन से नहीं जोड़ा जा सका है को सीवर संयोजन से जोड़े जाने हेतु नमामि गंगे गोपेश्वर द्वारा प्राक्कलन गठित कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जो कि वर्तमान तक उच्च स्तर से स्वीकृत नहीं हुआ है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के अंतर्गत अन्य सीवर योजनाओं से संबंधित सीवर संयोजन का विवरण भी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर को नोडल अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निम्न प्रकार 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण कराया गया जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त घाटों पर प्रकाश एवं सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-कर्णप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली (गोपेश्वर) द्वारा आश्रमों में संबंधित नगर निकायों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करते हुए निगरानी की जा रही है तथा वर्तमान तक किसी प्रकार से इनसे उत्सर्जित मलबे को नदियों में गिराए जाने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आएगा तो संबंधित निकायों के निरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटल/धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को सीवर लाईनों से जोड़े जाने हेतु अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर (नोडल) विभाग को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका गोचर(बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत दद्रीनाथ	06	06	-	06	1	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

जिलाधिकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों को उपरोक्त समस्त नालों की नियमित सफाई कराए जाने तथा इन नालों का पानी सीधे गंगा नदी में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में नोडल अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा स्वयं प्रतिभाग न करते हुए प्रतिनिधि के रूप में डाटा इन्फ्री ऑपरेटर को मेजाने पर अत्यंत ही आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें आगामी बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करने के कड़े निर्देश भी दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना के अनुसार उनके द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आरथान कालेश्वर में 66 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्यमियों की उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आरथान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। यहां पर ई0टी0पी0 प्लान्ट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे हुए हैं लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक न तो विद्युत संयोजन किया गया और ना ही किसी उद्योगी को कनेक्शन से जोड़ा गया है जिस हेतु उनके द्वारा कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर मद्रास को पत्र लिखा गया था जिस पर वर्तमान तक उनके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली को निर्देशित किया गया है कि कार्यदायी संस्था को विद्युत संयोजन एवं कनेक्शन आवंटित करने हेतु पुनः पत्राचार करते हुए आगामी बैठक में कृत कार्यवाही एवं प्रगति से अवगत करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने पर उन्हें अत्यंत ही आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें आगामी बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करने के कड़े निर्देश भी दिए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- सिंचाई विभाग चमोली के अधिशाली अभियंता द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु शासन स्तर से अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

कार्यवाही:- अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- वर्तमान में जनपद में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलवा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित गक यार्डों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। उत्सर्जित मलवे को नदियों में फेंकने के मामले प्रकाश में आने पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चमोली से जोशीमठ के मध्य कई स्थानों पर सड़क विस्तारीकरण संस्था द्वारा मलवा नीचे गिराया जा रहा है जो कि नदियों में गिर सकता है। इस संबंध में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को पत्र लिखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के वन विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- स्वास्थ्य विभाग जनपद चमोली के उपायुक्त के द्वारा चिकित्साकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्ति निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्टों का निस्तारण नियमानुसार डीप वेरल गिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्ति निर्देशों का स्वस्थान स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

—प्रमश: 04—

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माणाधीन नहीं है। विभाग को नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 माह सितम्बर-2021 तक रु0 648.52 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा स्वीकृत शत-प्रतिशत धनराशि ख्य करत हुए 227.50 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, 337.94 हे0 एग्रीकल्चर लैण्डस्केप में पीध रोपण, 151.50 हे0 क्षेत्र जल एवं मृदा संरक्षण कार्य पूर्ण कराया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत रु0 1664.61 लाख की कार्ययोजना उच्च स्तर को प्रेषित की गई है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर-2021 के अंतिम सप्ताह में वर्षाकाल में कराए गए 227.50 हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं पूर्व वर्षों के वृक्षारोपण अनुक्रम के भुगतान से संबंधित रु0 86.15 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसके सापेक्ष कराए गए कार्यों के भुगतान की कार्यवाही प्रगति में है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों से संबंधित कोई लक्ष्य/धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। लक्ष्य स्वीकृत उपरंत धनराशि अवमुक्त होने पर संबंधित कार्य कराए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-360/2018 मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के तहत जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अपने कार्यालय की पत्र संख्या-1902/2-42, दिनांक 17-11-2021 से गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान को जिला पर्यावरणीय योजना शीघ्र तैयार करत हुए उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र लिखने के पश्चात पुनः दिनांक 14 दिसम्बर 2021 को उक्त संस्थान के श्री प्रमोद जोशी जी से दूरभाष से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि विषयवस्तु योजना का कार्य जो अंतिम चरणों में है जिसे शीघ्र तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। पुनः दिनांक 30-12-2021 को पुनः चर्चा करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जनपद चमोली की पर्यावरणीय योजना का कार्य अधिकांशतः पूर्ण कर हो चुका है जिसे दिनांक 05-01-2021 को सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा आहूत बैठक से पूर्व उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अधरस्थ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 2549 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, 05/01 / 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन गुप्त नमामि गंगे देहरादून।
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुक्रमण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर।
7. अधिशारी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
8. अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य जिलाधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशारी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
11. अधिशारी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर।
12. परियोजना प्रबंधक, रवेजना परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सदस्य पर्यावरण अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. उपर मुख्य अभियंता जिला गंगा संरक्षण समिति।
15. अधिशारी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।



Handwritten signature.

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 11-10-2021 को जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 11-10-2021 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय बनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह सितम्बर-2021 तक कुल 28 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.54	6.94	100%	Completed	-
	STP#1- (0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3- (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4- (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5- (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.63	4.44	100%	Completed	-
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	37.70	30.85	100%	Completed	-
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	31.42	26.17	100%	-	30-06-2022
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI					Commissioned	
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	10.00	8.94	100%	Completed	
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	91.29	77.34	-	-	

महोदय ने निर्माणधीन 2.70 MLD STP के संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पूरा स्वरूप में कार्य जारी है जो प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त कार्य की प्रगति में निरंतर देखी जाए जाने की अपेक्षा की गई जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य 30 जून-2022 तक पूर्ण कराए जाने हेतु अवगत किया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

M. S. Rawal
M. S. Rawal
Reg No. 08/11/2022

Under Officer

—अमर 02—

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संभावित तिथि
1	बद्रीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतुड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. चोणागिरी नाला 3. कगोट लॉज नाला	30-06-2022 30-06-2022 30-06-2022
3	गोपेश्वर-चमोली	07	07	1. बैतरणी ब्रुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला 6. पोखरी ब्रुण्ड नाला 7. कोठियाल सैण नाला	-	-	-
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला 3. पाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	25		03		

उपरोक्तानुसार अवशेष 03 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जोशीमठ में निर्माणाधीन एस०टी०पी० कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष नालों को टेपिंग कराए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन शेष है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	84	340	-	-	-	270	84	354	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बद्रीनाथ	344	96	440	135	-	135	173	132	305	-	-	-
योग:-	756	219	975	135	-	135	585	269	854	-	-	-

जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार उपरोक्तानुसार 135 परिवार जो सीवर लाईन की संरेखण के नीचे बसे हैं जिन्हें वर्तमान तक सीवर संयोजन से नहीं जोड़ा जा सका है को सीवर संयोजन से जोड़े जाने हेतु नगामि गंगे गोपेश्वर द्वारा आवश्यक नोडल कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जो कि वर्तमान तक उच्च स्तर से स्वीकृत नहीं हुआ है। तथा के संदर्भ में निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने से मना नहीं हो पाया है, जिस पर उच्च स्तर से कार्यवाही अग्रगण्य है।

M. S. Rawal
A. S. - Gobeshwar
Reg No 081112003

CS/MA Section/Doc 2021-2022/04/04/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निम्न प्रकार 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण कराया गया जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी०पी०आर० के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अव्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग/सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	श्रीनगर	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3		उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4		चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशाली अभियंता सिंचाई खण्ड धराली	गौचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6		कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7		कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्त घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों/ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है। अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली (गोपेश्वर) द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकायों को हस्तांतरित उपरोक्त समस्त घाटों पर बिजली एवं सोलर प्रकाश की उचित व्यवस्था है तथा उनके द्वारा घाटों की नियमित रूप से सफाई की जाती है। अरबन क्षेत्रों के संबंधित घाटों प्रकाश एवं सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर निकायों एवं ग्राम पंचायत के अधीन घाटों की नियमित सफाई/प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए आगामी बैठक में वृत्त कार्यवाही से अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-कर्णप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps;

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंम्पों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो। इस संबंध में अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली (गोपेश्वर) द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकायों के अंतर्गत गंगा नदियों के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों में संबंधित नगर निकायों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करते हुए निगरानी की जा रही है तथा वर्तमान तक किसी प्रकार से इनसे उत्सर्जित मलबे को नदियों में गिराए जाने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आए तो संबंधित निकाय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को सीवर लाईनों से जोड़ने हेतु अधिशाली अभियंता (जनपद चमोली-गोपेश्वर) विभाग को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/अधिशाली अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।



III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशीमठ	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका गोचर(बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत यद्वीनाथ	06	06	-	06	1	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैनिटेशन एवं ड्रुअर टु ड्रुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में नगर निकायों के अंतर्गत कुल 31 नाले हैं जिनमें से 03 बरसाती नाले हैं शेष 28 नालों को एस0टी0पी0 से टेपिंग किया जाना है जिनमें से 25 नाले टैप किए जा चुके हैं शेष 03 नाले जोशीमठ में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 कार्य पूर्ण होने के पश्चात टैप किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों को उपरोक्त समस्त नालों की नियमित सफाई कराए जाने तथा इन नालों का पानी सीधे गंगा नदी में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली (गोपेश्वर) द्वारा प्रेषित सूचना से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आरथान कालेश्वर में 06 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 भू-खण्ड उद्योगों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आरथान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कैमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। यहां पर ई0टी0पी0 प्लान्ट लगभग 3-4 वर्ष पूर्व लगे हुए हैं लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक न तो विद्युत संयोजन किया गया और ना ही किसी उद्योगी को कनेक्शन से जोड़ा गया है जिस हेतु उनके द्वारा कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल को पत्र लिखा गया था जिस पर वर्तमान तक उनके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चमोली को निर्देशित किया गया है कि कार्यदायी संस्था को विद्युत संयोजन एवं कनेक्शन आवंटित करने हेतु पुनः पत्राचार करते हुए आगामी बैठक में कृत कार्यवाही एवं प्रगति से अवगत करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था। बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य की सीमा अलकनंदा नदी के दोनों तटों पर लम्बाई से अवगत कराया गया तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्वन्धित करने की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय चमोली को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-215/सिखच/पी-3 बाढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्वन्धित करने की अन्तिम अधिसूचना जारी हो चुकी है परंतु अधिसूचना की प्रति वर्तमान तक उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड चमोली को आगामी बैठक में अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुसार मा0 राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण में सूचित बाढ़ संख्या-200/201 में मा0 अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में गंगा Flood Plains में जल मृदा, जल विषमता आदि के संरक्षण/सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु वन विभाग जनपद चमोली द्वारा गंगा/उसकी सहायक नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु उच्च स्तर पर डी0पी0आर0 तैयार किए जाने हेतु रु0 100.47 खण्डों को प्रस्तावित किया गया है जिसमें स्वीकृति अपेक्षित है।

कार्यवाही:- मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)

/थराली/श्रीनगर/वन विभाग

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- वर्तमान में जनपद में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक याडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। उत्सर्जित मलबे को नदियों में फेंकने के मामले प्रकाश में आने पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा जैव चिकित्साकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्टों का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार ए0पी0आर0 वर्ष 2017-18 से ए0पी0आर0 वर्ष 2020-21 (माह सितम्बर-2021 तक) तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

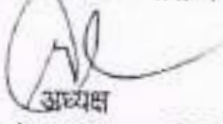
डी0पी0आर0 सेट/कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य- नेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	227.50	175.68
	वृक्षारोपण कार्य- नेचुरल लेण्डस्केप	है०	99.00	65.68
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा ग्राम के अंतर्गत	है०	70.00	66.31
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत	है०	5.55	4.80
	वृक्षारोपण अनुसंधान - नेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	47.00	7.28
	वृक्षारोपण अनुसंधान - गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण	है०	70.00	0.00
Set-II Agriculture Landscape	फलदार /आर्थिक पौधों का वितरण	है०	337.94	42.31
	फलदार /आर्थिक पौधों का अनुसंधान	है०	411.38	27.61
Set-IV Conservation	भूमि संरक्षण कार्य (कण्टूर ट्रैव, चैकडेम, गली प्लम, गानरपत्तिका चैकडेम निर्माण)	है०	151.50	253.26
Supporting Activity	कार्यालय व्यय आदि	ल0रा०	LS	5.50
सम्पूर्ण योग:-		—		648.52

प्रभागीय वनधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा वन विभाग हेतु डी0पी0आर0 में स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु रु० 1484.61 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति हेतु मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गई है जिसमें वर्तमान स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष लक्ष्य स्वीकृत होने के उपरान्त आवश्यक धनराशि अवमुक्त होने पर डी0पी0आर0 में प्राविधानित कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किए जाएंगे।

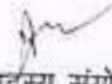
कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-360/2018 मा० एन0पी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड महामारी के कारण वन राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान से वार्ता करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय योजना अधिनियम में है जो माह नवम्बर के अंत से दिसम्बर-2021 तक के प्रारंभ में पूर्ण कर उपलब्ध करा दी जाएगी।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।


अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

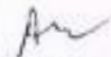
11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1424 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 13 / 2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग जिला चमोली।
17. सहायक प्रभागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग-कालेश्वर।





सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



दिनांक 27-09-2021 को मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 27-09-2021 को मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा गंगा परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय कनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह जुलाई-2021 तक कुल 27 बैठकें जिनमें से वर्ष 2021 में माह जनवरी से अगस्त तक 05 बैठकें आहूत होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.54	6.53	100%	Completed	-
	STP#1- (0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3- (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4- (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5- (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.63	4.44	100%	Completed	-
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	37.70	30.85	100%	Completed	-
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	31.42	26.17	100%	Completed	30-06-2022
	STP#1 (2.76MLD) MAHENDRA					Commissioned	
	STP#2 (1.98MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	10.00	8.94	100%	Completed	-
	STP- (0.05 MLD)					Trial & Testing	
	STP- (0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
	Total	147.05	91.29	76.93	-	-	-

गोपेश्वर में जिला गंगा संरक्षण समिति के संबंध में कार्यवाही संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में एक स्थल पर जिला गंगा संरक्षण समिति के कार्यवाही संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जाने की अवधि में हुई जिस पर कार्यवाही संस्था द्वारा कार्य माह मार्च 2022 तक पूर्ण कराए जाने की सहमति दी गई।

कार्यवाही संस्था प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(Signature)

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	समाप्त तिथि
1	बदीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूडी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला	30-06-2022 30-06-2022 30-06-2022
3	गोपेश्वर-चमोली	07	07	1. बैतरणी कुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला 6. पोखरी बैण्ड नाला 7. कोठियाल सैण नाला	-	-	-
4	नंदप्रयाग	03	03	1. सगुम रोड नाला 2. फरिस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	25		03		

उपरोक्तानुसार अवशेष 03 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जोशीमठ में निर्माणाधीन एस०टी०पी० कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष नालों को टेपिंग कराए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन शेष है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	84	340	-	-	-	270	84	354	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बदीनाथ	344	94	440	135	-	135	173	132	305	-	-	-
योग:-	756	231	987	135	-	135	585	269	854	-	-	-

जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार उपरोक्तानुसार 135 परिवार जो सीवर लाइन की संरक्षण के नीचे बसे हैं जिन्हें वर्तमान तक सीवर संयोजन से नहीं जोड़ा जा सका है जो सीवर संयोजन से जोड़े जाने हेतु नगामि गंगे गोपेश्वर द्वारा प्राक्कलन पट्टिन और शेरान को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिसके स्वीकृत होने के उपरांत प्रत्येक संकल्पित भवन परियोजना के तहत हुए पम्प के माध्यम से सीवर के गंदे पानी को गैर सीवर चैनल में डाला जाएगा से अवरुद्ध नालों को मंजूर्य द्वारा परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुक्षण इकाई (गंगा) एवं अधिसूची 3 में उल्लिखित नालों को उपरोक्तानुसार शासन को प्रेषित प्राक्कलन के स्वीकृति के संबंध में आवश्यक प्रगति के संबंध में आगामी समय में अवगत कराते हुए प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।



परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिसूची अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निम्न प्रकार 07 स्नानघाट/शमशान घाटों का निर्माण कराया गया जो संबंधित नगर निकायों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जा चुके हैं:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यकारी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी०पी०आर० के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अप्रयुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अनुयुक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/सिंचाई	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	खण्ड	रुमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिरासी	गौचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अधिरासी सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

घाटों पर आवश्यक साफ-सफाई संबंधित निकायों द्वारा कराई जा रही है। अधिरासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली (गोपेश्वर) द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त घाटों पर दिजली एवं सोलर प्रकाश की उचित व्यवस्था है तथा उनके द्वारा घाटों की नियमित रूप से सफाई की जाती है। अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अरबन क्षेत्रों के संबंधित घाटों प्रकाश एवं सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर निकायों एवं ग्राम पंचायत के अधीन शमशान घाट की सफाई/प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिरासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-कर्णप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंपों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो। साथ ही इन्हें सीवर लाईनों से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने हेतु जल संस्थान विभाग को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिरासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/ अधिरासी अभियंता, जल संस्थान (नोडल), गोपेश्वर-चमोली।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-

रथानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिरासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	01	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशमठ	02	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	02	07	-	07	92	08
नगर पालिका गोपेश्वर(बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत धराली	06	06	-	06	1	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिरासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा नदी किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैनिटेशन एवं डुअर टु डुअर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। अधिरासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में नगर निकायों के अंतर्गत कुल 31 नाले हैं जिनमें से 03 बरसाती नाले हैं शेष 28 नालों को एस0टी0पी0 से टेपिंग किया जाना है जिनमें से 25 नाले टेप किए जा चुके हैं शेष 03 नाले जोशीमठ में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकायों को उपरोक्त समस्त नालों की नियमित सफाई कराए जाने तथा इन नालों का पानी सीधे गंगा नदी में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिरासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कक्षाए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 मूखण्ड विकसित किए गए हैं जिसमें से 54 मू-खण्ड उद्यमियों को उद्योग स्थापनार्थ आवंटित किए गए हैं। आस्थान में 15 इकाई स्थापित हैं जो कोई भी कॅमिकल से संबंधित इकाई नहीं है। उक्त आस्थान में उ0प्र0 निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है, कनेक्शन दिए जाने अवशेष हैं। अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा निर्देश दिए गए कि कार्यवाही संस्था द्वारा निर्मित किए गए एस0टी0पी0 से शीघ्र कनेक्शन संयोजन किए जाए तथा आगामी बैठक में अनुपालन से अवगत कराएं।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिरासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था। सिंचाई विभाग के अनुसार बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य की सीमा अलकनंदा नदी के दोनों तटों पर माणा से सोनला तक तथा अलकनंदा नदी के दाएं तट पर राबों तक कुल 109 किमी0 जिसमें से 50.53 किमी0 वन क्षेत्र की लम्बाई से अवगत कराया गया तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय चमोली को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-215/सिख/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 23.01.2021 को लिखा जा चुका है से सूचित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिरासी अभियंता, सिंचाई खण्ड चमोली को शासन स्तर से बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की अन्तिम अधिसूचना जारी होने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर/सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित याद संख्या-200/201 में मा0 अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में गंगा Flood Plains में जल मृदा, जैव विपक्षता आदि के संरक्षण/सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु वन विभाग जनपद चमोली द्वारा गंगा/उसकी सहायक नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु उच्च स्तर पर डी0पी0आर0 तैयार किए जाने हेतु रु0 100.17 लाख के प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किए गए हैं जिसमें स्वीकृति अपेक्षित है।

कार्यवाही:- मुख्य विकास अधिकारी/अधिरासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोठियालसैण)

/थराली/श्रीनगर/वन विभाग

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में वर्तमान में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यवाही संस्था है। प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत सप्ताह एन0एच0 द्वारा कतिपय स्थानों पर उत्सर्जित मलबे को अन्विष्ट रूप से सफाई के नीचे फेंका जा रहा था जिस पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कार्यस्थल पर ही कार्यवाही संस्था को मशीनें सीज करवा दिए जुर्माने की धमकी वशुल की गयी तथा नविष्य में इस प्रकार महोदय/द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समेक-समय पर एन0एच0 द्वारा उत्सर्जित मलबे को शमुचित निस्तारण का अनुभवण करने तथा यदि कार्यवाही संस्थाओं द्वारा निर्धारित मल खादों के अन्वय मलबा खाला जाता है तो संबंधित कार्यवाही पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

क्रमांक: 06

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का सनस्त स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नगानि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार ए0पी0आर0 वर्ष 2017-18 से ए0पी0आर0 वर्ष 2020-21 (माह सितम्बर-2021 तक) तक अवमुक्त धनराशि के संपेक्ष कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

डी0पी0आर0 सेट/कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य- नैसर्गल लेण्डस्केप मद	है०	227.50	175.68
	वृक्षारोपण कार्य- नैसर्गल लेण्डस्केप	है०	99.00	65.68
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा ग्राम के अंतर्गत	है०	70.00	66.31
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत	है०	5.55	4.80
	वृक्षारोपण अनुसंधान - नैसर्गल लेण्डस्केप मद	है०	47.00	7.28
	वृक्षारोपण अनुसंधान - गंगा ग्राम में वृक्षारोपण	है०	70.00	0.00
Set-II Agriculture Landscape	फलदार /आर्थिक पौधों का वितरण	है०	337.94	42.31
	फलदार /आर्थिक पौधों का अनुसंधान	है०	411.38	27.61
Set-IV Conservation	भूमि संरक्षण कार्य (कण्टूर ट्रूथ, बैकडेम, गली प्लग, वानस्पतिक बैकडेम निर्माण)	है०	151.50	253.26
Supporting Activity	कार्यालय व्यय आदि	ल0रा०	LS	5.50
सम्पूर्ण योग:-		-		648.52

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा वन विभाग हेतु डी0पी0आर0 में स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु रु० 1464.61 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति हेतु मुख्य वन संरक्षक, नगानि गंगे उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गई है जिसमें वर्तमान स्वीकृति प्राप्ता नहीं हुई है। प्रस्तावित कार्ययोजना के संपेक्ष लक्ष्य स्वीकृत होने के उपरान्त आवश्यक धनराशि अवमुक्त होने पर डी0पी0आर0 में प्राकृतिक कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-360/2018 मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय पर्यावरणीय योजना की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय द्वारा गोविंद वल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान से दिनांक 24-09-2021 को पर्यावरणीय योजना की प्रगति के संबंध में चर्चा करने पर उनके द्वारा गैरसैन ULB, जल निगम/जल संस्थान/सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग तथा उप जिलाधिकारी सार से की हुई additional information सूचनाएं मुन: चाही गई थी जिस हेतु सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा संबंधित विभागों को वांछित सूचनाएं शीघ्र उन्हें उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र लिखा गया है। देवढूंग से अग्रिम मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा संबंधित विभागों यथा नगर पालिका, सिंचाई विभाग, निर्माण निगम को अग्रिम पर्यावरण संस्थान को प्रेषित करते हुए आज ही वांछित प्रपत्रों की सूचनाएं तैयार कर गोविंद वल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोठी, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हुए सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को भी सूचित कर दिया गया है।



—06—

अंत में अध्यक्ष महोदय/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए कि संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करते हुए बैठक को समापन किया गया।


अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।


सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scan d w Cam ar r

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1345 / 261 दिनांक, जोपेश्वर, 08-10 / 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. सगरत उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रवर्तन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर।
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
15. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
16. खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग जिला चमोली।
17. सहायक प्रभागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग-कालेश्वर।




सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



दिनांक 19-08-2021 को जिलाधिकारी चमोली/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 19-08-2021 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक

आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमानि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की

चमोली
24/8/21

निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित दिनांकों को निर्देश जारी किए गए।
जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक तथा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह श्रविदाय रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बदौनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह जुलाई-2021 तक कुल 26 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया। वर्ष 2021 में माह जनवरी से जुलाई तक 04 बैठकें आयोजित हुई। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चौथे सोमवार को नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में शौचालय के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

(ii)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड प्रेयजल नियम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crore)	Expenditure (Rs. In Crore)	Physical Progress As per Milestone	As per Actual	Expected Date of Completion
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.54	6.53	100%	Completed	-
	STP#1- (0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BELL NAGAR					Commissioned	
	STP#3- (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4- (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5- (0.10 MLD) WARD No. 1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	0.46	4.63	4.44	100%	Completed	-
	STP#1 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	37.70	30.83	100%	Completed	31-05-2021
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	31.42	24.23	100%	Completed	30-06-2022
	STP#1 (2.70MLD) KARWARA					Commissioned	
	STP#2 (0.05 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badnash	18.24	10.00	8.94	100%	Completed	
	STP#1 (0.05 MLD)					Trial & Testing	
	STP#2 (0.05 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	91.29	74.99			

महोदय ने निर्माणधीन 2.70 MLD STP के कार्यों में वर्तमान प्रगति के संबंध में कार्यवाही संबंधी संधि द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा 10-08-2021 से सम्बंधित कार्यवाही संबंधी संधि प्राप्त कर दिया गया है जो मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित कार्यवाही संधि को उचित कार्य निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

Reg No 08/122003

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

GOVT OF UTTARAKHAND

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टैपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	समाप्ति तिथि
1	वर्दीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतुड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामनी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. लहलाल नाला 2. ब्रामागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला	30-06-2022 30-06-2022 30-06-2022
3	गोपेश्वर- बमोली	07	07	1. बंतरभी कुण्ड नाला 2. बमोली बाजार नाला 3. बमोली जलकनंदा घाट नाला 4. बमोली पुल के निकट नाला 5. बमोली पुराना पुल नाला 6. पोखरी बैण्ड नाला 7. कोटियाल सैन नाला	-	-	-
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला 3. घाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस थोक नाला 2. एस.पी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. बार्ड नं०-1 नाला 7. बार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	25		03		

उपरोक्तानुसार अवशेष 03 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टैपिंग कराए जाने के संदध में कार्यवाही संस्था परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जोशीमठ में निर्माणाधीन एस०टी०पी० कार्य पूर्ण होने के पश्चात टैपिंग किए जाएंगे।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर संयोजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जा चुका संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग
गोपेश्वर/बमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
वर्दीनाथ	341	96	440	135	-	135	171	130	301	02	02	04
योग	753	219	975	135	-	135	583	253	836	02	02	04

जल संस्थान गोपेश्वर के सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्दीनाथ में अवशेष 04 भवनों में सीवर संयोजन दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही संस्था को उक्त अवशेष सीवर संयोजन को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अभिभासी अधिसूचना, जल संस्थान गोपेश्वर।

—आगत: 03—

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):-

परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डीएमओ/आरओ के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अभ्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशाली	गोचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभिवंता सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार निर्मित शमशान घाटों का हस्तांतरण संबंधित नगर निकायों को हो चुका है जिनका रखरखाव एवं नियमित सफाई का कार्य संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी चमोली महोदय द्वारा नगर पालिका परिषद के नोडल अधिशाली अधिकारी को उक्त निकायों को हस्तांतरित घाटों की साफ-सफाई एवं उनमें बिजली के कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में 03 दिन के अंतर्गत संकलित सूचना सदस्य संयोजक/प्रमाणीय कर्माधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए साथ ही उमराकोट में निर्मित शमशान घाट का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को होने से घर उराके रखरखाव, साफ-सफाई एवं बिजली पानी की व्यवस्था के संबंध में विकास विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से सूचना शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी-विकास खण्ड-कर्णप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में अधिशाली अधिकांशी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय संबंधित होटलों को खोले जाने की परमीशन देता है तथा उनका रजिस्ट्रेशन जल संस्थान द्वारा किए जाने से अवगत कराया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंपों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो। साथ ही इन्हें सीवर लाईनों से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने हेतु जल संस्थान विभाग को निर्देशित किया गया। रजिस्ट्रेशन एवं उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से आगामी बैठक में पूर्ण सूचनाओं सहित प्रतिमाग करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-

अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जमशमठ	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत, नंदप्रयाग	05	03	बरसाती नाला (02)	03	10	05
नगर पालिका जमशमठ कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका गोचर (बरसाती नाला)	01	0	बरसाती नाला (01)	01	15	02
नगर पंचायत धरनाथ	06	06	-	06	1	06
योग:-	31	25	03	29	238	33

कार्यवाही—अभिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (गोहल)

कार्यवाही— महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पौली—गोपेश्वर

प्रमाणिक वनाधिकारी मदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर/रादस्य संयोजक जिला गंगा संस्थापन समिति चमोली के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में रोजित वाद संख्या-200/201 में मा0 अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में गंगा Flood Plains में जल मृदा, जैव विविधता आदि के संरक्षण/सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु वन विभाग जनपद चमोली द्वारा गंगा/रसाकी सहायक नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु उच्च स्तर पर डीपी0आर0 तैयार किए जाने हेतु ₹0 100.17 लाख की प्रस्ताव उच्च स्तर की प्रेषित किए गए हैं।

कार्यवाही:- मुख्य विकास अधिकारी/अभिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-धमोली (कोठियालसैण)

थराली/श्रीनगर/वन विभाग

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

—PART 05—

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नगमि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

डी0पी0आर0 सेट/ कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य- नेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	227.50	175.68
	वृक्षारोपण कार्य- नेचुरल लेण्डस्केप	है०	99.00	65.68
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा ग्राम के अंतर्गत	है०	70.00	66.31
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत	है०	5.55	4.80
	वृक्षारोपण अनुस्क्षण - नेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	47.00	7.28
	वृक्षारोपण अनुस्क्षण - गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण	है०	70.00	0.00
	योग:-			319.75
Set-II Agriculture Landscape	फलदार /आर्थिक पौधों का वितरण	है०	337.94	42.31
	फलदार /आर्थिक पौधों का अनुस्क्षण	है०	411.38	27.61
	योग:-			69.91
Set-IV Conservation	भूमि संरक्षण कार्य (कण्डूर ट्रेय, चैकडेम, गली प्लम, मानसपतिक चैकडेम निर्माण)	है०	151.50	201.48
Supporting Activity	कार्यालय व्यव आदि	ल० रा०	LS	5.50
	सम्पूर्ण योग:-			596.64

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा वन विभाग हेतु डी0पी0आर0 में स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु ₹0 1464.61 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति हेतु मुख्य वन संरक्षक, नगमि गंगे उत्तराखण्ड देहादून को प्रेषित की गई है जिसमें वर्तमान तक कोई वित्तीय/भौतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष लक्ष्य स्वीकृत होने के उपरान्त आवश्यक धनराशि अवमुक्त होने पर डी0पी0आर0 में प्राविधानित कार्य समायोजित पूर्ण किए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-360/2018 मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने हेतु गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रपत्र प्रेषित किए गए थे जो संबंधित विभाग नगर पालिका, जल संस्थान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल निगम, स्वजल, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण, जिला उद्योग विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित विभागों को उनके द्वारा प्रपत्रों में सूचना गोविंद बल्लभ पन्त यूनिवर्सिटी को प्रेषित किए जाने के संबंध में धुंधे जाने पर समस्त विभागों द्वारा सूचनाएं उन्हें ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने से अवगत कराया गया है। गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि जिला उद्योग विभाग को सूचनाओं का परीक्षण किया जा रहा है तथा पर्यावरणीय योजना कार्य प्रगति में है, यदि कोई प्रपत्र की सूचना की आवश्यकता होगी तो तदनुसार संबंधित विभागों से प्राप्त की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने में गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा को उनके द्वारा मांगे जाने पर संबंधित सूचनाएं दी जाएं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर/मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली गोपेश्वर/अधिशासी अधिकारी जल संस्थान गोपेश्वर/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण/जिला उद्योग विभाग गोपेश्वर

अंत में अध्यक्ष महोदय/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का संबंधित विभाग अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए तथा जो अधिकारीगण बैठक में उपस्थित नहीं थे उन्हें "कारण बताओं नोटिस" जारी करते हुए माह के वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।



अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

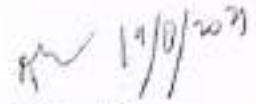
॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 712 / 2021 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 21 / 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पैगजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य मिनिस्टराधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संरक्षण गोपेश्वर।
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
14. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
15. खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग जिला चमोली।





सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



—06—

अंत में अध्यक्ष महोदय/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का संबंधित विभाग अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए तथा जो अधिकारीगण बैठक में उपस्थित नहीं थे उन्हें "कारण बताओं नोटिस" जारी करते हुए माह के वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

AR
अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।

AR 17/8/2021
सदस्य संयोजक

जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 712 / 26-4 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 21

/ 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य विधिविभागीय अधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर।
11. परियोजना प्रबंधक, रचनल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
14. अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
15. खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रवाग जिला चमोली।



AR 19/8/2021

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

AR

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	समाप्ति तिथि
1	बदीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. चामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नंद गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसोल नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला	30-06-2022 30-06-2022 30-06-2022
3	गोपेश्वर-चमोली	07	07	1. बेतरणी कुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला 6. पोखरी बेंच नाला 7. कोठियाल रोड नाला	-	-	-
4	नंदप्रसाग	03	03	1. रांगम रोड नाला 2. फोरस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.पी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	25		03		

उपरोक्तानुसार अवशेष 03 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में कार्यकारी संस्था परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जोशीमठ में निर्माणाधीन एस०टी०पी० कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेपिंग किए जाएंगे।

कार्यकारी:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बदीनाथ	135	-	135	135	-	135	171	130	301	02	02	04
योग:-	547	123	670	135	-	135	583	253	836	02	02	04

जल संस्थान गोपेश्वर के अधिकृत अभियंता द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार बदीनाथ में अवशेष 04 भवनों में सीवर संयोजन दिए जाने की प्रगति यह है। अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यकारी संस्था को उक्त अवशेष सीवर संयोजन को शीघ्र पूर्ण करवा देने के निर्देश दिए गए।

कार्यकारी:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अभिशादी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

—अग्रिम (13)—

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगानि गंधे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिवाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	सीपीआर के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त राशि (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशेषित
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिवाई	नदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिवाई खण्ड	उमरावोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशारी	गोवर गंधा घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अधिशारी सिवाई	कर्णप्रयाग गंधा घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड शराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं गोशघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार निर्मित शमशान घाटों का हस्तांतरण संबंधित नगर निकायों को हो चुका है जिनका रखरखाव एवं नियमित साफाई का कार्य संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी चमोली महोदय द्वारा नगर पालिका परिषद के नोडल अधिकारी अधिकारी को उक्त निकायों को हस्तांतरित घाटों की साफ-साफाई एवं उनमें बिजली के कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में 03 दिन के अंतर्गत संकलित सूचना सदस्य संयोजक/प्रभागीय धनाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए साथ ही उमरावोट में निर्मित शमशान घाट का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को होने से पर उसके रखरखाव, साफ-साफाई एवं बिजली पानी की व्यवस्था के संबंध में विकास विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से सूचना सीधे उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/खण्ड विकास अधिकारी-विकास खण्ड-कर्णप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय संबंधित होटलों को खोले जाने की परमीशन देता है तथा उनका रजिस्ट्रेशन जल संस्थान द्वारा किए जाने से अवगत कराया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए नगर निकाय यह सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों/राफ्टिंग कैंपों द्वारा किसी भी प्रकार का जल-मल आदि नदी में नहीं गिराया जा रहा हो। साथ ही इन्हें सीवर लाईनों से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने हेतु जल संस्थान विभाग को निर्देशित किया गया। रजिस्ट्रेशन एवं उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से आगामी बैठक में पूर्ण सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-

अंतर्गत प्राप्त अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा 10 में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका पश्चिमचमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	60	07
नगर पालिका परिषद जोशमंड	05	02	03	05	60	05
नगर पंचायत नदप्रयाग	05	03	बरसाती नाल (02)	03	10	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	08
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	01	0	बरसाती नाल (01)	01	15	02
नगर पंचायत पड़ानाथ	06	06	-	06	1	06
	31	25	03	29	238	33

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सौरा रीग्रिगेशन एवं घर-घर जलर (डुअर टु डुअर) कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य निरंतर रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि जगपद में नगर निकायों के अंतर्गत कुल 31 नाले हैं जिनमें से 03 बरसाती नाले हैं शेष 28 नालों को एस0टी0पी0 से टेपिंग किया जाना है जिनमें से 25 नाले टेप किए जा चुके हैं शेष 03 नाले जोशीमठ में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 कार्य पूर्ण होने के पश्चात टेप किए जाएंगे। जिलाधिकारी चमोली महोदय द्वारा नगर निकायों को उपरोक्त समस्त नालों की नियमित सफाई कराए जाने तथा इन नालों का पानी सीधे गंगा नदी में न गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कालेश्वर में निर्माणाधीन उद्योग से उत्सर्जित मलबे को सीवर से जोड़े जाने हेतु कनेक्शन संयोजन का कार्य प्रगति में है जिस हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को शीघ्र कनेक्शन जोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि पुनः संबंधित कार्यदायी संस्था को उपरोक्तानुसार सीवर कनेक्शन संयोजन किए जाने हेतु सूचित करते हुए आगामी बैठक से पूर्व अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशारी अभियंता सिंचाई खण्ड थराले द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था। सिंचाई विभाग के अनुसार बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य की सीमा अलकनंदा नदी के दोनों तटों पर माणा से सौनला तक तथा अलकनंदा नदी के दाएं तट पर रानों तक कुल 109 किमी० जिसमें से 50.53 किमी० वन क्षेत्र की लम्बाई से अवगत कराया गया तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय चमोली को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-215/सिखच/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 23.01.2021 को लिखा जा चुका है से सूचित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियंता, सिंचाई खण्ड चमोली को शासन स्तर से बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की अंतिम अधिसूचना जारी होने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी चमोली को उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की संबंधित विभागों के साथ बैठक कराते हुए प्रगति से अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गए।

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर/सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के अनुसार मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित वाद संख्या-200/201 में मा० अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में गंगा Flood Plains में जल मृदा, जैव विविधता आदि के संरक्षण/सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु वन विभाग जनपद चमोली द्वारा गंगा/उसकी सहायक नदियों के बाढ़प्रस्त क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु उच्च स्तर पर डी०पी०आर० तैयार किए जाने हेतु ₹० 100.17 लाख के प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किए गए हैं।

कार्यवाही:- मुख्य विकास अधिकारी/अधिशारी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोठियालसैण)

/थराली/श्रीनगर/वन विभाग

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में वर्तमान में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन०एच० विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक बाडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत सप्ताह एन०एच० द्वारा कतिपय स्थानों पर कार्यस्थल पर ही मलबा डाला जा रहा था जिस पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए की पुनर्रुक्ति करने पर मंडी कानूनी कार्यवाही किए जाने के कड़े निर्देश कार्यदायी संस्था को जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं उद्योग विभाग को समय-समय पर एन०एच० द्वारा उत्सर्जित मलबे के समुचित निस्तारण का अनुश्रवण करने तथा यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित मक बाडों के अन्यत्र मलबा डाला जाता है तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/उद्योग विभाग



VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

डी0पी0आर0 सेट/ कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य- नेचुरल लैंडस्केप मद	है०	227.50	175.68
	वृक्षारोपण कार्य- नेचुरल लैंडस्केप	है०	99.00	65.68
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा ग्राम के अंतर्गत	है०	70.00	66.31
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत	है०	5.55	4.80
	वृक्षारोपण अनुसंधान - नेचुरल लैंडस्केप मद	है०	47.00	7.28
	वृक्षारोपण अनुसंधान - गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण	है०	70.00	0.00
	योग:-			319.75
Set-II Agriculture Landscape	फलदार / आर्थिक पौधों का वितरण	है०	337.94	42.31
	फलदार / आर्थिक पौधों का अनुसंधान	है०	411.38	27.61
	योग:-			69.91
Set-IV Conservation	भूमि संरक्षण कार्य (कण्टूर ट्रैच, चैकडेम, गली प्लग, पानस्पतिक चैकडेम निर्माण)	है०	151.50	201.48
Supporting Activity	कार्यालय व्यय आदि	ल०रा०	LS	5.50
	सम्पूर्ण योग:-	-		596.64

प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा वन विभाग हेतु डी0पी0आर0 में स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु रु० 1464.61 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति हेतु मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गई है जिसमें वर्तमान तक कोई वित्तीय/भौतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष लक्ष्य स्वीकृत होने के उपरान्त आवश्यक धनराशि अवमुक्त होने पर डी0पी0आर0 में प्राविधानित कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- मूल आवेदन संख्या-380/2018 मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चमोली की जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने हेतु गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रपत्र प्रेषित किए गए थे जो संबंधित विभाग नगर पालिका, जल संस्थान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल निगम, संचल, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण, जिला उद्योग विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित विभागों को उनके द्वारा प्रपत्रों में सूचना गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि उनमें प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं, सूचनाओं का परीक्षण किया जा रहा है तथा पर्यावरणीय योजना कार्य प्रगति में है, यदि कोई दोष की सूचना की आवश्यक होगी तो तदनुसार संबंधित विभागों से प्राप्त की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने में गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा को उनके द्वारा मांगे जाने पर संबंधित सूचनाएं शीघ्र उन्हें उपलब्ध कराएं।

कार्यवाही:- अधिसारी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर/अधिसारी जनिगंगा जल संस्थान गोपेश्वर/मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली गोपेश्वर/अधिसारी जनिगंगा जल निगम गोपेश्वर/परियोजना प्रबंधक संचल गोपेश्वर/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण/जिला उद्योग विभाग गोपेश्वर

—क्रमशः—

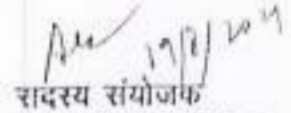
—06—

अंत में अध्यक्ष महोदय/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का संबंधित विभाग अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंतर्गत सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए तथा जो अधिकारीगण बैठक में उपस्थित नहीं थे उन्हें "कारण बताओ नोटिस" जारी करते हुए माह के वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।



अध्यक्ष

जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।



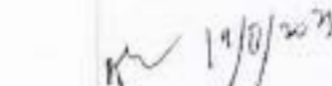
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 712 / 26-4 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 21 / 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नगानि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिरासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
7. अधिरासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य धिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिरासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिरासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
14. अधिरासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर।
15. खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग जिला चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



दिनांक 28-06-2021 को जिलाधिकारी चमोली/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28-06-2021 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत हुई जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुव्रण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह मई-2021 तक कुल 25 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया। वर्ष 2021 में माह जनवरी से मार्च तक 03 बैठकें आहूत हुई तथा माह अप्रैल एवं मई में कोरोना कर्फ्यू के कारण बैठकें आहूत नहीं की जा सकी।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुव्रण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.54	6.51	100%	Completed	-
	STP#1- (0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3- (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4- (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5- (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.63	4.44	100%	Completed	-
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	37.70	30.36	100%		31-05-2021
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	31.42	24.23	100%		30-06-2022
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI						
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI						
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	10.00	8.94	100%	Commissioned	
	STP-(1.00 MLD)					Completed	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Trial & Testing	
Total:-		147.05	91.29	74.48	-	Commissioned	

मारवाडी में निर्माणाधीन STP के कार्यों में सीमा प्रगति के संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि सीमा रेखा पर बी0आर0ओ0 द्वारा सड़क चौड़ाकरण का कार्य किया जा रहा है जिससे उक्त कार्य में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी गोपेश्वर द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को बी0आर0ओ0 के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए समस्या को सुलझाते हुए कार्य में अतिरिक्त श्रम लगाते हुए निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराए जाने के कड़े निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली
 परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुव्रण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
 Reg. No. 1181/12003
 Govt. of Uttarakhand

—02—

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित वर्तमान प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संभावित तिथि
1	बद्रीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. वामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. ब्रजमेत लॉज नाला	30-06-2022 30-06-2022 30-06-2022
3	गोपेश्वर-चमोली	07	07	1. वीतरणी कुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला 6. पोखरी बेंड नाला 7. कोटियाल सैण नाला	-	-	-
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरिस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. चार्ज नं०-1 नाला 7. चार्ज नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	25		03		

उपरोक्तानुसार अवशेष 03 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाया संभव नहीं है			ऐसे भवन/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बद्रीनाथ	344	96	440	135	-	135	171	130	301	02	02	04
योग:-	756	219	975	135	-	135	583	253	836	02	02	04

उक्त संकेत गोपेश्वर द्वारा अधगत कराया गया कि बद्रीनाथ में अवशेष 04 भवनों में सीवर संयोजन दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को उक्त अवशेष सीवर संयोजन को शीघ्र पूर्ण करवा देने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिरात्री अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

—अवशेष 03—

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	दीर्घवैधता के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशिष्ट
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग/सिंचाई खण्ड धौलागढ़	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2		नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3		उमरावोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरित।
4		चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अभिषेक सिंचाई खण्ड धौलागढ़	गौधर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6		कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7		कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार निर्मित शमशान घाटों का हस्तांतरण संबंधित नगर निकायों को कि जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उचित हस्तांतरित स्नानघाटों एवं शमशान घाटों की नियमित सफाई तथा घाटों पर विद्युत/प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर/समूह विकास अधिकारी-विकास समूह-कर्णप्रयाग।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:- जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरो में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पो से उत्सर्जित मलमू को नदी में न डाले जाने तथा इनका रेजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर को निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	खिलने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	07	-	07	150	07
नगर पालिका परिषद जोशगढ	05	02	03	05	115	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका गौधर(विराहाली नाला)	01	-	विराहाली नाला	01	15	02
नगर पंचायत बदीनाथ	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	25	05	29	400	24

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सौर रीप्रिगेशन एवं घर-घर जाकर (दुआर डू दुआर) कूड़ा संग्रहीकरण का कार्य निरंतर रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाल लगाए जाने व नालों में निर्मित बाधाओं को हटाकर जालों को अवगत कराया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त नालों की नियमित सफाई करवाए जाने तथा नालों को सीधे गंगा नदी में गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कठे निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में उचित प्रत्येक उद्योग विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP एवं कनेक्शन के माध्यम से सीधे पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग क्षेत्र, चमोली-गोपेश्वर

—अपराजित—

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था। सिंचाई विभाग के अनुसार बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य की सीमा अलकनंदा नदी के दोनों तटों पर माणा से सोनला तक तथा अलकनंदा नदी के दाएं तट पर रानों तक कुल 109 किमी० जिसमें से 50.53 किमी० वन क्षेत्र की लम्बाई से अवगत कराया गया तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्दिष्ट करने की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय चमोली को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-215/सिखच/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 23.01.2021 को लिखा जा चुका है से अवगत कराया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या निर्दिष्ट करने की अन्तिम अधिसूचना जारी के संबंध में संबंधित विभाग को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर/सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के अनुसार मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित बाढ़ संख्या-200/201 में मा० अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में गंगा Flood Plains में जल मृदा, जैव विविधता आदि के संरक्षण/सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु वन विभाग जनपद चमोली द्वारा गंगा/उत्तरी सहायक नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु उच्च स्तर पर डी०पी०आर० तैयार किए जाने हेतु रु० 100.17 लाख के प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोठियालसैन)/थराली/श्रीनगर/वन विभाग

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में वर्तमान में नदियों के किनारे विभिन्न स्थलों पर एन०एच० विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक याडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन०एच० द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण करते हुए यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित मक याडों के अन्यत्र मलबा डाला जाता है तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नगामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

डी०पी०आर० सैट/ कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य- नेचुरल लैण्डस्केप मद	है०	227.50	175.68
	वृक्षारोपण कार्य- नेचुरल लैण्डस्केप	है०	99.00	65.68
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा घाट के अंतर्गत	है०	70.00	66.31
	वृक्षारोपण कार्य- गंगा वृक्षारोपण राष्ट्रीय के अंतर्गत	है०	5.55	4.80
	वृक्षारोपण अनुसंधान - नेचुरल लैण्डस्केप मद	है०	47.00	7.28
	वृक्षारोपण अनुसंधान - गंगा घाटों में वृक्षारोपण	है०	70.00	0.00
	योग:-			319.75
Set-II Agriculture Landscape	फलदार / आर्थिक पौधों का वितरण	है०	337.94	42.31
	फलदार / आर्थिक पौधों का अनुसंधान	है०	411.38	27.61
	योग:-			69.91
Set-IV Conservation	भूमि संरक्षण/जैव (कण्डूर ट्रेड, रैकडेम, मल्ली प्लग, प्रारम्भिक रैकडेम निर्माण)	है०	151.50	201.48
Supporting Activity	कार्यालय व्यय आदि	रु०/रु०	LS	5.50
	सम्पूर्ण योग:-			596.64

प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा वन विभाग हेतु वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

—कमरा: 05—

District Environmental Plan की समीक्षा:— जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने हेतु गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रपत्र प्रेषित किए गए थे जो संबंधित विभाग नगर पालिका, जल संस्थान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल निगम, स्वजल, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण, जिला उद्योग विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। परंतु मात्र परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर, भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स चमोली गोपेश्वर तथा नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सूचना उपलब्ध कराई गयी है। अन्य विभागों द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सूचना प्रेषित न किए जाने पर जिला पर्यावरणीय योजना तैयार नहीं हो पाई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को 01 सप्ताह के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों में सूचना सीधे गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमत, अल्मोड़ा-263643 को प्रेषित करते हुए सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी को भी उपलब्ध कराए जाने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर/अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर/मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली गोपेश्वर/अधिशासी अभियंता जल निगम गोपेश्वर/परियोजना प्रबंधक स्वजल गोपेश्वर/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण/जिला उद्योग विभाग गोपेश्वर

अंत में अध्यक्ष महोदय/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जिलाधिकारी-जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 206 / 242 दिनांक, गोपेश्वर, 14/07 / 2021

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।
14. अधिशासी अभियंता जल निगम गोपेश्वर।
15. खण्ड प्रमुख अधिकारी, कर्णप्रयाग जिला चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

—3072E.02—

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 मालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टैपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यवाही संस्था को निर्देश जारी किए गए।	03		
---	----	--	--

कार्यवाही- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(C)-उत्तराखण्ड जल संरक्षण गोपेश्वर के अनुत्तार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

संयोजन दिए जाने का कार्य प्रतीति पर ही अध्यापक महोदय द्वारा कार्यवाही संस्था को उचित अवशेष सीवर संयोजन को सीधे एवं सराया जल संयंत्र में दिया गया।

A's - Government
Reg No U80112003

GOVT OF KARNATAKA
KARNATAKA HAND

अधिकार प्रमाणक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (मिमा) उत्तराखण्ड पेयजल नियम गोपेश्वर/
अधिसारी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्वरूप एवं कार्य का विवरण	डीपीआर के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवशेष (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशिष्ट
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशाली	गोचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अधिशाली सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार उमराकोट में निर्मित शमशान घाटों को वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित न होने के संबंध में सीधे उक्त घाट को हस्तांतरित कर आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अभियंता सिंचाई खण्ड धराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर को निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोरमठ	05	02	03	05	120	05
नगर पालिका परिषद नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका मोहन(बरसाही नाला)	01	-	बरसाही नाला	01	15	02
नगर पालिका उदौनाथ	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	24	06	29	405	22

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा नालों के किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रांतर्गत ठोस अपशिष्ट संचयन एवं धर-धर जाकर संग्रहीत करने के निर्देश जारी किए गए। नालों को नियमित रूप से सफाया कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले निर्दिष्ट साफाई कराए जाने तथा नालों को पानी सीधे गंगा नदी में गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

Reg No 08/11/2003
TARAKH

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग के अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशारी अनियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था।

सिंचाई विभाग चमोली द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया है:-

बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य की सीमा				बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य हेतु प्रेषित प्रावकलन के लागत एवं प्रेषण का संदर्भ	अब तक किये गये कार्यों का विवरण	अभ्युक्ति
कहाँ से	कहाँ तक	कुल लम्बाई (किमी में)	वन क्षेत्र की लम्बाई (किमी में)			
अलकनन्दा नदी के दोनों तटों पर माणा से	अलकनन्दा नदी के दोनों तट पर सोनला तक एवं अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर रानो तक	109	50.53	इस कार्यालय के पत्रांक- 3755/सिं0का0गं0रु0/पी-1/ दिनांक 04.11.2019 द्वारा रु0 49.32 लाख का प्रावकलन मुख्य अभियंता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, श्रीनगर गढ़वाल को प्रेषित।	कार्य पूर्ण किया जा चुका है।	उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के अन्तर्गत इस खण्ड के क्षेत्रान्तर्गत अलकनन्दा नदी के दोनों तट पर माणा से सोनला तक एवं अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर रानो तक के क्षेत्र में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अन्तिम सूचना उत्तराखण्ड शासन सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग-02 के शासनादेश संख्या-1874 /11(2)-2020-08(16)/2020 दिनांक 07.10.2020 द्वारा अधिसूचित की गई है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, चमोली के पत्र संख्या-1048/13-एम0बी0(2018-19) दिनांक 04.11.2020 के द्वारा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली गोपेश्वर को इस कार्यालय के पत्र संख्या-2053/सिंचा/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 09.11.2020 द्वारा अधिसूचना प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय सहाय, एवं दैनिक उत्तर भारत लाइव को प्रकाशन करने हेतु सूचना प्रेषित की गई, तथा आपत्तियों के निराकरण का समय 60 दिवस वज्र था जो आज दिनांक 12.01.2021 को पूर्ण हो चुका है। तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध या नियन्त्रित करने की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय चमोली को इस कार्यालय के पत्र संख्या-215/सिंचा/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 23.01.2021 को लिखा जा चुका है।

कार्यवाही:- अधिशारी अनियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)/थराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की भिदरी जारी नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एन0एच0 पिरतारीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिससे खनन से उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों द्वारा नदी के किनारे परावर्तित प्रदूषण एवं वन विभाग द्वारा अनुसंधान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन0एच0 द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को नदी में डाले जाने हेतु अनुसंधान करते हुए यदि कार्यवाही संस्थाओं द्वारा निर्धारित मूल मापों के अनुसार मूल्य निर्धारित है तो संबंधित कार्यवाही संस्थाओं पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमौली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निरस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निरस्तारण नियमानुसार शीप बैरल पिट में किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राप्त निर्देशों का समस्त स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट हेतु ऑनलाईन एप का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन ऑनलाईन सूचना प्रेषित की जाती है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमौली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नगामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2019-20 तक तक कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक				सफलता प्रतिशत
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति		
		भौतिक	वित्तीय(लाख में)	भौतिक	वित्तीय(लाख में)	
वृक्षारोपण-(i) नेचुरल लेण्डस्केप	हेक्टेयर	73.00	58.40	73.00	58.40	80-85%
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण	हेक्टेयर	70.00	66.31	70.00	66.31	80-85%
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80	80-85%
फलदार पौधों का रोपण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58	60-75%
फलदार पौधों का अनुसंधान	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	70-80%
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कन्टीजेन्सी/कार्यशाला (PMU)	संख्या	LS	3.00	LS	3.00	-
योग:-		-	294.21	-	294.21	-

वन विभाग द्वारा नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष माह मार्च-2021 (दिनांक 15-03-2021) तक स्वीकृत लक्ष्यों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि से कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया है:-

कार्य विवरण	इकाई	स्वीकृत लक्ष्य		वर्तमान तक प्रगति		अवशेष धनराशि (लाख में)
		भौतिक	अवमुक्त (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
अग्रिम मृदा कार्य - नेचुरल लेण्डस्केप मद	हे०	227.50	175.68	181.50	115.98	59.70
वृक्षारोपण - नेचुरल लेण्डस्केप मद	हे०	26.00	7.28	26.00	4.68	2.60
वृक्षारोपण अनुसंधान - नेचुरल लेण्डस्केप मद	हे०	47.00	7.28	47.00	3.42	3.86
वृक्षारोपण अनुसंधान - गंगा ग्रामी में वृक्षारोपण	हे०	70.00	-	70.00	-	-
योग:-		-	190.24	-	124.08	66.16
फलदार / आर्थिक पौधों का वितरण	हे०	75.00	4.73	75.00	4.51	0.21
अनुसंधान-प्रथम वर्ष	हे०	118.00	5.31	118.00	4.41	0.90
अनुसंधान-द्वितीय वर्ष	हे०	40.00	1.50	40.00	1.50	-
अनुसंधान-तृतीय वर्ष	हे०	158.38	5.94	158.38	5.94	-
योग:-		-	17.47	-	16.36	1.11
भूमि संरक्षण कार्य-नेचुरल लेण्डस्केप, गंगा ग्रामी, गंगा नदी	हे०	144.00	72.00	45.00	60.00	12.00
कार्यालय कार्य	लाखों में	LS	2.50	-	-	2.50
योग:-		-	281.21	-	200.44	81.77

जारी किए गए।

अरब- गोपेश्वर

Reg No 08/11/2003

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वन अधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

District Environmental Plan की समीक्षा:- जिला पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने की प्रगति के संबंध में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय पर्यावरणीय योजना तैयार किए जाने हेतु गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रपत्र प्रेषित किए गए थे जो संबंधित विभाग नगर पालिका, जल संस्थान, मुख्य शिकल्ता अधिकारी, जल निगम, स्वजल, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण, जिला उद्योग विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं जिनके द्वारा वर्तमान तक निर्धारित प्रपत्रों में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिस हेतु अधोस्तरीय स्तर से 02-02 वार स्मृति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को 01 सप्ताह के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों में सूचना सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर/मुख्य शिकल्ता अधिकारी चमोली गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता जल निगम गोपेश्वर/ परियोजना प्रबंधक स्वजल गोपेश्वर/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण/ जिला उद्योग विभाग गोपेश्वर

अंत में अध्यक्ष महोदय/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

प्रक्रांक 3506 12-4226 दिनांक, गोपेश्वर, मार्च 19, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नौडल)।
8. मुख्य शिकल्ताधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. राज्य प्रबंधक पर्यावरण अधिशासी, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 12-02-2021 को जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी चमोली/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12-02-2021 को मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा भूमि गये परियोजना के अंतिम चरण जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुवर्णन के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय गंगाधिकारी गङ्गोनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह जनवरी-2021 तक कुल 23 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की माह जनवरी-2021 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress As per Milestone	As per Actual	Expected Date if Completion
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.49	6.47	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.60	4.42	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	51.83	37.35	23.19	100%		31-12-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	31.35	24.11	100%		30-06-2021
	STP#1 (0.70MLD) MAHARAJARI					Commissioned	
	STP#2 (0.50MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.88	3.91	100%		
	STP#1 (0.60 MLD)					Trial & Testing	
	STP#2 (0.40 MLD) Brahma Kund					Commissioned	
Total:-		147.05	90.67	72.13			

महाराष्ट्र में 2.70 MLD STP के कार्यों में औद्योगिक श्रम लगाने हुए निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाने का संकेत जिला गंगा संरक्षण समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

कर्मचारी- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

—02—

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुस्वाण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित माह जनवरी-2021 तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टैपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संभावित तिथि
1	बदीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
3	गोपेश्वर-चमोली	07	07	1. बेंतरणी कुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला 6. पोखरी बैपड नाला 7. कोठियाल सैण नाला	-	-	31-12-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड़ नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	25		03		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टैपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वाण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बदीनाथ	135	90	225	135	-	135	168	125	293	05	07	12
योग:-	547	213	760	135	-	135	580	248	828	05	07	12

जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि बदीनाथ में अवशेष 12 भवनों में वर्तमान तक सीवर संयोजन दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को उक्त अवशेष सीवर संयोजन को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिए गए।



A. B. Gopeshwar
Reg No 11K1112003

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्वाण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/
अतिरिक्त अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

—कृपया: 03—

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डीपीआर के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अव्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग/सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2		नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3		उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशाली	गोघर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभियंता सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार उमराकोट में निर्मित शमशान घाटों को वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित न होने के संबंध में शीघ्र उक्त घाट को हस्तांतरित कर आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अभियंता सिंचाई खण्ड थराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंपों से उत्सर्जित मलवे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर को निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर को अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	विशुद्ध नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोशीगढ़	05	02	03	05	120	05
नगर पालिका परिषद नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका गोघर(वरसाती नाला)	01	-	वरसाती नाला	01	15	02
नगर पालिका बदीनाथ	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	24	06	29	405	22

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानीय निवासियों के क्षेत्रांतर्गत ठोस अपशिष्ट रजिस्ट्रेशन एवं घर-घर जाकर (दुआर दर दर) मल रकबाकरण का काम प्रारंभ कर के कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की निगरानी उपलब्ध कराए जाने से अवगत करवाया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा शमशान घाटों की निगरानी कराए जाने तथा नालों को सीधे गंगा नदी में गिराए जाने की आवश्यकता सुनिश्चित करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

Reg. No. 111/1/2003
CAMP/Section/Doc 2019-2020/Amam/Gandol/Letter Order

—अधिशाली—

V- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग कि अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तैरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था।

सिंचाई विभाग चमोली द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया है:-

बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य की सीमा				बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के कार्य हेतु प्रेषित प्राकलन के लागत एवं प्रेषण का संदर्भ	अब तक किये गये कार्यों का विवरण	अभ्युक्ति
कहां से	कहां तक	कुल लम्बाई (किमी में)	खन क्षेत्र की लम्बाई (किमी में)			
अलकनन्दा नदी के दोनों तटों पर माणा से	अलकनन्दा नदी के दोनों तट पर सोनला तक एवं अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर रानों तक	109	50.53	इस कार्यालय के पत्रांक- 3755/सिं0का0नं0र0/पी-1/ दिनांक 04.11.2019 द्वारा रु० 49.32 लाख का प्राकलन मुख्य अभियंता, सार-2, सिंचाई विभाग, श्रीनगर गढ़वाल को प्रेषित।	कार्य पूर्ण किया जा चुका है।	उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के अंतर्गत इस खण्ड के क्षेत्रांतर्गत अलकनन्दा नदी के दोनों तट पर माणा से सोनला तक एवं अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर रानों तक के क्षेत्र में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अन्तिम सूचना उत्तराखण्ड शासन सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग-02 के शासनादेश संख्या-1874 /11(2)-2020-08(18)/2020 दिनांक 07.10.2020 द्वारा अधिसूचित की गई है जिसको शमन्ध में जिलाधिकारी महोदय, चमोली के पत्र संख्या-1048/13-एम0पी0(2018-19) दिनांक 04.11.2020 के द्वारा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली गोपेश्वर को इस कार्यालय के पत्र संख्या-2053/सिखच/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 09.11.2020 द्वारा अधिसूचना प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय सलाह, एवं दैनिक उत्तर भारत साप्ताह्य को प्रकाशन करने हेतु सूचना प्रेषित की गई, तथा आपत्तियों के निराकरण का समय 60 दिवस का था जो आज दिनांक 12.01.2021 को पूर्ण हो चुका है। तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिषिद्ध न निर्दिष्ट करने की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय चमोली को इस कार्यालय के पत्र संख्या-215/सिखच/पी-3 बाढ़ मैदान परिक्षेत्र दिनांक 23.01.2021 को लिखा जा चुका है।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोठियालतैरह)/थराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसके संबंधित सजा कार्यकारी संस्था द्वारा निर्मित मज बाड़ों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन0एच0 द्वारा उत्सर्जित मल को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण करते हुए यदि कार्यवाही संस्थाओं द्वारा निर्धारित मज बाड़ों के अन्तर्गत मलवा डाला जाता है तो संबंधित कार्यवाही संस्थाओं पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

—समय: 05—

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक				सफलता प्रतिशत
		लक्ष्य		उपलब्धि / प्रगति		
		भौतिक	वित्तीय (लाख ₹)	भौतिक	वित्तीय (लाख ₹)	
वृक्षारोपण-(i) नेचुरल लैंडस्केप	हेक्टेयर	73.00	58.40	73.00	58.40	80-85%
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण	हेक्टेयर	70.00	66.31	70.00	66.31	80-85%
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80	80-85%
फलदार पौधों का रोपण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58	60-75%
फलदार पौधों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	70-80%
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कन्ट्रिजेन्सी / कार्यशाला (PMU)	संख्या	LS	3.00	LS	3.00	-
योग:-		-	294.21	-	294.21	-

कार्य विवरण	इकाई	स्वीकृत लक्ष्य		वर्तमान तक प्रगति		अवशेष धनराशि (लाख में)
		भौतिक	अवमुक्त (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
अग्रिम मृदा कार्य - मेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	227.50	13.84	कार्य प्रगति पर है	13.34	0.50
पुनरापण - मेचुरल लेण्डस्केप	है०	26.00	7.28	26.00	4.68	2.60
पुनरापण अनुरक्षण - मेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	47.00	3.65	47.00	2.47	1.18
पुनरापण अनुरक्षण - गंगा घाटी में पुनरापण	है०	70.00	-	70.00	-	-
योग:-	-	-	24.77	-	20.49	4.28
कलदार / आर्थिक धीरो का वितरण	है०	75.00	4.73	75.00	4.14	0.59
अनुरक्षण-प्रथम वर्ष	है०	118.00	-	118.00	-	-
अनुरक्षण-द्वितीय वर्ष	है०	40.00	-	40.00	-	-
अनुरक्षण-तृतीय वर्ष	है०	158.38	-	158.38	-	-
योग:-	-	-	4.73	-	4.14	0.59
भूमि संरक्षण कार्य (कण्ट्रोल ट्रेच, बाउंडेरी, गल्ली पलगा, जलसंधारण, कलार, विष्णु)	है०	154.00	-	कार्य प्रगति पर है	-	-
योग:-	-	-	29.50	-	24.62	4.88

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय कार्याधिकारी, बन्नीनाथ वन प्रभाग गोंयपेठर।

—सुधरु: ०५—

—06—

अंत में अध्यक्ष महोदय/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

M. 12/12/21
अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

8/2
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
पत्रांक 2976 / 2-42/26-1 दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 12 / 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमागि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।



8/2
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 24-12-2020 को जिलाधिकारी चमोली/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 24-12-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय तलाधिकारी वदीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह नवम्बर-2020 तक कुल 22 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	7.09	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.27	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	28.19	100%		31-12-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	24.11	100%		30-06-2021
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI						
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI						
5	I&D With STP, Joshimath	18.24	9.86	8.93	100%		
	STP#1 (0.05MLD) POKHRI					Commissioned	
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Trial & Testing	
		147.05	86.47	72.59			

अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय/सहायक जिलाधिकारी महोदयों को निर्माणाधीन प्रस्तावित 2.70 MLD STP के कार्यों में अधिकतम श्रम लगाए हुए निर्माण कार्य निरंतर पूर्ण कराए जाने के संकेत में कार्यवाही संस्था को निर्देशित किया गया है।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
—कमरा: 02—

—02—

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संभावित तिथि
1	बदीनाथ	06	06	1. गानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. स्लूडी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. दोभागिरी नाला 3. कामेट खोज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	1. पोखरी बेंड नाला 2. बैतरणी कुण्ड नाला 3. चमोली बाजार नाला 4. चमोली अलकनंदा घाट नाला 5. चमोली पुल के निकट नाला 6. चमोली पुराना पुल नाला	01	1. कोठियाल सेण नाला	31-12-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	24		04		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवन/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बदीनाथ	135	96	231	135	-	135	168	125	293	05	07	12
योग	547	219	766	135	-	135	580	248	828	05	07	12

द्वारा कार्यदायी संस्था को 30.03.2021 को सीवर संयोजन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।



अधिसूची अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

—कृपया: 03—

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी.पी.आर. के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अभ्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/सिंचाई	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरित।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अभिषेक	गौचर माक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभिषेक सिंचाई	कर्णप्रयाग माक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं माक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार उमराकोट में निर्मित शमशान घाटों को वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित न होने के संबंध में शीघ्र उक्त घाट को हस्तांतरित कर आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड धराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अभिषेक अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्पन्नित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर को निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत होस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	02	03	05	120	05
नगर पालिका परिषद नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका गौचर(बरसोनी) नाला	01	-	-	01	15	02
नगर पालिका बदौना	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	24	06	29	405	22

स्थानीय निकायों के अंतर्गत होस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत होसों से निग्रेशन एवं घर-घर जाकर (दुआर टु दुआर) कूड़ा एकत्रित करने का कार्य निरंतर रूप से कराए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाते हैं नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त नालों की सफाई सुनिश्चित करवाई जाने तथा नालों में जालों का पानी सीधे गंगा नदी में गिराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कठिन प्रयास किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग कि अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था। सिंचाई विभाग चमोली के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया किया उक्त प्रकरण में शासन स्तर से नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। पूर्व बैठक दिनांक 25-11-2020 के कार्यवृत्त के अनुसार अपर जिलाधिकारी चमोली द्वारा अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड चमोली से फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत बितने हाउस होल्ड आ रहे हैं की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे किंतु संबंधित विभाग द्वारा वर्तमान तक उपलब्ध न कराए जाने पर पुनः अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोठियालसैण)/थराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक याडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन0एच0 द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण करते हुए यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित मक याडों के अन्त्य मलबा डाला जाता है तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्ता निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2019-20 तक तक कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक				सफलता प्रतिशत
		लक्ष्य		उपलब्धि / प्रगति		
		भौतिक	वित्तीय(लाख ₹)	भौतिक	वित्तीय(लाख ₹)	
पुष्करोपण--(i) नेचुरल लेण्डस्केप	हेक्टेयर	73.00	58.40	73.00	58.40	80-85%
(ii) गंगा घाटी में पुष्करोपण	हेक्टेयर	70.00	66.31	70.00	66.31	
(iii) गंगा घाटी में पुष्करोपण	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80	80-85%
फलदार पौधों का रोपण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58	80-85%
फलदार पौधों का अंशक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	60-75%
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	70-80%
वर्धमान/नवोदय (PMNP)	संख्या	15	3.00	15	3.00	-
योग:-	-	-	294.21	-	294.21	-



—183—

यह विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष माह दिसम्बर-2020 (दिनांक 23-12-2020) तक स्वीकृत लक्ष्यों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि से कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया है:-

कार्य विवरण	इकाई	स्वीकृत लक्ष्य		वर्तमान तक प्रगति		अवशेष धनराशि (लाख में)
		भौतिक	अवमुक्त (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
अग्रिम मृदा कार्य - नेचुरल लेण्डस्केप मड	है०	227.50	13.84	कार्य प्रगति पर है	11.11	2.73
वृक्षारोपण - नेचुरल लेण्डस्केप	है०	26.00	7.28	26.00	4.68	2.60
वृक्षारोपण अनुरक्षण - नेचुरल लेण्डस्केप मड	है०	47.00	3.65	47.00	0.65	3.00
वृक्षारोपण अनुरक्षण - गंगा घाटी में वृक्षारोपण	है०	70.00	-	70.00	-	-
योग:-	-	-	24.77	-	16.44	8.33
फलदार /आर्थिक पौधों का वितरण	है०	75.00	4.73	75.00	-	4.73
अनुरक्षण-प्रथम वर्ष	है०	118.00	-	118.00	-	-
अनुरक्षण-द्वितीय वर्ष	है०	40.00	-	40.00	-	-
अनुरक्षण-तृतीय वर्ष	है०	158.38	-	158.38	-	-
योग:-	-	-	4.73	-	-	4.73
भूमि संरक्षण कार्य (कन्टूर ट्रेंच, बैंकडेम, गली प्लग, बायोपेपिक बैंकडेम निर्माण)	है०	154.00	-	कार्य प्रगति पर है	-	-
योग:-	-	-	29.50	-	16.44	13.06

अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष महोदया/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 2253 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर 31 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/धराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य निरीक्षण अधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता, निर्माण विभाग गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संरक्षण गोपेश्वर।
11. परियोजना प्रबंधक, परिसर परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक परियोजना अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 25-11-2020 को सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री आशुतोष सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री अनिल कुमार भन्नाल, अपर जिलाधिकारी, चमोली।
3. श्रीमती बनीता सिंह, अधिशासी अभियंता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. श्री अतुल कुमार पाण्डेय, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड चमोली।
5. श्री अनिल मत्त, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।

दिनांक 25-11-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के निर्देशानुसार सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/ प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा नमागि गये परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह अक्टूबर-2020 तक कुल 21 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कक्षाएँ जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- **I&D and STP Project:-** परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.39	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.14	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	28.25	100%		15-12-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	24.02	100%		30-06-2021
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI					-	
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	9.34	100%		15-11-2020
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	72.14	-	-	-

अध्यक्ष (गंगा) द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली में निर्माणाधीन प्रस्तावित 2.70 MLD STP की प्रगति के संबंध में बताया गया कि उक्त STP के निर्माण में BRO के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरण में MoU हस्ताक्षरित होने के पश्चात काम प्रारंभ हो चुका है। उक्त प्रस्ताव NMCG को प्रेषित किया गया है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

— क्रमशः 02 —

Reg No 08/112003

1/11/20

(b)- Status of Nala Tapping:- निर्माण एवं अनुस्मरण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संभावित तिथि
1	बद्रीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कानेट लॉज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	1. पोखरी वैण्ड नाला 2. वैतरणी कुण्ड नाला 3. चमोली बाजार नाला 4. चमोली अलकनंदा घाट नाला 5. चमोली पुल के निकट नाला 6. चमोली पुराना धुल नाला	01	1. कोठियाल सेग नाला	30-09-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरिस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस्त चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	24		04		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यवाही संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्मरण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बद्रीनाथ	165	87	252	135	-	135	165	87	252	31	22	53
योग	577	210	787	135	-	135	577	210	787	31	22	53

बद्रीनाथ में अवशेष 53 भवनों में वर्तमान तक सीवर संयोजन न दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही करण को शीघ्र सीवर संयोजन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्मरण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अभिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

V. Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशारी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया गया था। सिंचाई विभाग चमोली के अधिशारी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया किया उक्त प्रकरण में शासन स्तर से नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। अपर जिलाधिकारी चमोली द्वारा अधिशारी अभियंता सिंचाई खण्ड चमोली से फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत कितने हाउस होल्ड आ रहे हैं की सूचना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशारी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)/थराली/श्रीनगर

VI. Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एन्डएच विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित मक बाडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन्डएच द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII. Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप वेंटिलेट में किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII. Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2019-20 तक कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक			
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)
वृक्षारोपण-(i) नेचुरल लेण्डस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	58.40	73.00	58.40
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	66.31	70.00	66.31
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुदान	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26
कार्यशाला (पीएमओयू)	संख्या	02	0.75	02	0.75
कन्टीजेन्सी (पीएमओयू)	लॉस	L.S	2.25	L.S	2.25
योग:-	-	-	294.21	-	294.21

वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक स्वीकृत लक्ष्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया है:-

कार्य विवरण	इकाई	स्वीकृत लक्ष्य		वर्तमान तक प्रगति		अवशेष धनराशि (लाख में)
		भौतिक	वित्तीय/अवमुक्त	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
अग्रिम मुदा कार्य - नेचुरल लेण्डस्केप मद	हे०	227.50	13.84	-	0.25	13.59
वृक्षारोपण - नेचुरल लेण्डस्केप	हे०	26.00	7.28	26.00	4.68	2.60
वृक्षारोपण अनुदान - नेचुरल लेण्डस्केप मद	हे०	47.00	3.65	47.00	-	3.65
वृक्षारोपण अनुदान - गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हे०	70.00	-	70.00	-	-
योग:-	-	-	24.77	-	4.93	19.84
फलदार/आर्थिक पौधों का वितरण	हे०	75.00	4.73	75.00	-	4.73
अनुदान - फलदार/आर्थिक पौधों का वितरण	हे०	118.00	-	118.00	-	-
अनुदान - फलदार/आर्थिक पौधों का वितरण	हे०	40.00	-	40.00	-	-
योग:-	-	-	158.38	-	158.38	-
भूमि संरक्षण कार्य	हे०	154.00	4.73	-	-	4.73
योग:-	-	-	29.50	-	4.93	24.57

जारी दिनांक 08/11/2023

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
पत्रांक 1984 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, 08/12/2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(Signature)

दिनांक 28-10-2020 को मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत

“जिला गंगा संरक्षण समिति” की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28-10-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात वर्तमान तक की प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा की करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह सितम्बर-2020 तक कुल 20 बैठकों आयोजित होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress		Expected/ Actual Date of Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karunprayag	12.09	7.23	6.39	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.14	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	27.97	100%		30-09-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHIYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	24.02	100%		30-06-2021
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI						
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.51	100%		31-10-2020
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	71.46	-	-	

जनपद द्वारा द्वारा जोशीमठ के मारवाड़ी में निर्माणाधीन प्रस्तावित 2.70 MLD STP की प्रगति के संबंध में बताया गया कि जल STP के माध्यम से MARO के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रवर्णन में MoU हस्ताक्षरित होने के पश्चात कार्य प्रगति हो चुका है जिसके अनुसार पर्याप्त से अधिक भूमि लगाते हुए निर्वाहित समयावधिगत तक पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए। परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा बट्टीनाथ में निर्माणाधीन 0.01 MLD के STP का कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 29-09-2020 को माह प्रभागीय वनाधिकारी जोशीमठ के माध्यम से लोकलेशन किए जाने से अवगत कराया गया।



का चमोली- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(b)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टैपिंग की उपलब्धि				प्रगति में	
			पूर्ण		संख्या	नाला का नाम	समाप्ति तिथि	
			संख्या	नाला का नाम				
1	बद्रीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. स्तूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नय गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. काभेट लॉज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021	
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	1. पोखरी बैण्ड नाला 2. बैतरणी कुण्ड नाला 3. चमोली बाजार नाला 4. चमोली अलकनंदा घाट नाला 5. चमोली पुल के निकट नाला 6. चमोली पुराना पुल नाला	01	1. कोठियाल रोण नाला	30-09-2020	
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-	-
5	रुर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-	-
	योग:-	28	24		04			

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टैपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बद्रीनाथ	344	26	440	135	-	135	165	87	252	31	22	53
योग:-	756	1219	975	135	-	135	577	210	787	31	22	53

उपरोक्तानुसार 53 भवनों में वर्तमान तक सीवर संयोजन न दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को सीवर संयोजन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अतिरिक्त अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में गंगा नदी में परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डीपीआर के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशिष्ट
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग/सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2		नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3		उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4		चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशाली	गोबर गोष्ठ घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभियंता सिंचाई खण्ड धराली	कर्मप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7		कर्मप्रयाग स्नानघाट एवं गोष्ठघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार चमोली में एवं उमराकोट में निर्मित शमशान घाटों को वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित न होने के संबंध में शीघ्र चक्का घाटों को हस्तांतरित कर आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अभियंता सिंचाई खण्ड धराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:- जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर को निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	02	03	05	120	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्मप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका गोबर(धराली नाला)	01	-	-	01	15	02
नगर पंचायत वदीनगढ़	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	24	06	29	405	22

उपरोक्तानुसार जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत शोर संचिरोक्षण एवं घर-घर जाकर (डुअर टु डुअर) कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य निरंतर रूप से कराए जाने तथा जो नाले शीघे नदी में गिरते हैं उनमें जाले लगाए जाने व नालों की नियमित सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। इस संबंध में समस्त नालों में जाली आवश्यक रूप से लगाते हुए नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग कि अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशासी अभियंता सिवाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिवाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)/थराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एन0एच0 विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलवा कारादायी संस्था द्वारा निर्मित मक याडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन0एच0 द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2019-20 तक तक कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक			
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)
वृक्षारोपण-(i) नेचुरल लैंडस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	58.40	73.00	58.40
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	66.31	70.00	66.31
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26
कार्यशाला (पी0एच0यू0)	संख्या	02	0.75	02	0.75
कन्टीजेन्सी (पी0एच0यू0)	ल0स0	L.S	2.25	L.S	2.25
योग:-		-	294.21	-	294.21

उपरोक्तानुसार विगत वर्षों में कराए गए वृक्षारोपणों की सफलता के संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नेचुरल लैंडस्केप एवं गंगा ग्रामों में कराए गए विभागीय वृक्षारोपणों की सफलता वर्तमान में 80 से 95 प्रतिशत तक है जो कि मानवों के अनुकूल है। एकीकृत लैंडस्केप मद के अंतर्गत रोपित पौधों का अनुरक्षण संबंधित लागतों को द्वारा स्वयं किया जाता है, जिसके अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि की एच0डी0आर0 संबंधित लागतों को नाम तैयार की गयी है जो कि 03 वर्ष परचात पौधों की जीवितता को अनुपात में उन्हें भुगतान की जाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए गए समस्त वृक्षारोपणों की सफलता मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने हेतु वन विभाग को निर्देश जारी किए गए।

वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक स्वीकृत लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सी0पी0आर0 सेट/ कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	स्वीकृत लक्ष्य		वर्तमान तक प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्निम मृदा कार्य-नेचुरल लैण्डस्केप मद	है0	227.50	13.84	-	-
	वृक्षारोपण- नेचुरल लैण्डस्केप	है0	26.00	7.28	26.00	-
	वृक्षारोपण अनुसंधान-नेचुरल लैण्डस्केप मद	है0	47.00	4.27	47.00	-
	वृक्षारोपण अनुसंधान-मंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	है0	70.00	-	70.00	-
	योग:-	-	-	25.39	-	-
Set-II Agriculture Landscape	फलदार /आर्थिक पौधों का वितरण	है0	75.00	4.73	75.00	-
	अनुसंधान-प्रथम वर्ष	है0	118.00	-	118.00	-
	अनुसंधान-द्वितीय वर्ष	है0	40.00	-	40.00	-
	अनुसंधान-तृतीय वर्ष	है0	158.38	-	158.38	-
	योग:-	-	-	4.73	-	-
Set-IV Conservation activity	भूमि संरक्षण कार्य (कण्टूर ट्रैच, चैकडेम, नली प्लग, बानस्पतिक चैकडेम निर्माण)	है0	154.00	0.00	-	-
	योग:-	-	-	30.12	-	-

वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार लक्ष्य माह अक्टूबर-2020 के द्वितीय सप्ताह में स्वीकृत हुए हैं जिसके सापेक्ष उपरोक्तानुसार आर्थिक धनराशि प्राप्त है। स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष 227.50 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु में अग्निम मृदा कार्य स्वीकृत है जिसके सापेक्ष इस वर्ष क्षेत्र में गढ़दे खुदान, दिवालबंदी, पीछ तैयार करना आदि कार्य किए जाने हैं जो माह दिसम्बर से जनवरी के मध्य किए जाएंगे। भूमि संरक्षण मद के अंतर्गत 154 है0 क्षेत्र में कण्टूर ट्रैच, चैकडेम निर्माण आदि कार्य स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक धनराशि अवमुक्त नहीं है। मद में धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1529 12-12-2020 दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 03 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रवचन गुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पर्यटन निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला सुयोग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
8. मुख्य निविदा निरीक्षक जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता जिला निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता जिला संरक्षण गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक परियोजना परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक प्रमुख, जिला गंगा संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला संग्रहालय चमोली।



अध्यक्ष

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 28-10-2020 को मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28-10-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात वर्तमान तक की प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा की करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह सितम्बर-2020 तक कुल 20 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected/Actual Date of Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.39	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.14	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	27.97	100%		30-09-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	24.02	100%		30-06-2021
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI					-	30-06-2021
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.51	100%		31-10-2020
	STP#(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	71.46	-	-	

कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जोशिमठ के मार्वाड़ी में निर्माणाधीन प्रस्तावित 2.70 MLD STP की प्रगति के संबंध में बताया गया कि जिला STP के निर्माण हेतु BRO के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरण में MoU हस्ताक्षरित होने के पश्चात कार्य प्रारंभ हो चुका है जिससे जल्द ही पर अधिक से अधिक भूमि लगाते हुए निर्धारित समयान्तर्गत तक पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए। परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा स्थान बदीनाथ में निर्मित 01 MLD एवं 0.01 MLD के STP का कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 29-09-2020 को मा.0 प्रधानमंत्री जल संधारण योजना प्रस्ताव के माध्यम से लोकप्रिय किए जाने से अवगत कराया गया।



कार्यक्रम:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

—02—

(b)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार है:-

नाला टेपिंग की उपलब्धि							
क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संभावित तिथि
1	बद्रीनाथ	06	06	1. नानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कानेट लॉज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	1. पोखरी बैण्ड नाला 2. बैतरणी कुण्ड नाला 3. चमोली बाजार नाला 4. चमोली अलकनंदा घाट नाला 5. चमोली पुल के निकट नाला 6. चमोली पुराना पुल नाला	01	1. कोठियाल सीण नाला	30-09-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड़ नाला 2. फॉरिस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुगाधनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	24		04		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नालों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टैपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान मोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग	घरेलू	अधारेलू	योग
गोपेश्वर / चमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	-	142	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बहीनाथ	344	96	440	135	-	135	165	87	252	31	22	53
योग	756	219	975	135	-	135	577	210	787	31	22	53

वर्ष 2016 में निम्नलिखित भागों में वर्तमान तक सीवर संयोजन न दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही करवा देने की सीवर संयोजन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

Reg No. 000001200302 मंत्रालय विकास, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड प्रमुख नियम गोपेश्वर /
अभिशाती अभिक्ता जल संस्थान गोपेश्वर

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग/कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	टी0पी0आर0 के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अंशपूर्ण (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशेष
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	लमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिकांशी	गौघर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अधिकांशी सिंचाई	कर्मप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	कर्मप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार चमोली में एवं लमराकोट में निर्मित शमशान घाटों को वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित न होने के संबंध में शीघ्र उक्त घाटों को हस्तांतरित कर आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिकांशी अधिकांशी सिंचाई खण्ड धराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिकांशी अधिकांशी (नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:- जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्पन्नित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिकांशी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर को निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिकांशी अधिकारी (नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिकांशी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	02	03	05	120	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्मप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका गौघर (बसगाँव नाला)	01	-	-	01	15	02
नगर पंचायत बर्दीनाथ	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	24	06	29	405	22

सम्बन्धित निकायों के अधिकांशी अधिकांशी प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिकांशी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानीय निकायों के क्षेत्रांतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं घर-घर जाकर (दुआर दर दुआर) कूड़ा एकत्रिकरण एवं गोपनीय रूप से कटाए जाने तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं उनमें जाल लगाए जाने के नालों की निगरानी कराए जाने से अवगत कराया गया है। इस संबंध में समस्त नालों में जाली आवश्यक रूप से लगाई जायेंगे के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिकांशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग कि अनुसार इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।
कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धर्मोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड धराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परियोजना अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी धर्मोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अभिरूचना जारी किए जाने हेतु प्रवर्णन शासन स्तर को प्रेषित किया जा चुका है।
कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-धर्मोली (कोठियालसैण)/धराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एन०एच० विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यवाही संस्था द्वारा निर्मित मक यादों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। अध्यक्ष महोदया द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एन०एच० द्वारा उत्सर्जित मलबे को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मोली द्वारा जनपद में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जीव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप बैरल पिट में किया जा रहा है।
कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-धर्मोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्ष 2019-20 तक तक कराए गए कार्यों की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

कार्यमंद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक			
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)
वृक्षारोपण-(i) नेचुरल लेण्डस्केप मंद	हेक्टेयर	73.00	58.40	73.00	58.40
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मंद	हेक्टेयर	70.00	66.31	70.00	66.31
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मंद	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26
कार्यशाला (पी०एन०यू०)	संख्या	02	0.75	02	0.75
कन्टीजन्सी (पी०एन०यू०)	लॉसंग	L.S	2.25	L.S	2.25
योग:-		-	294.21	-	294.21

उपरोक्तानुसार विगत वर्षों में कराए गए वृक्षारोपणों की सफलता के संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नेचुरल लेण्डस्केप एवं गंगा ग्रामों में कराए गए विभागीय वृक्षारोपणों की सफलता वर्तमान में 80 से 95 प्रतिशत तक है जो कि मानकों के अनुरूप है। एधीकृत लेण्डस्केप मंद के अंतर्गत रोपित पौधों का अनुक्षण लाभार्थियों के लिए होता है जो कि 03 वर्ष पश्चात पौधों की जीवितता के अनुपात में उन्हें भुगतान की जाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए गए समस्त वृक्षारोपणों की सफलता के अनुसार सुनिश्चित किए जाने हेतु वन विभाग को निर्देश जारी किए गए।

वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक स्वीकृत लक्ष्यों का वितरण निम्न प्रकार है:-

सी0पी0आर0 सेट/ कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	स्वीकृत लक्ष्य		वर्तमान तक प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)
Set-I Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य-नेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	227.50	13.84	-	-
	वृक्षारोपण- नेचुरल लेण्डस्केप	है०	26.00	7.28	26.00	-
	वृक्षारोपण अनुसंधान-नेचुरल लेण्डस्केप मद	है०	47.00	4.27	47.00	-
	वृक्षारोपण अनुसंधान-गंगा ग्रामी में वृक्षारोपण मद	है०	70.00	-	70.00	-
	योग:-		-	25.39	-	-
Set-II Agriculture Landscape	फलदार /आर्थिक पौधों का वितरण	है०	75.00	4.73	75.00	-
	अनुसंधान-प्रथम वर्ष	है०	118.00	-	118.00	-
	अनुसंधान-द्वितीय वर्ष	है०	40.00	-	40.00	-
	अनुसंधान-द्वितीय वर्ष	है०	158.38	-	158.38	-
	योग:-		-	4.73	-	-
Set-IV Conservation activity	भूमि संरक्षण कार्य (कण्टूर ट्रैच, चैकडेम, गली प्लग, वानस्पतिक चैकडेम निर्माण)	है०	154.00	0.00	-	-
	योग:-	-	-	30.12	-	-

वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार लक्ष्य माह अक्टूबर-2020 के द्वितीय सप्ताह में स्वीकृत हुए हैं जिसके सापेक्ष उपरोक्तानुसार आंशिक धनराशि प्राप्त है। स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष 227.50 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु में अग्रिम मृदा कार्य स्वीकृत है जिसके सापेक्ष इस वर्ष क्षेत्र में गड़दे खुदान, दिवालबंदी, पीध तैयार करना आदि कार्य किए जाने हैं जो माह दिसम्बर से जनवरी के मध्य किए जाएंगे। भूमि संरक्षण मद के अंतर्गत 154 है० क्षेत्र में कण्टूर ट्रैच, चैकडेम निर्माण आदि कार्य स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक धनराशि अवमुक्त नहीं है। मद में धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 1529 / 2-42/26 दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 03 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्ययोजना निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन गुप्त नमामि गंगे देहसादुन,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर/थराली/चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोटल)।
8. मुख्य शिक्षित्वाधिकारी जनपद चमोली।
9. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
11. परियोजना प्रबंधक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन गुप्त नमामि गंगे देहसादुन गोपेश्वर चमोली।
12. मुख्य विकास अधिकारी, जिला गंगा संरक्षण समिति, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
13. जिला मुख्य अधिकारी जिला प्रशासन चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 01-09-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
3. श्री प्रवीण सैनी, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
4. श्री जे0सी0 थपलियाल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड थराली।
5. श्री अतुल कुमार पान्देय, सिंचाई खण्ड, चमोली।
6. श्री संजय पंत, स्वजल विभाग गोपेश्वर।
7. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।

दिनांक 01-09-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें दिनांक बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के परभाव वर्तमान तक की प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा की करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह अगस्त-2020 तक कुल 19 बैठकों आयोजित होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress		Expected/Actual Date of Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.37	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.12	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	27.21	100%		30-09-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	23.75	100%		30-06-2021
	STP#1 (2.79MLD) MARWARI					-	
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.51	100%		31-10-2020
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Prefab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	69.96	-	-	

जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली के निर्माणाधीन प्रस्तावित 2.70 MLD STP की प्रगति के संबंध में कार्यवाही सख्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चमोली के निर्माण हेतु BRO के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया में MoU हस्ताक्षरित हो गया है, जिसमें एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा से अवगत कराया गया। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति सख्ता के संबंध में कार्यवाही सख्ता परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर को निर्धारित समयानुसार पूर्ण करार जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।



A/c-a- Gopeshwar

Reg. No. 08/11/2003

Chamoli District, Gopeshwar, Uttarakhand

संलग्न: 02

(h)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संग्राहित तिथि
1	बदीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतुड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. दोषागिरी नाला 3. कानेट लॉज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
3	गोपेश्वर- धमोली	07	06	1. पोखरी बण्ड नाला 2. वैतरणी कुण्ड नाला 3. धमोली बाजार नाला 4. धमोली अलकनंदा घाट नाला 5. धमोली पुल के निकट नाला 6. धमोली पुराना पुल नाला	01	1. जोड़ियाल सैण नाला	15-09-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	1. संगम रोड नाला 2. फॉरस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं०-1 नाला 7. वार्ड नं०-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	24		04		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नालों में से कोठियालसैण नाला 15 सितम्बर-2020 तक टेप कराए जाने से परियोजना प्रबंधक द्वारा आवश्यक किया गया तथा अन्य अवशेष नालों को भी शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

उपरोक्त नाले जो एस0टी0पी0 से टेपिंग किए जा रहे/किए जाने हैं के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद के समस्त नगर निकायों के अंतर्गत ऐसे 20 अन्य प्रदूषित नाले जो सीधे अलकनंदा या उसकी सहायक नदियों में गिरते हैं के प्रारंभिक उपचार हेतु बायोरेमिडेशन कार्य के प्रावधान तैयार किये जा रहे हैं से सूचित किया गया है जिनका तत्पश्चात शीघ्र उपचार कराए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(e)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिवारों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिवारों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
गोपेश्वर/धमोली	270	70	340	-	-	-	270	70	340	-	-	-
जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	53	195	-	-	-
बदीनाथ	344	96	440	135	-	135	165	87	252	31	22	53
योग:-	756	219	975	135	-	135	577	210	787	31	22	53

बदीनाथ में अवशेष 53 भवनों में वर्तमान तक सीवर संयोजन न दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को शीघ्र सीवर लाईन से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अभिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डीएमओआरओ के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अभ्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/सिंचाई	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिरासी	बोखर भोला घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अविनाश सिंचाई	वर्णप्रयाग भोला घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड धराली	वर्णप्रयाग स्नानघाट एवं भोलाघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार चमोली में निर्मित शमशान घाट जो वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हुए हैं के संबंध में अधिरासी अधिकारी नगर पालिका चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त घाट में बिजली/पानी के संयोजन की कार्यवाही प्रगति पर है जिसे शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश देते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए। उमराकोट में निर्मित शमशान घाट संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित न होने के संबंध में जिला पंचायत विभाग के उपस्थित अधिकारी/प्रतिनिधि को शीघ्र हस्तांतरण की कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उक्त निर्मित घाटों के फोटोग्राफ आगामी बैठक में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिरासी अविनाश सिंचाई खण्ड धराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिरासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिवर्त चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिरासी अधिकारी नगर पालिका परिवर्त चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका चमोली के अंतर्गत स्थित होटलों एवं धर्मशालाओं से बिन्सी भी प्रकार का मलबे नदी में नहीं डाला जाता है जिसका समय-समय पर पालिका द्वारा अनुबन्धन भी किया जाता है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा अधिरासी अधिकारी (नोडल) नगर पालिका परिवर्त गोपेश्वर को जनपद के सम्स्त निकायों के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों/धर्मशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित निकायों को सूचित कराए गए आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिरासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिवर्त चमोली-गोपेश्वर।



—कमल—

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद गोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोरामठ	05	02	03	05	120	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	03	03	-	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका गोचर(बरसाती नाला)	01	-	-	01	15	02
नगर पंचायत बंदीनाथ	06	06	-	06	-	-
योग:-	29	24	04	29	405	22

कार्यवाही— अधिशास्त्री अधिकाारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चंगोली-गोपेश्वर

कार्यवाही— अविभासी अभियंता, सिंचाई खण्ड—धगोली (कोटियालसैन)/थराली/श्रीनगर

कार्यवाही— वन विभाग/राजस्व विभाग

कार्यावाही: मुख्य विहितता अधिकारी-बम्बोली
— भगवा, ०६ —

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- जनपद में वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्तमान तक कराए गए कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

वर्ग/मद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक			
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय(लाख में)	भौतिक	वित्तीय(लाख में)
अग्रिम मृदा कार्य- (i) नेचुरल लैंडस्कोप मद	हेक्टेयर	73.00	44.87	73.00	44.87
(ii) गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46
वृक्षारोपण- (i) नेचुरल लैंडस्कोप मद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	13.53
(ii) गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	19.85
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुसंधान	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26
कार्यशाला (पीओएमओ)	संख्या	02	0.75	02	0.75
कान्टीजेन्सी (पीओएमओ)	लॉर्स	L.S	2.25	L.S	2.25
योग:-		-	294.21	-	294.21

जिलाधिकारी महोदया द्वारा वन विभाग द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपणों की वर्तमान सफलता के संबंध में पूछे जाने पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा रोपित पौधों की गणना प्रत्येक वर्ष में माह जून एवं दिसम्बर में आवश्यक रूप से 02 बार विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जाती है जिसे वृक्षारोपण पंजिका में अंकित किया जाता है। इस संबंध में उप प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए गए उपरोक्तानुसार वृक्षारोपणों की सफलता प्रतिशत की विस्तृत सफलता प्रतिशत रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

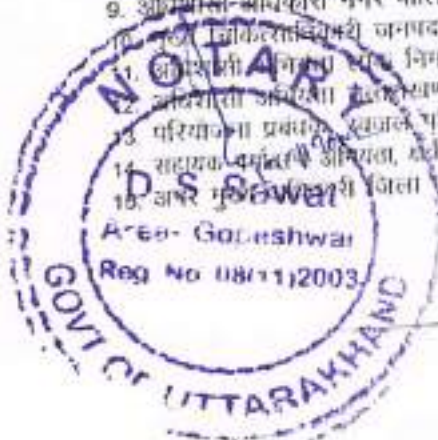
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 912 / 242 दिनांक, गोपेश्वर, 4 नवम्बर 4/09 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग कोन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, धराली।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. जिला जल संयोजक, जनपद चमोली।
11. जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली
12. जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली
13. परियोजना प्रबंधक, खण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
14. सहायक प्रबंधक, जिला गंगा संरक्षण समिति, गोपेश्वर चमोली।
15. जिला गंगा संरक्षण समिति, जिला गंगा संरक्षण समिति, गोपेश्वर चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांक 18-08-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमरेश कुमार, उपा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री एस0वे0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
3. श्री प्रवीन सैनी, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
4. श्री जे0सी0 थपलियाल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड थराली।
5. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।

दिनांक 18-08-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात वर्तमान तक की प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा की करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह जुलाई-2020 तक कुल 18 बैठकों आयोजित होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की वर्तमान तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress As per Milestone	As per Actual	Expected/Actual Date of Completion
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.37	100%		30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.12	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	27.21	100%		30-09-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	23.75	100%		30-06-2021
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI						30-06-2021
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.51	100%		31-10-2020
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) POKHRI					Commissioned	
	Total	147.05	86.47	69.96			

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में कार्यवाही संस्था परि0प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

—कमल: 02—

(b)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	स्थान	कुल नालों की संख्या	टैप किए गए नालों की संख्या	प्रगति में	टैप किए जाने की संभावित तिथि
1	बद्रीनाथ	06	06	-	-
2	जोशीमठ	05	02	03	31-03-2021
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	01	30-09-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	-	-
	योग:-	28	24	04	-

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नाले जो वर्तमान तक एसटीपी से टैपिंग नहीं किए गए हैं को शीघ्र टैपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना बांय नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
1. गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	-	270	-	-	-
2. जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	-	142	-	-	-
3. बद्रीनाथ	344	96	440	135	-	135	165	-	165	31	22	53
योग:-	756	219	975	135	-	135	577	-	577	31	22	53

बद्रीनाथ में अवशेष 53 भवन जिनमें वर्तमान तक सीवर संयोजन न होने के संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा शीघ्र सीवर संयोजन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिसासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

d- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगानि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी०पी०आर० के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशेष
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	सिंचाई विभाग	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई विभाग	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	सिंचाई विभाग	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिसासी अभियंता	गोचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अधिसासी अभियंता	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	सिंचाई विभाग	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार चमोली में निर्मित शमशान घाट जो वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हुए हैं के संबंध में अधिसासी अभियंता नगर पालिका चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त घाट में विकलांगों के संयोजन की कार्यवाही प्रगति पर है जिसे शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश देते हुए अनुपालन आदेश उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए। उमराकोट में निर्मित शमशान घाट संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित न होने के संबंध में सिंचाई विभाग के उपस्थित अधिकारी/प्रतिनिधि को शीघ्र हस्तांतरण की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिसासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली/सिंचाई विभाग श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिसासी अभियंता (गढ़वाल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

—अग्रस: 03—

Area- Gopeshwar
Reg No 08/112003

on to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Raksh...

कार्यवाही- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद घमौली-गोपेश्वर।

अनुसार प्रगति निम्न प्रवर्ग है:-

योग:-

कार्यवाही— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जमोली गोपेश्वर (नोडल)

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग क्षेत्र, चमोली-गोपेश्वर

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)/थराली/श्रीनगर

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

कार्यवाही- मुख्य विजिल्हा अधिकारी-बयांती

—5427. 04—

CSA/ILR Section/Disc: 2019-2020/Namami Gange/Later Other

CC-MIA Section/Doc 2019-2020/Namami Gange
Reg No 118/112003

Reg No 08/112003

15

OF LIBRARY



VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- जनपद में वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार वर्तमान तक कराए गए कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक			
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय(लाख में)	भौतिक	वित्तीय(लाख में)
अग्रिम मृदा कार्य- (i) नैचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	44.87	73.00	44.87
(ii) गंगा घाटों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46
वृक्षारोपण- (i) नैचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	13.53
(ii) गंगा घाटों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	19.85
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26
कार्यशाला (पीएमडयू)	संख्या	02	0.75	02	0.75
कन्टीजेन्सी (पीएमडयू)	लॉस	L.S	2.25	L.S	2.25
योग:-		-	294.21	-	294.21

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 648 / 242 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 20 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
11. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
12. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
13. परियोजना प्रबंधक, पेयजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
14. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
15. उपर मुख्य अधिकारी जिला न्यायत चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

**दिनांक 21-07-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमित, सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. श्री एच0डी0 पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. डॉ० जी0एस0 राणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
5. श्री प्रवीण सेनी, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
6. श्री डी0एस0 रावत, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
7. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।
8. श्री आर0एस0 मुज्याल, ए0एम0ए0, जिला पंचायत चमोली, गोपेश्वर।

दिनांक 21-07-2020 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें दिगत बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के पश्चात वर्तमान तक की प्रगति की निम्नानुसार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह जून-2020 तक कुल 16 बैठकें आयोजित होने से अवगत कराया गया।

I- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 20-07-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected/ Actual Date of Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.37	100%		30-06-2020
	STP#1 (0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2 (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASHI NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Commissioned	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.12	100%		30-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	27.21	100%		30-09-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	23.75	100%		30-06-2021
	STP#1 (0.05MLD) JOSHIMATH					Commissioned	30-06-2021
	STP#2 (0.05MLD) JOSHIMATH					Commissioned	31-10-2020
5	I&D with STP, Joshimath	18.24	9.86	8.51	100%		31-10-2020
	STP#1 (0.05MLD) JOSHIMATH					Trial & Testing	
	STP#2 (0.05MLD) JOSHIMATH					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	69.96			

उपरोक्त सारांश जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अधिकांश परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

— अमरेश 02

—02—

(b)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित दिनांक 20-07-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थान	कुल संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	संबंधित तिथि
1	बदोनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जाशोमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. सहस्राल नाला 2. ब्रह्मागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला	31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	1. माखरी वण्ड नाला 2. दैतारणी कुण्ड नाला 3. चमोली बाजार नाला 4. चमोली अलकनंदा घाट नाला 5. चमोली पुल के निकट नाला 6. चमोली पुराना पुल नाला	01	1. कोटियाल सेन नाला	30-03-2020
4	नदप्रयाग	03	03	1. सगुन राई नाला 2. फॉरिस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलस्त चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. तुभापनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. वार्ड नं-1 नाला 7. वार्ड नं-3 नाला	-	-	-
योग:-		28	24		04		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नाले जो वर्तमान तक एसटीपी से टेपिंग नहीं किए गए हैं को शीघ्र टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)-उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
1. गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	-	270	-	-	-
2. जाशोमठ	142	53	195	-	-	-	142	-	142	-	-	-
3. बदोनाथ	344	96	440	135	-	135	165	-	165	31	22	53
योग:-	756	219	975	135	-	135	577	-	577	31	22	53

बदोनाथ में अवशेष 53 भवन जिनमें वर्तमान तक सीवर संयोजन न होने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अतिरिक्त धन जुगाकर शीघ्र सीवर संयोजन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। गोपेश्वर में निर्मित सीवर लाईन से सभी घरों को जोड़े जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद में संबंधित शहरों में सीवर लाईन निर्माण हेतु पेयजल निगम एवं जल संस्थान विभाग द्वारा एक सप्ताह के अंतर्गत संयुक्त निर्माण कर माफकेशन/डिपॉजिट तैयार कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। कर्णप्रयाग में तुभापन मंदिर के गेट से जुड़े सभी सीवर लाईन पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई गंगा उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर से जानकारी माही की गई जिस पर उनको जल संयोजन पर सहकारिता/उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

Reg No 08/11/2003

अभिषेकी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

—कमरा: 03—

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्ण प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डीपीआर के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवशेष (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अव्ययित
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/सिंचाई	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अभिशासी	गोचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभिषेक सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार चमोली में निर्मित शमशान घाट जो वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हुए हैं के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त घाट में बिजली/पानी के संयोजन की कार्यवाही प्रगति पर है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त घाट के अनुसंधान हेतु डीपीआर में प्रस्तावित धनराशि नगर पालिका को हस्तांतरित न किए जाने से अवगत कराया गया, जिसे शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश देते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए।

उमराकोट में निर्मित शमशान घाट संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित न होने के संबंध में जिला पंचायत विभाग के उपस्थित अधिकारी/प्रतिनिधि को शीघ्र हस्तांतरण की कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभिषेक सिंचाई खण्ड थराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका चमोली के अंतर्गत स्थित होटलों एवं धर्मशालाओं से किसी भी प्रकार का मलबा नदी में नहीं डाला जाता है जिसका समय-समय पर पालिका द्वारा अनुसंधान भी किया जाता है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा अधिशासी अधिकारी (नोडल) नगर पालिका परिषद गोपेश्वर को जनपद के समस्त निकायों के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में निर्मित होटलों/धर्मशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित निकायों को सूचित करते हुए आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:-

स्थानीय निकायों के अंतर्गत डोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा पूर्ण में प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 20 जुलाई 2020 तक प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए गए नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	06	01	07	150	05
नगर पालिका परिषद उमराकोट	05	02	03	05	120	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	03	03	-	03	28	05
नगर पालिका परिषद गोचर/थराली जिला	07	07	-	07	92	05
नगर पालिका परिषद श्रीनगर	01	-	-	01	15	02
नगर पंचायत श्रीनगर	06	06	-	06	-	-
कुल	29	24	04	29	405	22

57

4

—05—

IX- मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा अवगत जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चयनित 29 गंगा ग्रामों में SLWP प्रोजेक्ट के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना एवं मनरेगा के अंतर्गत अभिसरण (convergence) के माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं जिनमें से 28 ग्रामों में कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं। उक्त योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में सार्वजनिक कूड़ादान, सोखता गढ़दे, खाद गढ़दे एवं नाली निर्माण कार्य तथा इन ग्रामों में प्रत्येक परिवारों को डस्टबिन भी वितरित कराए जाने से भी अवगत कराया गया जिससे कलस्वरूप ग्रामों में कूड़ा निस्तारण समुचित ढंग से किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी विभाग को उक्त ग्रामों में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष अवशेष भुगतान भी शीघ्र किए जाने तथा चयनित ग्रामों में कूड़ा निस्तारण को समुचित ढंग से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर/ मुख्य विकास अधिकारी चमोली।

अंत में अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 389 / 2-42/26-1 दिवांक, गोपेश्वर, जुलाई 29 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, धराली।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. मुख्य धिकित्ताधिकारी जनपद चमोली।
11. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
12. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर।
13. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
14. सहायक, पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
15. अपर मुख्य अधिकारी जिला चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(Handwritten signature)

दिनांक 04-07-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 04-07-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें सदस्य संयोजक/ प्रभागीय जिलाधिकारी, नदीनाथ वन प्रभाग, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर तथा अनिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर शामिल थे। बैठक में नगमि गंगे परियोजना के अंतर्गत जनपद में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की गयी जिसमें संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुसंधान के संबंध में सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय जिलाधिकारी नदीनाथ वन प्रभाग द्वारा दिसम्बर-2017 से माह जून-2020 तक कुल 10 बैठकों आयोजित होने से अवगत कराया गया।

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewerage:- जनपद में सीवेज के निस्तारण हेतु कराए जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 30-06-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.17	100%	99%	30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASHI NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Trial & Testing	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.11	100%	99%	20-06-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	26.76	100%	90%	30-07-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					90%	30-07-2020
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Jushimath	48.43	29.03	23.75	100%	67%	30-12-2020
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI					-	30-12-2020
	STP#2 (1.98 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.51	100%	97%	15-06-2020
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	69.30	-	-	

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यवाही संस्था को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने का निर्देश जारी किए गए हैं।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(b)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित दिनांक 30-06-2020 तक की प्रगति के अनुसार जनपद में कुल 28 नालों में से 20 नालों को STP से टेप किया जा चुका है तथा शेष 04 नालों को STP कार्य पूर्ण होने के पश्चात् टेप कराया जायेगा। अवशेष नाले जो वर्तमान तक एरर/टी0पी0 से टेपिंग नहीं किए गए हैं को भी टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यवाही संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

—02—

(e)-उत्तराखण्ड जल संरक्षण गोपेश्वर के अनुसार बदीनाथ में 53 भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने का कार्य प्रगति में है जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संरक्षण गोपेश्वर को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त बदीनाथ में 135 घर जिन्हें सीवर लाईन से नहीं जोड़ा जा सकता है के संबंध में परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ₹20 189.25 लाख की वीओपीओआरओ शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है जिसमें वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में कार्यवाही संस्था को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता, जल संरक्षण गोपेश्वर।

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा नंदप्रयाग में 01 स्नानघाट, 01 शमशान घाट, उमराकोट में 01 स्नानघाट, चमोली में शमशान घाट तथा सिंचाई खण्ड थराली द्वारा गौचर में 01 मोक्ष घाट, कर्णप्रयाग में 01 मोक्ष घाट तथा कर्णप्रयाग 01 में स्नानघाट/मोक्षघाट का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जिनमें से नंदप्रयाग स्नानघाट, शमशान घाट, गौचर मोक्षघाट, कर्णप्रयाग मोक्षघाट, कर्णप्रयाग स्नानघाट का संबंधित नगर निकायों को हस्तांतरण किया जा चुका है। उमराकोट शमशान घाट एवं चमोली स्नानघाट के हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे संबंधित नगर निकाय/ग्राम पंचायतों को शीघ्र हस्तांतरण कर अनुपालन आख्या से अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:- जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैंम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका चमोली के अंतर्गत स्थित होटलों एवं धर्मशालाओं से किसी भी प्रकार का मलबा नदी में नहीं डाला जाता है, जिसका समय-समय पर पालिका द्वारा अनुश्रवण भी किया जाता है।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के किनारे स्थित जनपद के समस्त 05 स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैग्रिगेशन एवं घर-घर जाकर (डुअर टु डुअर) कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य निरंतर रूप से कराया जा रहा है तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं जाले लगाए जाने तथा नालों की नियमित रूप से सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया है कि समस्त नालों में जाली आवश्यक रूप से लगाते हुए नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा EIP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमांडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)/थराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार का मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एनओएचो विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्सर्जित मलबा कार्यवाही संस्था द्वारा निर्मित गक याडों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर एनओएचो विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। वन विभाग एवं राजस्व विभाग को जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली के अनुसार जनपद में बायोमेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाने से अवगत कराया गया तथा जनपद में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार डीप वैरल पिट में किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया। उपरोक्तानुसार जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- जनपद के अंतर्गत वन विभाग द्वारा नगामि गंगे परियोजना के Forestry Interventions के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक कुल रु0 294.21 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसके सापेक्ष गंगा ग्रामों में 70 हे0 क्षेत्र में, नेधुरल लैण्डस्केप के अंतर्गत 47 हे0 क्षेत्र तथा एथीकल्वर लैण्डस्केप में 302.94 हे0 निजी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य एवं 70 हे0 क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराए गए हैं। वर्ष 2020-2021 हेतु वृक्षारोपण, नापखेत में वृक्षारोपण तथा मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु रु0 1112.12 लाख की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गयी है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं हुई है। कार्ययोजना स्वीकृत होने पर अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य कराए जाएंगे से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

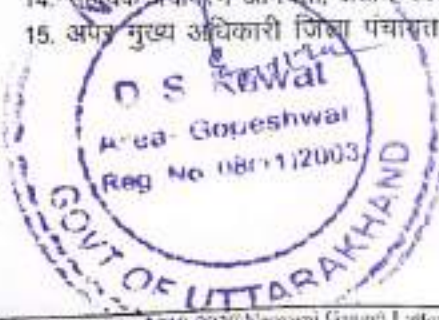
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 112 / 2-42/24-1 दिनांक, गोपेश्वर, 06/07 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नगामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
11. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
12. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
13. परियोजना प्रबंधक, पेयजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
14. सहायक प्रभागीय अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
15. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।



सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

**दिनांक 26-06-2020 को मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री आशुतोष सिंह, सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. श्री एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
3. डा0 के0के0 सिंह, मुख्य प्रिकित्सा अधिकारी, चमोली।
4. डा0 एम0एस0 सगाना, महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र चमोली गोपेश्वर।
5. श्री प्रदीप सेनी, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
6. श्री जे0सी0 थपलियाल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, थराली।
7. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।

दिनांक 26-06-2020 को प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंस के परचात, विडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्धारित ऐजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के परचात विभिन्न निर्देश जारी किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस समाप्ति के परचात अध्यक्ष महोदय के मुख्यालय से बाहर होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों के साथ जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा विगत बैठक दिनांक 20-05-2020 तक की प्रगति एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न प्रकार बिन्दुवार विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन कर कार्यों का अनुश्रवण किये जाने के क्रम में जनपद चमोली में वर्तमान तक निम्नानुसार गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है:-

क्र0सं0	बैठक का दिनांक	पत्रांक जिससे कार्यवृत्त जारी किया गया	अभ्युक्ति
(1)	दि0 18-12-2017,	855/न0गं0/बैठक का0/2017-18 दिनांक 19-12-2017	कार्यवृत्त जारी
(2)	दि0 12-03-2018,	932/न0गं0/बैठक का0/2017-18 दिनांक 19-03-2018	कार्यवृत्त जारी
(3)	दि0 05-07-2018,	57/बैठक का0/जि0गं0सं0समिति/2018-19 दिनांक 20-07-2018	कार्यवृत्त जारी
(4)	दि0 31-10-2018,	1734/2-42 दिनांक 17-11-2018	कार्यवृत्त जारी
(5)	दि0 27-11-2018,	2182/2-42/26-1 दिनांक 29-12-2018	कार्यवृत्त जारी
(6)	दि0 19-12-2018,	2397/2-42 दिनांक 22-01-2019	कार्यवृत्त जारी
(7)	दि0 04-02-2019,	2727/2-42 दिनांक 20-02-2019	कार्यवृत्त जारी
(8)	दि0 18-03-2019,	1244/2-42 दिनांक 21-09-2019	कार्यवृत्त जारी
(9)	दि0 10-04-2019,	1980/2-42 दिनांक 26-11-2019	कार्यवृत्त जारी
(10)	दि0 18-12-2019,	2302/2-42 दिनांक 17-12-2019	कार्यवृत्त जारी
(11)	दि0 30-12-2019,	-	-
(12)	दि0 27-01-2020,	2803/2-42/26-1 दिनांक 03-02-2020	-
(13)	दि0 07-02-2020,	3000/2-42/26-1 दिनांक 13-02-2020	कार्यवृत्त जारी
(14)	दि0 24-02-2020,	3203/26-1/2-42 दिनांक 27-02-2020	कार्यवृत्त जारी
(15)	दि0 20-05-2020,	3100/2-42/26-1 दिनांक 26-05-2020	कार्यवृत्त जारी

—02—

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:- जनपद में सीवेज

के निस्तारण हेतु कराए जा रहे सबर्बो का विवरण निम्न प्रकार है:-

(a)- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 16-06-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

Sl.	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress		Expected Date if Completion
					As per Milestone	As per Actual	
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.17	100%	99%	30-06-2020
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Trial & Testing	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.11	100%	99%	20-06-2020
	STP#1-3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	26.76	100%	90%	30-07-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					90%	30-07-2020
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	23.75	100%	67%	30-12-2020
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI					-	30-12-2020
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.51	100%	97%	15-06-2020
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
Total:-		147.05	86.47	69.30	-	-	

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में निर्माणाधीन उपरोक्तानुसार एस&टी&पी नं से पोखरी बैण्ड एस&टी&पी, विवेकानन्द कालोनी (लीसा बैण्ड) एस&टी&पी, जोशीमठ एस&टी&पी एवं बदीनाथ एस&टी&पी कुल 04 एस&टी&पी नं से जोशीमठ एस&टी&पी ऑनलाईन हो चुका है तथा अन्य 03 एस&टी&पी नं में ऑनलाईन इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है जिन्हें शीघ्र ऑनलाईन कराया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निगम अधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव महोदय द्वारा आयुक्त आगाशी वीडियो काफ़ेंस में ऑन लाईन प्रदर्शित कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

Section Officer 2019-2020, Gopeshwar, Ganga Water Supply & Sewerage Department, Govt. of Uttarakhand

क्रमांक: 03

—03—

(b)- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार Nala Tapping से संबंधित दिनांक 16-06-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्थान	कुल नालों की संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि				
			पूर्ण		प्रगति में		
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम	समाप्ति तिथि
1	बदीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आधारन त्रिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूडी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला	30-12-2020 30-12-2020 30-12-2020
3	गोपेश्वर-चमोली	07	06	1. पोखरी बेण्ड नाला 2. वैतरणी कुण्ड नाला 3. चमोली बाजार नाला 4. चमोली अलकनंदा घाट नाला 5. चमोली पुल के निकट नाला 6. चमोली पुराना पुल नाला	01	1. कोटियाल सेंग नाला	30-07-2020
4	नंदप्रयाग	03	03	1. सगम रोड नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला 3. वाटर टैंक नाला	-	-	-
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. बार्ड नो-1 नाला 7. बार्ड नो-3 नाला	-	-	-
	योग:-	28	24		04		

उपरोक्तानुसार अवशेष 04 नाले जो वर्तमान तक एसोटीपीओ से टेपिंग नहीं किए गए हैं को शीघ्र टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

(c)- उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर के अनुसार भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

सीवर योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल भवनों/परिसरों की संख्या			ऐसे भवन जिनमें संयोजन दिया जाना संभव नहीं है			ऐसे भवनों/परिसरों की संख्या जिनमें संयोजन दिया जा चुका है			अवशेष भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना है		
	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग	घरेलू	अधरेलू	योग
1. गोपेश्वर/चमोली	270	70	340	-	-	-	270	-	270	-	-	-
2. जोशीमठ	142	53	195	-	-	-	142	-	142	-	-	-
3. बदीनाथ	344	96	440	135	-	135	165	-	165	31	22	53
योग:-	756	219	975	135	-	135	577	-	577	31	22	53

अवशेष 135 घर जिनमें सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है को सीवर लाईन से जोड़े जाने हेतु परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा ₹ 189.25 लाख की डीपीओआर शारदा को स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/अभिषेकी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

CAMPA Section/Due 2019-2020/Namam Ganga Project Officer

क्रमांक: 04

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचनाओं के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	सीटपीआरए के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवशिष्ट
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदघवाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नंदघवाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिशाली	गौघर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अभियंता सिंचाई	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार उमराकोट एवं चमोली शमशान घाट जो वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हुए हैं के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को शीघ्र 01 सप्ताह के अंतर्गत हस्तांतरित करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा उपरोक्तानुसार निर्मित शमशान घाटों में बिजली एवं पानी के कनेक्शन न लगे होने से इनके निर्माण के उद्देश्य प्राप्त न होने तथा शवों को अभी भी जलाने के पश्चात नदी में ही डाले जाने से अवगत कराया गया। इस संबंध में संबंधित नगर निकाय को अविलम्ब उक्त घाटों में बिजली तथा पानी के कनेक्शन लगाए जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र धनराशि की मांग हेतु SPMG को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशाली अभियंता सिंचाई खण्ड थराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

II- Compliance status of directions in relation to Hotels/ Dharmshala /Ashrams/ Rafting Camps:-

जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में अवस्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों तथा राफ्टिंग कैम्पों से उत्सर्जित मलबे को नदी में न डाले जाने तथा इनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका चमोली के अंतर्गत स्थित होटलों एवं धर्मशालाओं से किसी भी प्रकार का मलबा नदी में नहीं डाला जाता है जिसका समय-समय पर पालिका द्वारा अनुश्रवण भी किया जाता है। अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा अधिशाली अधिकारी (नोडल) नगर पालिका परिषद गोपेश्वर को जनपद के समस्त निकायों के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में निर्मित होटलों/धर्मशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित निकायों को सूचित करते हुए आदेशित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यवाही:- अधिशाली अधिकारी(नोडल), नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

III- Compliance status of directions in relation to the Municipal Solid Waste:- स्थानीय निकायों के

- अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा पूर्व में प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 25 जून 2020 तक प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	नालों की संख्या	कुल टैप किए जा चुके नालों की संख्या	टैप हेतु अवरोध नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	नालों से उत्पन्न कूड़ा प्रतिदिन (किग्रा में)	लगाए गए कार्मिकों की संख्या
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	05	02	07	150	05
नगर पालिका परिषद जोशगढ	05	02	03	05	120	05
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	03	02	03	28	05
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	07	0	06	92	05
नगर पालिका परिषद गौघर (बरसाती नाला)	01	-	-	01	15	02
नगर पंचायत बदीनाथ	06	06	-	06	-	-
योग:-	31	23	07	28	405	22

स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के किनारे स्थित जनपद के समस्त 05 स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सौरस सैनिटेशन एवं घर-घर जाकर (दुअर टु दुअर) कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य निरंतर रूप से कराया जा रहा है तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं जाले लगाए जाने तथा नालों की नियमित रूप से सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया है कि समस्त नालों में जाली आवश्यक रूप से लगाते हुए नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)

IV- Compliance status of directions in relation to Industries:- उद्योगों से उत्सर्जित सीवेज के निस्तारण के संबंध में महा प्रबंधक उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा ETP कार्य वर्तमान में प्रगति में जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विभागा को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर

V- Compliance status of directions in relation to Flood Plains:- अधिशारी अभियंता सिंचाई खण्ड धराली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-5715/तेरह-10(2019-20) दिनांक 28 मई 2020 को अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यवाही:- अधिशारी अभियंता, सिंचाई खण्ड-चमोली (कोटियालसैण)/धराली/श्रीनगर

VI- Compliance status of directions in relation to the mining on the river Bed:- जनपद में खनन से किसी भी प्रकार की मिट्टी आदि नदी में नहीं गिरती है। वर्तमान में नदी के किनारे एनओएच विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे उत्सर्जित मलबे कार्यवाही संस्था द्वारा निर्मित गक यादों में डाला जा रहा है। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग को समय-समय पर एनओएच द्वारा सड़क विस्तारीकरण से उत्सर्जित मलबे को नदी में डाले जाने हेतु अनुश्रवण किए जाने के निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/राजस्व विभाग

Gopeshwar
REG. NO. 081/112003
CAMP Section/Dec 2019-2020/Namami Ganga Task Force

—कमरा: 06—

VII- Compliance status of directions in relation to the Biomedical Wastes:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी

चमोली द्वारा जनपद में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया गया कि :-

1. जनपद में नायोमेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।
 2. जनपद में सभी चिकित्सालयों द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया गया है जिसका शुल्क भी जमा कराया गया है।
 3. जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाट, कर्णप्रयाग को उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।
 4. जनपद में कोविड-19 के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन कर जिला चिकित्सालय द्वारा नायोमेडिकल वेस्ट हेतु ऑन लाईन एप का प्रयोग किया जा रहा है जिससे प्रतिदिन सूचनाएं प्रेषित की जाती है।
- उपरोक्तानुसार जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अध्यक्ष मण्डल द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चमोली

VIII- Forestry Interventions and Biodiversity Parks:- जनपद के अंतर्गत वन विभाग द्वारा नवगमि मंथन परियोजना के Forestry Interventions के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक कराए गए कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से माह जून-2020 (24.06.2020) तक			
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय(लाख में)	भौतिक	वित्तीय(लाख में)
अग्रिम मृदा कार्य- (i) नेचुरल लेण्डस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	44.87	73.00	44.87
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46
वृक्षारोपण- (i) नेचुरल लेण्डस्केप मद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	13.53
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	19.85
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	5.55	4.80	5.55	4.80
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	37.58	302.94	37.58
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26
कार्यशाला (पी0एम0यू0)	संख्या	02	0.75	02	0.75
कन्टीनेन्सी (पी0एम0यू0)	ल0र0	LS	2.25	LS	2.25
योग:-		-	294.21	-	294.21

उपरोक्तानुसार प्रगति के अवलोकन के पश्चात अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद के अंतर्गत कराए गए ग्राम/स्थलवार/प्रजातिवार विवरण भी आगामी बैठक में प्रस्तुत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, चंदीनाथ वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि Forestry Interventions के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मदवार वार्षिक कार्ययोजना भी उच्च स्तर को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसके स्वीकृत होने के पश्चात वनराशि अत्युत्तम होने पर वर्ष 2020-21 में कार्य पूर्ण कराए जाएंगे।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, चंदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

18/6/20
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥
पत्रांक 4673 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, जून 30 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड भेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली-गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
11. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
12. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
13. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
14. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
15. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



Handwritten signature.

**दिनांक 20-05-2020 को जिला अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमित कंवर, सदस्य संयोजक, जि०गं०सं०समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी चंदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. श्री हंसावत पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री एस०के० वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, चमोली।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, थराली।
7. श्री लक्ष्मण सिंह राणा, प्रतिनिधि-परियोजना प्रबंधक स्वजल विभाग गोपेश्वर चमोली।

बैठक प्रारंभ करते हुए सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी चंदीनाथ वन प्रभाग द्वारा विगत बैठक दिनांक 19-05-2020 तक की प्रगति एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न प्रकार बिन्दुवार विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में वर्तमान तक निम्नानुसार गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी है:-

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| (i) दि० 18-12-2017, | (v) दि० 27-11-2018, | (ix) दि० 13-12-2019, | (xii) दि० 07-02-2020, |
| (ii) दि० 12-03-2018, | (vi) दि० 19-12-2018, | (x) दि० 30-12-2019, | (xiii) दि० 24-02-2020, |
| (iii) दि० 05-07-2018, | (vii) दि० 04-02-2019, | (xi) दि० 27-01-2020, | |
| (iv) दि० 31-10-2018, | (viii) दि० 13-09-2019, | | |

1- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 19-05-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

Sl.	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress As per Milestone	As per Actual	Expected Date of Completion
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	6.14	100%	99%	30-05-2020
	STP#1 (0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned	
	STP#2 (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned	
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned	
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Trial & Testing	
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned	
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.08	100%	99%	30-05-2020
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned	
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned	
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	26.06	100%	90%	30-07-2020
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned	
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned	
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					90%	15-06-2020
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Trial & Testing	
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned	
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	23.66	100%	67%	30-12-2020
	STP#1 (2.76MLD) MARWARI					-	30-12-2020
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned	
5	I&D With STP, Baidnath	18.24	9.86	8.51	100%	97%	15-06-2020
	STP (1.00 MLD)					Trial & Testing	
	STP (0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned	
	Total:-	147.05	86.47	68.45			

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या को अवलोकन के पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित कार्यवाही विभाग को समस्त कार्य निर्माणाधीन परियोजना पूर्ण करवाए जाने के निर्देश दिए गए।

प्रमाणित
Reg. No. 123456789
परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
CAMP/Section/Doe 2019-2020/Section/Manager/Letter/Order
—कृष्ण: 02—

2- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा Nala Tapping से संबंधित दिनांक 19-05-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र० सं०	स्थान	कुल नालों की संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि			
			पूर्ण		प्रगति में	
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम
1	बदीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. वीएसएनएल नाला 4. रूड्डी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. चामुनी नाला	-	-
2	जोशीमत	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. काभेट लॉज नाला
3	गोपेश्वर-चमोली	07	05	1. वेंतारणी खण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला	02	1. पोखरी खण्ड नाला 2. कोठियाल सैण नाला
4	नंदप्रयाग	03	02	1. सनम रोड नाला 2. फॉरिस्ट ऑफिस नाला	01	1. वाटर टैंक नाला
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. पार्क नं०-1 नाला 7. पार्क नं०-3 नाला	-	-
योग:-		28	22		06	

उपरोक्तानुसार अवशेष 06 नाले जो वर्तमान तक एसओटीओपीओ से टेपिंग नहीं किए गए हैं को शीघ्र टेपिंग कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा 04 एवं सिंचाई खण्ड थराली द्वारा 03 कुल 07 घाटों का निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत है जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण प्रेषित सूचनाओं के अनुसार वर्तमान तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	टीओपीओआरओ के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अयमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अभ्युक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	हस्तांतरित।
2	विभाग/	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरित।
3	सिंचाई खण्ड	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	प्रगति पर है।
4	श्रीनगर	चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	प्रगति पर है।
योग:-			04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिकांसी	गौधर गांव घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	हस्तांतरित।
6	अनिर्धारित सिंचाई	कर्णप्रयाग गांव घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	हस्तांतरित।
7	खण्ड थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	हस्तांतरित।
योग:-			03	951.40	951.40	100%	810.85	
कुल योग:-			07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार उपरोक्त कार्यदायी संस्था चमोली शमशान घाट जो वर्तमान तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हुए हैं के संबंध में जिम्मेदार अधिकारी/अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को शीघ्र 01 सप्ताह के अंतर्गत हस्तांतरित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कार्यवाही:- जिम्मेदार अधिकारी/सिंचाई खण्ड थराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/संबंधित नगर निकाय।

Reg No 08/112003

4- Status of Solid Waste Management:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद घमोली-गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के किनारे स्थित जनपद के समस्त 05 स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सोर्स सैनिटेशन एवं घर-घर जाकर (दुआर टु दुआर) कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य निरंतर रूप से कराया जा रहा है तथा जो नाले सीधे नदी में गिरते हैं जाले लगाए जाने तथा नालों की नियमित रूप से सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया है कि समस्त नालों में जाली आवश्यक रूप से लगाते हुए नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद घमोली गोपेश्वर (नोडल)

5- Forestry Intervention:- Forestry Intervention के अंतर्गत वन विभाग जनपद घमोली द्वारा वर्ष 2017-18 से माह मई-2020 (दिनांक 19-05-2020) तक स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से माह मई-2020 (19-05-2020) तक				
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति		अवशेष धनराशि (लाख में)
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
अग्रिम मृदा कार्य- (i) नेचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	44.87	73.00	44.87	-
(ii) गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46	-
वृक्षारोपण- (i) नेचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	13.53	-
(ii) गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	19.85	-
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	5.55	5.30	5.55	4.80	0.50
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	302.94	42.28	302.94	37.58	4.71
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	-
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कार्यशाला (पीओएमओ) (गत वर्ष का अवशेष)	संख्या	03	1.25	02	0.75	0.50
कन्टीजेन्सी (पीओएमओ)	लॉरॉ	L.S	2.00	L.S	2.00	-
योग:-		-	299.66	-	293.95	5.71

नोट:- उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि गत वर्षों में अवमुक्त अतिरिक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष थी जिसे समर्पित कर उच्च स्तर को वापस किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रभागीय वनाधिकारी, यदीनाथ वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नानुसार मदवार वार्षिक कार्ययोजना भी उच्च स्तर को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसके स्वीकृत होने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त होने पर वर्ष 2020-21 में कार्य पूर्ण कराए जाएंगे।

क्र. सं.	DPR Set / कार्य मद	कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य	
				भौतिक	वित्तीय (लाख में)
1-	Set-I Natural Landscape	नर्सरी अनुरक्षण	संख्या	02	1.47
		अग्रिम मृदा कार्य-नेचुरल लैण्डस्केप मद	है०	227.50	150.94
		वृक्षारोपण- नेचुरल लैण्डस्केप	है०	26.00	7.28
		अनुरक्षण-नेचुरल लैण्डस्केप वृक्षारोपण मद	है०	47.00	6.22
		अनुरक्षण-गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	है०	70.00	10.13
		योग:-		-	176.04
2-	Set-II Agriculture Landscape	फलदार/आर्थिक पौधों का वितरण/रोपण	है०	75.00	14.06
		अनुरक्षण-प्रथम वर्ष	है०	104.56	4.97
		अनुरक्षण-द्वितीय वर्ष	है०	40.00	1.50
		अनुरक्षण-तृतीय वर्ष	है०	158.38	5.94
		योग:-		-	26.48
3-	Set-III Urban Landscape	नदी किनारे घास एवं जड़ी-बूटी पौधों का वृक्षारोपण	है०	75.00	60.00
		नदी किनारे नेचुरल ड्रेल एवं पैदल पथ निर्माण (500mtr X 3 mtr)	लॉरॉ	L.S.	30.00
		बैठक पथ/चूल्हा घर निर्माण	संख्या	32	208.00
		योग:-		-	298.00
4-	Set-IV Conservation activity	भूमि संरक्षण कार्य (नैचुरल ड्रेम, चैम्पदेग, माली प्लग, पारम्परिक विधान निर्माण)	है०	310.00	603.00
5-	Supporting Activity Contingency	सहायक/अन्य कार्य	लॉरॉ	L.S.	8.60
		कुल योग:-		-	1112.12

CAMPA Section/Date 2019-2020/Namam Ganga/Labor Other

—क्रमशः 04—

—04—

6- मुख्य विकास अधिकारी चमोली एवं प्रतिनिधि स्वजल विभाग गोपेश्वर द्वारा अवगत जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चयनित 29 गंगा ग्रामों में SLWP प्रोजेक्ट के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना एवं मनरेगा के अंतर्गत अभिसरण (convergence) के माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं जिनमें से 28 ग्रामों में कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं। उक्त योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में सार्वजनिक कूड़ादान, सोखता गढ़दे, खाद गढ़दे एवं नाली निर्माण कार्य तथा इन ग्रामों में प्रत्येक परिवारों को डस्टबिन भी वितरित कराए जाने से भी अवगत कराया गया जिससे फलस्वरूप ग्रामों में कूड़ा निस्तारण समुचित ढंग से किया जा रहा है। उक्त कार्यो हेतु कुल 256.11 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत थी जिसके सापेक्ष नमामि गंगे के अंतर्गत रु0 211.21 लाख के सापेक्ष 177.81 लाख की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा अवशेष अंतिम भुगतान की कार्यवाही लॉक डाउन के कारण वर्तमान में लम्बित थी जिसके भुगतान की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। उक्तानुसार प्रगति के अवलोकन के पश्चात अध्यक्ष महोदया द्वारा अंतिम भुगतान शीघ्र किए जाने हेतु संबंधित कार्यदायी विभागा को निर्देशित करते हुए चयनित ग्रामों में कूड़ा निस्तारण को समुचित ढंग से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर/
मुख्य विकास अधिकारी चमोली।।

7- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि बदीनाथ क्षेत्र में कुल 440 घर/मकान निर्मित है जिनमें से 252 घरों को सीवर लाईन से जोड़ा गया है। 184 घरों को सीवर से जोड़ा जाना अवशेष है जिनमें से 53 घरों को उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सीवर लाईन से जोड़े जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रगति में है जो माह मई-2020 तक पूर्ण हो जाने से अवगत कराया गया। अवशेष 135 घरों को सीवर लाईन से जोड़े जाने हेतु परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा रु0 109.25 लाख की डी0पी0आर0 शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है जिसमें वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने तथा धनराशि अवनुक्त होने के पश्चात शीघ्र इन्हें भी सीवर से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदया द्वारा उपरोक्तानुसार 53 घरों को शीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत सीवर लाईन से जोड़े जाने हेतु तथा शेष 135-घरों को सीवर से जोड़े जाने हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 को स्वीकृत कराए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।



कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड
पेयजल निगम गोपेश्वर/अधिसारी अभियंता, जल संस्थान चमोली गोपेश्वर।

—क्रमशः 05—

अंत में जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 4155 / 2-12-26 दिनांक, गोपेश्वर, मई 26 / 2020

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, धराली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



**दिनांक 24-02-2020 को जिला अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमित कंदर, सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. श्री हंसादत्त पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री एसओओ बर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।

बैठक प्रारंभ करते हुए सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा विगत बैठक दिनांक 07-02-2020 तक की प्रगति एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न प्रकार बिन्दुवार विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए गए।

जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठकों का विवरण:- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक गंगा के निर्देशानुसार जनपद में वर्तमान तक निम्नानुसार गंगा संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी है:-

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (i) दिनांक 18-12-2017, | (ii) दिनांक 12-03-2018, |
| (iii) दिनांक 05-07-2018, | (iv) दिनांक 31-10-2018, |
| (v) दिनांक 27-11-2018, | (vi) दिनांक 19-12-2018, |
| (vii) दिनांक 04-02-2019 | (viii) दिनांक 13-09-2019 |
| (ix) दिनांक 13-12-2019 | (x) दिनांक 30-12-2019 |
| (xi) दिनांक 27-01-2020 | (xii) दिनांक 07-02-2020 |

1- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 24-02-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	
					As per Miles-tone	As per Actual
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	5.98	100%	98%
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASHI NAGAR					Commissioned
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Trial & Testing
2	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned
	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.08	100%	98%
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned
	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar					90%
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI	61.83	36.08	25.19	100%	Commissioned
3	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					90%
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL PARK GOPESHWAR					Trial & Testing
	STP#5 (0.05MLD) SUSAN BRIDGE CHAMOLI					Commissioned
4	I&D With STP, Jodhpur	48.43	29.03	22.71	100%	62%
	STP#1 (2.70MLD) JODHPUR					-
	STP#2 (0.08 MLD) POKHRI					Commissioned
	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.40	100%	95%
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Trial & Testing
5	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned
	Total:-	147.05	86.47	66.36	-	-



उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) द्वारा कर्णप्रयाग में निर्मित STP दिनांक 28-02-2020, नंदप्रयाग में निर्मित STP दिनांक 15-03-2020, चमोली-गोपेश्वर में निर्मित STP दिनांक 31-03-2020, पोखरी बैण्ड STP दिनांक 28-02-2020, जोशीमठ में निर्माणाधीन मारवाड़ी एस0टी0पी0 जो जून-2020 तक Trial & Testing में आ जाने से अवगत कराया गया, जिसके संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

2- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा Nala Tapping से संबंधित दिनांक 24-02-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र0 सं0	स्थान	कुल नालों की संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि			
			पूर्ण		प्रगति में	
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम
1	बद्रीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन ब्रिज से मंदिर नाला 3. डीएसएनएल नाला 4. रतूड़ी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. द्रोणागिरी नाला 3. कामेट लॉज नाला
3	गोपेश्वर-चमोली	07	05	1. बैतरणी कुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला	02	1. पोखरी बैण्ड नाला 2. कोटियालसेन नाला
4	नंदप्रयाग	03	02	1. संगम रोड नाला 2. फॉरेस्ट ऑफिस नाला	01	1. वाटर टैंक नाला
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. बार्ड नं0-1 नाला 7. बार्ड नं0-3 नाला	-	-
योग:-		28	22		06	

उपरोक्तानुसार अवशेष 06 नाले जो वर्तमान तक एस0टी0पी0 से टेपिंग नहीं किए गए के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अवशेष एस0टी0पी0 कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत नालों से टेपिंग किए जाने हेतु अवगत किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्धारित समयान्तर्गत अवशेष समस्त नालों को एस0टी0पी0 से टेपिंग कराए जाने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा 04 एवं सिंचाई खण्ड धराली द्वारा 03 कुल 07 घाटों का निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत है जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार स्नानघाट/शमशान घाट निर्माण प्रेषित सूचनाओं के अनुसार वर्तमान तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग / कार्य दायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	डी०पी०आर० के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवमुक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग/	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
2	सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
3	श्रीनगर	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
4		चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिरास्ती अनियंता	गोबर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
6	सिंचाई खण्ड	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
7	धराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपरोक्तानुसार गंगा घाटों पर स्नानघाट एवं शमशान घाटों का निर्माण/विकास कार्य कराए जाने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुसार निर्मित स्नानघाटों एवं शमशान घाटों को एक कार्य के रूप में निर्मित किया गया है जिस कारण उपरोक्त घाटों का पर्यटन के रूप में उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिन्हें अलग-अलग होना चाहिए। इस संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार ही निर्माण कर अंकित किए गए हैं। उनके द्वारा उक्त के संबंध में आश्वस्त कराया गया कि निर्मित घाटों के निकट पर्यटन संबंधी पलैक्सी बोर्ड लगा दिए जाएंगे जिससे कि घाटों का पर्यटन के रूप में भी उपयोग हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह नगर निकायों को यह भी अवगत कराया गया कि यदि नगर निकायों के अंतर्गत नदियों के किनारे पर्यटन की दृष्टि से और भी उपयुक्त स्थल उपलब्ध हों जहां पर घाटों पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जा सकता है तो तदनुसार डी०पी०आर० तैयार कर स्वीकृति हेतु अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराए जाए।

कार्यवाही:- अधिरास्ती अनियंता सिंचाई खण्ड धराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/संबंधित नगर निकाय।

4- Status of Solid Waste Management:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिरास्ती-अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा समस्त स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत जो नाले सीधे नदी में गिरते हों में जाले लगाए जाने तथा नालों की नियमित रूप से सफाई कराए जाने से अवगत कराया गया है। इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया है कि समस्त नालों में जाली आवश्यक रूप से लगाते हुए नियमित रूप से जाले लगाए जाएं तथा प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण हेतु प्लास्टिक कॉम्प्रेटर मशीन लगाए जाएं तथा मशीन न होने की स्थिति में पर प्लास्टिक कूड़े को एकत्र कर कदरों में इकट्ठा कर नजदीकी नगर निकाय जहां पर मशीन लगी हो उसे ले जाकर प्लास्टिक निस्तारण किया जाए।

कार्यवाही:- अधिरास्ती अधिकारी, समस्त नगर निकाय जनपद चमोली।

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF UTTARAKHAND
M. C. S. - GOPIKESHVAR
2003

5- Forestry Intervention:- Forestry Intervention के अंतर्गत वन विभाग जनपद चमोली द्वारा वर्ष 2017-18 से माह फरवरी दिनांक 24-02-2020 तक स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से माह फरवरी-2020 तक				
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति		अवशेष धनराशि (लाख में)
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
अग्रिम मृदा कार्य- (i) नेचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	39.29	73.00	39.29	-
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46	-
वृक्षारोपण- (i) नेचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	11.81	1.72
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	17.85	2.00
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	4.50	3.30	4.50	3.30	-
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	268.38	31.07	250.85	29.40	1.67
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	-
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कार्यशाला (पीओएमयू) (गत वर्ष का अवशेष)	संख्या	03	1.25	02	0.75	0.50
कन्टीजेन्सी (पीओएमयू)	लॉस	L.S	2.00	L.S	2.00	-
योग:-		-	280.87	-	274.98	5.89

उपरोक्तानुसार अवशेष लक्ष्यों को माह मार्च-2020 तक शत-प्रतिशत पूर्ण किए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

6- अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के संचालन एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की प्रगति के संबंध में पूछे जाने पर सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्वजल विभाग द्वारा गंगा संरक्षण समिति के संचालन हेतु संचालित खाते को सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है जिसमें कार्यालय संचालन तथा भवन निर्माण से संबंधित रु० 5.00 की धनराशि जमा है, किंतु इसे व्यय किए जाने संबंधी कोई भी डी०पी०आर०/पत्रावली आदि प्रमाण को उपलब्ध नहीं करा दी गयी है जिससे उक्त धनराशि का व्यय किया जा सके। अतः इस हेतु डी०पी०आर० तथा कार्यालय भवन निर्माण से संबंधित पत्रावली उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही कार्यालय भवन निर्माण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना/विकास विभाग से उक्त भवन निर्माण हेतु डी०पी०आर०/पत्रावली को आगामी बैठक में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना/ मुख्य विकास अधिकारी, चमोली, सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।



अंत में जिलाधिकारी चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
पत्रांक 3293 / 261/242 दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 27 / 2020

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली

o/c

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



Handwritten signature.

दिनांक 07-02-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत

“जिला गंगा संरक्षण समिति” की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमित कंवर, सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. श्री एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
3. श्री एम0एस0 खाती, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग जनपद चमोली।
4. श्री प्रवीन सैनी, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।
5. श्री डी0एस0 रावत, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर चमोली।
6. श्री प्रकाश रावत, परियोजना प्रबंधक, स्वजल, चमोली गोपेश्वर।
7. श्री पंकज नेगी, जिला पंचायत चमोली-गोपेश्वर।
8. श्री चन्द्रमोहन, जिला पंचायत चमोली-गोपेश्वर।
9. श्री आशीष चमोला, नगर पालिका पोखरी।
10. श्री चन्द्रमोहन सिंह, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली।
11. श्री रविन्द्र सिंह, सूचना विभाग।
12. नितिन सती, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग।
13. श्री संदीप कुमार नेगी, कर निरीक्षक, नगर पंचायत नंदप्रयाग।
14. श्री रवि प्रकाश, सहायक अभियंता, पी0डब्ल्यू0डी0 गोपेश्वर।
15. श्री गुरुदीप लाल आर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण।
16. श्री सुरेन्द्र रावत, उप अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण।
17. श्री एस0पी0 नोटियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ।
18. श्री केशव सिंह, कर निरीक्षक, नगर पंचायत थराली।
19. श्री महावीर लाल, नगर पंचायत थराली।
20. श्री मयंक राणा, नगर पालिका परिषद जोशीमठ।
21. श्री संदीप फटवाल, नगर पंचायत पीपलकोटी।
22. श्री सुरेन्द्र पंवार, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर।
23. श्री बी0एस0 यादव, शिवाई विभाग चमोली।

उक्त बैठक में उपस्थित हुए सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा विगत बैठक दिनांक 27-01-2020 तक की प्रगति एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रगति आख्ये अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी चमोली को सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत कार्य करते हुए निर्देश जारी किए गए:-



CAMP/Section/Dec 2019-2020/Name: Gopeshwar/Date: 07/02/2020

—क्रमशः 02—

—02—

1- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 06-02-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	
					As per Milestone	As per Actual
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	5.98	100%	98%
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Trial & Testing
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.08	100%	98%
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	25.19	100%	90%
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					85%
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Trial & Testing
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	22.71	100%	62%
	STP#1 (2.70MLD) MARWARI					-
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.40	100%	95%
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned
Total:-		147.05	86.47	66.36	-	-

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) द्वारा चमोली-गोपेश्वर में निर्माणाधीन पोखरी वैण्ड एस0टी0पी0 एवं दीनदयाल उपाध्याय एस0टी0पी0 दिनांक 15-02-2020 तक Trial & Testing में आ जाने से आवश्यक किया गया। जोशीमठ में निर्माणाधीन मारवाडी एस0टी0पी0 में पूर्ण 2020 तक Trial & Testing में आ जाने से अवगत कराया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समयानुसार कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
 M. Gopeshwar
 Reg. No. 08/112003
 CAMBA Section Dec 2019-2020 Namam Ganga Fund 3 Rhet
 03

2- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा Nala Tapping से संबंधित दिनांक 06-02-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र० सं०	स्थान	कुल नालों की संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि			
			पूर्ण		प्रगति में	
			संख्या	नाला का नाम	संख्या	नाला का नाम
1	बद्रीनाथ	06	06	1. मानव कल्याण आश्रम नाला 2. आयरन गिज से मंदिर नाला 3. बीएसएनएल नाला 4. रतूडी नाला 5. पिण्डदान घाट नाला 6. बामणी नाला	-	-
2	जोशीमठ	05	02	1. नव गंगा नाला 2. गांधी नगर नाला	03	1. तहसील नाला 2. दोषागिरी नाला 3. काभेट लॉज नाला
3	गोपेश्वर-चमोली	07	05	1. बैतस्मी कुण्ड नाला 2. चमोली बाजार नाला 3. चमोली अलकनंदा घाट नाला 4. चमोली पुल के निकट नाला 5. चमोली पुराना पुल नाला	02	1. पोखरी बैण्ड नाला 2. कोठियालसैण नाला
4	नंदप्रयाग	03	02	1. संगम रोड नाला 2. फॉरिस्ट ऑफिस नाला	01	1. वाटर टैंक नाला
5	कर्णप्रयाग	07	07	1. पुलिस चौकी नाला 2. एस.बी.आई. ए.टी.एम. नाला 3. सरस्वती शिशु मंदिर नाला 4. सुभाषनगर नाला 5. नया पुल नाला 6. पार्क नं०-1 नाला 7. पार्क नं०-3 नाला	-	-
	योग:-	28	22		06	

उपरोक्तानुसार अवशेष 06 नाले जो वर्तमान तक एस०टी०पी० से टेपिंग नहीं किए गए के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा जोशीमठ के अवशेष 03 नालों को जून-2020 तक एस०टी०पी० कार्य पूर्ण होने पर टेपिंग कराए जाने तथा गोपेश्वर-चमोली के अवशेष 02 नालों में से पोखरी बैण्ड नाला 10 फरवरी-2020 तक व कोठियाल सैण नाला 28 फरवरी 2020 तक एवं नंदप्रयाग एस०टी०पी० के अंतर्गत वाटर टैंक नाला 28-02-2020 तक एस०टी०पी० से टेपिंग किए जाने हेतु आश्चर्य किया गया। जिस पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्दिष्ट समय अंतर्गत अवशेष समस्त नालों को एस०टी०पी० से टेपिंग कराए जाने के निर्देश तथा आगामी एक मं. उपरोक्तानुसार कार्य के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश जारी किए गए।



कार्यदायी- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा 04 एवं सिंचाई खण्ड थराली द्वारा 03 कुल 07 घाटों का निर्माण विकास कार्य स्वीकृत है जिसके सम्बन्ध कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार वर्तमान तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग / कार्यदायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	शीटपीछास के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवशुद्ध (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अनुवृत्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग /	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
2	सिंचाई खण्ड	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
3	श्रीनगर	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
4		चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अभिशासी अभियंता	गौदर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
6	सिंचाई खण्ड	कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
7	थराली	कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
		योग:-	03	951.40	951.40	100%	810.85	
		कुल योग:-	07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

उपरोक्तानुसार सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा निर्मित स्नानघाट एवं शमशान घाटों के कार्य पूर्ण कराए जाने के पश्चात नंदप्रयाग में निर्मित स्नानघाट एवं शमशान घाट संबंधित नगर निकाय को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा उमराकोट तथा चमोली में निर्मित शमशान घाटों का हस्तांतरण वर्तमान तक संबंधित निकायों/ग्राम सभा को न कराए जाने पर आपत्ति व्यक्त की गयी। कार्यदायी संस्थाओं के कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें शीघ्र हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या के साथ आगामी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

नगर पंचायत कर्णप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग में सिंचाई खण्ड थराली द्वारा निर्मित स्नानघाट/मोक्ष घाट की रेलिंग हस्तांतरण के 20-25 दिन पश्चात ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा नगर पंचायत कर्णप्रयाग को संबंधित कार्यदायी संस्था को क्षतिग्रस्त रेलिंग की शीघ्र मरम्मत कराए जाने हेतु पत्र लिखे अन्यथा संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा मरम्मत न कराए जाने की दशा में उनसे वसूली हेतु पत्र लिखने के निर्देश दिए गए। आगामी बैठक में उपरोक्तानुसार कार्यों के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश जारी किए गए।

अभिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली/सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/संबंधित नगर निकाय।

—क्रमशः 05—

CANRA Section/Doe 2019-2020 Namami Gangei Lower Office

4- Status of Solid Waste Management:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नोडल अधिकारी/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा पूर्व में प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	निकायों के अंतर्गत नदी में मिलने वाले नालों की संख्या	कुल टैप किए जा चुके नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	गंगा नदी में प्रदूषण करने वाले के खिलाफ कस्टे गए चालानों की संख्या	बसूले गए जूमाने की धनराशि
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	01	04	05	39	195000.00
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	04	03	07	-	0.00
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	02	हेम 03 बरसाती नाले हैं।	02	-	0.00
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	06	01	07	03	5600.00
नगर पालिका परिषद मौचर	01	-	-	01	-	-
नगर पंचायत गैरसैण	-	-	-	-	-	-
नगर पंचायत धराली	04	आपदा से सभी नाले क्षतिग्रस्त हैं	04	-	-	-
नगर पंचायत पोपलकोटी	05	-	05	-	-	-
योग:-	34	13	17	22	42	200600.00

उपरोक्तानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रान्तर्गत जो नाले सीधे नदी में गिरते हों में आवश्यक रूप से जाले लगाए तथा नियमित रूप से नालों की सफाई करते रहें। आगामी बैठक में नालों की सफाई से संबंधित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश जारी किए गए। कूड़ा प्रबंधन के संबंध में समस्त समस्त नगर निकायों में प्लास्टिक कॉम्पेक्टर मशीन लगाए जाने के संबंध में पोखरी में मशीन न होने तथा प्लास्टिक कूड़े को एकत्र कर कट्टों में इकट्ठा किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कूड़े को नजदीकी नगर निकाय जहां पर मशीन लगी हो में ले जाकर उसका निस्तारण कराए जाने के निर्देश भी दिए गए।

कार्यवाही:- अधिसासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय जनपद चमोली।

5- Forestry Intervention:- Forestry Intervention के अंतर्गत वन विभाग जनपद चमोली द्वारा वर्ष 2017-18 से माह जनवरी-2020 तक स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से माह जनवरी-2020 तक				
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति		अवशेष धनराशि
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	(लाख में)
अग्रिम मृदा कार्य- (i) नेचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	73.00	39.29	73.00	39.29	-
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46	-
वृक्षारोपण- (i) नेचुरल लैण्डस्केप मद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	10.15	3.38
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	16.94	2.91
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मद	हेक्टेयर	4.50	3.30	4.50	3.30	-
फलदार/आर्थिक पौधों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	268.38	31.07	250.85	26.95	4.12
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	-
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कार्यशाला (पीओएमयू) (गत वर्ष का अवशेष)	संख्या	03	1.25	02	0.75	0.50
कन्टीजेन्सी (पीओएमयू)	लॉसिंग	L.S	2.00	L.S	2.00	-
योग:-		-	280.87	-	269.96	10.91

उपरोक्तानुसार कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि शीतकालीन पौध रोपण तथा वृक्षारोपण अनुक्षण कार्यों से संबंधित हैं। इन कार्यों को शीत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए आगामी बैठक में उपरोक्तानुसार कराए गए कार्यों की स्थलवार कार्यवाही- वन विभाग/प्रभागीय जिलाधिकारी, नदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय जिलाधिकारी, नदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

—कमरा: 08—

6- जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं जल संस्थान को पानी की नियमित जांच कराए जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर पानी की जांच कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आगामी बैठक में वर्तमान तक करायी गयी जांच के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्यवाही:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।

7- स्वजल विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों के संबंध में परियोजना प्रबंधक स्वजल द्वारा जनपद में घयनित 29 ग्रामों में सैप्टिक टैंक, सॉक पिट, शौचालय निर्माण तथा कूड़ा एकत्रीकरण हेतु कूड़ादान वितरित कराए जाने से अवगत कराया गया। कूड़ादानों में कूड़ा डाले जाने पर उसका निस्तारण किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई न रखे जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि कूड़ा दानों में एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु किसी सफाई कर्मी को तैनात किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक स्वजल विभाग, गोपेश्वर (चमोली)।

अंत में जिलाधिकारी/अध्यक्ष-जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली द्वारा बैठक में दिए गए उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित आगामी जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
प्रक्रांक 3070 / 2-42/26 दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 13 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



6/C

**दिनांक 27-01-2020 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
“जिला गंगा संरक्षण समिति” की बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री एसडी0 पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
2. श्री सर्वेश कुमार दुबे, प्रभागीय वनाधिकारी अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर।
3. श्री एसके0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. श्री जयलाल, कर निरीक्षक, नगरपालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

बैठक प्रारंभ करते हुए सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा विगत बैठक की प्रगति एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रगति आख्या, अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी चमोली को समुच्च प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न प्रकार बिन्दुवार विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए गए:-

1- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 25-01-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	
					As per Milestone	As per Actual
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	5.77	100%	96%
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Commissioned
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					Trial & Testing
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	4.04	100%	98%
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	24.35	100%	88%
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Commissioned
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					82%
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					Trial & Testing
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	21.88	100%	62%
	STP#1 (2.70MLD) MARWARJ					
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.40	100%	95%
	STP-(1.00 MLD)					Trial & Testing
	STP-(0.01 MLD) Pre-Fab Unit					Commissioned
Total:-		147.05	86.47	64.44	-	-

उपरोक्त प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) द्वारा कर्णप्रयाग में निर्माणाधीन एसडी0 पाण्डे, नंदप्रयाग में निर्माणाधीन फारेस्ट नाला एवं संगम नाला एसडी0 पाण्डे, चमोली-गोपेश्वर में निर्माणाधीन पोखरी बेंड एसडी0 पाण्डे एवं दीनदयाल उपाध्याय एसडी0 पाण्डे दिनांक 15-02-2020 तक Trial & Testing में आ जाने से आश्चर्य किया गया तथा जोशीमठ में निर्माणाधीन मारवाड़ी एसडी0 पाण्डे में कार्य प्रारंभ हो जाने से जून-2020 तक Trial & Testing में आ जाने से अवगत कराया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित सामान्यतर्गत कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।



चमोली-गोपेश्वर प्रभाग, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

2- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा Nala Tapping से संबंधित दिनांक 25-01-2020 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र०सं०	स्थान	कुल नालों की संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि	
			पूर्ण	प्रगति में
1	बदीनाथ	06	06	-
2	जोशीमठ	05	02	03
3	गोपेश्वर-चमोली	07	05	02
4	नंदप्रयाग	03	02	01
5	कर्णप्रयाग	07	07	-
योग:-		28	22	06

उपरोक्तानुसार अवशेष 06 नाले जो वर्तमान तक एसटीडीपीओ से टेपिंग नहीं किए गए के संबंध में जिलाधिकारी चमोली द्वारा संबंधित कार्यवाही संस्था को जोशीमठ के अवशेष 03 नालों को अप्रैल-2020 तक तथा गोपेश्वर-चमोली के अवशेष 02 नालों को फरवरी-2020 तक एसटीडीपीओ से टेपिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए जिस पर संबंधित कार्यवाही संस्था द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत एसटीडीपीओ चालू होने के पश्चात एसटीडीपीओ से टेपिंग कराए जाने हेतु आश्वस्त कराया गया।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कार्यवाही संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा 04 एवं सिंचाई खण्ड धराली द्वारा 03 कुल 07 घाटों का निर्माण विकास कार्य स्वीकृत है जिसके सापेक्ष कार्यवाही संस्थाओं द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार वर्तमान तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विभाग / कार्यवाही संस्था	कार्यस्वरूप एवं कार्य का विवरण	डीपीओआरओ के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अवमुक्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (%) में	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग/ सिंचाई खण्ड श्रीनगर	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
2		नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
3		उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
4		चमोली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
योग:-			04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	
5	अधिरासी अभियंता सिंचाई खण्ड धराली	गौचर मोक्ष घाट निर्माण	01	426.46	426.46	100%	346.08	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
6		कर्णप्रयाग मोक्ष घाट निर्माण	01	275.79	275.79	100%	233.76	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
7		कर्णप्रयाग स्नानघाट एवं मोक्षघाट निर्माण	01	249.15	249.15	100%	231.01	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
योग:-			03	951.40	951.40	100%	810.85	
कुल योग:-			07	2369.71	2266.40	100%	2125.85	

नोट:- अधिरासी अभियंता सिंचाई खण्ड धराली को स्वीकृत 03 घाटों के निर्माण हेतु रु० 951.40 लाख की धनराशि स्वीकृत अवमुक्त है जिसके सापेक्ष रु० 810.85 लाख की धनराशि व्यय करते हुए शत-प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्ति करते हुए निर्मित घाट स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कराए जा चुके हैं तथा अवशेष रु० 89.15 लाख की धनराशि समर्पित कर दी गयी है से अवगत कराया गया है।

उपरोक्तानुसार सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा निर्मित स्नानघाट एवं शमशान घाटों के कार्य पूर्ण कराए जाने के पश्चात नंदप्रयाग स्थित स्नानघाट एवं शमशान घाट संबंधित नगर निकाय को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा उमराकोट तथा चमोली में निर्मित शमशान घाटों का हस्तांतरण वर्तमान तक संबंधित निकायों को नहीं हुए हैं को शीघ्र हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिरासी अभियंता सिंचाई खण्ड धराली / सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गङ्गाबाल) / संबंधित नगर निकाय।

—रूपरा 03—

4- Status of Solid Waste Management:- स्थानीय निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद घमोली-गोपेश्वर द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	निकायों के अंतर्गत नदी में मिलने वाले नालों की संख्या	कुल टैप किए जा चुके नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	गंगा नदी में प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की संख्या	सूले गए जुर्माने की धनराशि
नगर पालिका परिषद जोशमठ	05	01	04	05	39	195000.00
नगर पालिका परिषद घमोली-गोपेश्वर	07	04	03	07	-	0.00
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	02	अवशेष 03 नाले भरसाती नाले हैं।	02	-	0.00
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	06	01	07	03	5600.00
नगर पालिका परिषद गौघर	01	-	-	01	-	-
नगर पंचायत गैरसैण	-	-	-	-	-	-
नगर पंचायत थराली	04	आमदा के कारण सभी नाले क्षतिग्रस्त हैं।	04	-	-	-
नगर पंचायत पीपलकोटी	05	-	05	-	-	-
योग:-	34	13	17	22	42	200600.00

उपरोक्तानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रान्तर्गत जो नाले सीधे नदी में गिरते हों में आवश्यक रूप से जाले लगाएं तथा समय-समय पर सफाई करते रहें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय जनपद घमोली।

5- Forestry Intervention:- Forestry Intervention के अंतर्गत वन विभाग जनपद घमोली द्वारा वर्ष 2017-18 से माह जनवरी-2020 तक स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमंद	इकाई	वर्ष 2017-18 से माह जनवरी-2020 (दि 25-01-2020) तक				
		लक्ष्य		उपलब्धि/प्रगति		अवशेष
		भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	घनराशि (लाख में)
आग्रिम मुदा कार्य- (i) नैचुरल लेण्डस्केप मंद	हेक्टेयर	73.00	39.29	73.00	39.29	-
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मंद	हेक्टेयर	70.00	46.46	70.00	46.46	-
वृक्षारोपण- (i) नैचुरल लेण्डस्केप मंद	हेक्टेयर	47.00	13.53	47.00	10.15	3.38
(ii) गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण मंद	हेक्टेयर	70.00	19.85	70.00	16.94	2.01
(iii) गंगा वृक्षारोपण सप्ताह मंद	हेक्टेयर	4.50	3.30	4.50	3.30	-
फलदार/आर्थिक पेड़ों का रोपण/वितरण	हेक्टेयर	268.38	31.07	250.85	26.95	4.12
फलदार/आर्थिक पेड़ों का अनुरक्षण	हेक्टेयर	198.38	14.86	198.38	14.86	-
भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कार्यशाला (पीएमजी) (गत वर्ष का अवशेष)	संख्या	03	1.25	02	0.75	0.50
कन्टीजेन्सी (पीएमजी)	ला.रु.	L.S	2.00	L.S	2.00	-
योग:-	-	-	280.87	-	269.96	10.91

उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि शोताकालीन पेड़ रोपण तथा वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्यों से संबंधित होने के कारण माह मार्च-2020 तक व्यय किए जाने से अवगत कराया गया।

कार्यवाही:- वन विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अंत में जिलाधिकारी/अध्यक्ष-जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली द्वारा परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्मित कराए जा रहे एस0टी0पी0 कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए नालों को शीघ्र एस0टी0पी0 से टेपिंग कराए जाने तथा नगर निकायों को नालों की नियमित सफाई कराने एवं आगामी बैठक में संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कर अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी

11. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
पत्रांक 2898 / 2-42/26-1 दिनांक, गोपेश्वर, 03/02 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
(चमोली)

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



Handwritten signature.

दिनांक 20-11-2019 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की समीक्षा हेतु आहूत वीडियो कान्फ्रेंस में जारी निर्देशों का कार्यवृत्त

1- Compliance of Decisions taken in Sixth meeting of Uttarakhand State Ganga Committee held under the Chairmanship of Chief Secretary, Govt Uttarakhand dated 15-05-2019

मुख्य सचिव महोदय द्वारा विषयवस्तु बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में समस्त क्रियान्वयन अभिकरण तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह जिला गंगा संरक्षण समिति की 02 बैठकें माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को आयोजित की जाएंगी, जिसमें समस्त क्रियान्वयन अभिकरण अपने-अपने विभागों की प्रगति प्रस्तुत करते हुए बैठक से पूर्व, अद्यावधिक सूचना सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि बैठक में सदस्य संयोजक द्वारा संकलित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली/ परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)/ सदस्य संयोजक-प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

2- Review of Namami Gange Project:-

a) I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा I&D and STP Project के संबंध में निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया है:-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. In Crores)	Expenditure (Rs. In Crores)	Physical Progress	
					As per Milestone	As per Actual
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	5.57	100%	92%
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned
	STP#2- (0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Trial & Testing
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					85%
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	3.86	100%	98%
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	22.94	100%	80%
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Trial & Testing
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					73%
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAY PARK GOPESHWAR					82%
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned
4	I&D with STP, Joshimath	48.43	29.03	21.14	100%	59%
	STP#1 (2.70MLD) DAMARWARI					
	STP#2 (1.08 MLD) POKHRI					Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.40	100%	92%
	STP#1 (1.00 MLD)					Commissioned
	STP#2 (0.01 MLD) E.P. Unit					Trial & Testing
Total:-		147.05	86.47	62.11	-	-

CAMPA Section-4 Dec 2019-2020 Namami Gange's Letter Order

उपरोक्तानुसार जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project के संबंध में परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर दी गयी प्रगति आख्या के संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं कि अवशेष कार्यों को शीघ्रता से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराए जाएं, निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने की दशा में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार संबंधित विभाग ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जो प्रोजेक्ट Commissioned हैं उनमें से कितने सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं की संख्या से भी अवगत कराएं।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

b) River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा जनपद में निर्मित स्नानघाट एवं शवदाह घाटों के संबंध में निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया:-

क्र. सं.	विभाग / कार्य दायी संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	बीपीआरओ के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अम्बुवि
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग	नदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
2	/ सिंचाई	नदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
3	खण्ड श्रीनगर	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
4		घमेली में शमशान घाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
		योग:-	04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	

कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर के अनुसार जनपद में उपरोक्तानुसार 01 स्नानघाट तथा 03 शमशान घाटों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है जिनमें से 01 स्नानघाट तथा 01 शमशान घाट स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा 02 शमशान घाटों के हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति में है से अवगत कराया गया है। इस संबंध अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे अन्य 02 अवशेष शमशान घाटों का हस्तांतरण भी शीघ्र इस माह के अंत तक स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों को करते हुए अगली बैठक में प्रगति से अवगत कराएं।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)

c) Forestry Intervention:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्तमान दिनांक 15-11-2019 तक			
		सकय		उपलब्धि	
		मी०	कि०	मी०	कि०
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	47.00	29.79	47.00	29.79
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	75.00	47.36	75.00	47.37
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	47.00	5.69	47.00	5.69
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	65.00	10.00	65.00	10.00
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	4.50	3.30	4.50	3.30
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	268.38	29.47	250.85	26.42
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	238.38	7.13	158.38	7.13
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	70.00	109.26	70.00	109.26
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	03	1.25	02	0.75
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	LS	2.50	LS	2.50
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	-	245.75	-	242.21
अग्रिम मृदा कार्य- गैरसुख लेखनसकय मृदा के अंतर्गत	है०	-	-	-	3.55

नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वन विभाग जनपद द्वारा Forestry Intervention के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि से कराए गए कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया है। उपरोक्तानुसार अवशेष लक्ष्यों को पूर्ण कराए जाने के संबंध में वी0सी0 में उपस्थित वन विभाग के प्रतिनिधि उप प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष लक्ष्य एग्रीकल्चर लेण्डस्केप मद के अंतर्गत लाभार्थियों को फलपौध वितरण से संबंधित है जो शीतकाल में पूर्ण कर दिए जाएंगे। इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत लक्ष्यों के सापेक्ष अवशेष लक्ष्यों को शीतकाल में पूर्ण कर रहे हुए शत-प्रतिशत प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

d) River Surface cleaning:- नदी तट पर सफाई के संबंध में नगर निकाय चमोली गोपेश्वर (नोडल) द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा नदी तट सफाई हेतु निर्गत निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किए जाने तथा तथा गंगा घाटों की नियमित सफाई किए जाने से अवगत कराया गया। अतः समस्त निकाय निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल-नगर निकाय)

e) Ghat Cleaning work:- नगर निकाय चमोली गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी द्वारा जनपद के अंतर्गत घाटों की नियमित रूप से सफाई कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। अतः समस्त निकाय निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल-नगर निकाय)

3- Status of Solid Waste Management:- जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगर निकाय चमोली गोपेश्वर द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गंगा को स्वच्छ रखने की दिशा में ठोस अपशिष्ट को नदी में न जाने से रोकने हेतु समस्त नालों को ढिप कर जाले लगाए जाने से अवगत कराते हुए घरों से निकलने वाले सीवर एवं जल को नमामि गंगे द्वारा संचालित एवं निर्माणाधीन एस0टी0पी0 से जोड़े जाने की प्रक्रिया गतिमान है तथा मुख्य नदी अलकनंदा में गिरने वाले विभिन्न 28 नालों में नाला टैपिंग कार्य की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र0सी0	स्थान	कुल नालों की संख्या	उपलब्धि	
			पूर्ण	प्रगति में
1	जोशीमड	06	06	-
2	गोपेश्वर	05	02	03
3	नदीप्रयाग	07	04	03
4	चमोली	03	02	01
5	चमोली	07	06	01
योग:-		28	20	8

उपरोक्तानुसार प्रगति के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र समस्त नालों को एस0टी0पी0 से टैपिंग करवाते हुए अनुपालन/प्रगति आख्या प्रेषित की जाए। समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का कूड़ा आदि नदी में नहीं डाला जाए।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर
(नोडल-नगर निकाय)/ परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

अतः उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रगति आख्या से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

मुख्य विकास अधिकारी
चमोली

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

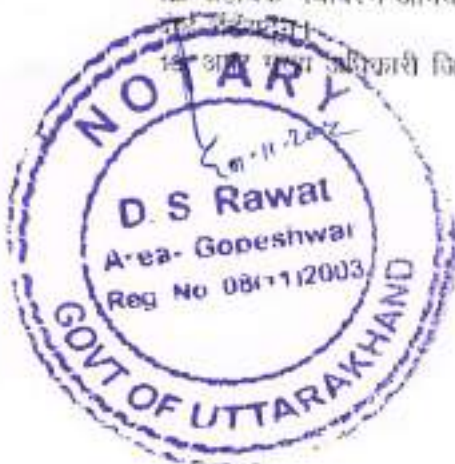
॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 1988 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर, 26

नवम्बर / 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुस्क्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर
6. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
8. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
9. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
10. अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली
11. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
12. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
13. अधिशासी अधिकारी जिला पंचायत चमोली



(आशुतोष सिंह)
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

**दिनांक 13-12-2019 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आहूत
“जिला गंगा संरक्षण समिति” की बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री आशुतोष सिंह, उप वन संरक्षक, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर/सदस्य संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति।
2. श्री एच0डी0 पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. डा0 के0के0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
5. श्री अरुण गुप्ता, जल संस्थान गोपेश्वर।
6. श्री अंकित राणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग।
7. श्री पंकज सती, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग।
8. श्री राजीव चौहान, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका गौघर।
9. श्री संजय पंत, स्वजल गोपेश्वर।
10. श्री सक्सेना, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर।
11. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

बैठक का शुभारम्भ करते हुए सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति/उप वन संरक्षक बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा समिति की विगत बैठक दिनांक 21-11-2019 का कार्यवृत्त एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित वर्तमान प्रगति आख्या, अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी चमोली के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न प्रकार दिन्दुवार विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए गए:-

I- I&D and STP Project:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा जनपद में निर्माणाधीन I&D and STP Project की दिनांक 12-12-2019 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

Sl.	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress	
					As per Milestone	As per Actual
1	I&D with STP, Karanpryag	12.09	7.23	5.77	100%	93%
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI					Commissioned
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE					Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR					Trial & Testing
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE					86%
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3					Commissioned
2	I&D With STP, Nandpryag	6.46	4.27	3.86	100%	98%
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA					Commissioned
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA					Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	22.94	100%	82%
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI					Commissioned
	STP#2 (1.19MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR					Trial & Testing
	STP#3 (1.25MLD) POKHRI BEND GOPESHWAR					75%
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR					85%
	STP#5 (0.05MLD) SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					Commissioned
	STP#6 (0.05MLD) SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI					60%
4	I&D With STP, Badrinath	48.43	29.03	21.67	100%	-
	STP#1 (0.05MLD) MANDWARI					-
	STP#2 (0.05MLD) POKHRI					Commissioned
5	I&D With STP, Badrinath	18.24	9.86	8.40	100%	95%
	STP#1 (0.05MLD)					Trial & Testing
	STP#2 (0.05MLD)					Commissioned
Total:-		147.05	86.47	62.64	-	-



—02—

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति आख्या के संबंध में जिलाधिकारी चमोली द्वारा पूछे जाने पर परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) द्वारा कर्णप्रयाग में निर्माणाधीन पुलिस चौकी एस0टी0पी0 एवं बी0आर0ओ0 ब्रिज एस0टी0पी0, चमोली-गोपेश्वर में निर्माणाधीन पोखरी बैण्ड एस0टी0पी0 एवं दीनदयाल उपाध्याय एस0टी0पी0 दिनांक 30-12-2019 तक Trial & Testing में आ जाने से आश्वस्त किया गया तथा जोशीमठ में निर्माणाधीन मारवाड़ी एस0टी0पी0 में कार्य प्रारंभ हो गया है जो जून-2020 तक Trial & Testing में आ जाने से अवगत कराया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

2- Status of Nala Tapping:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा Nala Tapping से संबंधित दिनांक 12-12-2019 तक की प्रगति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र0सं0	स्थान	कुल नालों की संख्या	नाला टेपिंग की उपलब्धि	
			पूर्ण	प्रगति में
1	वद्रीनाथ	06	06	-
2	जोशीमठ	05	02	03
3	गोपेश्वर-चमोली	07	04	03
4	नंदप्रयाग	03	02	01
5	कर्णप्रयाग	07	06	01
योग:-		28	20	08

उपरोक्तानुसार अवशेष 08 नाले जो वर्तमान तक एस0टी0पी0 से टेपिंग नहीं किए गए के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष नालों को एस0टी0पी0 थालू होने के पश्चात 15 जनवरी 2020 तक टेपिंग कर दिया जायेगा।

कार्यवाही:- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।

3- River Front Development (Construction of Ghat and Crematoria):- कार्यवाही संस्था सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार जनपद चमोली में उनके द्वारा निर्मित स्नानघाट एवं रावदाह घाटों की दिनांक 13-12-2019 तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	क्षेत्र / कार्यवाही संस्था	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	सी0पी0आर0 के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अवमुक्त (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		उपस्थिति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	301.55	291.00	100%	291.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
2	सिंचाई विभाग	कर्णप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	01	372.14	375.00	100%	375.00	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित।
3	सिंचाई विभाग	जोशीमठ में स्नानघाट निर्माण	01	430.39	401.00	100%	401.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
4	सिंचाई विभाग	चमोली में स्नानघाट निर्माण	01	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
योग:-			04	1418.31	1315.00	100%	1315.00	



उपरोक्तानुसार सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा निर्मित स्नानघाट एवं शमशान घाटों के कार्य पूर्ण कराए जाने के पश्चात नंदप्रयाग स्थित स्नानघाट एवं शमशान घाट संबंधित नगर निकाय को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा उमराकोट में निर्मित शमशान घाट तथा चमोली में निर्मित शमशान घाट 01 माह के भीतर संबंधित नगर निकाय/ग्राम सभा को हस्तांतरित कर जाने से अवगत कराया गया।

जिलाधिकारी चमोली द्वारा जनपद के अंतर्गत स्थान गौचर एवं कर्णप्रयाग में निर्माणाधीन घाटों की प्रगति आख्या चाही गयी किंतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने तथा ना ही उनके द्वारा सूचना प्रेषित किए जाने के कारण आगामी बैठक में अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली एवं चमोली गोपेश्वर को प्रगति आख्या सहित स्वयं बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड थराली/ अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली-गोपेश्वर/ अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)

4- Status of Solid Waste Management:- स्थानीय निकाय जनपद चमोली के अंतर्गत गंगा बैंक शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 12-12-2019 तक की प्रगति निम्न प्रकार है:-

निकाय का नाम	निकायों के अंतर्गत नदी में मिलने वाले नालों की संख्या	कुल टैप किए जा चुके नालों की संख्या	टैप हेतु अवशेष नालों की संख्या	कितने नालों में जाल लगाए गए हैं	गंगा नदी में प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कटे गए चालानों की संख्या	बसूले गए जुर्माने की धनराशि
नगर पालिका परिषद जोशीमठ	05	01	04	05	39	195000.00
नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर	07	04	03	07	-	0.00
नगर पंचायत नंदप्रयाग	05	02	अवशेष 03 नाले बरसाती नाले हैं।	02	-	0.00
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	07	06	01	07	03	5600.00
नगर पालिका परिषद गौचर	01	-	-	01	-	-
नगर पंचायत गैरसैण	-	-	-	-	-	-
नगर पंचायत थराली	04	आपदा के कारण सभी नाले क्षतिग्रस्त हैं	04	-	-	-
नगर पंचायत पीपलकोटी	05	-	05	-	-	-
योग:-	34	13	17	22	42	200600.00

उपरोक्तानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि सनस्त स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रांतर्गत जो नाले सीधे नदी में गिरते हों में आवश्यक रूप से जाले लगाएं तथा समय-समय पर सफाई करते रहें।

निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट परियोजना निर्माण के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु नगर पालिका परिषद जोशीमठ एवं चमोली-गोपेश्वर को 100% आवंटित हो चुकी है जिसके सापेक्ष धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है। गोपेश्वर-चमोली को जाले लगाने के लिए जा चुके हैं जो दिनांक 20-12-2019 को खोले जाने हैं जिसके पश्चात शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर द्वारा अन्य निकायों में भी सनस्त की प्रक्रिया प्रारंभ में है से अवगत कराया गया जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि शीघ्र भूमे चयन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए ठोस अपशिष्ट परियोजना निर्माण शीघ्रतारीख प्रारंभ कराया जाए।

Reg. No. 18411/2003
CAMP, Section Doc 2019-2020/Namaste Ganga/Under Officer

—04—

ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षित वन क्षेत्रों से रहने वाले नाले जो सीधे नदियों में गिरते हैं में भी जाले लगाए जाने हैं जिस हेतु वन विभाग समस्त नालों की सूची तैयार कर उनमें जाले लगाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा आगामी बैठक में की गयी कृत कार्यवाही से अवगत कराएंगे।

कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय जनपद बनौली/
प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

5- Forestry Intervention:- Forestry Intervention के अंतर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से माह नवम्बर-2019 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्तमान दिनांक 30-11-2019 तक				
		लक्ष्य		उपलब्धि		अवशेष धनराशि
		मी०	चि०	मी०	चि०	
अग्रिम मृदा कार्य- नेचुरल लेण्डस्केप गद के अंतर्गत	ह०	47.00	29.79	47.00	29.79	-
अग्रिम मृदा कार्य- गंगा घाटों में वृक्षारोपण गद	ह०	75.00	47.36	75.00	47.37	-
वृक्षारोपण- नेचुरल लेण्डस्केप गद के अंतर्गत	ह०	47.00	5.69	47.00	5.69	-
वृक्षारोपण - गंगा घाटों में वृक्षारोपण गद	ह०	70.00	22.46	70.00	14.26	8.20
वृक्षारोपण- गंगा वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत	ह०	4.50	3.30	8.08	3.30	-
फलदार/आर्थिक पौधों का वितरण/रोपण	ह०	268.38	29.47	250.85	26.42	3.05
फलदार/आर्थिक पौधों का अनुक्षण	ह०	238.38	10.74	158.38	7.13	3.61
भूमि संरक्षण कार्य	ह०	70.00	109.26	70.00	109.26	-
कार्यशाला (पी०एम०गु०)	न०	03	1.25	02	0.75	0.50
कन्टीजेन्सी (पी०एम०गु०)	ल०स०	L.S	2.50	L.S	2.50	-
योग:-		-	261.82	-	246.47	15.36

उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि वृक्षारोपण अनुक्षण कार्यों से संबंधित होने के कारण माह मार्च-2020 तक व्यय किए जाने से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदयों द्वारा वन विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार कराए गए कार्यों की स्थलवार सूची आगामी बैठक में उपलब्ध कराए जाने तथा आगामी बैठक में IWMP से संबंधित कार्यों की भी बैठक आहूत किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए।

कार्यवाही:- प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

6- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जनपद में जिला पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों के संबंध में आख्या वाही गयी कि जिला पंचायत से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था जिस पर बैठक में उपस्थित होने हेतु पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव भी उनके द्वारा उपस्थित न होने के संबंध में चेतावनी जारी करते हुए आगामी बैठक में सुधनाओं सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बनौली।
सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग।

अंत में जिलाधिकारी/अध्यक्ष-जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली द्वारा भविष्य में "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक प्रत्येक माह द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार को जनता दरबार के पश्चात किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में अध्यक्ष-जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी चमोली द्वारा "जिला गंगा संरक्षण समिति" की आगामी बैठक दिनांक 30-12-2019 सोमवार को आयोजित कराए जाने तथा बैठक में संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन/प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति/
जनपद चमोली।

सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक २३०२ / २५२ दिनांक, गोपेश्वर, १७ दिसम्बर / २०१९

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून,
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर चमोली।
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोपेश्वर-चमोली।
8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर (नोडल)।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चमोली।
10. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
11. अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर
12. परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना गोपेश्वर चमोली।
13. सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली



(आशुतोष सिंह)
सदस्य संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c

17

25353

दिनांक 13-09-2019 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आयोजित
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

253

उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमित कंवर, उप वन संरक्षक, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री हंसादत्त पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. डा० अनूप डिगरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)
4. डा० जे०एस० चुफाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोपेश्वर।
5. श्री एस.के. बर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
6. श्री प्रवीण शैनी, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
7. श्री अनिल कुमार पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।
8. श्री अरुण प्रताप सिंह, जल निगम, गोपेश्वर।
9. वीणा नेगी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत थराली।
10. श्री टंकार चौशल, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पीपलकोटी।
11. श्री एस०पी० नौटियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका जोशीमठ।
12. श्री नंदराम तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी।
13. श्री रघुवीर राय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नंदप्रयाग।
14. श्री गुरुदीप लाल आर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण।
15. श्री नितिन राठी, एस०आई० नगर पालिका कर्णप्रयाग।
16. श्री राजीव सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियंता, नगर पंचायत गौचर।
17. श्री लक्ष्मण सिंह राणा, सी०डी०एस० स्वजल परियोजना, चमोली गोपेश्वर।

दिनांक 13-09-2019 को "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का प्रारंभ करते परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन/निर्मित योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में उपस्थित कार्यवाही संस्थाओं द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों के बारे में अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

i. परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार जनपद में निर्माणाधीन एस०टी०पी० कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है-

SL	Name of Project	Sanctioned Cost (Rs. in Crore)	Fund Released (Rs. in Crores)	Expenditure (Rs. in Crores)	Physical Progress (Actual)
1	I&D with STP, Karanprayag	12.09	7.23	5.56	90%
	STP#1-(0.05MLD) POLICE CHOWKI				Commissioned
	STP#2-(0.10 MLD) OLD BRIDGE				Commissioned
	STP#3 (0.05MLD) SUBHASH NAGAR				Trial & Testing
	STP#4 (0.05MLD) BRO BRIDGE				75%
	STP#5 (0.10 MLD) WARD No.1&3				Commissioned
2	I&D With STP, Nandprayag	6.46	4.27	3.74	98%
	STP#1+3 (0.10MLD) FOREST NALA				Commissioned
	STP#2 (0.05MLD) SANGAM NALA				Commissioned
3	I&D With STP, Chamoli-Gopeshwar	61.83	36.08	20.06	76%
	STP#1 (0.76MLD) MAHINDRA SHOWROOM CHAMOLI				Trial & Testing
	STP#2 (1.10MLD) VIVEKANAND COLONY GOPESHWAR				Trial & Testing
	STP#3 (2.50MLD) POST OFFICE CHAMOLI				62%
	STP#4 (1.12MLD) DEENDAYAL UPADHYAYA PARK GOPESHWAR				75%
	STP#5 OLD SUSPENSION BRIDGE CHAMOLI				Trial & Testing
4	I&D With STP, Gopeshwar	48.43	29.03	19.47	56%
	STP#1 (2.70MLD) MARWAR				Trial & Testing
5	With STP, Badrinath	18.24	9.86	6.72	80%
	STP#1 (0.50 MLD)				75%
	STP#2 (0.50 MLD) JALPAKOT				Trial & Testing
	Total	147.05	86.47	55.55	

क्रमशः 02 पर

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रगति के अवलोकन के पश्चात संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को जिन योजनाओं में प्रगति अभी भी न्यून है में शीघ्र कार्य को पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आश्वस्त कराया गया कि शीघ्र कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। जोशीमठ एसटीपी के अंतर्गत मारवाड़ी में निर्माणाधीन 2.70 MLD के एसटीपी की न्यून प्रगति के संबंध में परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त एसटीपी हेतु चयनित पूर्व स्थल में वर्तमान में Landslide होने के कारण प्रगति नहीं हो पायी है। सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड द्वारा उक्त स्थल को बदलकर नए स्थल पर एसटीपी निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं किंतु स्थानीय लोगों द्वारा जमीन उपलब्ध न कराने के कारण तत्पश्चात सचिव पेयजल उत्तराखण्ड द्वारा जिलाधिकारी को अपने स्तर से उक्त एसटीपी निर्माण हेतु मारवाड़ी में नया स्थल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुपालन में वर्तमान में नए स्थल चयन की कार्यवाही प्रगति पर है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा शीघ्रता से स्थल चयन की पूर्ण करने के निर्देश संबंधितों को जारी किए गए।

ii. परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर के अनुसार मुख्य नदी अलकनंदा में गिरने वाले विभिन्न 28 नालों में नाला टैपिंग कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	स्थान	कुल नालों की संख्या	उपलब्धि	
			पूर्ण	प्रगति में
1	बद्रीनाथ	06	02	04
2	जोशीमठ	05	02	03
3	गोपेश्वर	07	04	03
4	नंदप्रयाग	03	02	01
5	कर्णप्रयाग	07	06	01
	योग:-	28	16	12

उपरोक्तानुसार 12 नाले जो अभी भी एसटीपी से टैपिंग नहीं किए गए के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा आश्वस्त कराया गया है कतिपय एसटीपी निर्माण कार्य कार्य अभी प्रगति में हैं जो अगले माह तक पूर्ण हो जाएंगे जिनके निर्माण के पश्चात उक्त नालों को एसटीपी से टैपिंग कर दिया जाएगा।

iii. सिंचाई विभाग श्रीनगर गढ़वाल द्वारा स्थान नंदप्रयाग में 01 स्नानघाट तथा स्थान उमराकोट में 01, चमोली में 01 तथा नंदप्रयाग में 01 कुल 03 शवदाह घाटों का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के अधिष्ठासी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा ई-मेल से प्रेषित सूचना के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है प्रेषित की गयी:-

क्र० सं०	विभाग / कार्य दायी संस्था का नाम	कार्यस्थल एवं कार्य का विवरण	टी0पी0आर0 के अनुसार स्वीकृत		वर्तमान तक अथवा अनुकूल (लाख में)	वर्तमान तक प्रगति		अनुवृत्ति
			भौतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (% में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सिंचाई विभाग	नंदप्रयाग में स्नानघाट निर्माण	1	301.55	291.00	100%	291.00	स्थानीय निवास को हस्तांतरित।
2	/	उमराकोट में शमशान घाट निर्माण	1	430.39	401.00	100%	401.00	स्थानीय निवास को हस्तांतरित।
3	खण्ड श्रीनगर	नंदप्रयाग में शमशान घाट निर्माण	1	372.14	375.00	100%	375.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
4		चमोली में स्नानघाट निर्माण	1	314.23	248.00	100%	248.00	हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
		योग:-	4	1418.31	1315.00	100%	1315.00	

उपरोक्तानुसार ई-मेल से प्राप्त प्रगति के अवलोकन के पश्चात जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा बैठक में प्रतिभाग न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपात्री बैठक में कार्यवाही के रूप में उपस्थित होने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को पत्र प्रेषित किया जाने के निर्देश जारी किए गए।



— 03 पर —

-03-

iv. अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा गोपेश्वर/चमोली, जोशीमठ एवं बद्रीनाथ नगर के अंतर्गत भवनों को सीवर लाईन से जोड़े जाने की प्रगति के संबंध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया:-

क्र० सं०	नगर एवं सीवर योजना का नाम	31 मार्च 19 तक कुल घरेलू/अघरेलू भवनों की संख्या	ऐसे भवन जिनमें वर्तमान तक सीवर संयोजन दिया जा चुका है	ऐसे भवन जिनमें सीवर संयोजन दिया जा सकता है किंतु वर्तमान तक दिया नहीं जा सका	ऐसे भवन सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है
1.	गोपेश्वर/चमोली	340	340	-	-
2.	जोशीमठ	195	195	-	-
3.	बद्रीनाथ	440	187	118	135
	योग:-	975	722	118	135

उपरोक्तानुसार बद्रीनाथ में 135 ऐसे भवन जिनमें सीवर संयोजन नहीं दिया जा सकता के संबंध में अधिशासी अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि निर्मित सीवर लाईन इन भवनों से ऊपरी क्षेत्र में निर्मित होने के कारण इनमें सीवर संयोजन नहीं दिया जा सकता है जिन्हें पम्पिंग के माध्यम से सीवर लाईन से जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सभी घरों को सीवर से जोड़े जाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है जिसके स्वीकृत होने पर ये भवन भी सीवर से संयोजित हो जाएंगे। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान से अपेक्षा की गयी है कि वे जनपद चमोली के अंतर्गत सीवर संयोजन से संबंधित संकलित सूचना तैयार कर सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर तथा जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

v. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में बैठक में उपस्थित समस्त स्थानीय नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया उनके द्वारा नगरों में नाला सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। समस्त स्थानीय नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/प्रतिनिधियों को नालों की सफाई नियमित रूप से कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार बैठक में उपस्थित समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के अंतर्गत समस्त बाड़ों में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है तथा अधिकांश निकायों के अंतर्गत स्तोर्स सेप्रीवेशन का कार्य भी किया जा रहा है तथा गीले कूड़े के एकत्रीकरण हेतु कम्पोस्ट पिट बनाए जाने से भी अवगत कराया गया है। निकायों के अंतर्गत प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने व समय-समय पर छापेमारी की कार्यवाही कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान काटे जाने की कार्यवाही से भी अवगत कराया गया। उपरोक्तानुसार निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त निकायों को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नगरों के अंतर्गत निकायों की सफाई तथा नाला टेपिंग से संबंधित सूचना अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रपत्र में सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए गए।

vi. निचोरा/सूखे कूड़े के उचित निस्तारण के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के अंतर्गत प्रत्येक सीवर/सीवर/सीवर में चिकित्साकीय कूड़ा निस्तारण उचित ढंग से किया जाता है। इस संबंध में कार्यवाही प्रगति में है। इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है।



प्रमाणित 04 पर

vi- सदस्य संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित जनपद में वर्ष 2019-20 हेतु विभिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत एवं कराए गए कार्यों से अवगत कराया गया जिसकी दिनांक 13-09-2019 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

कार्य मद	कार्यमद	इकाई	वर्ष 2017-18 से वर्तमान दिनांक 13-09-2019 तक (वित्तीय लाख में)				अवशेष धनराशि
			लक्ष्य		उपलब्धि		
			भौ०	वि०	भौ०	वि०	
1	2	3	4	5	6	7	8
Natural Landscape	अग्रिम मृदा कार्य – नैद्युरल लेण्डस्केप मद	है०	47.00	29.79	47.00	29.79	-
	अग्रिम मृदा कार्य – गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	है०	73.00	46.46	70.00	43.10	3.36
	वृक्षारोपण – नैद्युरल लेण्डस्केप मद के अंतर्गत	है०	47.00	5.69	47.00	5.69	-
	वृक्षारोपण – गंगा घाटी में वृक्षारोपण मद	है०	65.00	10.00	65.00	10.00	-
	वृक्षारोपण (गंगा वृक्षारोपण समझौते के अंतर्गत)	है०	4.50	3.30	8.08	3.30	-
Agriculture Landscape	फलदार/आर्थिक पौधों का वितरण/रोपण	है०	268.38	29.47	250.85	26.42	3.03
	फलदार/आर्थिक पौधों का अनुसंधान	है०	238.38	7.13	158.38	7.13	-
Conservation activity	भूमि संरक्षण कार्य	है०	70.00	109.26	70.00	109.26	-
Supporting Activity	कार्यशाला (पीओएमओ)	न०	3.00	1.25	2.00	0.75	0.50
	कन्टीजोन्सी (पीओएमओ)	ल०र०	L.S	2.50	L.S	2.50	-
	योग:-		-	244.85	-	237.94	6.91

उपरोक्तानुसार कार्यों की प्रगति समीक्षा के पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने तथा दोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश के साथ बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

जिलाधिकारी
चमोली

उप वन संरक्षक,
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।



(Signature)

दिनांक 04-02-2019 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आयोजित
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री अमित कंवर, उप वन संरक्षक, घट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री हंसादत्त पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री लक्ष्मण सिंह राणा, सीओडीओएस स्वजल परियोजना, चमोली गोपेश्वर।
4. बहादुर सिंह यादव, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग चमोली।
5. श्री प्रकाश रायत, परियोजना प्रबंधक, स्वजल चमोली गोपेश्वर।
6. श्री प्रवीन सेनी, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
7. श्री राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग।
8. श्री एस०के० बर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर।
9. श्री हरीश आर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली।
10. श्री अनिल कुमार पंत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।
11. श्री नितिन तामर, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका जोशीमठ।
12. श्री अरुण कुमार राज, कनिष्ठ अभियंता, नगर पंचायत नैरसैण।
13. श्री लक्ष्मण सिंह, लेखाकार, नगर पंचायत नैरसैण।

दिनांक 04-02-2019 को "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का प्रारंभ करते परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन/निर्मित योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों के बारे में अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

i. परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर श्री एस०के० बर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जनपद में 19 एस०टी०पी० कार्य निर्माणाधीन हैं जिनकी प्रगति दिनांक 31-01-2019 तक निम्न प्रकार है:-

(a) कर्णप्रयाग में पुलिस चौकी एस०टी०पी० में	- 99%,
(b) ओल्ड ब्रिज एस०टी०पी० में	- 88%,
(c) सुभाषनगर एस०टी०पी० में	- 73%,
(d) बी०आर०ओ० ब्रिज एस०टी०पी० में	- 47%,
(e) बार्ड नं० 1 एवं 3 एस०टी०पी० में	- 93%,
(f) नंदप्रयाग एस०टी०पी० के फारेस्ट नाला में	- 99%,
(g) नंदप्रयाग संगम नाला में	- 98%,
(h) गोपेश्वर चमोली एस०टी०पी० में	- 70%,
(i) महेन्द्रा शौलग चमोली में	- 94%,
(j) पियेकानन्द कालोनी में	- 90%,
(k) पोखरी वैण्ड एस०टी०पी० में	- 55%,
(l) दीनदयाल उपाध्याय पार्क में	- 73%,
(m) सरपेंशन ब्रिज एस०टी०पी० में	- 85%,
(n) जोशीमठ एस०टी०पी० में	- 47%,
(o) नारनाडा एस०टी०पी० में	- 22%,
(p) जिल्ला एस०टी०पी० में	- 86%,
(q) दीनाथ-1 एस०टी०पी० में	- 66%,
(r) दीनाथ-11 एस०टी०पी० में	- 57%,
(s) घट्टीनाथ-1 एस०टी०पी० में	- 92%,



(Signature)

क्रमशः 02 पर

ii. परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुशासन इकाई(मंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर श्री एसओके0 बर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मुख्य नदी जलकनंदा में गिरने वाले विभिन्न 20 नालों में नाला टैपिंग का कार्य कराया जा रहा है जिसकी प्रगति दिनांक 31-01-2019 तक निम्न प्रकार है-

- बदीनाम के 06 नालों में से 2 में कार्य पूर्ण तथा 4 में प्रगति पर।
- जोशीगढ के 05 नालों में कार्य प्रगति पर।
- गोपेश्वर के 07 नालों में से 2 में कार्य पूर्ण तथा 05 में प्रगति पर।
- नंदप्रयाग के 03 नालों में से 02 में कार्य पूर्ण तथा 01 में कार्य प्रगति पर।
- कर्णप्रयाग के 07 नालों में से 04 में कार्य पूर्ण तथा 03 में कार्य प्रगति पर है।

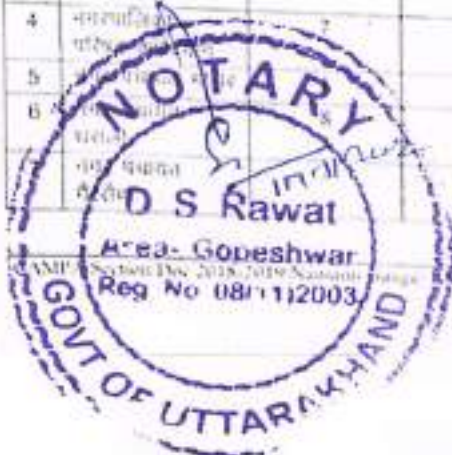
iii. जनपद में नगामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग श्रीनगर गढ़वाल द्वारा स्थान नंदप्रयाग में 01 स्नानघाट तथा स्थान उमराकोट में 01, चमोली में 01 तथा नंदप्रयाग में 01 कुल 03 शवदाह घाटों का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा ई-मेल से प्रेषित सूचना के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है प्रेषित की गयी:-

- स्थान नंदप्रयाग में निर्माणाधीन स्नानघाट में - 100%,
- नंदप्रयाग में निर्माणाधीन शवदाह घाट में - 100%,
- उमराकोट में निर्माणाधीन शवदाह घाट में - 100%
- चमोली में निर्माणाधीन शवदाह घाट में - 65%

iv. दोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में उपस्थित समस्त नगर निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा नाला सफाई एवं दोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 31-01-2019 तक प्रगति निम्नानुसार है:-

प्रारूप-1 नाला सफाई से संबंधित:-

क्र. सं.	निकाय का नाम	निकाय के अंतर्गत गंगा नदी में गिरने वाले कुल नालों की संख्या	कुल नालों में से कितने नाले टेप किए जा चुके हैं (संख्या)	कितने नाले टेप किए जाने शेष हैं	कुल नालों में से कितने नालों पर जाल लगाए गए हैं (संख्या)	गंगा नदी में प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कितने चालान फाटे गए हैं (संख्या)	कितना जुर्माना वसूला गया (घनराशि ₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगरपालिका परिषद जोशीगढ	5	-	5	5	41	205000.00
2	नगरपालिका परिषद चमोली	7	2	5	7	-	0.00
3	नगर पंचायत नंदप्रयाग	5	2	3	2	-	0.00
4	नगरपालिका परिषद श्रीनगर	7	1	6	7	3	5000.00
5	नगरपालिका परिषद बदीनाम	-	-	1	-	-	0.00
6	नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग	-	-	-	-	-	0.00
7	नगर पंचायत नंदप्रयाग	-	-	-	-	-	0.00
8	नगरपालिका परिषद श्रीनगर	-	-	-	-	-	0.00



कमरा: 03 पर

प्रारूप-2 छोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित:-

नगर पालिका जोशीमठ, चमोली-गोपेश्वर, कर्णप्रयाग तथा नगर पंचायत नंदप्रयाग गौघर, थराली, गैररौपण द्वारा समस्त चारों में डोर-दू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य किए जाने तथा अधिकांश निकायों के अंतर्गत सोर्स सेग्रिगेशन का कार्य प्रगति पर है जो माह मार्च तक समस्त चारों में पूरा किया जाने से अवगत कराया गया। गोले कूड़े के एकत्रीकरण हेतु जोशीमठ में 5, चमोली गोपेश्वर में 40, कर्णप्रयाग में 17, गौघर में 5 स्थानों पर कम्पोस्ट पिट बनाए जाने से भी अवगत कराया गया है। इसी प्रकार उनके द्वारा सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु पुनःचक्रणीय कूड़े को एकत्रित कर पुनःचक्रण हेतु भेजा जा रहा है तथा निकायों के अंतर्गत प्लास्टिक को पूर्णतः बैन किए जाने व समय-समय पर छापेबासी की कार्यवाही कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान काटे जाने की कार्यवाही से भी अवगत कराया गया। उपरोक्त निकायों द्वारा Solid Waste Management (SWM) हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गयी है जो लंबित है से अवगत कराते हुए निकायों द्वारा गंगा नदी के किनारे छोस अपशिष्ट की डम्पिंग न किए जाने हेतु आश्वस्त कराया गया है।

उपरोक्तानुसार निकायों के अंतर्गत छोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गयी है। निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचना की संकलित सूचना अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं

v- स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के बैठक में उपस्थित न होने से चिकित्साधीन कूड़े के उचित निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी, जिस हेतु आगामी बैठक में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्साकीय कूड़ा निस्तारण के संबंध में सम्पूर्ण कार्ययोजना/विवरण के साथ उपस्थित रहने हेतु सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

vi- सदस्य संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित जनपद में वर्ष 2018-19 हेतु विभिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत एवं कराए गए कार्यों से अवगत कराया गया जिसकी दिनांक 31-01-2019 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य मद	कार्य	इकाई	प्रस्तावित		स्वीकृत		अवमुक्त (रैंलाख में)	प्रगति	
				भौतिक	वित्तीय (रैंलाख में)	भौतिक	वित्तीय (रैंलाख में)		भौतिक	वित्तीय (रैंलाख में)
1.	Natural Landscape	अंतिम मूला कार्य	हेक्टेयर	177.00	110.03	145.00	91.45	20.30	34.50	14.20
		पुष्पारोपण	हेक्टेयर	4.50	3.30	4.50	3.30	3.30	4.50	1.70
2.	Agriculture Landscape	फलदार/आर्सेनिक पीछों का विस्तारण	घोघ संख्या	24771	165.14	6000	7.50	5.40	4724	2.84
		घोघ अनुसंधान	-ए-	23754	7.13	23754	7.13	7.13	23754	7.13
3.	Urban Landscape	गंगा चारिज/ईको पार्क	हेक्टेयर	160.00	1374.07	-	-	-	-	-
4.	Conservation activity	भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	391.00	1186.6	50.00	80.00	80.00	50.00	80.00
5.	Training	प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	LS	2.00	01	0.75	0.75	01	0.00
6.	Office expenses	कार्यालय व्यय	ल0र0	LS	2.00	L.S.	1.50	1.50	L.S.	0.00
कुल योग:-				-	2850.27	-	191.63	118.38	-	105.87

उपरोक्तानुसार कार्यों की प्रगति समीक्षा के पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त निर्माणधीन कार्यों को खीप्रता से पूर्ण करने तथा छोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश के साथ बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन पर प्रस्तुत



उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

**दिनांक 19-12-2018 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आयोजित
"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक तथा क्षेत्र भ्रमण का कार्यवृत्त**

उपस्थित अधिकारियों का विवरण-

1. श्री नित्यानन्द पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. बसरा अंसारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
3. श्री एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर।
4. बबीता सिंह, परियोजना अभियंता, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर।
5. श्री संदीप कुमार, उप परियोजना अभियंता, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर।
6. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली।

A. बैठक से संबंधित

बैठक का प्रारंभ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी बदीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समिति की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण के संबंध में संबंधित कार्यवाही संस्था के अधिकारीगणों को अवगत कराया गया है परंतु मात्र गोपेश्वर में क्षेत्र भ्रमण को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी ही बैठक में उपस्थिति हुए। परियोजना से संबंधित कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

i. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई श्री एस0के0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15-12-2018 तक कर्णप्रयाग में पुलिस चौकी एस0टी0पी0 का परीक्षण प्रारंभ किया गया है जिसमें 98%, ओल्ड ब्रिज एस0टी0पी0 में 80%, सुभाषनगर एस0टी0पी0 में 62%, वी0आर0ओ0 ब्रिज एस0टी0पी0 में 47%, बाई नं0 1 एवं 3 एस0टी0पी0 में 90% कार्य हुए हैं जिनके 30 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। नंदप्रयाग एस0टी0पी0 के फारेस्ट नाला में 99% तथा संगम नाला में 98% कार्य हुए हैं जिनके 30 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। गोपेश्वर चमोली एस0टी0पी0 में 62%, महेन्द्रा शोरूम चमोली में 83%, विवेकानन्द कालोनी में 75%, पोखरी चैण्ड एस0टी0पी0 53%, दीनदयाल उमाध्याय मार्क में 68%, संरक्षण ब्रिज एस0टी0पी0 72% कार्य हुए हैं जिनके जनवरी 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। जोशीमठ एस0टी0पी0 45%, मारवाड़ी एस0टी0पी0 22%, पोखरी एस0टी0पी0 82%, बदीनाथ-1 एस0टी0पी0 55%, बदीनाथ-11 एस0टी0पी0 52% तथा बदीनाथ-111 एस0टी0पी0 70% कार्य हुए हैं जिनके अप्रैल-2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। उनके द्वारा एक चार्ट भी प्रस्तुत किया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

ii. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई श्री एस0के0 वर्मा द्वारा मुख्य नदी अलकनंदा में गिरने वाले विभिन्न नालों के टैपिंग के संबंध में अवगत कराया गया कि बदीनाथ के 6 नालों में से 2 में कार्य पूर्ण तथा 4 में प्रगति पर, जोशीमठ के 5 नालों में कार्य प्रगति पर, गोपेश्वर के 7 में से 7, नंदप्रयाग के 3 नालों में से 02 में कार्य पूर्ण तथा 01 में कार्य प्रगति पर तथा कर्णप्रयाग के 01 में कार्य पूर्ण तथा 06 में कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त समस्त का कार्य पूर्ण होने की तिथि 30 नवम्बर 2018 तक बतायी गयी, जिन्हें वास्तविक एस0टी0पी0 के पूर्ण होने पर जोड़ा जाना है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य गंगा समिति की दिनांक 25-12-2018 को आयोजित चतुर्थ बैठक में मुख्य राखि महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में संरक्षण ब्रिजों में संरक्षण ब्रिजों के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं जिन्हें रखरखाव के लिए नगरपालिका को हस्तांतरण कर दिया गया है।



क्रमांक: 02 पर

iii. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुसंधान इकाई श्री एसओके0 बर्मा द्वारा नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा धमोली के कुछ परियोजनाओं में विद्युत संयोजन की कठिनाई बताई गयी जिसे तत्काल दूर किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियंता विद्युत वितरण से वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा शीघ्र प्राक्कलन प्रस्तुत करने एवं प्राक्कलन की घनराशि जमा करने पर विद्युत संयोजन दिए जाने की बात की गयी।

iv. जिलाधिकारी द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या- 521/2015 जिसमें पारित आदेश दिनांक 04-10-2018 के अनुसार 10000 वर्ग फिट से अधिक कवर एरिया के भवनों, होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों द्वारा व्यक्तिगत एसओटी0पी0 लगाने के संबंध में जनपद से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार कुल 3108 कमरों के 213 भवनों/होटलों/धर्मशालाओं जिनमें से 10000 वर्ग फिट कवर एरिया से अधिक के 30 भवनों/होटलों/धर्मशालाओं में से नदी में सीधा जलमल विसर्जन किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा किसी भवन स्वामी द्वारा एसओटी0पी0 तथा बायोलायजरेक्टर नहीं लगाया गया है। उपरोक्त भवनों में 73 सीवर लाईन से जुड़े हैं जिन्हें एसओटी0पी0 से कनेक्ट किया जाना है तथा 140 भवनों द्वारा सैप्टिक टैंक निर्माण किया गया है।

v. सदस्य संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत दिनांक 19-12-2018 तक वन विभाग से संबंधित जनपद के विभिन्न स्वीकृत एवं कराए गए कार्यों से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	कार्य मद	कार्य	इकाई	प्रस्तावित		स्वीकृत		अवमुक्त (रैंलाख में)	प्रगति	
				भौतिक	वित्तीय (रैंलाख में)	भौतिक	वित्तीय (रैंलाख में)		भौतिक	वित्तीय (रैंलाख में)
1.	Natural Landscape	अंतिम मृदा कार्य	हेक्टेयर	177.00	110.03	175.00	105.0	26.00	25.00	13.77
2.	Agriculture Landscape	फलदार/आर्लिक पीछों का वितरण	पीछों संख्या	24771	165.14	6000	7,500	5.40	4724	2.85
		पीछों अनुसंधान	-ए-	23754	7.13	23754	7.13	4.13	23754	3.98
3.	Urban Landscape	गंगा घाटिका/ईको पार्क	हेक्टेयर	160.00	1374.07	-	0	0	-	-
4.	Conservation activity	भूमि संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	391.00	1186.6	70.00	109.41	109.41	70.00	109.26
5.	Training	प्रशिक्षण कार्यक्रम	सख्या	LS	2.00	01	0.50	0.50	01	0.50
6.	Office expenses	कार्यालय व्यय	ल0रा0	LS	2.00	LS	0.50	0.50	LS	0.50
कुल योग:-				-	2846.97	-	230.04	145.94	-	110.26

नोट- एग्रीकल्चर लेण्डस्केप मद के अंतर्गत अवशेष 1276 पीछों का रोपण शीतकालीन वर्षा होने के पश्चात उद्यान विभाग द्वारा फलदार पीछों की आपूर्ति प्राप्त होने पर माह दिसम्बर से जनवरी के मध्य किया जाना है।

vi. जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा स्थान नंदप्रयाग में 01 स्नानघाट एवं 01 शवदाह घाट तथा स्थान उमराकोट व धमोली में 01-01 शवदाह घाटों का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा है, जिसकी प्रगति के लिए नंदप्रयाग स्थान के अधिशारी अभियंता सिंचाई खाण्ड श्रीनगर द्वारा अधीहस्ताक्षरी को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया है। नंदप्रयाग में निर्माणधीन स्नानघाट में 79 प्रतिशत, नंदप्रयाग में निर्माणधीन शवदाह घाट में 83 प्रतिशत, उमराकोट में निर्माणधीन शवदाह घाट में 83 प्रतिशत तथा धमोली में निर्माणधीन शवदाह घाट में 83 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं जो जनवरी-2019 के अंत तक पूर्ण होने से अवगत कराया गया।



10

B. क्षेत्र भ्रमण से संबंधित

जिलाधिकारी कार्यालय में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गोपेश्वर व चमोली स्थलों पर प्रस्तावित व क्रियान्वित विभिन्न कार्यों पर परिचर्चा करते हुए किसी भी कार्य में प्रगति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक से पूर्ण निर्धारित परिणाम देने के निर्देश दिए गए तथा गोपेश्वर शहर से संबंधित निम्नलिखित कार्यों की प्रगति का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया:-

1- सर्वप्रथम एस0टी0पी0 संख्या-2, 119MLD विवेकानंद कालोनी गोपेश्वर के समीप का भ्रमण किया गया। इस कार्य को पूर्ण किया जाना दिनांक 30-11-2018 तक प्रस्तावित है परंतु भ्रमण के समय परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा इसमें 64 प्रतिशत की प्रगति बतायी गयी। एस0टी0पी0 निर्माण से संबंधित स्ट्रक्चर अपूर्ण दशा में ही पाए गए जिसे दिनांक 31-12-2018 तक पूर्ण किए जाने का आश्वासन परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा दिया गया।

2- एस0टी0पी0 संख्या-3, 125MLD पोखरी बैण्ड गोपेश्वर का निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा किया गया। इस कार्य के पूर्ण होने की तिथि 19-01-2019 निर्धारित है परंतु क्षेत्र भ्रमण के समय इसमें हुए अत्यंत कम प्रगति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इसमें अपेक्षित प्रगति न होने के कारणों तथा इस कार्य को पूर्ण करने के संबंध में वास्तविक तिथि की लिखित जानकारी परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर से मांगी गयी।

3- एस0टी0पी0 संख्या-4, 112MLD दीन दयाल उपाध्याय पार्क गोपेश्वर का निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा किया गया। इस कार्य के पूर्ण होने की तिथि 31-12-2018 निर्धारित है जिसमें परियोजना प्रबंधक द्वारा 60 प्रतिशत कार्य की प्रगति बतायी गयी तथा समय से पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य समाप्ति की तारीख पर संदेह व्यक्त किया गया तथा इसे समय से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अलकनंदा नदी में मिलने वाले 29 नालों के मुहाने पर ग्रिल लगाने संबंधित जानकारी ली गयी जिसके संबंध में परियोजना प्रबंधक द्वारा समस्त नालों पर एक-एक ग्रिल लगाने से अवगत कराया गया। गोपेश्वर से संबंधित पोखरी बैण्ड नाला एवं वैतरिणी कुण्ड नाला पर लगाए गए ग्रिल का निरीक्षण किया गया। पोखरी बैण्ड नाले का ग्रिल मुख्य सड़क के काफी नीचे लगा हुआ बताया गया जहां सड़क से पैदल पहुंचने का भी कोई सीधा रास्ता नहीं था। जिलाधिकारी द्वारा इस पर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा ग्रिल लगाने का कार्य सड़क के ठीक ऊपर ऐसे स्थान पर कराए जाने के निर्देश दिए गए जहां से आसानी से उसकी सफाई की जा सके। आवश्यकतानुसार नाले में पहुंच की सुगमता को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक ग्रिल लगाने के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।

5- परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण पेयजल निगम गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के अंतर्गत विन्डित जनपद के समस्त नालों में ग्रिल लगाने का कार्य पूर्ण करते हुए इसकी नियमित सफाई हेतु इसे संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत को हस्तांतरण किया गया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपेश्वर श्री अनिल पंत द्वारा अवगत कराया गया कि गोपेश्वर से संबंधित समस्त 07 नालों में ग्रिल लगाने का कार्य पूरा कर दिया गया है तथा नगर पालिका द्वारा अब तक इन नालों की दो बार सफाई भी जा चुकी है। उनके द्वारा भी ग्रिल लगाने का कार्य सुगम स्थल पर किए जाने से इसके सफाई की वारम्बारता अधिक होने से अवगत कराया गया।

क्षेत्र भ्रमण के पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के अतिरिक्त निर्देशों के साथ भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत



प्रभासी कर्माधिकारी
मदीनाथ तन प्रभाग गोपेश्वर।

दिनांक 27-11-2018 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आयोजित

"जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री नित्यानन्द पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री इंसादत्त पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री संजीव राय, जिला विकास अधिकारी चमोली।
4. श्री एसके0 वर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान घेयजल निगम गोपेश्वर।
5. श्री विक्रान्त मौर्य, अधिशासी अभियंता, थराली, जिला चमोली।
6. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली।

जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में समिति की बैठक का प्रारंभ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जल संसाधन, नदी विकास एवं संरक्षण मंत्रालय की विज्ञप्ति दिनांक 09-08-2018 तथा कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-478/एसपीएमजी/ एनजीबीआरवीए/एससीसी/21 दिनांक 18-04-2017 के क्रम में जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-81 दिनांक 30-05-2017 से उपरोक्त समिति का गठन किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार समिति में जिले के नामित प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को सदस्य संयोजक नामित किया गया है परंतु जिलाधिकारी चमोली के उपरोक्त पत्र में केवल प्रभागीय वनाधिकारी को केवल सदस्य नामित किया गया था जिस कारण बैठक का आयोजन प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा नहीं किया जा सका। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग को ही सदस्य संयोजक के रूप में जिला स्तरीय बैठक के आयोजन का दायित्व सौंपा गया।

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समिति की बैठक के सफल आयोजन हेतु जनपद के नमामि गंगे परियोजना से संबंधित समस्त प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं अंतिम रूप से तैयार की गयी डीपी0आर0 व अन्य अभिलेखों की आवश्यकता होगी जो उनके पास अभी उपलब्ध नहीं है। पूर्व में ये अभिलेख परियोजना निदेशक स्वजल तथा वर्तमान में यह कार्य जिला विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा संचालित बताया गया जिसके उपलब्ध होने पर आगामी बैठकों का सफल संचालन हो सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा उपरोक्त अभिलेखों की एक-एक प्रति समस्त सदस्यों तथा सदस्य संयोजक को उपलब्ध कराने के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिए गए परंतु अब तक अभिलेख प्राप्त नहीं है जिसे शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।



—क्रमशः 02 पृष्ठ—

बैठक का प्रारंभ करते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा से की गयी जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

i. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुक्षण इकाई श्री एस0के0 बर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15-11-2018 तक कर्णप्रयाग में मुजिरा चमोली एस0टी0पी0 का परीक्षण प्रारंभ किया गया है जिसमें 98 प्रतिशत, ओल्ड ब्रिज एस0टी0पी0 में 70 प्रतिशत, सुभाषनगर एस0टी0पी0 में 60 प्रतिशत, बी0आर0ओ0 ब्रिज एस0टी0पी0 में 47 प्रतिशत, गार्ड नं0 1 एवं 3 एस0टी0पी0 में 80 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। नंदप्रयाग एस0टी0पी0 के फारेस्ट नाला में 93 प्रतिशत तथा संगम नाला में 98 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। गोपेश्वर चमोली एस0टी0पी0 में 55 प्रतिशत, महेन्द्रा शोरुम चमोली में 73 प्रतिशत, विवेकानन्द कालोनी में 64 प्रतिशत, पोखरी बेंड एस0टी0पी0 48 प्रतिशत, दीनदयाल सपाध्याय पार्क में 59 प्रतिशत, संप्रेशन ब्रिज एस0टी0पी0 59 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके जनवरी 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। जोशीमठ एस0टी0पी0 42 प्रतिशत, मारवाडी एस0टी0पी0 22 प्रतिशत, पोखरी एस0टी0पी0 73 प्रतिशत, बद्रीनाथ-1 एस0टी0पी0 48 प्रतिशत, बद्रीनाथ-11 एस0टी0पी0 46 प्रतिशत तथा बद्रीनाथ-111 एस0टी0पी0 40 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके अप्रैल-2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। उनके द्वारा एक चार्ट भी प्रस्तुत किया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

ii. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुक्षण इकाई श्री एस0के0 बर्मा द्वारा मुख्य नदी अलकनंदा में गिरने वाले विभिन्न नालों के टैपिंग के संबंध में अवगत कराया गया कि बद्रीनाथ के 6 नालों में से 2 में कार्य पूर्ण तथा 4 में प्रगति पर, जोशीमठ के 5 नालों में कार्य प्रगति पर, गोपेश्वर के 7 में से 7, नंदप्रयाग के 3 नालों में से 02 में कार्य पूर्ण तथा 01 में कार्य प्रगति पर तथा कर्णप्रयाग के 01 में कार्य पूर्ण तथा 06 में कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त समस्त का कार्य पूर्ण होने की तिथि 30 नवम्बर 2018 तक बतायी गयी, जिन्हें वास्तविक एस0टी0पी0 के पूर्ण होने पर जोड़ा जाना है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य गंगा समिति की दिनांक 25-09-2018 को आयोजित छतुर्थ बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में समस्त नालों में तारजाली लगाए जाने का कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं जिन्हें रखरखाव के लिए नगरपालिका को हस्तांतरण कर दिया गया है।

iii. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुक्षण इकाई श्री एस0के0 बर्मा द्वारा नंदप्रयाग कर्णप्रयाग तथा चमोली के कुछ परियोजनाओं में विद्युत संयोजन की कठिनाई बताई गयी जिसे तत्काल दूर किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियंता विद्युत वितरण से वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा शीघ्र प्रावधान प्रस्तुत करने एवं प्रावधान की धनराशि जमा करने पर विद्युत संयोजन दिए जाने की बात की गयी।

iv. जिलाधिकारी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में गोजित मूल अपेदन संख्या- 521/2015 जिसमें पारित आदेश दिनांक 04-10-2018 के अनुसार 10000 वर्ग फिट से अधिक कवर एरिया के भवनों, होटलों, धर्मशालाओं, जमिनीयों, आदि पर एस0टी0पी0 लगाने के संबंध में जनपद से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया (तापित संख्या 10/2018) अनुसार कुल 3108 भवनों के 213 भवनों/होटलों/धर्मशालाओं जिनमें से 10000 वर्ग फिट कवर एरिया से अधिक है, उन भवनों/होटलों/धर्मशालाओं में से नदी में सीधा अलमल विसर्जन किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा एस0टी0पी0 तथा बायोडायजेस्टर नदी लगाया गया है। उपरोक्त भवनों में 73 सीपेड लाइव सिस्टम है जिन्हें एस0टी0पी0 से कनेक्ट किया जाना है तथा 140 भवनों द्वारा सीपेड



(Signature)

—कमरा 03 पर—

v- सदस्य संयोजक प्रभागीय जमादिकारी मदीनाब नन प्रभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत दिनांक 26-11-2018 तक वन विभाग से संबंधित जनपद के विभिन्न स्वीकृत एवं कराए गए कार्यों से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य मद	कार्य	इकाई	प्रस्तावित		स्वीकृत		अवमुक्त (रुलाख में)	प्रगति	
				भौतिक	मिलीय (रुलाख में)	भौतिक	मिलीय (रुलाख में)		भौतिक	मिलीय (रुलाख में)
1.	Natural Landscape	अधिम मृदा कार्य	हेक्टेयर	177.00	110.03	175.00	105.00	63.60	-	-
2.	Agriculture Landscape	फलदार/आर्सेक पौधों का वितरण	पौध संख्या	24771	165.14	6000	7.50	5.40	4724	2.85
		फलदार पौधों का अनुक्षण	पौध संख्या	23754	7.13	23754	7.13	7.13	23754	-
3.	Urban Landscape	नया आर्टिकल/ईको पार्क	हेक्टेयर	160.00	1374.07	-	-	-	-	-
4.	Conservation activity	पुर्न संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	391.00	1186.60	70.00	109.41	99.26	70.00	69.26
5.	Training	प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	LS	2.00	01	1.25	1.25	01	0.50
6.	Office expenses	कार्यालय व्यय	लक्ष	LS	2.00	L.S.	2.00	2.00	L.S.	0.50
कुल योग:-				-	2846.97	-	232.29	178.64	-	73.11

नोट:- एग्रीकल्चर लेण्डस्कोप मद के अंतर्गत अवशेष 1276 पौधों का रोपण शीतकालीन वर्षा होने के पश्चात उद्यान विभाग द्वारा फलदार पौधों की आपूर्ति प्राप्त होने पर माह दिसम्बर से जनवरी के मध्य किया जाना है।

vi- जनपद में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा स्थान नंदप्रयाग में 01 स्नानघाट एवं 01 शवदाह घाट तथा स्थान उमराकोट व चमोली में 01-01 शवदाह घाटों का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा है, जिसकी प्रगति के बारे में कार्यदायी संस्था के अधिशारी अभियंता सिंचाई खण्ड श्रीनगर द्वारा अधोहस्ताक्षरी को ई-मेल से प्रेषित सूचना के अनुसार स्थान नंदप्रयाग में निर्माणाधीन स्नानघाट में 79 प्रतिशत, नंदप्रयाग में निर्माणाधीन शवदाह घाट में 81 प्रतिशत, उमराकोट में निर्माणाधीन शवदाह घाट में 88 प्रतिशत तथा चमोली में निर्माणाधीन शवदाह घाट में 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं जो जनवरी-2018 के अंत तक पूर्ण होने से अवगत कराया गया (प्रगति विवरण संलग्न)।

vii- जिलाधिकारी मदीनाब नन द्वारा अधिपत्र में कार्यदायी संस्था के साथ उनके द्वारा जनपद में विभिन्न स्थलों पर कराए जा रहे कार्यों का भ्रमण कर निरीक्षण करने के उपरान्त जिला मंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश के साथ बैठक सम्पन्न की गयी।



प्रभागीय जमादिकारी
मदीनाब नन प्रभाग गोपेश्वर।

दिनांक 31-10-2018 को जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में आयोजित "जिला गंगा संरक्षण समिति" की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. श्री नित्यानन्द पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
2. श्री इंसादत्त पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
3. श्री संजीव राय, जिला विकास अधिकारी चमोली।
4. श्री डी0एस0 रावत, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।
5. श्री एस0के0 बर्मा, परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुसंधान पेयजल निगम गोपेश्वर।
6. श्री अनिल पंत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली।
7. श्री राजेन्द्र सिंह राणा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग चमोली।
8. श्री रघुवीर राय, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नंदप्रयाग।
9. श्री टंकार कौशल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पीपलकाटी।
10. श्री एम0एस0 राणा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली।

जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-मंगो/इक्कीस-एम0बी0(2017-18) दिनांक 31-10-2018 से संबंधित शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 31-10-2018 को सायं 04 बजे जिला स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु उपस्थित हुए। बैठक का प्रारंभ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जल संसाधन, नदी विकास एवं संरक्षण मंत्रालय की विज्ञप्ति दिनांक 09-09-2018 तथा कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप नगामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-478/एसपीएमजी/ एनजीबीआरवीए/एससीसी/21 दिनांक 18-04-2017 के क्रम में जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-81 दिनांक 30-05-2017 से उपरोक्त समिति का गठन किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार समिति में जिले के नामित प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को सदस्य संयोजक नामित किया गया है परंतु जिलाधिकारी चमोली के उपरोक्त पत्र में केवल प्रभागीय वनाधिकारी को केवल सदस्य नामित किया गया था जिस कारण बैठक का संयोजन प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा नहीं किया जा सका। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग को ही सदस्य संयोजक के रूप में जिला स्तरीय बैठक के आयोजन का दायित्व सौंपा गया।

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समिति की बैठक के सम्पन्न आयोजन हेतु जनपद के नगामि गंगे परियोजना से संबंधित समस्त प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं अंतिम रूप से तैयार की गयी डी0पी0आर0 के अन्य अभिलेखों की आवश्यकता होगी जो उनके पास अभी उपलब्ध नहीं है। पूर्व में ये अभिलेख परियोजना निदेशक के कार्यालय में थे। वर्तमान में यह कार्य जिला विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा संवर्धित बताया गया जिसके फलस्वरूप जिले के सभी अभिलेखों का सम्पन्न संचालन हो सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा उपरोक्त अभिलेखों की फोटो एवं प्रती समस्त सदस्यों तथा सदस्य संयोजक को उपलब्ध कराने के निदेश जिला विकास अधिकारी को दिए गए।



(Signature)

क्रमशः 02 पर-

बैठक का प्रारंभ आज सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सम्बन्धित विन्दुओं पर चर्चा से की गयी जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1- Compliance status of directions in relation to collection and disposal of sewage:-

i. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई श्री एस0टी0पी0 बर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग में पुलिस चौक एस0टी0पी0 में 98 प्रतिशत, ओल्ड ब्रिज एस0टी0पी0 में 85 प्रतिशत, सुभाषनगर एस0टी0पी0 में 55 प्रतिशत, बी0आर0ओ0 ब्रिज एस0टी0पी0 में 41 प्रतिशत, वार्ड नं0 1-1-3 एस0टी0पी0 में 80 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। नंदप्रयाग एस0टी0पी0 के फारेस्ट नाला में 85 प्रतिशत तथा संगम नाला में 98 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके 15 नवम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। गोपेश्वर चमोली एस0टी0पी0 में 54 प्रतिशत, महेंद्रा शोरूम चमोली में 63 प्रतिशत, विवेकानन्द कालोनी में 53 प्रतिशत, पोखरी डेपंड एस0टी0पी0 43 प्रतिशत, दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 52 प्रतिशत, संरक्षण ब्रिज एस0टी0पी0 46 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके जनवरी 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। जोशीमठ एस0टी0पी0 41 प्रतिशत, नारवाड़ी एस0टी0पी0 12 प्रतिशत, पोखरी एस0टी0पी0 50 प्रतिशत, बद्रीनाथ-1 एस0टी0पी0 45 प्रतिशत, बद्रीनाथ-11 एस0टी0पी0 40 प्रतिशत तथा बद्रीनाथ-111 एस0टी0पी0 40 प्रतिशत कार्य हुए हैं जिनके अप्रैल-2019 तक पूर्ण होने की संभावना है। उनके द्वारा एक चार्ट भी प्रस्तुत किया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

ii. परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई श्री एस0टी0पी0 बर्मा द्वारा मुख्य नदी अलकनंदा में गिरने वाले विभिन्न नालों के टेपिंग के संबंध में अवगत कराया गया कि बद्रीनाथ के 6 नालों में से 2 में कार्य पूर्ण तथा 4 में प्रगति पर, जोशीमठ के 5 नालों में कार्य प्रगति पर, गोपेश्वर के 7 में से 7, नंदप्रयाग के 3 नालों में से 01 में कार्य पूर्ण तथा 02 में कार्य प्रगति पर तथा कर्णप्रयाग के 01 में कार्य पूर्ण तथा 06 में कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त समस्त प्रगति के कार्य 30 नवम्बर 2018 तक पूर्ण हो जायेंगे। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य गंगा समिति की दिनांक 25-09-2018 को आयोजित भूतुर्य बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में समस्त नालों में तारजाली लगाए जाने का कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

iii. जिला पंचायत चमोली द्वारा प्रबंधित ग्राम्य बाजारों जितने मुख्य रूप से घाट, नारायणबगड, देवाल व ऐसे अन्य अर्द्धशहरीय बसावटें जिनमें एस0टी0पी0 अथवा जलमल निकास का कार्य सीधे नालों व नदियों में हो रहा है को चिन्हित कर समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली से की गयी है।

2- Compliance status of directions in relation to Hotel/Dharmshala/Ashram:-

i. अधिशासी अधिकारी गोपेश्वर चमोली द्वारा गोपेश्वर में 32, अधिशासी अधिकारी कर्णप्रयाग द्वारा कर्णप्रयाग में 18, अधिशासी अधिकारी चिन्मोडी द्वारा पीपलकोटी में 40 होटल/धर्मशालाओं का विवरण दिया गया जिसमें एस0टी0पी0 लगायी जानी है। जहाँ इनका जलमल विसर्जन सीधे नदी में न होकर इनके द्वारा बनाए गए सैंकपिट्स व सेप्टी टैंक्स में होता है परन्तु नियमों में आच्छादित होने के कारण इन्हें स्वयं के व्यय पर एस0टी0पी0 लगाना है। नंदप्रयाग, पोखरी, थरुली व गैरसैण में इसकी संभावना नहीं है। बद्रीनाथ एवं जोशीमठ में इस प्रकार के विन्दुओं आस्थाओं का विवरण अधिशासी अधिकारी न होने के कारण प्राप्त नहीं हो सका।

ii. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रवर्धित घाट, नारायणगढ़, थराली व देवाल ग्रामीण बाजारों में भी मानकों के अनुसार पड़ने वाले भवनों/धर्मशालाओं की गिनती कर शीघ्र अवगत कराया जायेगा। मानक से कम क्षमता के भवनों द्वारा जलमल का विसर्जन अपने द्वारा बनाए गए सॉकपिट एवं सैप्टीटैंक में किया जा रहा है परंतु नदी के किनारे स्थित कुछ भवन स्वामियों द्वारा जल का विसर्जन सीधे नंदाकिनी व पिण्डर नदी में किए जाने की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

iii. गोविन्दघाट एवं घांघरिया में भी होटलों एवं धर्मशालाओं द्वारा जलमल निकास हेतु की गयी व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण कर अगली बैठक में अधिशासी अधिकारी जोशीमठ से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है।

3- Compliance status of directions in relation to Municipal solid waste management:-

i. अधिशासी अधिकारी गोपेश्वर चमोली, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी व नंदप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नगरीय कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण का कार्य अभी ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर ही किया जा रहा है। जोशीमठ एवं बद्रीनाथ की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। थराली, पोखरी, गौचर में ट्रेडिंग ग्राउण्ड हेतु नए स्थल चयन की कार्यवाही होनी है जहां वर्तमान में कूड़ा एकत्रीकरण कर पुराने गड्ढों में ही डाला जा रहा है। यह आश्वासन दिया गया कि किसी भी नगर में एकत्रित कूड़े को नदी में नहीं डाला जा रहा है।

ii. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 64 ग्रामीण बाजारों को जिन्हें 29 समूहों में गठित कर कूड़ा प्रबंधन का कार्य सफाई कर्मियों द्वारा कराया जा रहा है। उन्हें हाथ गाड़ी/रिक्शा गाड़ी व अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उपरोक्त 64 ग्रामीण बाजारों में से 24 ग्रामीण बाजार नदी से दूर तथा 40 नदी के किनारे हैं जिनके द्वारा जलमल व कूड़ा विसर्जन सीधे नदी में किए जाने की संभावनाओं की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

iii. अधिशासी अधिकारी पीपलकोटी द्वारा टी0एच0डी0सी0 व एच0सी0सी0 कम्पनी जिसमें बड़ी मात्रा में श्रमिक एवं अधिकारी/कर्मचारियों के आवास इत्यादि हैं जिनसे संबंधित जलमल निकास एवं कूड़ा निस्तारण के संबंध में कार्यवाही कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाने हैं।

4- Compliance status of directions in relation to Industrial discharge:-

जनपद में औद्योगिक इकाइयों से छोड़े गए प्रवाह का कोई प्रकरण नहीं है।

5- Compliance status of directions in relation to flood plans:-

अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली नाभित सदस्य हैं जो बैठक में उपस्थित नहीं थे। जनपद में बाढ़ग्रस्त मैदानों के कारण नदी प्रदूषण का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं है।

6- Compliance status of directions in relation to Minning of the river bed:-

अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग चमोली नाभित सदस्य हैं जो बैठक में उपस्थित नहीं थे। जनपद में खनन के कारण नदी प्रदूषण का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं है।



—क्रमशः 04 पर—

7- Compliance status of directions in relation to Biomedical waste:-

अधिशारी अधिकारी गोपेश्वर चमोली तथा कर्णप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा राजकीय निजी चिकित्सालयों में चिकित्सकीय कूड़ा के निस्तारण पर कठोर नियंत्रण रखा गया है। उपरोक्त के अलावा अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी चिकित्सकीय कूड़ा की स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त अधिशारी अधिकारियों द्वारा सहमति दी गयी।

8- Compliance status of directions in relation to General Direction:-

सदस्य संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित जनपद के विभिन्न स्वीकृत एवं कराए गए कार्यों से अवगत कराया गया।

क्र.सं.	कार्य मद	कार्य	इकाई	प्रस्तावित		स्वीकृत		अवशेष (रु.लाख में)	प्रगति	
				भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)	भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)		भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)
1.	Natural Landscape	अग्नि मृदा कार्य	हेक्टेयर	177.00	110.03	173.00	105.0	-	-	-
2.	Agriculture Landscape	फलदार/आर्थिक पौधों का दितरण	पौध संख्या	24771	165.14	6000	7.500	5.40	4724	2.85
3.	Urban Landscape	गंगा घाटिका/ईको पार्क	हेक्टेयर	160.00	1374.07	-	-	-	-	-
4.	Conservation activity	भूमे संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	391.00	1186.6	70.00	109.41	69.26	60	69.26
5.	Training	प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	LS	2.00	01	0.50	0.50	01	0.50
6.	Office expenses	कार्यालय व्यय	ल0रु0	LS	2.00	L.S.	0.50	0.50	L.S.	0.50
कुल योग:-				-	2830.84	-	222.91	75.91	-	73.11

एग्रीकल्चर लेण्डस्कैप के अंतर्गत अवशेष 1276 पौधों का रोपण शीतकालीन पर्षा होने के पश्चात पौध आपूर्ति होने पर किया जाना।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निकाय चुनाव समाप्त होने के पश्चात कार्यों की समीक्षा क्षेत्र भ्रमण के पश्चात किए जाने के निर्देश देने के पश्चात बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

जिलाधिकारी
चमोली



प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

Handwritten signature.

जिलाधिकारी महोदय चमोली की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 05 जुलाई 2018

स्थान-जिला सभागार गोपेश्वर

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक का शुभारम्भ उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत एवं परिचय से किया गया। इसके पश्चात् स्वजल परियोजना द्वारा नमामि गंगे के अन्तर्गत दोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निर्मित कार्य की प्रगति पॉवरप्वान्ट प्रिजेंटेशन के माध्यम से श्री लक्ष्मण सिंह राणा सी0डी0एस0 द्वारा बताया गया कि 29 ग्राम पंचायतों में से 07 ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष ग्राम पंचायतों में अगस्त 2018 तक कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे।

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई नमामि गंगे से सुश्री बदीनाथ सिंह (ए0ई0) द्वारा प्रस्तुतिकरण में बताया कि I&D तथा STP का कार्य चयनित क्षेत्र गोपेश्वर, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, बदीनाथ व जोशीमठ में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा बताया कि STP कार्य से पूर्व I&D का कार्य प्रारम्भ किया जाय साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जमीन में किसी भी प्रकार का विवाद न हो इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

वन प्रभाग बदीनाथ द्वारा नमामि गंगे के अन्तर्गत वर्ष 2019 की कार्ययोजना पर प्रभागीय बनाविकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पंचायतों में मुख्य गतिविधियाँ वनीकरण, एग्रीकल्चरलेण्डस्केप के अन्तर्गत निजि/सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, नदीतट से शहरी विकास भूमि संरक्षण कार्य, नर्सरी, मृदाकार्य एवं फलदार वृक्षों का रोपण इत्यादि कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 09 जुलाई से 15 जुलाई 2018 तक गंगा वृक्षारोपण अभियान चयनित वन पंचायतों में क्रमशः वामणी वनपंचायत (बदीनाथ), क्षेत्रपालवनपंचायत (नन्दप्रयाग) व नन्दप्रयाग वन पंचायतों में सामुदायिक सहभागिता व शैक्षीय विभाग के संयुक्तप्रयास से वृक्षारोपण का कार्य अभियान के तहत किया जायेगा।

नमामि गंगे के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभागवार समीक्षा कर निर्देशदियेगये।

बदीनाथ संगम पर बना STP पुराना होने के कारण दुर्गन्ध आ रही है इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इसे पुर्नउपयोग कार्य किया जाय।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक नमामिगंगे चमोली, गोपेश्वर)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वन प्रभाग बदीनाथ में नमामि गंगे के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को मनरेगा के साथ युगपतिकरण के माध्यम से सम्पादित किये जाय।

(कार्यवाही-प्रभागीय बनाविकारी चमोली, गोपेश्वर)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में दोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों को मनरेगा से युगपतिकरण किया जाय।

(कार्यवाही-प्रभागीय बनाविकारी चमोली, गोपेश्वर)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत की गयी कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत जल संग्रहण एवं संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकतापूर्वक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।



(Signature)

25371

271

(कार्यवाही-समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

अंत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।


(प्रकाश-चव्हाण)
परियोजनाप्रबन्धक
स्वजलपरियोजना,
चमोली।

अनुमोदित
12/7/18
अध्यक्ष / जिलाधिकारी
जिला गंगा संरक्षण समिति
चमोली।





दिनांक 12/3/2018 को जिलाधिकारी चमोली, की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति संलग्न है-

जिलाधिकारी द्वारा नमामि गंगे की बैठक प्रारम्भ करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों की उपस्थिति की जानकारी चाही गयी। तदोपरान्त नमामि गंगे की जिला इकाई से सम्बन्धित जानकारी एवं स्वजल के कार्यक्रमों की जानकारी ली गयी। तत्पश्चात परियोजना प्रबन्धक स्वजल द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति व गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश 2016 की जानकारी दी गयी, तथा अवगत कराया गया कि गंगा में जो गंदगी हो रही है इसकी निगरानी हेतु गंगा संरक्षण समिति द्वारा देखा जाना है तथा नमामि गंगे के गांवों में जो कार्य चल रहे हैं, उनको यथाशीघ्र पूर्ण कर जाना है। आपके क्षेत्र में यदि कोई गंदगी करता हुआ पाया जाता है तो आप एन.जी.टी. एक्ट के तहत दण्ड वसूल कर सकते हैं।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधानों को ठोस एवं तुरंत अपशिष्ट प्रबन्धन में किये जा रहे कार्यों की जानकारी होनी चाहिए, तथा समस्त कार्य एन.जी.टी. के मानकों के अनुरूप किया जाना है।

स्वजल परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री संजय पंत द्वारा भावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से नमामि गंगे में चयनित 29 ग्राम पंचायतों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी इस पर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन कार्यों में मनरेगा द्वारा युनपीतिकरण किया जा रहा है, उनमें मनरेगा का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है, अन्यथा जीओ टैगिंग में समस्या आयेगी, तथा यह जानकारी चाही गयी कि मार्च तक कितने ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इस पर स्वजल के तकनीकी सलाहकार श्री पंत जी द्वारा अवगत कराया गया कि 31 मार्च तक 22 ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, चमोली)

सहायक अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि 5 नगर पंचायतों में कार्य किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में 5 एस.टी.पी. बनाये जाने हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट रूड़की भेजी गयी है। नन्दप्रयाग में भी 3 नाले व 3 एस.टी.पी. बनाये जाने हैं, गोपेश्वर में 5 एस.टी.पी. जोशीमठ में 2 एस.टी.पी. व बद्रीनाथ में 2 एस.टी.पी. बनने हैं। जिलाधिकारी द्वारा बद्रीनाथ में आ रही समस्या के बारे में पूछा गया, इस पर जल निगम से आये प्रतिनामी द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार के मजदूर आ चुके हैं, बद्रीनाथ जाने की अनुमति मिलते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा नालों की टैपिंग व शवदाहगृहों के सुधारीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल निगम, चमोली)

ग्राम बालेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि बाहरी ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा खुले में शौच किया जा रहा है, उनका रुझान प्रबन्धन किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे लोगों पर जुर्माना निर्धारित किया जाय तथा घाटों पर एंटी रिपलिटिंग का बोर्ड लगाया जाये, पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। नमामि गंगे के महत्वपूर्ण विभागों (शिवाई विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग) के अधिकारियों द्वारा कार्यशाला में उपस्थित न होने पर अस्वीकार्य करते हुए निर्देश दिये गये कि जिला विभाग की बैठक प्रबन्धक से आहूत करायी जाय।

(कार्यवाही- शिवाई विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग)



(Signature)

प्रधान कालेश्वर द्वारा जयकण्ठी व कालेश्वर में घाट व शयदाह गृह बनाये जाने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव देने को कहा गया तथा ग्राम पंचायतों में युगपीतिकरण के कार्य नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत में मंदी से सम्बन्धित कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी गठित समिति द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति की भांति कार्य किया जायेगा, इसकी लिखित शिकायत जिला समिति से कर सकते हैं जिस पर उपचारात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही निर्मित संरचनाओं का उपयोग ठीक प्रकार से किया जाये। कूड़ा निस्तारण हेतु निर्मित संरचनाओं का अन्य इस्तेमाल नहीं किया जाय।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, चमोली)

अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद शोधित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(प्रकाश रावत)
परियोजना प्रबन्धक
स्वजल परियोजना,
चमोली।

अनुमोदित

[Signature]

प्र. अध्यक्ष / जिलाधिकारी
जिला गंगा संरक्षण समिति
चमोली



[Signature]

जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18 दिसम्बर 2017

स्थान— जिला सभागार गोपेश्वर।

आज दिनांक 18.12.2017 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय गंगा संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न की गयी। बैठक का शुभारम्भ नमामि गंगे परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, के देहरादून से आये प्रातिनिधि श्री अनिरुद्ध कुमार द्वारा पॉवरपॉइन्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से किया गया एवं 1985 से अब तक गंगा की सफाई एवं संरक्षण हेतु किये गये कार्यों के बारे में बताया गया, साथ ही अवगत कराया गया कि माह जून 2014 से नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारम्भ भारत सरकार द्वारा किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय उक्त समिति के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में हर तीन माह में एक बैठक आयोजित की जायेगी तथा गंगा के किनारे गंदगी/कूड़ा-कचरा फैलाने वालों पर NGT & Environment Protection Act के तहत गंगा संरक्षण समिति द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन को प्रभावी बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में सरपंच को नोडल बनाया जाये, तथा जिला स्तर पर एक नोडल ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारी दी जाए जो इनकी मॉनिटरिंग करेगा। होटल, धर्मशालाओं आदि के लिए आई0ई0सी0 मद से गंगा संरक्षण कार्य के प्रचार प्रसार हेतु पेंम्पलेट तैयार कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। गंगा में गंदगी करने पर पांच हजार रुपये जुर्माने के प्राविधान को प्रचारित किया जाये।

(कार्यवाही: परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे, चमोली)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में ग्राम प्रधान, उपजिलाधिकारी, इ.ओ. नगर पंचायत तथा कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदारों को बैठक में शामिल किया जाये।

(कार्यवाही: परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना/नमामि गंगे, गोपेश्वर-चमोली)

आल वेदर रोड एवं रेलवे के कार्य प्रगति पर हैं, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में मजदूरों की आवाजाही बढ़ने से खुले में शौच के कारण गंगा प्रदूषित हो सकती है, इस हेतु गंगा को दूषित होने से बचाने के लिए मोबाइल टायलेट की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदर्शन हेतु 04 सीटरों का मोबाइल शौचालय आई.ई.सी. मद से उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही: नमामि गंगे परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, देहरादून)

आर.एफ.डी. (शिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट) के तहत जनपद में स्नान एवं दाह संस्कार हेतु सभी घाटों का विकास अनिवार्य है, जबकि वर्तमान में कुछ ही घाटों में कार्य प्रारम्भ हुआ है। अन्य स्थानों के लिए परियोजना बनाने हेतु एक विशेषज्ञ शीघ्र जनपद में तैनात करें।

(कार्यवाही: नमामि गंगे परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, देहरादून)

नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित 29 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य प्रगति पर है, जबकि नगर पंचायतों में उक्त कार्य प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि नगर पंचायतों हेतु परियोजना तैयार करने के लिए जनपद में एक विशेषज्ञ तैनात किया जाये।



(कार्यवाही: नमामि गंगे परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, देहरादून)

(क्रमशः)

श्री अनिरुद्ध कुमार द्वारा कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, नन्दप्रयाग, जोशीमठ एवं गोपेश्वर में STP एवं I&D निर्माण कार्य के बारे में बताया गया कि उपरोक्त सभी जगहों पर टैंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उक्त कार्यों को नवम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को अगली बैठक में बुलाया जाये तथा इनके कार्यों की समीक्षा की जाय। गोपेश्वर में STP एवं I&D कार्य का भूमि पूजन तक ही सीमित होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बद्रीनाथ में बन रहे STP के निर्माण में शिकायत प्राप्त हुयी है, टीम भेजकर इसकी जांच की जाय, साथ ही मंदिर समिति के साथ भी वार्ता की जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया कि गोपेश्वर, बद्रीनाथ एवं जोशीमठ में पूर्व स्वीकृत I&D का कार्य तो पूर्ण कर लिया गया किन्तु STP का कार्य अब स्वीकृत किया गया है। जब तक इन स्थानों पर STP का कार्य पूर्ण नहीं होता I&D के निर्माण पर व्यय औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए निर्देशित किया गया कि लम्बित योजनाओं का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही: परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे, गोपेश्वर-चमोली)

जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई (स्वजल परियोजना) चमोली के तकनीकी सलाहकार श्री संजय पंत द्वारा नमामि गंगे हेतु चयनित जनपद की 29 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैरसँण विकासखण्ड के रामगंगा नदी- के आसपास के गांवों को चिन्हित कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यों से आच्छादित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे जाने हेतु कहा गया, साथ ही निर्देशित किया गया कि माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका विद्यालयों में इन्सीनेटर लगवाने व सेनेटरी नैपकिन्स बालिका विद्यालयों में वितरित किये जाए।

(कार्यवाही: परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना/नमामि गंगे, गोपेश्वर-चमोली)

प्रभारी वनाधिकारी द्वारा वन क्षेत्र में पौधारोपण एवं अन्य कार्यों की जानकारी दी गयी, तथा नदी में जाने वाली मिट्टी आदि की रोकथाम हेतु बायोफिल्टर बनाने की आवश्यकता नहीं होना बताया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि गंगा बाटिका बनाने हेतु बीस प्रतिशत कार्य हुआ है, जिसमें धन की कमी हो रही है।

(कार्यवाही: प्रभारी वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, चमोली)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्थानों में होर्डिंग लगावाये जाएं जिनमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की जानकारी के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने सम्बन्धी निर्देश भी अंकित हों, यह व्यवस्था स्वजल/नमामि गंगे परियोजना के आई0ई0सी0 मद से की जाए।

(कार्यवाही: परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नमामि गंगे के 29 गांवों में कीटनाशक व रसायनिक खादों की बजाय ऑर्गेनिक खादों को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शिका जारी की जाए तथा उक्त ग्राम पंचायतों में जैविक खादों के लिए राईन बोर्ड लगवाये जाए। उक्त व्यवस्था स्वजल/नमामि गंगे परियोजना के आई0ई0सी0 मद से की जाए।



(कार्यवाही: स्वजल परियोजना, चमोली)

(Signature)

(क्रमशः)

n with ner

(3)

उद्यान विभाग को स्वजल परियोजना के साथ मिलकर किचन से निकलने वाले पानी को बगीचे में उपयोग करने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: मुख्य उद्यान विभाग गोपेश्वर)

अंत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद कर बैठक का समापन किया गया।

(आनन्द सिंह)

परियोजना प्रबन्धक,
स्वजल परियोजना चमोली।

अनुमोदित

(आशीष जोशी)

अध्यक्ष / जिलाधिकारी
जिला गंगा संरक्षण समिति, चमोली

- प्रतिलिपि-1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ।

परियोजना प्रबन्धक,
स्वजल परियोजना चमोली।



Gl

//कार्यालय आदेश//

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की गंगा नदी के पर्यावरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपसमन हेतु जारी अधिसूचना संख्या-2458/दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 की धारा 56 के क्रम में प्रत्येक जिला गंगा समिति द्वारा निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाना है :-

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम सभा के सरपंच/ग्राम प्रधान।

(बी) ऐसे मामले जो गाँव नदी से सटे नहीं हैं, नगर पालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनित किया जा सकता है।

अतएव उक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद चमोली के अन्तर्गत अलकनन्दा एवं उसकी सहायक नदियों के आस-पास के नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	नोडल/नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष का नाम	दूरभाष
01	02	03	04
01.	श्री बद्रीनाथ	श्रीमती कुमकुम उप जिलाधिकारी, जोशीमठ (प्रशासक)	7060539426
02.	जोशीमठ	श्री शैलेन्द्रसिंह पंधार	9997892456
03.	पीपलकोटी	श्री रमेश लाल बड़वाल	9897248147
04.	गोपेश्वर	श्रीमती पुष्पा पासवान	9897226147
05.	नन्दप्रयाग	डा० हिमानी वैष्णव	7895229919
06.	कर्णप्रयाग	श्रीमती दमयन्ती रतूजी	9411633677
07.	गौघर	श्रीमती अन्जू बिष्ट	8126482024
08.	पोखरी	श्री लक्ष्मी प्रसाद पन्त	9720976167
09.	थराली	श्रीमती दीप देवी भारती	7351960863
10.	गैरसैण	श्री पुष्कर सिंह रावत	9758653560

उक्त अधिसूचना की धारा 56 (2) के तहत प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अलकनन्दा एवं इसकी सहायक नदियों व अन्य क्षेत्र जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है, के निम्न दायित्व होंगे।

1. गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकना।
2. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करना।
3. नोडल अधिकारी अपने ग्रामी/नगर पंचायतों से सटे हुए नदी तटों पर उपचारात्मक कार्यवाही न होने की स्थिति में जिला गंगा संरक्षण समिति के संज्ञान में ला सकते हैं।
4. अन्य दायित्व जैसे जिला गंगा संरक्षण समिति चर्चित समझे।

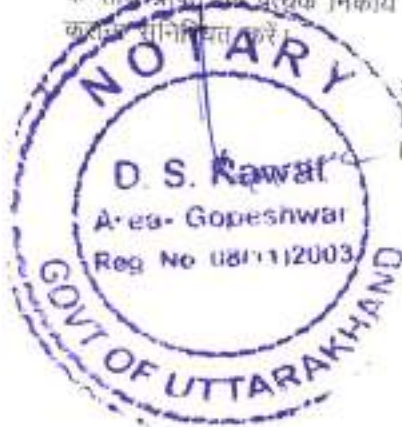
अतएव प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या-716/इक्कीस-एल0बी0सी0-1/2022-2023 दिनांक 16 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि-संदर्भ-संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को अग्रुत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 02- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद चमोली को इस निर्देश के साथ भेजा कि प्रत्येक निकाय क्षेत्र में नामित नोडल अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराकर सुनिश्चित करें।



Signed by Himanshu Khurana

Date: 16-11-2023 15:48:26

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

॥ कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली ॥

पत्रांक:- 684 / पं-02 / गंगा ग्राम / 2023-24 / दिनांक: 16 नवम्बर 2023

-आदेश:-

जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय पत्रांक संख्या-717 / इक्कीस- एल0बी0सी0 -1/2022-23 दिनांक 16, नवम्बर, 2023-24 एवं जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की गंगा नदी के पर्यावरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपसमन हेतु जारी अधिसूचना संख्या-2458/दिनांक 7 अक्टूबर 2026 की धारा-56 के क्रम में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों में प्रत्येक गाँव के ग्राम सभा के सरपंच/प्रधान ग्राम पंचायत को निम्नानुसार नोडल नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के नोडल/ग्राम प्रधान का नाम	दूरभाष
1	2	3	4	5
1	दशोली	दिगोली	श्रीमती रश्मिरानी	9557379558
2	दशोली	गोलिम	श्रीमती जयन्ती देवी	7312014646
3	दशोली	खैरुरी	श्रीमती रेखा देवी	9536841218
4	दशोली	मैठाणा	श्री शिवप्रसाद डिमरी	9897195867
5	दशोली	पिलग	श्री मयंक पन्त	8755764944
6	देवाल	देवसारी	श्रीमती यशोदा देवी	7457809071
7	देवाल	कोठी	श्रीमती पुष्पा देवी	9557720233
8	देवाल	लिंगडी	श्रीमती नागीरथी देवी	9568817187
9	देवाल	ओडर	श्री खीम राम	9536727853
10	देवाल	पदमला	श्रीमती कमला देवी	9557844753
11	नन्दानगर	बिजार	श्रीमती मोनिका	8192852910
12	नन्दानगर	पुष्पकिला	श्रीमती अनुराधा देवी	8126176372
13	नन्दानगर	राजबगती	श्रीमती राधा देवी	8958215867
14	जोशीमठ	माण्डा	श्री पीताम्बर सिंह	7060424672
15	जोशीमठ	पाण्डुकोरवर	श्रीमती बबीता पवार	7579227200
16	कर्णप्रयाग	जयकण्ठी	श्रीमती सोनी देवी	893755345
17	कर्णप्रयाग	कालेश्वर	श्री चन्द्रावल्लभ	8126041928
18	कर्णप्रयाग	शिरपाक	श्रीमती पुष्पा देवी	8755361086
19	कर्णप्रयाग	उपराकोट	श्रीमती स्मिता देवी	9458335554
20	नारायणबगड	केवरमल्ला	श्रीमती पुष्पा देवी	8126752727
21	नारायणबगड	कुलसारी	श्री मनीष चन्द्र	8449276022
22	नारायणबगड	नलगौव	श्रीमती बबीता देवी	9520240569
23	नारायणबगड	नारायणबगड	श्रीमती गुड्डी देवी	8650626186
24	पोखरी	जिलासू	श्री पुष्कर सिंह	8755058032
25	थराली	चेपडी	श्रीमती गीता देवी	9634243669
26	थराली	सेराविजयपुर	श्री प्रेम बल्लभ शर्मा	8126832890
27	थराली	सूना	श्री कैलाश चन्द्र	7895114112
28	थराली	त्रिकोट	श्रीमती यशोदा देवी	9520645249
29	थराली	बेनोली	श्री गम्भीर सिंह	8979524378



उक्त अधिसूचना की धारा 56(2) के तहत प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अलकनन्दा एवं इसकी सहायक नदियों व अन्य क्षेत्रों जिसके लिए व नोडल अधिकारी है, के निम्न दायित्व होंगे ।

1. गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकना ।
2. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करना ।
3. नोडल अधिकारी अपने ग्रामों/नगर पंचायतों से सटे हुए नदी तटों पर उपचारात्मक कार्यवाही न होने की स्थिति में जिला गंगा संरक्षण समिति के संज्ञान में ला सकते हैं ।
4. अन्य दायित्व जैसे जिला गंगा संरक्षण समिति समझे ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तालिकानुसार अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों की स्वच्छता बनाने में अपना सहयोग करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

जिला पंचायतराज अधिकारी,
चमोली ।

प्रतिलिपि-

विन्माफिंतों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोदय चमोली ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चमोली ।
3. समस्त वनाधिकारी जनपद-चमोली ।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद-चमोली ।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं०) जनपद-चमोली ।
6. उपरोक्त समस्त नोडल/प्रधान ग्राम पंचायत जनपद-चमोली ।

जिला पंचायतराज अधिकारी,
चमोली । 16-11-23



[Handwritten signature]

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

॥ सदस्य संयोजक-जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली ॥

पत्रांक 2216 / 2-42 दिनांक, गोपेश्वर 21 अक्टूबर / 2023

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
राज्य परियोजना प्रबन्धक गुप्त,
नमामि गंगे, उत्तराखण्ड,
105 (नयां नं०-545/911), राजपुर रोड़
आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने, देहरादून।

विषय:- Tributary Wise Action Plan for adopting holistic and integrated basin approach for river.

सन्दर्भ:- एस०पी०एम०जी० पत्रांक 72/SPMG/Namami Gange/DGC दिनांक 31.01.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला गंगा समितियों से गंगा की मुख्य धारा व सभी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु "Tributary Wise Action Plan for adopting holistic and integrated basin approach for river" एस०पी०एम०जी० कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में जनपद चमोली हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार "Tributary Wise Action Plan" इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रत्तर कार्यवाही हेतु आपको सादर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर/
सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति-चमोली

पत्रांक 2216 / 2-42 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी चमोली/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर/
सदस्य संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति-चमोली



GNAMAMI GANGE

TRIBUTARY WISE ACTION PLAN FOR CHAMOLI DISTRICT



CR

TABLE OF CONTENTS

ABBREVIATIONS.....	I
EXECUTIVE SUMMARY.....	V
INTRODUCTION.....	1
RIVER MANAGEMENT SYSTEM.....	4
DISTRICT PROFILE.....	6
District at a Glance.....	7
Topography.....	8
Climate.....	9
Rainfall.....	9
Groundwater.....	11
Forests.....	11
Fauna and Flora.....	12
Fauna.....	12
Fauna.....	12
Culture and Tradition.....	13
Environment Concerns in District.....	13
SOLID WASTE MANAGEMENT.....	16
Integrated Solid Waste Management (ISWM).....	16
Current status in the urban areas of the district.....	16
Available Infrastructure for waste management in the urban areas of the district.....	18
Methods used for the treatment of solid waste in the district.....	20
Gap Identification.....	22
Vegetation suitable for rehabilitation of dumping sites.....	27
Projected Population and Solid Waste Generation in Chamoli District.....	28
Inferences drawn after projecting the population and waste generated.....	31
Rural Solid Waste Management.....	31
Current standpoint about Rural Waste Management in India.....	31
BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT.....	32
Importance of Biomedical Waste Management in The Wake of Pandemic.....	32
Biomedical waste management in Chamoli district.....	33
Gap Identification in The Management of Biomedical Waste in the District.....	34
CONSTRUCTION & DEMOLITION WASTE MANAGEMENT.....	35
Implementation of 3r Principle in C&D Waste Management.....	35
Present State of Affairs.....	35
Recent Infrastructure within the State.....	36
C&D Waste Management in the district.....	36
C&D Waste Management in Rural Areas.....	37
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT.....	38
Present state of affairs.....	38



Hazardous Waste Management in Chamoli district	38
ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT	40
Worldwide Scenario	40
Indian Scenario.....	41
E-waste Management in Chamoli district.....	41
WASTE WATER MANAGEMENT AND SEWAGE TREATMENT PLANT	43
Current Scenario RELATED TO STPS in the District.....	43
Adequacy of Sewerage Network in Various Urban Local Bodies of the District.....	44
Current Standpoints Regarding Sewage Management in the District.....	45
Liquid Waste Management in Rural Areas	45
Current standpoint about Rural Waste Water Management in India	46
Practices for Rural Waste management in India	46
GROUND WATER EXTRACTION/CONTAMINATION AND RE-CHARGE.....	47
Ground water extraction	47
Ground water contamination.....	47
Groundwater Recharge.....	47
Groundwater management in Chamoli district	47
Current standpoint regarding Water Resources Management in Chamoli.....	49
Artificial Recharge of Groundwater	49
ILLEGAL SAND MINING	51
Current Standpoints Regarding Mining Activities in the district	51
REJUVENATION OF WATER BODIES.....	53
Rejuvenation works in Chamoli district	53
Mission Mothugad.....	53
General Information	53
Mothugad River Rejuvenation Program	53
Works to be carried out under this Project	54
PLASTIC WASTE MANAGEMENT.....	55
Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021	55
Current Status Regarding Plastic Waste Management in the urban areas of the district...56	56
Gaps identified in the management of plastic waste in the district.....	59
Estimated Future Population and Plastic Waste Generation in Chamoli District.....	59
Inferences drawn from the projected data	61
ASSESSMENT OF URBAN LOCAL BODIES IN CHAMOLI DISTRICT	62
Observations from data assessment.....	64
Action Plan for Solid Waste Management.....	66
Phytoremediation as a mitigation measure (For treatment of Solid waste).....	68
Action Plan for Rural Waste Management in India	69
Action Plan for Bio-Medical Waste	70
Action Plan for E-Waste Management	72
Action Plan for Hazardous Waste	74



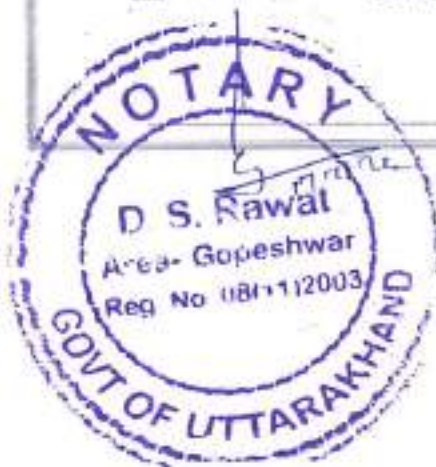
Action Plan for E-Waste	75
Action Plan for Waste Water Management (STPs).....	77
Phytoremediation as a mitigation Measure (for domestic waste water).....	78
Action Plan for Water Resources Management and Ground Water Extraction/Contamination	78
ACTION PLAN MINING ACTIVITY MANAGEMENT PLAN.....	81
Action Plan for Rejuvenation of Waterbodies	83
Action Plan for Plastic Waste Management	84



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

ABBREVIATIONS

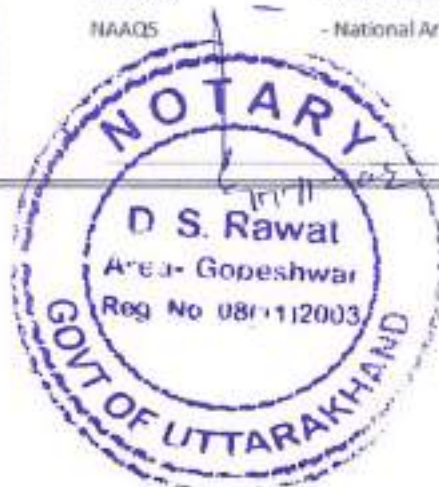
AMRUT	- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
APL	- Above Poverty Line
ARG	- Sixth Assessment Report
As	- Arsenic
ASSOCHAM	- Associated Chambers of Commerce and Industry of India
BaP	- Benzo(a) Pyrene
BMWIS	- Biomedical Waste Management Information System
BPL	- Below Poverty Line
C	- Carbon
C ₆ H ₆	- Benzene
C&D waste	- Construction and Demolition waste
CACMP	- Catchment Area Conservation and Management Plan
CAMPA	- Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CBMWTF	- Common Bio-Medical Waste Treatment Facility
Cd	- Cadmium
CD	- Check Dam
CETP	- Common Effluent Treatment Plant
CFL	- Compact Fluorescent Lamp
CGWB	- Central Ground Water Board
CH ₄	- Methane
CHC	- Community Healthcare Centre
CK	- Chal Khal
CO	- Carbon monoxide
CO ₂	- Carbon dioxide
CPCB	- Central Pollution Control Board
CPHEED	- Central Public Health and Environmental Engineering Organization
Cr	- Chromium
CSC	- Community Sanitary Complex
CT	- Contour Trench
Cu	- Copper
DPR	- Detailed Project Report
DPRO	- District Panchayati Raj officer
EEE	- Electronics and Electrical Equipment



NCAP	- National Clean Air Programme
NCEPC	- National Committee on Environment Planning and Coordination
NGO	- Non-Governmental Organization
NGT	- National Green Tribunal
NH	- National Highway
NH ₃	- Ammonia
Ni	- Nickel
NITI	- National Institution for Transforming India
NO ₂	- Nitrogen Dioxide
NP	- Nagar Panchayat
NPP	- Nagar Palika Parishad
NUSP	- National Urban Sanitation Policy
ODF	- Open Defecation Free
OSS	- On-Site Sanitation
O ₃	- Ozone
Pb	- Lead
PCC	- Pollution Control Committee
PHC	- Primary Healthcare Centre
PM	- Particulate Matter
PT	- Percolation Tank
PUC	- Pollution under Control
PWD	- Public Works Department
QPD	- Quintal per Day
RBM	- River Bed Mineral
RoHS	- Restriction of Hazardous Substances
RSM	- Rural Sanitary Mart
RTRWH	- Rooftop Rain Water Harvesting
RWD	- Rural Works Department
SBM-G	- Swachh Bharat Mission-Gramin
SDG	- Sustainable Developmental Goals
SLWM	- Solid and Liquid Waste Management
SO ₂	- Sulphur Dioxide
SPCB	- State Pollution Control Board
SSMG	- Sustainable Sand Management Guidelines



EEMI	- Electricals & Electronics Manufacturing in India
ENVIS	- Environmental Information System
ETP	- Effluent Treatment Plant
E-waste	- Electronic waste
F	- Fluoride
FPZ	- Flood Plain Zones
FSI	- Forest Survey of India
FSSM	- Faecal Sludge and Septage Management
GRPNIHE	- Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment
GIS	- Geographical Information System
GPS	- Global Positioning System
HCF	- Health Care Facility
HFL	- Highest Flood Level
ICIMOD	- International Centre for Integrated Mountain Development
ICT	- Information and Communication Technology
IEC	- Information, Education and Communication
IHL	- Individual House Hold Latrine
IPC	- Inter-Personal Communication
IPCC	- Intergovernmental Panel on Climate Change
IRAP	- Integrated Rural Accessibility Planning
ISO	- International Organization for Standardization
ISWM	- Integrated Solid Waste Management
IWRM	- Integrated Water Resources Management
MDWS	- Ministry of Drinking Water and Sanitation
MMT	- Million Metric Tons
MoEFCC	- Ministry of Environment, Forest and Climate Change
MoF	- Ministry of Finance
MoUHA	- Ministry of Urban and Housing Affairs
MRF	- Material Recovery Facility
MSW	- Municipal Solid Waste
MTPD	- Metric Ton per Day
NA	- Data Not Available/ Not Applicable
NATCOM	- National Communication
NAAQS	- National Ambient Air Quality Standards



EXECUTIVE SUMMARY

Chamoli district falls in both lesser and greater Himalayan belt and is considered to be much pristine. However, the environmental degradation has been experiencing from the past few decades. While the implications of environmental and climate change are numerous and complex, economic growth and population growth are the major factors that increase anthropogenic stress due to human interference on different components of the natural environment.

In view of analysing the current status and furnishing a comprehensive plan to mitigate the environmental deterioration, DGC was assigned with the task to prepare Tributary Wise Action Plan for Chamoli District.

Waste Management Operations: Most of the ULBs of the district are performing optimum primary segregation and door to door collection. However, management of dry waste is still an issue in the district.

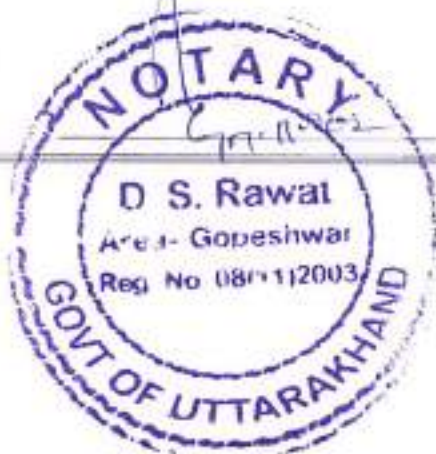
Projected population and waste estimations shows that generation of solid waste will increase manifolds in coming decades. Moreover, waste composition will also change with the development and urbanization of towns.

Plastic waste generation in district is far less compared to other regions of the district. Huge tourist and influx during yatras season and festive events leads to increment in floating waste and littering activities. Other waste such as hazardous waste and electronic waste needs to be streamlined in current waste management operations in near future.

- **Biomedical Waste Management:** The current scenario has stressed on the need of proper biomedical waste treatment facilities in the district as the generation of biomedical waste is increasing exponentially (*up to four times more from pre-covid levels*). Authorisation and certification of healthcare facilities must include regular audits to ascertain the status quo regarding biomedical waste management.

Moreover, due to continuous threats of epidemic, the time has come when the government should take onus of setting up at least one common biomedical waste treatment facility (CBWTF) for a cluster of three to four districts.

- **Construction and demolition waste management:** Rapid urbanisation and development of road and rail infrastructure in the district has led to increase in the generation of construction and demolition waste. However, the district still lacks mechanism for proper



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a cursive flourish.

STP	- Sewage Treatment Plant
TPD	- Tons per Day
TSDF	- Treatment Storage and Disposal Facilities
UKPCB	- Uttarakhand Pollution Control Board
ULB	- Urban Local Body
UNDP	- United Nations Development Programme
WHO	- World Health Organization
µg	- Microgram



IV

management of this waste. By laws should be framed to have a common set of guidelines for C&D waste management.

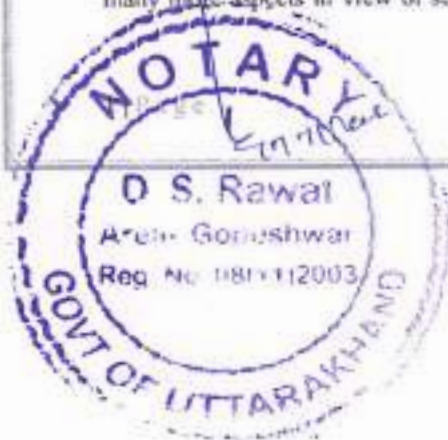
- **Waste water Management:** At present, sewage treatment facility is available in five urban local bodies of the district. However, none of these five ULBs have 100 percent coverage of the sewerage network. Rest of the ULBs are still relying on the on-site sanitation method of septic tank + soak pit. Faecal Sludge and Septage Management (FSSM) services can be implemented as recommended by Government of India to achieve safe and sustainable sanitation.
- **Air and Noise Pollution:** From past decades, Particulate pollution has been no longer a feature of Indo-Gangetic plains alone. Events of massive forest fires are increasing and the vehicular pollution is also soaring in mountainous regions. Some policies have been floated at departmental level to lessen the impact of forest fires. However, the need of continuous monitoring of air quality and a robust mitigation strategy cannot be understated.
- **Surface and Groundwater Management:** Alaknanda river system is the main drainage system in the district. Several works have been undertaken under "Namami Gange Programme" to maintain the riverine ecology and to set development goals in consonance with socio-environment needs of the district.
Local administration and other departments are also playing their part for water resources management. Mission Mothugad is one such mission that has been undertaken to revive the flow of river Mothugad. Several recharge zone has been identified which will replenish the surface water as well as groundwater of the region. Other scientific and engineering measures are also proposed for the project accomplishment.
- **Mining activity:** Soapstone and River bed mineral mining activities are common the district. Although cases of illegal mining are minimal, still district level task force must be constituted to properly monitor the mining activity in the district. Moreover, mining activities must not lead to extensive degradation of river bed and must meet the consent of local people.

The execution of this management plan in Chamoli district will require the integration and co-operation of the stakeholders, viz., natives, public, private organization, local government, etc. This plan aims at reducing the risk on the human health and environmental components with a target of sustainable development in the district.



INTRODUCTION

Establishing a link between River degradation, poverty and economic sustainability has always been a challenging task before the planners. The world's poor are significantly prone to natural disasters pertaining to the fact that in many cases their livelihoods are directly dependent on the natural resources. Human welfare is closely associated with the health of the environment. Around the world, 24 percent of deaths can be traced back to avoidable environmental factors (WHO, 2018). People are in direct need of clean air to breathe, freshwater to drink and suitable places to live in that are free from pollutions including toxic substances and hazards. The 2030 agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) and its 17 Goals adopted by world leaders define a blueprint for future development trajectory to all the nations with a focus on poverty eradication, environmental sustainability, peace and harmony (Anonymous, 2018; WHO, 2018; Azash and Thirupattu, 2017). Recently, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a Report on "Climate Change 2021- The Physical Science Basis" as a part of IPCC's Sixth Assessment report (AR6). The facts presented in this report raised a crucial red flag regarding global temperatures that have already risen by about 1.1 °C from pre-industrial times and has warned that 1.5 °C threshold is likely to be breached before 2040 (*the stated objective of 2015 Paris Agreement, the international architecture to fight climate change, is to limit temperature increase to within 2 °C from pre-industrial times*) (IPCC, 2021). For the Indian perspective, the report says that waves and humid heat stress will be more intense and frequent in 21st century (IPCC, 2021). Changes in monsoon precipitation are also expected as both annual and summer monsoon precipitation are projected to increase (Krishnan et al, 2020). In regard to the Himalayan context, the area is one of the most fragile mountainous regions of the world. Hence, it is susceptible to changes in Environmental conditions and ecology (Krishnan et al, 2020). These mountains are considered to be the Water tower of South Asia, as major rivers of the Indian sub-continent originate from the Himalayan Mountains. However, the area has become a global hotspot since the past two decades in view of environmental degradation. The indirect impact is also seen in the glaciological aspect of these mountains (Eriksson et al, 2019). Almost, 500 million people of South Asia are dependent upon the health aspect of the Himalayan ecosystem. In India, the Himalayan Mountain Chain directly serves a national interest because of working as a guard in view of defense purpose, unique ecosystem in view of permanent snow cover and incessant sources of water and biodiversity hotspots. The people in downhill slopes and in the Indo-Gangetic plains realize its significance in many more aspects in view of sustainable development. A prerequisite for such sustainability is



ecological audit in areas, which at once would apprise about the present environmental issues and a strategy to meet the targets for the future (Sandhu and Sandhu, 2015).

Uttarakhand being a crucial chunk of the Himalayan regime is utmost vulnerable to environmental degradations and risks. About three fourth of the state's population is rural, therefore their livelihoods are almost dependent on natural resources (Raj, 2015). The traditional customs and traditional knowledge of the local people of Uttarakhand tend to be sustainable and are in harmony with the natural ecosystem. However, these traditional customs and traditional knowledge are often overlooked as sometimes reckless development of roads, infrastructure, and environmental degradation takes precedence over the traditional ecological knowledge. The recent data on SDGs indices released by NTI Anyog shows that the state is one of the top gainers with increase in overall index by 8 points. However, a lot is needed to be done in terms of the indicators related to Climate Action (SDG, 13) (Chopra, 2014). The tragedy of ecological governance in most parts is that it remains trapped in Environment-Development Binary. In contrast, the people of Uttarakhand had in past shown with movements such as the Chipko Andolan (1953), which gave an idea of human well-being sensitive to forests, mountains, and water bodies (Sarkar, 2018).

The rivers and their basins have been impacted by developmental activities like the expansion of the road network, construction of hydroelectric projects, or expansion of agriculture.

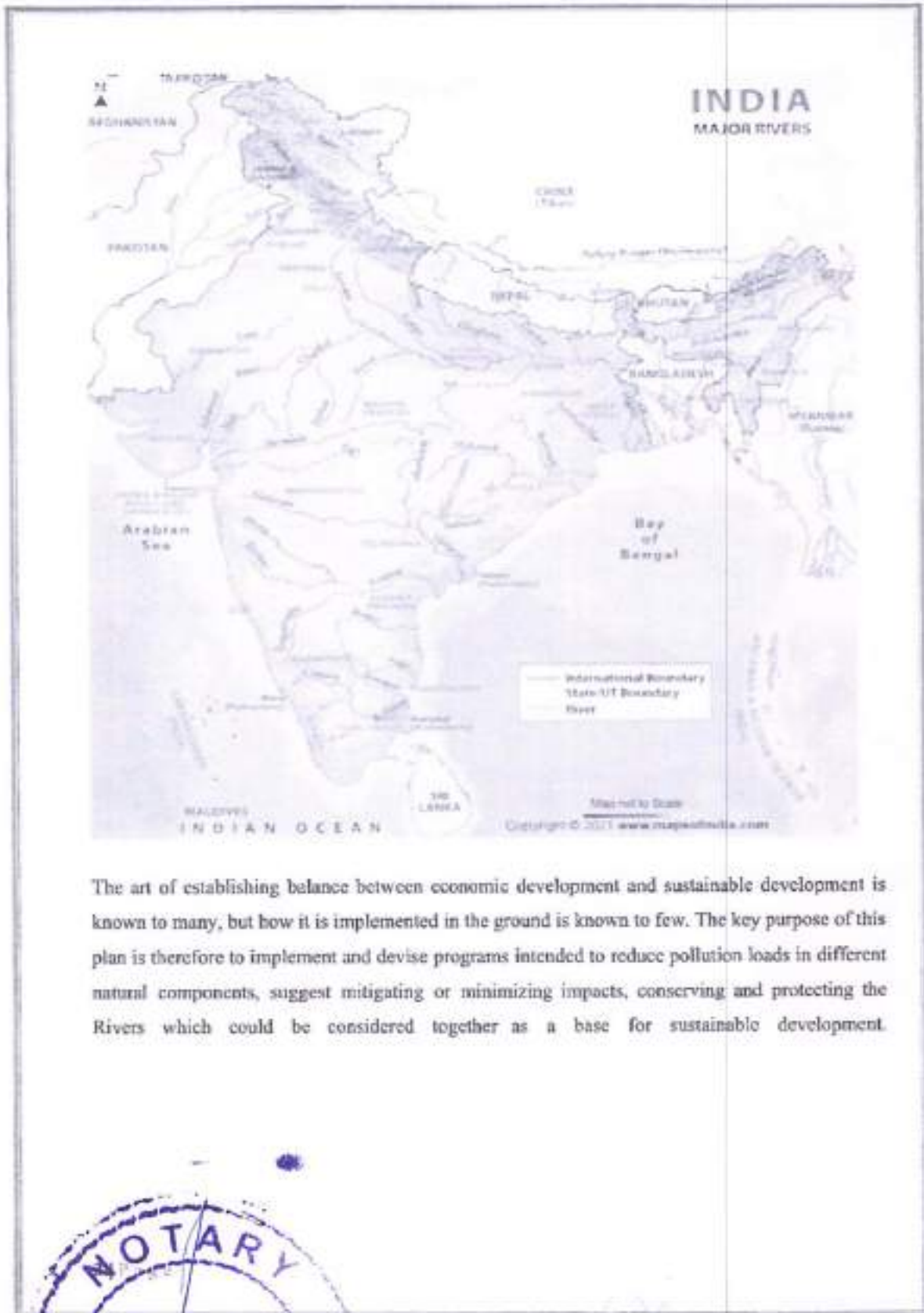
The most common problems which have been identified include:

- reduced water flow in the rivers
- deforestation in the catchment area
- fragile ecology
- bank and soil erosion
- siltation and shifting cultivation

All these issues have led to the poor health of the rivers which is reflected in both the quantity and quality of water.

This affects agricultural productivity, livelihood security, public health, and aquatic systems.





The art of establishing balance between economic development and sustainable development is known to many, but how it is implemented in the ground is known to few. The key purpose of this plan is therefore to implement and devise programs intended to reduce pollution loads in different natural components, suggest mitigating or minimizing impacts, conserving and protecting the Rivers which could be considered together as a base for sustainable development.



RIVER MANAGEMENT SYSTEM

1. Cities all over the world are beginning to realize the importance of adopting a 'nature first' approach in planning. This is a huge factor in determining the livability of a city. River cities are special. Such cities must look to leverage on the inherent features of rivers, and its associated elements, to augment the quality of living for its residents.

2. City planning should look to embrace the river, and enhance its outlook as a socionatural interface. Rivers connect residents with nature, and planning must seek to reinforce this connect through various instruments. This will, however, require maintaining an optimal balance between development and conservation.

3. The LA River is heavily channelized. This was done in mid 1900s as a flood control measure. Through its LA River Revitalization Plan, the city has shown that it is possible to 'de-channelize' and restore rivers back to natural forms to a large extent. All it takes is intent and a worthy vision. Key messages and takeaways – ROBUST PLANNING Key lesson that COVID-19 has taught for river management? In the US, people are breaking lockdown rules. Not for any economic activity. Nor because they are missing restaurants and shopping malls. But because they want to reconnect with nature. To take a walk along the river. To visit parks as open spaces. The crisis has shown that there are times when environment takes priority over economics. This accentuates the role of the river in the future. Policy Brief on "The Future of River Management"

4. Going forward, the LA experience of revitalizing the river can serve as a useful reference to other cities in the world to scale up naturalization of the rivers within their stretches. The LA River Revitalization Plan is based on four core principles:

5 Revitalize the river: The Plan seeks the re-creation of a continuous riparian habitat corridor within the channel, and through removal of the concrete walls where feasible. Because flood control is a big issue in LA, this re-creation is planned in increments with provisions for storing peak flows to reduce flow velocities in the channel.

6 Green the neighbourhoods: The Plan seeks to create a green ribbon through the city, with green strands extending the river's influence into adjacent neighbourhoods in order to reconnect communities to the river and to each other. A continuous river greenway would link a reliable network of "green connections," bikeways, and pedestrian paths to the River and to public open space. Repurposing schoolyards, vacant lots and educational campuses could help serve open

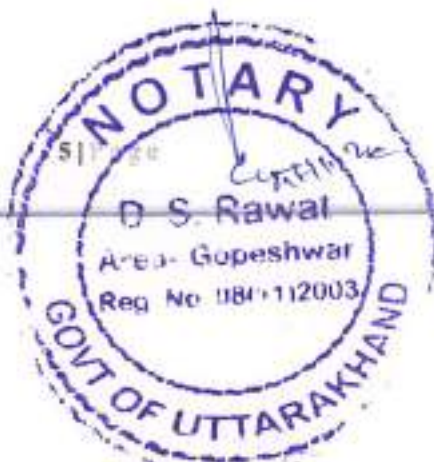


space and recreation needs, as well as hold and clean storm water.

7 Capture community opportunities: The Plan endeavours to provide the people of Los Angeles with the opportunity to enjoy the river as a safe, accessible, healthy, sustainable, and celebrated place. It targets brownfields for redevelopment, offering opportunities for non-vehicular commuting, and encouraging the creation of new recreational spaces for people of all ages.

8 Create value: This Plan's vision is also about creating value—improving the quality of life for residents, increasing the attractiveness of the city as a place to live and work, and increasing economic prosperity. Core elements of this idea include empowering communities by encouraging participation and consensus-building, creating opportunities for sustainable, economic reinvestment, and adding value and providing an equitable distribution of opportunities to underserved neighbourhoods along the river.

A River management system helps organizations identify, manage, monitor, and control their issues in a holistic manner. ISO 14001 is an internationally agreed standard that sets out the requirements for an environmental management system (Da, 2015). It helps organizations to improve their environmental performance through more efficient ways of resource use and reduction of waste. Other ISO standards that look at different types of management systems such as ISO 9001 for quality management and ISO 45001 for occupational health and safety, all use a high-level of structure. This means that ISO 14001 can be integrated easily into existing ISO management systems. ISO 14001 includes the need for continual improvement of an organization system and approach to environmental concern (Da, 2015). It is suitable for organizations of all types and sizes, let they be private, or not-profit organisation or governmental. It is desirable that an organisation should consider all environmental issues relevant to its operations such as air pollution, water and sewage issues, waste management, soil contamination, climate change mitigation and adaptation, and resource use efficiency .



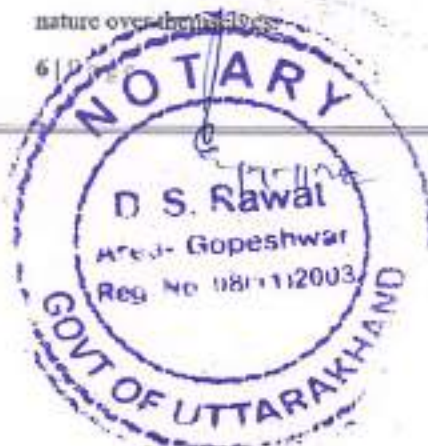
DISTRICT PROFILE

Chamoli district falls in the lesser and Greater Himalaya Region in the Garhwal division of Uttarakhand state. It is the second-largest district of Uttarakhand and is also important from a strategic point of view as it shares international boundary with Tibet (China) in the north, district boundaries with Pithoragarh and Bageshwar in the east, Almora in the South, Pauri Garhwal in the southwest, Rudrapur in the west and district Uttarkashi in the northwest. The district headquarter is situated at Gopeshwar, 10 kilometres from Chamoli town. The strategically important Rishikesh-Badrinath-Mana national highway (NH-58) passes through the district. The district will get connectivity with the rest of the country by railway network after completion of the under-construction Rishikesh-Karnaprayag railway line.

Bestowed with amazing natural beauty, Chamoli is an enchanting abode of the Gods. The district has alluring tourist destinations along with many sacred religious places. Shri Badrinath temple, one of the famous Char Dham pilgrimage sites located along the banks of the Alaknanda river is one of the most important shrines of the country. Shri Hemkunt Sahib, one of the most sacred pilgrimage sites of Sikh community is also situated in the district. Some other important places of worship in the district includes the famous lord Vishnu temple at Joshimath, Bhavisya Badri Temple, Kalpeshwar Temple, Gopinath Temple and the three of the Panch Prayags; Kamaprayag, Nandprayag, and Vishnuprayag.

The district is blessed with scenic landscapes such as eye-captivating snowy Himalayan peaks, alpine lakes and ponds such as Roopkund, waterfalls such as Vashudhara fall and Himalayan meadows (Bugyals) such as Auli, Bedni, and Gorson, etc. Chamoli established itself as *"most spectacular in its natural assets; be it the scenic beauty, valley aspects, water-edges, floristic varieties, dramatic landform or the climatic cardinalities"*.

The great forest conservation movement "Chipko Movement" has its roots in the district. In 1974, under the guidance of the spiritual and Gandhian social worker Chandi Prasad Bhatt, activists from the Himalayan village of Gopeshwar formed a human chain and encircled trees to save them from being cut down. The Chipko movement of tree-huggers has grown into a worldwide phenomenon. It stirred up the existing civil society in India, which began to address the issues of tribal and marginalized people. Reni village in Uttarakhand's Chamoli district, the birthplace of Chipko movement, is a grim reminder of how things change, when Gaura Devi and 27 other women choose nature over their lives.



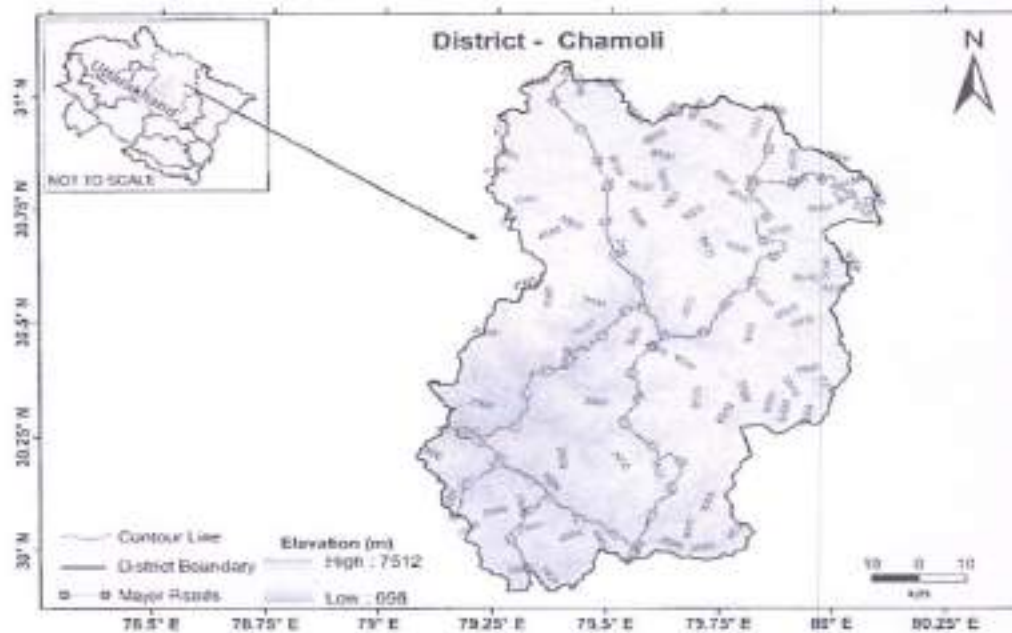


Fig. 1. Location map of Chamoli district in Uttarakhand

District at a Glance

Table 1 represents the geographical aspect, population data and administrative setup of Chamoli district.

Table 1. District at a glance

Geographical Location	
Latitude	29° 55' N to 31° 03' N
Longitude	79° 02' E to 80° 03' E
Geographical Area (km ²)	7820
Average elevation of district headquarter (m)	1550
Population Data (2011 census)	
Area (km ²)	8030
Average height above mean sea level (m)	1550
Overall Population	391605
Male Population	193991
Female Population	197614
Population density	49
Population growth rate (%)	5.74
Overall Literacy rate (%)	82.65
Male literacy (%)	93.40
Female literacy (%)	72.32



Sex Ratio	1019
Urbanised Population (%)	15.67
Rural Population (%)	84.43
Administrative Divisions	
Tehsils	12
Blocks	9
Nyay Panchayats	39
Village Panchayats	607
Total census villages	1246
Municipal councils	5
Nagar panchayats	3
Cantonment boards	1

Topography

Chamoli district comprises of high hills and mountains with very narrow valleys, deep gorges having very high gradient. The northern, northwestern, eastern and northeastern part of the district comprises Tethyan Himalaya with snow covered throughout the year. The topography is highly precipitous, consisting of series of peaks & the slopes of these peaks are covered with glaciers. These peak, are separated by the traverse deep narrow gorges of different rivers. The prevalent landforms are lateral moraines, end moraines, U-shaped glacier valleys, V-shaped fluvial valleys, river terraces and denudational structural mountains. The Lesser Himalayan range is mainly composed of highly compressed and altered rocks like granite, phyllites, quartzite etc. Some of the highest peaks of the country are located in the district (Table 2).

Table 2. Major peaks in Chamoli district

Major Peaks	Elevation (m)
Nanda Devi	7816
Kamet	7756
Chaukhamba	7138
Trishul I	7120
Dunagiri	7066
Nandakot	6861
Hathiparvat	6727
Neelkanth	6596
Mana	5545

Source: District Survey Report, Chamoli

The main drainage patterns are dendritic, sub-dendritic, trellis, sub-rectangular and rectangular. The major rivers are Alaknanda, Dhaul Ganga, Pindar, Nandakini etc. These rivers along with their tributaries forms the Alakananda river system. (Table 3).

Table 3. Alaknanda River Systems in Chamoli district



River System	Tributary	Confluence
The Alaknanda River System (Source- Satopanth-Bhagirat Kharak Group of glaciers)	Saraswati	Mana
	Khilarwan Ganga	Hanuman Chatti
	Dhaul Ganga	Vishnuprayag
	Nandakini	Nandprayag
	Pinder	Karnaprayag

(Source: District Survey Report, Chamoli 2018)

Climate

The climate varies from Sub-tropical monsoon type (mild winter, hot summer) to tropical upland type (mild winter, dry winter, short warm summer). The average maximum and minimum temperature varies between 31 °C to -2.9°C respectively except in the northern part of the district where the temperature dips down considerably. The northern, north-western, north-eastern and western part of the district is perennially under snow cover and the climate here is sub-arctic type. Severe winter and comparatively higher rainfall are the characteristic features of the northern part.

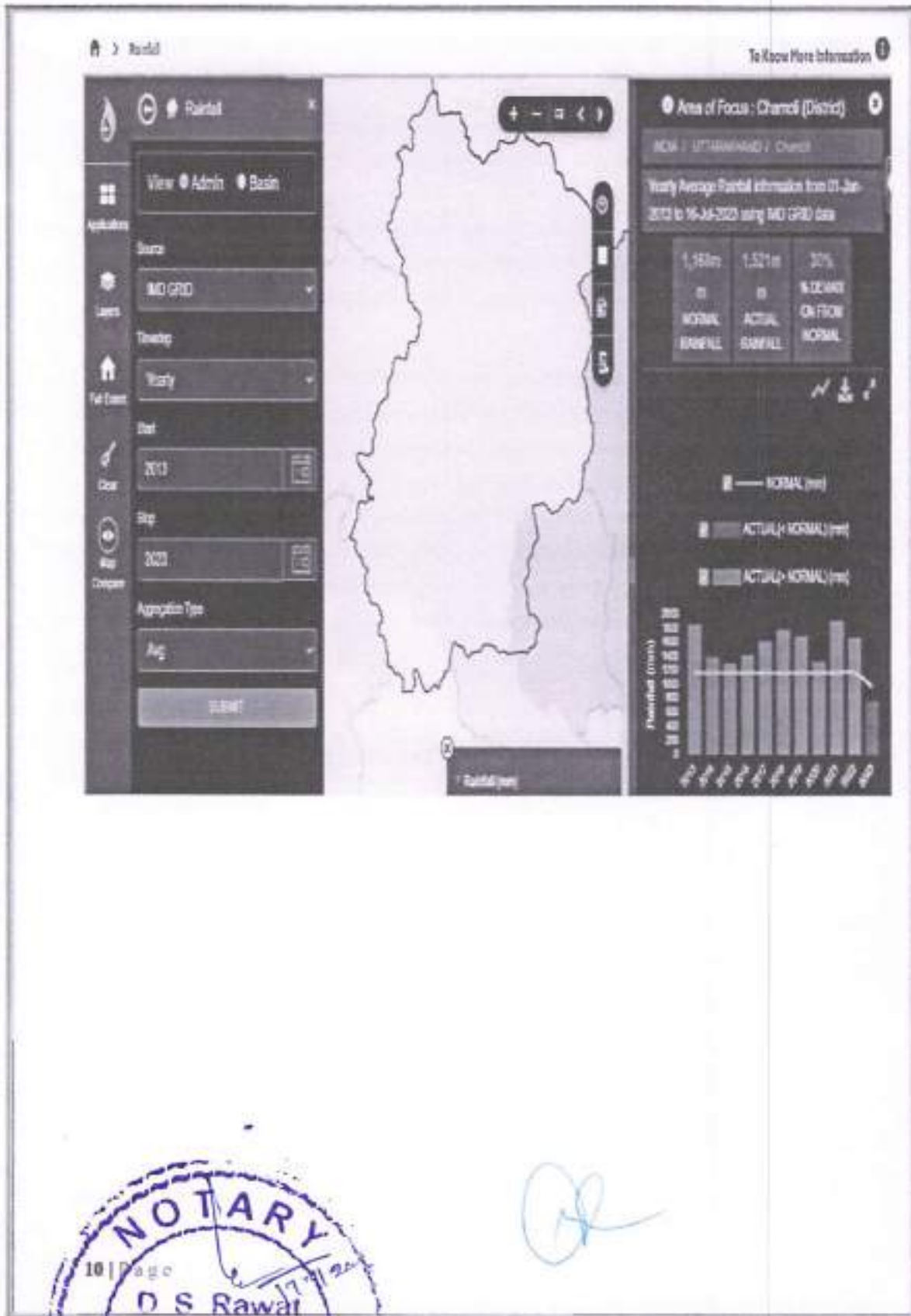
Rainfall

Rainfall, spatially, is highly variable depending upon the altitude. About 55 to 65% of rainfall occurs in the northern half of Central Himalayan Zone in Chamoli district. August is the rainiest month. Rainfall rapidly decreases after September and it is the least in November. About 17% of the annual precipitation occurs in winter season. The winter precipitation is in association with the passage of the western disturbances and is mostly in the form of snowfall, particularly at higher elevations. The precipitation during the pre-monsoon month is frequently associated with thunderstorms. Average annual rainfall in the district is 1230.8mm.



25400

300



(Handwritten signature)

Groundwater

Ground water abstraction is mainly done through hand pumps with very negligible discharges. The other source of ground water in the district is in the form of springs. Large-scale ground water development is not possible in the Chamoli district since it is a hard rock area with steep slopes and low ground water potential. In this hilly district water sources are not easily accessible hence water for drinking and irrigation is a problem for the local people. Agriculture is mostly rain fed. Hence new sources need to be identified and existing sources need to be conserved and augmented.

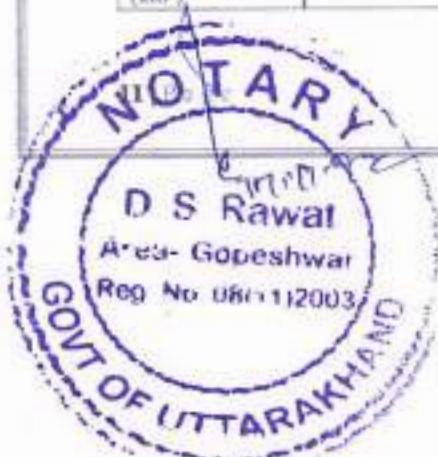
Forests

In the district Chamoli has recorded forest cover of 2709.43 km² which is 33.74% of its geographical area. The forest cover under different forest sub-type was highest in the district, moderate forest cover (1580 km²), open forest (686.43 km²), and lowest in very dense forest (443 km²), (Table 4) (FSI 2019). We observed that increase in forest area in Chamoli, district was due to highly out-migration. The local people conserve forest using traditional methods which not only benefit carbon sequestration but also enable restoration and conservation of forests, meadows and biodiversity together with local socio-economic upliftment. Common property resources are community forests, pasturelands and water resource, which rural people use and conserve together.



Table 4. Forest Cover in Chamoli district

Particular	Geographical Area	Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total	Changes 2017-2019 assessment
Forest Area Chamoli District (km ²)	8030.00	443.00	1580	686.43	2709.43	0.43



Fauna and Flora

Fauna

Chamoli District is known for its meadows of endemic alpine flowers and the variety of flora & fauna. This richly diverse area has gained importance as a region containing a diversity of alpine flora, representative of the different types of alpine shrubs & meadows. In Chamoli district, various important species of trees, namely, Phalyat (*Quercus glauca*), Moru (*Q. floribunda*), Banj (*Q. leucotrichophora*), Pine (*Pinus roxburghii*), Burans (*Rhododendron arboreum*), Anyar (*Lyonia ovalifolia*), Khaphal (*Myrica esculenta*), Akhrot (*Juglans regia*), and Ladh (*Symplocos ramosissima*), etc. are found in the forests and the major forest produces among these are medicinal herbs. The world-famous Valley of flower National Park, Nanda Devi Biosphere Reserve (both are the UNESCO world heritage sites), and some part of the Kedarnath Wildlife Sanctuary which is spread over a total area of 2262.7 km² forms the part of the district and preserves a wide variety of Himalayan flora and fauna (Table 5).

Fauna

Chamoli district, located in Garhwal Himalayas of Uttarakhand. The high altitudes (Valley of Flower Nanda Devi National Park, Mana and Niti valleys) of the district support a diverse and unique assemblage of wild flora and fauna. These valleys are situated in the heart of the Garhwal hills. In the district many wild animals such as Leopard (*Panthera pardus*), Asiatic Black bear (*Ursus thibetanus*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), Grey Francolin (*Francolinus pondicerianus*), Black Drongo (*Dicrurus macrocercus*), Spotted Dove (*Streptopelia chinensis*), etc., (Table 5).

Table 5. Wildlife Reserves in Chamoli district

Wildlife Reserves	Altitudinal variation (m)	Type of species	Number of species
The Nanda Devi National Park	2000 to 4250	Birds	130
		Butterflies	40
		Spiders	40
		Plants	400
		Animals (Snow leopard (<i>Panthera uncia</i>), Asiatic black bear (<i>Ursus thibetanus</i>), Himalayan brown bear (<i>Ursus arctos</i>), Himalayan musk deer (<i>Moschus chrysogaster</i>), Bhamil (<i>Pseudhis nayaur</i>) and Himalayan tahr (<i>Hemitragus jemlahicus</i>)	
The Valley of Flowers National Park	3200 to 6675m	Flowers (<i>Anemone</i> , <i>Geranium</i> , <i>March marigold</i> , <i>Primula</i> , <i>Potentilla</i> , <i>Geum</i> , <i>Asters</i> , <i>Lilium</i> , <i>Himalayan Blue poppy</i> , <i>Aconitum</i> , <i>Delphinium</i> , <i>Ranunculus</i> , <i>Rhododendrons</i>)	300
		Plant species	1100

12 Page



The Kedarnath Musk Deer Sanctuary	1160 to 7068m	Mammals	23
		Birds	240
		Butterflies	147

Culture and Tradition

Residing in the mountainous region, mostly in places that are not easily accessible, the people of the district have been able to preserve their culture, folklore, folksongs (*Chanchari*) and folk dances (*The Thadiya dance, Jeetu Bhagdawal, Jager or Ghariyali*). Festivals play an important role in the life of people in the district, the important ones being Ram Navami, Nag Panchmi, Raksha-Bandhan, Janmashtami, Dusshera, Dipawali, Makar Sankranti, Shivratri, Holi, Bishwat Sankranti, Gaucher Mela, etc.

Nanda Devi Raj Jaat or the Himalayan Mahakumbh is a festival widely celebrated in Chamoli district in which Goddess Nanda Devi is worshiped. Devotees from both Kumaon and Garhwal region of the state along with other parts of the country participate in this sacred yatra. The festival is held for three weeks and is organised once in every twelve years in the Chamoli district. It is performed on a long route that takes almost twenty-two days to complete.

Environment Concerns in District

Chamoli district has a history of repeated natural disasters due to its geological, structural, and climatic condition. There are many instances in the recent past when these catastrophes have caused heavy losses to human life and property. These include earthquakes, landslides, floods, cloudbursts etc. The rockslide-triggered flash flood in Chamoli is one of many possible hazards in the Himalayas mountains. Mountain hazards like glacial lake outburst floods, torrential floods, debris flows, landslides, and avalanches, especially caused by the coupling of avalanches, glacier movement, snow melt, and extreme precipitation are other possible hazards common in this region. The latest Disaster struck in the District on 7 February 2021, when a massive flash flood ravaged the valleys of the Rishi Ganga, Dhauliganga, and Alaknanda rivers. The flood swept away the unfinished Tapovan Vishnugad Hydropower Project and inflicted substantial damage on the Rishi Ganga Hydropower Project. We need to understand that the impact would have been far less with more prudent development of projects in the region. Policymakers should realize that damaging today and repairing tomorrow is not an option in the Himalayan region. Occurrence of two big disasters (Kedarnath flood 2013 and Glacier burst 2021 in Joshimath), that too in a timeframe of less than a decade is an unprecedented phenomenon. Nowhere in the world has such kind of events occurred within such short interval of time. There is enough data to suggest that climate change is responsible for the increasing number of severe flash floods due to glacial melt in the district.



Most of the existing hydropower projects were built in the past two to three decades, mainly starting from the downstream sections. Now, these projects are gradually moving upstream where the exposure to mountain hazards is high, the chances of multiple hazards happening in combination and occurring more frequently, and cascading effects can create compounding impacts on the system. Hydropower projects are particularly at risk because of the proximity of their infrastructure (such as diversion dams/reservoirs) to the river network where water-related hazards occur (Kumar and Katoch 2016). Many hydropower projects have been damaged by events like the Chamoli flood. For example, the Dig Tsho 1985 GLOF event in the Everest region, the 2015 earthquake, the 2014 Jure landslides, the 2013 Uttarkhand flood, and the 2016 Bhote Koshi GLOF (Nepal) damaged hydropower plants in Nepal and India (Vaidya et al. 2021). Conversely, hydropower infrastructure also impacts the local environment, causing changes in natural flow regimes and environmental flows, alteration of aquatic ecosystems, and deterioration of water quality, among others.

One of the major concern in the district is Char Dham project. Indiscriminate blasting during road construction create cracks in soil and rocks that may enhance the possibility of flash-flood, Landslide and Cloudburst in the future. We need to develop a biodiversity management framework for Char Dham project that would be helpful to reinstate local biodiversity from adverse impacts of the project. The government is imposing a project disregarding the ecological concerns of the area. Making a road is fine, but it should be done keeping in mind its ecological implications. Else, it won't be long before another disaster hits Uttarakhand.



IMPACT AND DATA ANALYSIS

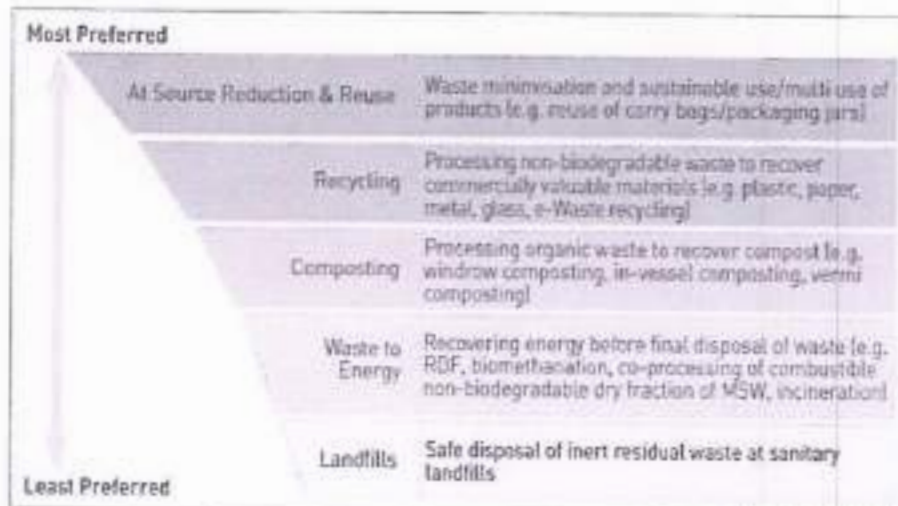


SOLID WASTE MANAGEMENT

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) defines Municipal Solid Waste (MSW) as commercial and residential waste generated from a municipal area in either solid or semi-solid form excluding hazardous waste (Industrial), but including treated bio-medical waste. Predominantly, about 0.17 kg of MSW is generated per capita per day in small towns compared to about 0.67 kg per capita per day in cities. More than 70% of waste in India is considered to be dumped in an unsatisfactory manner.

Integrated Solid Waste Management (ISWM)

It is based on the waste management hierarchy, with an aim to reduce the amount of waste being disposed of while maximizing resource recovery and efficiency (Fig.2). Based on this waste management hierarchy, an assessment of local needs and conditions should lead to the selection of an appropriate mix of process and technologies.

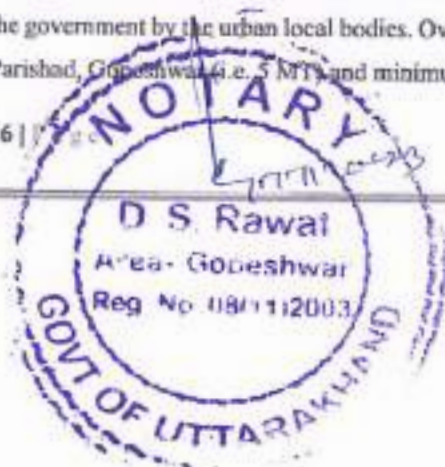


(Source: MoEF&CC, 2016)

Fig. 2. Waste management paradigm

Current status in the urban areas of the district

Waste generation in the urban areas of the district has seen a significant rise in recent times which stressed on the need for necessary infrastructure and manpower for the scientific disposal of waste. The waste generation within the district varies with the amount of tourist influx, consciousness among the masses regarding their role in waste management and enforcement of various policies of the government by the urban local bodies. Overall the waste generation is maximum in Nagar Palika Parishad, Gopeshwar (i.e. 5 MT) and minimum in Nagar Panchayat Tharali (i.e. 0.2 MT) (Table 6).



Handwritten signature

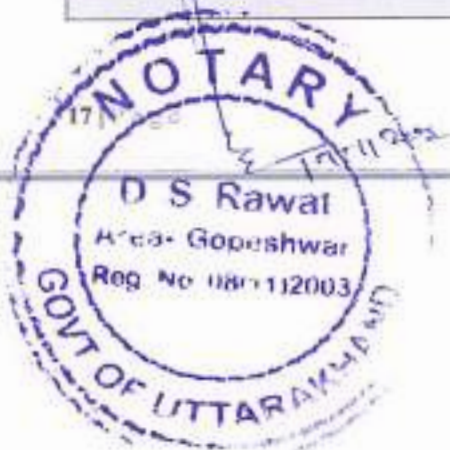
All the ULBs of the district are trying to adopt the approach of integrated solid waste management which includes various operations such as segregation, collection, transportation, disposal and recovery (Table 7). The ultimate aim is the scientific handling and disposal of waste.

Table 6. Inventory of total solid waste generation

Name of Urban Local Body	Population (2011 census)	Number of Wards	Solid waste generation (MTPD)			
			Dry	Wet	C&D and others (Unsegregated waste)	Total
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	21447	11	1	4	Not Estimated	5.00
Nagar Palika Parishad Gauchar	8864	07	1.20	0.80	3.0	5.00
Nagar Palika Parishad Joshimath	16709	09	0.3	0.8	Not Estimated	1.1
Nagar Palika Parishad Karanprayag	9850	07	3	1.2	Not Estimated	4.2
Nagar Panchayat Badrinath	2438	04	0.035	0.015	Not Estimated	0.5
Nagar Panchayat Gairsain	8665	07	0.1	0.2	Not Estimated	0.3
Nagar Panchayat Pokhari	5295	07	0.75	0.25	Not Estimated	1
Nagar Panchayat Thrali	4649	04	0.15	0.05	Not Estimated	0.2
Nagar Panchayat Pipalkoti	3521	04	0.5	0.8	0.2	1.5
Nagar Panchayat Nandprayag	1641	04	0.2	0.3	Not Estimated	0.5

Table 7. Waste management operations

Waste Management Operations	Outcome	
Segregation at source	ULB	Source Segregation (%)
	Nagar Palika Parishad Gopeshwar	75
	Nagar Palika Parishad Gauchar	75
	Nagar Palika Parishad Joshimath	90
	Nagar Palika Parishad Karanprayag	85
	Nagar Panchayat Badrinath	70
	Nagar Panchayat Gairsain	40
	Nagar Panchayat Pokhari	90
	Nagar Panchayat Thrali	85
	Nagar Panchayat Pipalkoti	85
	Nagar Panchayat Nandprayag	90
Door to Door Collection	All the ULBs except Gopeshwar, Gauchar and Joshimath have 100 percent coverage for door to door collection.	



Sweeping	All the ULBs in the district are accomplishing 100% sweeping by manual method.	
Segregated waste Transport	In all the ULBs only a part of the total waste collected is transported segregated manner and the rest of the waste is transported in combined form.	
Material Recovery Facility (MRF) operation	- No ULBs of the district has installed a material recovery facility. - Segregation of waste is done at some temporary sites in all the ULBs.	
Involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs)/ private agencies	Only NPP Karnprayag is taking the assistance of a private firm (i.e. Green Energy Ltd.) to handle the waste management operations other ULBs are handling the waste management operations by themselves.	
Authorization and issuance of Identity cards to waste pickers/Sanitation workers	ULB	Number
	Nagar Palika Parishad Gopeshwar	91
	Nagar Palika Parishad Gauchar	28
	Nagar Palika Parishad Joshinath	61
	Nagar Palika Parishad Karnprayag	42
	Nagar Panchayat Badrinath	26
	Nagar Panchayat Gairsain	14
	Nagar Panchayat Pokhari	17
	Nagar Panchayat Tharali	14
	Nagar Panchayat Pipalkoti	16
	Nagar Panchayat Nandprayag	16
Linkage With Treatment Storage and Disposal Facilities (TSDF)/Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)	No ULB in the district has linkage with either the treatment storage and disposal facility or the common biomedical waste treatment facility.	

Available Infrastructure for waste management in the urban areas of the district

It has been noticed that all the municipalities of the district have more or less sufficient resources for the waste collection but somehow, they all are lacking waste segregation. None of them has a material recovery facility to segregate the collected waste into different categories. However, to ramp up the waste management operations, some financial assistance is being provided by both central and state governments. (Table 8).



Table 8. Present infrastructure for waste management operations

Name of ULB	Inventory of Infrastructure Involved in waste management operation					Remarks
	Waste collection trolleys	Mini collection on trucks/t ractors/ others	Composting units/ On-site composting facilities	Material Recovery Facility (Available/Not Available)	Landfills (open dumping/ Trenching Ground/sanitary landfills)	
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	15	8	40	Not Available	Trenching Ground (under construction)	DPR of 1.45 Cr. has been approved by the government to set up various facilities required for the scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Palika Parishad Gaochar	30	6	12	Not Available	Trenching Ground	DPR. has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Palika Parishad Joshimath	10	6	16	Not Available	Trenching Ground (under construction)	- Two bulk waste generators (Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and National Thermal Power Corporation Limited (NTPC)) are notified within the ULB and both of them have on-site facilities for wet waste management. - DPR of 1.30 Cr. has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Palika Parishad Kamprayag	35	2	17	Not Available	Trenching Ground	DPR of 1.45 Cr. has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Panchayat Badrinath	50	5	2	Not Available	Trenching Ground (under construction)	Material Recovery Facility is under construction in the ULBs.



						Several other infrastructure works are also started in the Nagar Panchayat area under the Badrinath master Plan.
Nagar Panchayat Guinsain	20	3	12	Not Available	Open dumping	DPR of 1.69 Cr. is approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Panchayat Pokhari	18	3	4	Not Available	Open dumping	The DPR of 1 Cr. has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Panchayat Tharali	8	2	4	Not Available	Trenching Ground (under construction)	The DPR of 1.22 Cr. has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Panchayat Pipalkoti	15	3	2	Not Available	Open dumping	The DPR. of 1.42 Cr. has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.
Nagar Panchayat Namprayag	25	2	5	Not Available	Trenching Ground (under construction)	The DPR of 94.14 lakhs has been approved by the government to set up various facilities for scientific disposal of waste in the ULB.

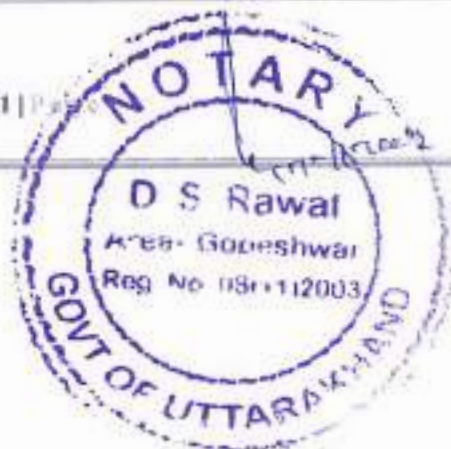
Methods used for the treatment of solid waste in the district

Wet waste management is quite satisfactory in all the urban local bodies of the district as all of them have composting facilities for processing the wet waste. As far as the processing of dry waste is concerned nearly all the ULBs are focusing on the recovery of useful materials to reduce the stress on the landfill sites. For this, have either established linkage with authorised recyclers or local scrap pickers (Table 9).



Table 9. Methods of treatment, disposal and recovery

Name of ULB	Wet waste management (Centralised or on-site composting)	Dry Waste Management (waste to Energy/ Recycling/ incineration/ open Dumping in Trenching ground/ sanitary landfill)	Remediation of the old dump site
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	There are 40 composting units are available in different wards of the ULB.	• Non-biodegradable waste after segregation and compaction is sent to the recycling facilities at Haridwar and Saharanpur. • All the residual (inert) waste is dumped in the trenching ground.	No old dumpsite is present.
Nagar Palika Parishad Gauchar	12 composting units are there within the ULB for the processing of wet waste.	• Recyclable waste is sold to the local rag pickers. • The rest of the waste is dumped in the trenching ground.	No old dumpsites are present.
Nagar Palika Parishad Joshimath	There is a total of 16 composting units present in the ULB few of them either newly constructed or under construction. The rest of the facilities are utilised for making manure.	• Recyclable waste is sent to a third-party recycler. • The rest of the waste is dumped in the trenching ground.	Remediation of the old dumpsite has started in the ULB.
Nagar Palika Parishad Karanprayag	A total of 17 decentralised composting units are operational in the ULB.	• A part of the dry waste that can be recycled is sent to the recycling facility at Rishikesh. • The residual waste is dumped in the trenching ground.	Remediation of the old dumpsite has started in the ULB.
Nagar Panchayat Badrinath	Two centralised composting facilities are present in the ULB.	• NP Badrinath transports the dry waste to the MRF at NPP Joshimath for further processing.	No old dumpsites are present.
Nagar Panchayat Gairsain	There are 12 decentralised composting units are available in different wards of the ULB.	• Local rag pickers are authorised by the municipality to segregate and collect the recyclable portion of the total waste. • The rest of the waste is dumped in an open dumping site.	No old dumpsites are present.



AL

Nagar Panchayat Pokhari	There are 4 composting units are available in different wards of the ULB.	- Nagar Panchayat has established linkage with an authorised recycler (i.e. K.K. Traders) for the recovery of a part of the waste. - The rest of the waste is dumped in the open dumping site.	No old dumpsites are present.
Nagar Panchayat Thurali	There are 4 composting units are available in different wards of the ULB.	- Dry waste is dumped in an open dumping site as of now. - No linkage has been established so far with any recyclers - Trenching ground is under construction in the ULB.	No old dumpsites are present.
Nagar Panchayat Pipalkoti	There are 2 composting units are available in different wards of the ULB.	- Dry waste is dumped in an open dumping site as of now. - No linkage has been established so far with any recyclers - Trenching ground is under construction in the ULB.	No old dumpsites are present.
Nagar Panchayat Nandprayag	There are 5 composting units are available in different wards of the ULB.	- Dry waste is dumped on All the residual and inert waste is dumped after that in a Trenching ground site. - Dry waste is out of which recyclable waste is sold to the local Rag pickers after segregation.	NP Nandprayag has an old dumpsite whose remediation is under process.

Gap Identification

Although all the urban local bodies are trying to adopt the holistic approach of integrated solid waste management but due to some reasons such as financial and geographical limitations, they are lacking in many aspects related to waste management. Almost all the ULBs are struggling to achieve the target of complete source segregation of waste. Apart from this, the unscientific disposal of waste is also a major concern (Table 10). However, they have proposed some set of actions to overcome these gaps for which either fund have been allotted to them or will be allotted soon (Table 11).



Table 10. Gap identification

Name of ULB	Observed Shortcomings	Remarks
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	Partial Source segregation of waste	ULB has achieved 75 % source segregation so far and targeting 100% source segregation.
	Partial Coverage for door to door collection	100 % coverage has not been possible so far due to topographical limitations but the municipality is discovering ways to cover all the households.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations. ULB is doing all the waste management operations by itself.
Nagar Palika Parishad Gauchar	Partial Source segregation of waste	More than two-thirds of the households segregate their waste.
	Partial Coverage for door to door collection	ULB has covered almost 85% of households and is expecting to cover the rest of the population soon.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	The municipality is managing the waste management operations by itself.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for setting up a recovery facility along with other equipment required for the scientific disposal of the waste.
	No linkage with authorised waste recyclers.	ULB sells their waste to local Rag pickers who are authorised by the municipal body.
Nagar Palika Parishad Joshimath	Partial Source segregation of waste	More than 90 per cent source segregation has been achieved in the ULB so far.
	Partial Coverage for door to door collection	100 % coverage has not been possible so far due to topographical limitations but the municipality is discovering ways to cover all the households.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.



Nagar Palika Parishad Karanprayag	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all the 7 wards of the ULB. NPP has achieved 85% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
Nagar Panchayat Badrinath	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all 4 wards of the ULB. NPP has achieved 70% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
Nagar Panchayat Gairsain	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all the 7 wards of the ULB. NPP has achieved 40% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.
	Open Dumping of waste	Currently, ULB does not have any trenching ground for the disposal of residual/inert waste.
Nagar Panchayat Pokhari	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all the 7 wards of the ULB. NPP has achieved 90% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-involvement of NGO/private firm for	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.



A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'G. R.' or similar.

	waste management operations.	
	Open Dumping of waste	Currently, ULB does not have any trenching ground for the disposal of residual/inert waste.
Nagar Panchayat Thrali	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all 4 wards of the ULB. NPP has achieved 90% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.
	Open Dumping of waste	Currently, ULB does not have any trenching ground for the disposal of residual/inert waste.
	No linkage with authorised waste recyclers	ULB sells their waste to local Rag pickers who are not authorised so far.
Nagar Panchayat Pipalkoti	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all 4 wards of the ULB. NPP has achieved 90% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-involvement of NGO/private firm for waste management operations.	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.
	Open Dumping of waste	Currently, ULB does not have any trenching ground for the disposal of residual/inert waste.
	No linkage with authorised waste recyclers	ULB sells their waste to local rag pickers who are not authorised so far.
Nagar Panchayat Nandprayag	Partial Source segregation of waste	Source segregation is done in all 4 wards of the ULB. NPP has achieved 95% source segregation so far and aiming for a target of 100% segregation at source.
	Partially segregated waste transport	Completely segregate waste transport would only be possible once the complete source segregation will be achieved.
	Non-availability of any waste recovery facility	DPR has been approved for improving waste management operations in the ULB.
	Non-involvement of NGO/private firm for	As of now no NGO or Private firm is serving the ULB in its waste management operations.



	waste management operations.	
--	------------------------------	--

*There is a gap identified in the waste management operations of all the ULBs of the district as no ULB has established linkage with Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) and Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBMWTF) for the disposal of domestic hazardous waste and municipal sanitary waste respectively.

Table 11. Proposed policies and budget requirements put forward by different stakeholders in the district

ULB	Proposed Policy	Current status and Budget requirement
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	Revamping Solid waste management	- DPR, worth 1.45 Cr. has been approved for the ULB to improve its waste management operations. - With the use of this budgetary allocation, ULB is planning to procure waste pickers, vehicles and litter bins along with this establishment of recovery facility and construction of sanitary landfills are also planned. - ULB has already achieved the ODF+ status and now aiming to achieve ODF++ status in the upcoming years.
Nagar Palika Parishad Gaochar	Revamping Solid waste management	- DPR of 1.45 Cr. has been approved and some of the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - The establishment of the material recovery facility and construction of sanitary landfill along with procurement of some machinery and vehicles is proposed under this budgetary allocation. - ULB is declared as bin free city in the year 2021. - ULB has already achieved the ODF+ status and now aiming to achieve ODF++ status in the upcoming years.
Nagar Palika Parishad Joshimath	Revamping Solid waste management	- DPR of 1.30 Cr. has been approved and some instalments are allocated to the ULB to improve its waste management operations. - With this budgetary allocation, Nagar Palika is aiming to achieve complete scientific disposal of municipal waste. - ULB is declared as bin free city in the year 2021. - ULB has already achieved the ODF status and now aiming for ODF+ & ODF++ status in the upcoming years.
Nagar Palika Parishad Karamprayag	Revamping Solid waste management	- DPR of 1.45 Cr. has been approved to improve waste management operations in the ULB. - Establishment of a material recovery facility is proposed under this allocation. - Three out of a total of seven wards of the ULB are declared bin free. - ULB has already achieved the status of ODF+ and now targeting the ODF++ status.
Nagar Panchayat Bachinath	Revamping Solid waste management	- DPR of rupees 1.69 Cr. has been approved and the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - With this allocation, various works such as the development of the trenching ground etc. are proposed. - ULB is declared as bin free city in the year 2021. - ULB has already been granted the status of ODF+ and the application for ODF++ is underway.



Nagar Panchayat Gairsain	Revamping Solid waste management	- DPR of rupees 1.90 Cr. has been approved and the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - ULB has already achieved the status of ODF and now targeting the ODF+ status.
Nagar Panchayat Pokhari	Revamping Solid waste management	- DPR of 1 Cr. has been approved and the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - Under this allocation Nagar Panchayat has planned to procure various types of machinery such as compactor and waste collection vehicles, along with this development of a recovery facility has also been proposed. - ULB has already achieved the status of ODF+ and now targeting the ODF++ status.
Nagar Panchayat Tharali	Revamping Solid waste management	- DPR of rupees 1.22 Cr. has been approved and the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - Under this allocation, several works have been already initiated in the ULB, such as the development of the trenching ground. - ULB has already achieved the status of ODF and now targeting the ODF+ status.
Nagar Panchayat Pipalkoti	Revamping Solid waste management	- DPR of rupees 1.42 Cr. has been approved and the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - Under this allocation Nagar Panchayat has planned to procure various types of machinery such as compactor and waste collection vehicles, along with this development of a recovery facility has also been proposed. - ULB is declared as bin free city in June 2021. - ULB has already achieved the status of ODF+ and now targeting the ODF++ status.
Nagar Panchayat Nandprayag	Revamping Solid waste management	- DPR of rupees 94.14 lakhs has been approved and the budget has been allocated to the ULB to improve its waste management operations. - Under this allocation Nagar Panchayat has planned to procure various types of machinery such as compactor and waste collection vehicles, along with this development of a recovery facility has also been proposed. - Three of the total four wards of the ULB are declared as bin free. - ULB has already achieved the status of ODF and now targeting the ODF+ status.

Vegetation suitable for rehabilitation of dumping sites

Phytoremediation, collectively referring to all plant based technologies, uses green plants to remediate contaminated sites (Sadowsky, 1999). Natural or planted vegetation on landfill sites has a key role in soil erosion control and removal of contaminants, besides imparting aesthetic value (Table 12). Moreover, it may be used in leachate treatment. Landfill vegetation often shows signs of damage commonly caused by the presence of landfill gas in the root protection zone. The aim for the reconstruction of a suitable medium for landfill re-vegetation is to provide a cover that is deep and as favourable to root growth as is necessary to achieve desired plant performance (Nagendran, et al. 2006). In this context, locally available species could be hardened and resistant in reclaiming the waste dump problem.

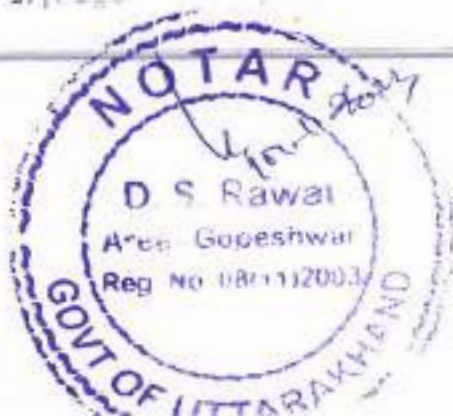


Table 12. Suggested vegetation for reclaiming landfill sites in the district Chamoli

Botanical Name	Local and English Name	Life form	Altitude (m)	Assimilating capacity	References
<i>Quercus leucotrichophora</i> A. Camus	Barj oak	Tree	1200-2400	Microbial biodegradation, binding, holding soils, and/or decreased leaching	Meenakshy et al, 1981
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Kachnar	Tree	1250-1800	Absorbs Zn, Hg, As, Pb, Cu and Cd from wastewater	Das, 1981
<i>Bauhinia acuminata</i> L.	Kachnar	Tree	1150-1500	conversion of Hg to volatile chemical from groundwater	Chaphekar, et al., 1980
<i>Adina cordifolia</i> (Roxb.) Hook. f. ex Brandis	Haldu	Tree	Upto-1500	conversion of Se and Hg to volatile chemical from groundwater	Prajapati, 2012
<i>Berberis aristata</i> DC.	Kingore	Shrub	1350-2000	Metals, radionuclides, hydrophobic organics	Das, 1981
<i>Berberis asiatica</i> Roxb. ex DC.	Kilmora	Shrub	1650-2400	Adsorb' all the dissolved gases	Das, 1981
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon	Dubla, Doeb	Herb	700-2500	Absorbs Arsenic and Fluoride from wastewater	Chaphekar, et al., 1980
<i>Azolla pinnata</i> R. Br.	Azolla	Herb	400-2200	Control the Hg, and Cd from wastewater also known as bio-fertilizer	Rai, 2008

Projected Population and Solid Waste Generation in Chamoli District

Projecting waste quantities in a near future is as difficult as predicting changes in waste composition for a locality or town. Storage methods, salvaging activities, exposure to the weather, handling methods and decomposition, all have their effects on changes in waste bulk density. Generally, lower is the level of economic development, greater will be the change between waste generation and disposal.

In the present context, population Census data for the year 2001 and 2011 is taken for population forecast. Decadal population and subsequent waste generation projection is done based on following presumptions:

- Arithmetic increase method is used for the decadal population forecast, hence the rate of change of population with time is assumed constant.
- In view of changing waste paradigm and floating population, 1.5% yearly growth in per capita waste generation is assumed.
- Analysis includes population and waste generation estimations for only urban local bodies and does not include peri-urban and rural areas (Table 13 and 14).



Table 13. Estimated Population and Waste Generation

ULB	Projected Population			Projected Waste Generation (MTPD)		
	2021	2031	2041	2021	2031	2041
Gopeshwar NPP	23061	24675	26289	5.00	6.15	7.54
Gauchar NPP	10425	11986	13547	5.00	6.61	8.59
Joshimath NPP	20214	23719	27224	1.1	1.48	1.96
Karanprayag NPP	12723	15596	18469	4.2	5.92	8.06
Badrinath NP	3194	3950	4706	0.5	0.71	0.97
Gairsain NP	11816	14967	18118	0.3	0.44	0.61
Pokhari NP	6400	7505	8610	1	1.35	1.78
Tharali NP	5341	6033	6725	0.2	0.26	0.33
Pipalkoti NP	4178	4835	5492	1.3	2.00	2.61
Nandprayag NP	1578	1515	1452	0.5	0.55	0.61
Total				19.30	25.47	33.06

Table 14. Decadal Change in Waste Generation

Name of ULB	Rate of growth % (2021-2031)	Rate of growth % (2031-2041)
Gopeshwar NPP	2.30	2.25
Gauchar NPP	3.22	3.00
Joshimath NPP	3.49	3.20
Karanprayag NPP	4.10	3.62
Badrinath NP	4.22	3.70
Gairsain NP	4.57	3.92
Pokhari NP	3.49	3.19
Tharali NP	2.99	2.82
Pipalkoti NP	3.31	3.06
Nandprayag NP	1.04	1.02



Handwritten signature or mark.

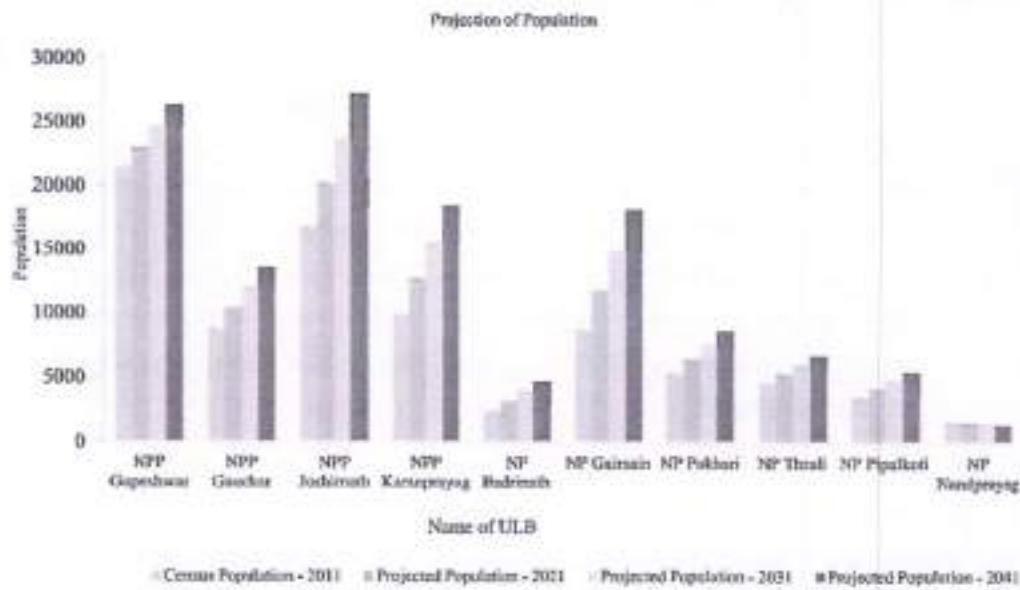


Fig. 3. Graphical representation of projected population in Chamoli district

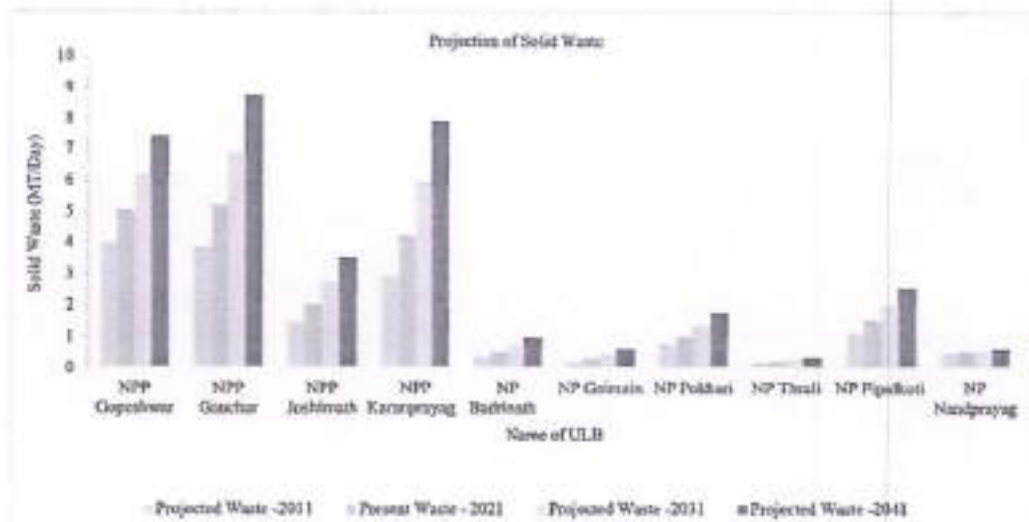


Fig. 4. Projected solid waste generation in Chamoli district



Inferences drawn after projecting the population and waste generated

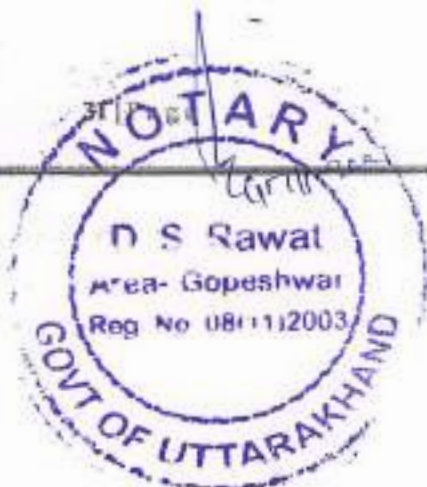
- Solid waste generation in district is expected to rise by almost 5-15 MTPD in the coming decades.
- Maximum growth rate is observed in Gairsain as the population of the ULB is likely to increase rapidly. It has been declared as summer capital of the state, hence rapid development is expected in near future which will definitely change the waste paradigm.
- As all the ULBs of the district are likely to see a rise in the waste generation so all the ULBs needs a complete revamping in the infrastructure requirement for waste management.
- Special attention is required for the waste management in Badrinath keeping in mind the heavy tourist influx in the ULB.

Rural Solid Waste Management

The domestic waste generated in rural households of India is increasingly becoming an issue of serious concern. As reported by the Ministry of Drinking Water and Sanitation (MDWS) about 0.3 to 0.4 million metric tonnes of solid waste is generated in rural India every day. With the objective of achieving ODF plus status and improving cleanliness, hygiene and the general quality of life in rural areas, the aspect of Solid and Liquid Waste Management (SLWM) assumes greater significance. Most of the solid waste generated in rural areas can be reused after generation because the generation rate of rural areas is much less as compared to urban areas.

Current standpoint about Rural Waste Management in India

- According to 2011 census, 68.84% of total population in India live in rural areas which generate almost 0.3-0.4 million metric tonnes of waste per day.
- Due to lack of commercial development, rural solid waste contains only domestic waste (92.4%) as a major contributor to the total waste generation.
- Rural community produces comparatively more biodegradable waste (63.5%) compared to non-biodegradable waste (36%).
- About 78% of the rural population use open dumping as storage and collection of solid waste.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a flourish.

BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT

According to latest biomedical waste management rules (published in 2016 and amended in 2019), biomedical waste is defined as such waste that is generated during diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals, or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biological experiments. The fact sheet of WHO states that 20% of the total waste generated by health care activities is hazardous. All the biomedical waste generated is essential to be properly collected, segregated, stored, transported, treated and disposed of in a safe manner to prevent spreading infectious diseases. The health system of Uttarakhand constitutes a large network of health care facilities based on three-tier system that comprises of district level health care facilities (District hospitals, base hospitals, etc.), community health care centres (CHCs), and primary health care centres (PHCs). Biomedical waste generation has shown a wide variation in Uttarakhand due to its typical physiographical conditions and changing density of population. Handling and disposal of biomedical waste is done as per BMW rules, 2016 (Fig.5).



(Source: CPCB 2019)

Fig. 5. Segregation of biomedical waste as per BMW rules, 2016

Importance of Biomedical Waste Management in The Wake of Pandemic

Due to the onset of covid pandemic, biomedical waste generation increased worldwide. Similar trend was also observed in our country from 2019 to 2021. The daily biomedical waste generation increased from 619 MTPD to 800 MTPD in India (CPCB, 2021) and from 3.8 MTPD to 6.26 MTPD

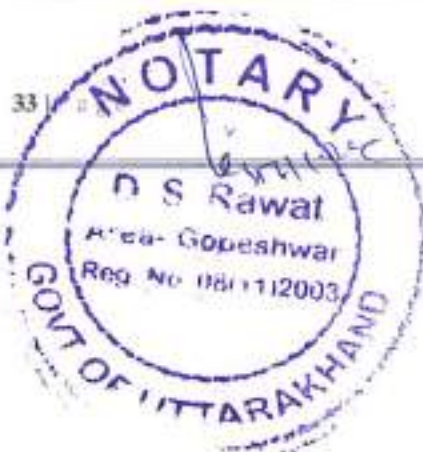
in Uttarakhand state (ENVIS, 2020). In Chamoli district, the daily biomedical waste generation increased by four times during the peak of the pandemic situation. At present, the biomedical waste is being generated not only from the health care facilities but also from the quarantine centres, and residential areas where patients were in a home isolation. Bio-medical waste ought to be segregated in the households as well as from the municipal solid waste. Thus, it has to be properly disposed of to get rid of the risks of infection among the workers handling the municipal solid waste in urban local bodies.

Biomedical waste management in Chamoli district

Quite a few government and private healthcare facilities are available in the Chamoli district, which consists of bedded and non-bedded hospitals, veterinary hospitals, pathology labs, clinics etc. The district relies on the conventional method of deep burial for the disposal of biomedical waste. So far none of the district level healthcare facilities have established linkage with a Common Biomedical waste treatment facility (CBMWTF) (Table 15). Many of the healthcare facilities are either not authorised by the state pollution control board or their authorisation certificates have expired. Healthcare facilities in the district are also lagging in the barcode tracking of biomedical waste as per the Biomedical waste management rules 2016 (Table 16).

Table 15. Inventory of current healthcare infrastructure for Bio-medical waste management

S. No.	Parameter	Outcome	
1.	Health-care facilities in the district	<i>Facility</i>	<i>Numbers</i>
		Bedded HCFs	50
		Non-bedded HCFs	49
		Total	99
2.	Miscellaneous Health care Facilities in the District	<i>Facility</i>	<i>Numbers</i>
		Clinics	22
		Veterinary Hospitals	23
		Pathology Labs	02
		Dental Clinics	01
		Blood Banks	-
		Total	48
3.	Number of health care facilities authorised by SPCB/PCC	Only 6 Bedded & 12 Non-bedded health care facilities of the district are authorised by the state pollution control board (SPCB).	
4.	Linkage with Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)	No Healthcare facilities of the district linkage with any of the CBMWTF.	
5.	Total Biomedical Waste (BMW) generation in the district	33.3 kg/day	



6.	Daily Bio-Medical Waste (BMW) lifting by Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)	10.95 kg/day
----	---	--------------

Table 16. Current status of biomedical waste management

S. No.	Action areas	Outcomes
1.	Authorisation of health care facilities by SPCB	6 Bedded & 12 Non-bedded health care facilities of the district are authorised by the state pollution control board (SPCB).
2.	Adequacy of facilities to treat biomedical waste	At present no facility is available in the district, solely for the treatment of biomedical waste.
3.	Segregation of BMW as per guidelines of BMW rules, 2016	All the healthcare facilities of the district properly segregate their biomedical waste into separate colour-coded bins as per biomedical waste medical waste management rules 2016.
4.	Tracking of biomedical waste (Implementation of bar code system for tracking)	There is no facility available in the district for the bar code tracking of biomedical waste.
5.	District level monitoring committee	Already established under the chairmanship of the District Magistrate.

Gap Identification in The Management of Biomedical Waste in the District

Chamoli district is lacking in many aspects if we compare the current status with the desired level as per biomedical waste management rules 2016. Some of them are as following:

- Very few healthcare facilities have been authorised by the state pollution control board.
- No linkage is established yet with any of the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF).
- Bar code tracking facility is not available for biomedical waste management.



CONSTRUCTION & DEMOLITION WASTE MANAGEMENT

Construction and Demolition (C&D) waste is produced in the construction, remodelling, repair and demolition of residential / commercial buildings and other structures and pavements. C&D waste mainly consists of concrete, bricks, sanitary ware, glass, steel, plastic, etc. (Table 17). According to a general estimate, 40% of the total C&D waste originates from renovation work, while 50% from the demolition work and remaining 10% from new construction work (CPCB, 2020) (Table 18).

Implementation of 3rd Principle in C&D Waste Management

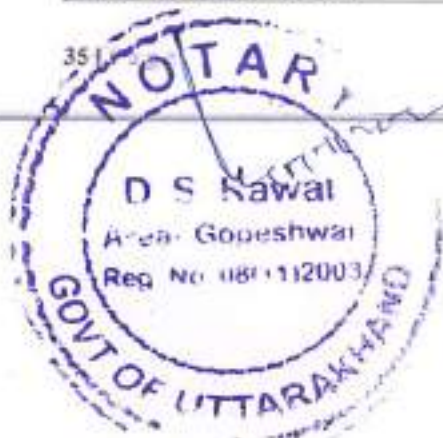
Construction and demolition waste is inert in nature. It does not create chemical or biochemical pollution. Hence in view of its management, maximum emphasis should be given on 3R Principle. The concept of 3R, which refers to reduce, reuse and recycle particularly in the context of production and consumption is well known today. Waste reduction is presumed to be optimal measure for C&D waste management due to its minimal adverse impact on environment. Applicable building materials can be reused for original activity or to fulfil any other purpose. Steel, doors and windows, wood, bricks and other construction items can be easily taken out and again put to reuse without much processing. The last but not least step is to recycle the C&D waste considered fit for recycling. This is usually done by converting the waste into recycled sand and aggregates that have various construction applications. This principle can be applied to the entire life cycle of products and services – starting from design and extraction of raw materials from collection to transport, and then manufacturing, practicing scientific disposal. Hence, it is evident that application of 3R principle would help reduce the C&D waste in the construction industry.

Present State of Affairs

- According to a report by Transparency Market Research (2016), the volume of construction waste generated worldwide every year will nearly double to 2.2 billion tonnes by 2025 (CWM, 2020).
- Our country generates 150 million tonne/year C&D waste but the official recycling capacity is a meagre 6500 tonnes/day or just about 1% (as per building material promotion council (CWM, 2020).

Table 17. Characteristics of C&D Waste in India

Debris type	Percentage (%)
Wood	42.4
Drywall	27.3
Concrete	12.0
Brick and Other Mixed Debris	7.3



Cardboard	5.4
Metals	1.8
Asphalt	1.4
Plastic & Foam	1.4
Other packaging	0.6
Textiles	0.4

Table 18. Thumb rule for estimation of C&D waste generation for India

Range	Type of construction
40-60 kg/m ²	New construction
40-50 kg/m ²	Building repair
300-500 kg/m ²	Demolition of building

Recent Infrastructure within the State

- Currently, no treatment facility is available in the state for processing the C&D waste.
- In the hilly districts, ample dumping zones are not established due to which waste is dumped at the riverbanks.
- As the management of C&D waste is not done in the state, so it is not possible to assess the total amount of waste generated.

C&D Waste Management in the district

Construction and demolition waste is not yet quantified in the district pertaining to the fact that its quantity is assumed to be nominal (Table 19). However, dumping zones are established along the Char-Dham national highway by the Public works department. With rapid urbanization, construction activities will rise, hence some strategy is definitely required for scientific management of C&D waste. This may include the establishment of dumping sites, framing of by-laws etc., (Table 20).

Table 19. Current Status Related to C&D Waste Generation

S. No.	Action Areas	Outcomes/Remarks
1.	Quantity of C&D waste generated (KGPd)	Not estimated as no collection initiated. However, the quantity is assumed to be minimal.
2.	Collection of C&D waste	None of the ULBs has initiated the collection of C&D waste in the district.



3.	Establishment of Deposition points/Dumping Zones	Dumping zones are established in the district by various construction agencies such as NH & PMGSY divisions of state PWD, and Border Road Organisation. Most of the dumping zones are established along the under-construction Char Dham highway project in the district. U.L.Bs are also using these dumping zones to deposit C&D waste generated within the towns.
4.	Establishment of Linkage with any C&D waste recycling facility	There is no C&D waste treatment facility in the district. Moreover, none of the ULBs has linkage with any common C&D waste treatment facility.

Table 20. Gap identification

S. No.	Observed shortcoming	Outcome/Remarks
1.	Quantification of C&D waste.	As the collection of C&D waste is not initiated hence quantification of C&D waste generated in the district is not possible.
2.	Establishment of collection centre /Deposition points/Dumping Zones.	Most of the U.L.Bs has not established dedicated deposition points for C&D waste, as present they are using the dumping zones established by the construction agencies such as state PWD.
3.	Implementation of by-laws for C&D waste management.	Due to lack of awareness regarding C&D waste management, it is not properly segregated, and also the process of implementing by-laws for the C&D waste management is not initiated by any of the ULBs within the district.
4.	Lack of strategies for C&D waste management.	Due to a lack of strategies for C&D waste management, dumping of C&D waste is done along the banks of rivers openly at many places in the district which is hampering the river profile.

C&D Waste Management in Rural Areas

In the rural areas of the district, construction work is very limited therefore minimal amount of C&D waste is generated which mainly consists of the soil excavated from the foundation trenches and stones from the hill slopes. This excavated soil is reused in filling the plinth and trenches or many times used in filling the low-lying area. Stones obtained from the hill slopes are used in masonry work. There is an issue of improper dumping of muck on the river banks during the construction of roads which needs to be addressed.



HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

Hazardous Waste is any waste which because of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive, causes danger or is likely to cause danger to health or environment (whether alone or in contact with other wastes or substances). State Pollution Control Board (SPCB) is responsible for tabulation of hazardous waste generating units and quantification of waste generated in respective state. Hazardous industrial wastes in India can be categorized broadly into two categories as under:

- Hazardous wastes generated from various industries in India.
- Hazardous industrial wastes transported to India from the western countries for re-processing and recycling.

Present state of affairs

- Almost 9 MMT of hazardous waste was generated in India in the year 2020. Half of the hazardous waste generated was utilizable (Table 21).
- Hazardous and Other wastes (Management and Transboundary Movement) rules, 2016 govern the collection, transfer, Processing, treatment and disposal of hazardous waste.
- The rules were amended on March 2019 keeping in consideration the ease of doing business, boosting make in India initiative by simplifying the procedures, while at the same time upholding the principles of sustainable development.
- According to CPCB Report 2019-20, there are 69,308 hazardous waste generating units in India having authorized annual capacity to generate about 39.46 million MT of hazardous waste. However, about 8.78 million MT hazardous waste was generated during 2019-20, based on the annual returns submitted by such units (CPCB, 2020).

Table 21. Hazardous Waste generation in India

Type of hazardous waste	Quantity/Year (MMT)	% age of Total waste
Land-fillable	2.13	24.29%
Incinerable	0.40	4.52%
Recyclable	2.07	23.59%
Utilizable	4.18	47.60%

Hazardous Waste Management in Chamoli district

The quantity of hazardous waste generated in the district is very less. This pertains to lower segregation of waste in households, government offices and commercial establishments. However, the amount of industrial hazardous waste has been inventoried (Table 22). The industrial hazardous



waste generated in the district is incinerable in nature and sent to the treatment facility at Roorkee. No linkage with any treatment, storage and disposal facility (TSDf) is established as of now by any of the ULB (Table 23).

Table 22. Inventory of hazardous waste in the district

S. No.	Parameter	Present status			
1.	Quantity of Hazardous waste generated in the district (in MT/Annum)	Incinerable	Landfillable	Recyclable/ Reusable	Total
		4,347	0.00	0.00	4,347
2.	Number of Hazardous waste generating industries in the district	30			

Table 23. Current status related to hazardous waste management

S. No.	Action Areas	Outcome and Remarks
1.	No. of captive / common Treatment storage and disposal facilities (TSDf) in the district.	Currently, there is no captive or common treatment storage and disposal facility (TSDf) in the district for the treatment of hazardous waste. The hazardous waste generating in the district is send to TSDf's available outside the district.
2.	Linkage with common TSDf	Currently, the hazardous waste generating industries of the district have linkage with the following Treatment storage and disposal facility. <i>01 (M/s Bharat Oil waste Management) at Roorkee, Haridwar.</i>
3.	Display board of Hazardous waste generation in front of gates of respective industries	As per state pollution control board only 02 hazardous waste generating industries in the district have installed display board in front of their gates.
4.	Number of ULBs linked with common TSDf's	No ULB in the district is linked with common TSDf's.
5.	Contaminated sites/probable contaminated sites within the district	As per state pollution control board there are no contaminated sites within the district.
6.	Regulation of industries & facilities generating Hazardous waste	Industries generating hazardous waste are strictly regulated by state pollution control board.



ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT

The Discarded and end-of-life electronics products ranging from computers, equipment used in Information and Communication technology (ICT), home appliances, audio and video products and all of their peripherals are known as Electronic waste (E-waste). Computer devices contributes to almost two third of electronic waste in India. (Table 24). It is categorised into 21 types under two broad categories:

- Information technology and communication equipment.
- Consumer electrical and electronics

The ill effects of e-waste could be on soil through leaching of hazardous contents from landfills; in water due to recycling process *(if not carried out properly)*, through inhalation of gases during recycling, contact of the skin of the workers with hazardous substances and contact during acid treatment used in recovery process (EEMI, 2018).

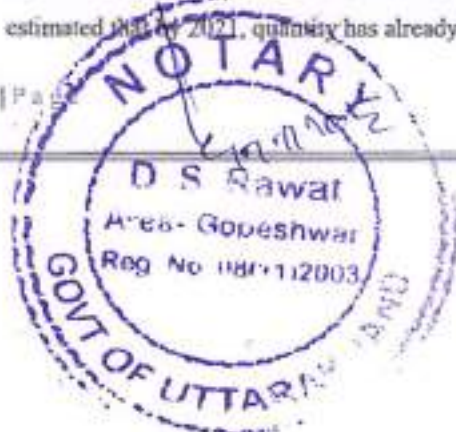
Government of India has notified E-Waste Management Rules 2016, which are expanded to manufacturer, dealer, re-furbisher and Producer Responsibility Organization (PRO) of components, consumables, spares and parts of Electronics and Electrical Equipment (EEE) in addition to equipment as listed in Schedule I appended with the rules. Moreover, Compact Fluorescent Lamps (CFL) and other mercury containing lamps are also brought under the provisions of these Rules. Amendments were further made on March 2019 with the objective of channelizing the E-waste generated in the country towards dismantlers and recyclers in order to formalise the e-waste recycling sector.

Table 24. Bifurcation of E-waste based on electronic appliances

Types of Waste	Contribution (%)
Computer devices	70
Telecom sector	12
Medical equipment	7
Electric equipment	8
Others	3

Worldwide Scenario

- Electronics and Electrical Equipment (EEE) are manufactured and disposed of at worldwide level. In 2016, 44.7 Million Metric Tons (MMT) of e-waste was generated worldwide *(equivalent to 6.1 kg /inhabitant)*. Following the current growth rate of rising e-waste, it was estimated ~~that by 2021~~, quantity has already been risen to 52.2 MMT or 6.8 kg / inhabitant.



- Out of the total e-waste produced in 2016, only 20% (8.9 MT) is documented to be collected properly and recycled. On the other hand, there is no record of remaining e-waste. The quantity of E-waste generated worldwide is expected to grow at a rate of 3.15% (Compound annual growth rate).

Indian Scenario

- According to Central Pollution Control Board (CPCB), India generated more than 10 Lakh tonnes of e-waste in 2019-20. Against this, the e-waste dismantling capacity has not been increase from 7.82 lakh tonnes since 2017-18.
- In 2018, the Ministry of Environment had told the tribunal that 95% of e-waste in India is recycled by the informal sector and scrap dealers unscientifically dispose of it by burning or dissolving it in acids.
- India has emerged as fifth largest Electronic waste producer in world. City-wise, Mumbai tops the list in producing electronic waste, followed by New Delhi, Bangalore and Chennai.
- The government offices, public and private sector companies generate nearly 75% of e-waste; with the contribution of individual household only being 16%.
- India's first e-waste clinic for segregating, processing and disposal of waste from household and commercial units has been set-up in Bhopal, Madhya Pradesh.

E-waste Management in Chamoli district

As the collection of e-waste is not initiated by any of the ULBs of the district, so presently it is not possible to quantify the e-waste (Table 25). Also, none of the ULBs has established linkage with any of the authorised electronic waste recycler/dismantler (Table 26).

Table 25. Current standpoints regarding e-waste generation and collection

S. No.	Parameter	Outcome & Remarks	
1.	Quantity of E-waste generated per annum (As per State pollution control board)	Uttarakhand (MT)	16260
		Chamoli	Not Estimated
2.	Toll-free number in the district for the citizens to deposit E-waste.	Facility of toll free number to deposit E-waste is not initiated in the district.	
3.	Collection centre established by ULBs in the district.	At present there are no collection centre established by any of the ULBs or the district administration.	
4.	Number of authorized E-waste Recyclers/dismantlers in the state.	(05) Attero Recycling Pvt. Ltd. Raipur, Bhagwanpur Bharat Oil & Waste Management, Mukhimpur, Laksur Resource E-Waste Solution Pvt. Ltd. Bahadnabad Scurto Metal Recycle Plant, Mewar Khurd, Roorkee	



		Anmol Pariyavaran Sarakshan Samiti, Daslatpur Budhwa Shahid, Banjarewala
5.	Linkage with any E-waste recycling facility	No ULBs in the district have established linkage with authorised E-waste recycling facility, However district administration have linkage with the authorised E-waste recycling facility to deposit E-waste generated from the government office.
6.	Control over illegal trading or processing of E-waste in the district.	Controlled

Table 26. Gap identification

S. No.	Observed Shortcomings	Remarks
1.	Establishment of collection centres & Toll free number	- Ample amount of E-waste is lying idle in the government offices of the district which cannot be sent for recycling as there is no facility in the district to deposit E-waste. - As there is no facility of Toll free number to deposit E-waste in the district so all the E-waste generated from the residential areas is mixed with municipal solid waste and thus not treated properly.
2.	Segregation of E-waste by ULBs	As the quantity of E-waste generated is very less so there is no mechanism in the ULBs for segregation.
3.	Linkage of ULBs with authorised recyclers/ Dismantlers	Yet to establish any linkage



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the notary seal.

WASTE WATER MANAGEMENT AND SEWAGE TREATMENT PLANT

Domestic sewage is a type of waste water that is produced by a community of people in any area. It is characterized by a certain volume of flow and physical condition, along with chemical and toxic constituents and its bacteriologic properties. Around 80% of water supply flows back into the ecosystem as wastewater, which can cause major health hazard and environmental degradation, (Denchak, 2018).

According to a report of the Central Pollution Control Board (2015), India has the capacity to treat approximately 37% of its wastewater. In other words, this comes about 22,963 million litres per day (MLD), against a daily sewage generation of approximately 61,754 MLD. Moreover, most of the sewage treatment plants do not function at their optimum capacity and do not conform to the standards as prescribed (Table 27).

Sewerage system with individual household latrines connected with pipelines comes only 31.7 per cent of the total urban households. More than half of the urban population in the State relies on on-site sanitation (OSS) systems like septic tanks. Septic tanks and other On-site Sanitation system covers 53.1 per cent of the total wastewater generated in the state. Treatment by sewage treatment plant is mostly limited to plain areas of district. Further, some individual households in the state discharge the waste from their toilets directly into open drains

Table 27. Current Scenario related to STPs (MLD) in Uttarakhand

Number of STPs Installed in Uttarakhand	71
Total Sewage Generation (MLD)	627
Installed Capacity (MLD)	445.18
Operational Treatment Capacity (MLD)	345
Actual Utilization (MLD)	187 (42% of installed capacity, 54% of Operational capacity)

80 % of the state's total sewage treatment plant capacity caters to Dehradun, Roorkee and Haridwar (Plain areas).

Source: ENVIS Centre on Region, sanitation, sewage treatment systems and technology

Current Scenario RELATED TO STPS in the District

Majority of the district falls in the catchment area of the Alaknanda River and its tributaries, one of the two headstreams of the holy Ganga. Many sewerage treatment facilities are constructed in the recent times (Table 28) near the urban settlements situated along the banks of the river. Treatment plants are constructed under 'Namami Gange' mission to prevent the possible contamination of the holy river.



Table 28. Inventory of sewage treatment facilities in district

Name of ULB	Population	Total installed capacity (MLD)	Additional Capacity Required (MLD)	Description of sewage treatment plants
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	21447	4.45	-	1.2 MLD STP (Vaitrani) 1.25 MLD STP (Pokhari Bend) 1.19 MLD STP (Lisa band) 0.76 MLD STP (Near Mahindra showroom) 0.05 MLD STP (Near jhula pull)
Nagar Palika Parishad Joshimath	16709	1.08	2.70	1.08 MLD STP (Pokhari) 2.70 MLD STP (Marwari)
Nagar Palika Parishad Karnaprayag	9850	0.35	0.97	0.05 MLD STP (Near Police chawki) 0.10 MLD STP (Near Old Bridge) 0.05 MLD STP (Subhash Nagar) 0.05 MLD STP (Near BRO Bridge) 0.10 MLD STP (Near ward no. 1&3)
Nagar Panchayat Badrinath	2438	1.01	-	1 MLD STP (near temple) 0.01 MLD STP (Near suspension bridge)
Nagar Panchayat Nandprayag	1641	0.15	0.11	0.1 MLD STP (Near forest office) 0.05 MLD STP (Sangam Road)

Adequacy of Sewerage Network in Various Urban Local Bodies of the District

None of the ULBs of the district has an adequate sewage network. All of them have partial coverage of the sewerage network in their respective ULBs (Table 29). However, to cover the rest of the population, the concerned department i.e. Payal Nigam, Ganga division, Chamoli is planning to make DPR for further approval for concerned authority. The operation and maintenance of the existing treatment facilities for up to 15 years has been handed over to the construction agency of these facilities (Table 30).

Table 29. Adequacy of sewerage network

Action points	Name of ULB				
	Gopeshwar	Joshimath	Karnaprayag	Badrinath	Nandprayag
Length of the existing underground sewerage network (km)	26.23	16.44	2.36	5.39	5.52
Population covered under the existing sewerage network (%)	85	50	10	90	5
Additional length of the sewerage network required (km)	5	7.50	6	1.50	3.50



Current Standpoints Regarding Sewage Management in the District

- ↓ Currently five of the ten ULBs of the district have operational sewage treatment facilities rest of the ULBs are relying on the conventional on-site treatment facility of septic tank + soak pit.
- ↓ Among the ULBs having sewerage network, Badrinath has maximum coverage of the sewerage network (i.e. 90%), the rest of the households are not covered in Badrinath ULB is due to topographical limitations. The sewage from those households is pumped and discharged into the main sewer line.
- ↓ The proposals that are sent for Gopeshwar and Karanprayag are once rejected by the government, so new proposal need to be send to the government.
- ↓ For rest of the ULBs no proposals are still made to cover rest of the households.

Table 30. Adequacy of expenditure

ULB	Capital Expenses (In Lakhs)	Average Yearly Operating Expenses (In Lakhs)
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	3112.84	205.2
Nagar Palika Parishad Joshimath	2620.92	148.12
Nagar Palika Parishad Karanprayag	704.56	33.64
Nagar Panchayat Badrinath	913.25	60.69
Nagar Panchayat Nandprayag	336.08	20.68

Liquid Waste Management in Rural Areas

Since the water supply for domestic purposes in rural areas has improved considerably over the years, the quantity of wastewater that is disposed of has also increased. Hence effective wastewater management systems need to be introduced in the rural areas to mitigate the problem of contamination in the majority of rural areas, untreated wastewater is discharged directly into the local surroundings and water bodies. Several government policies are intact to scientifically manage liquid waste in the rural areas, to healthify the surroundings and declare them open defecation free.



Current standpoint about Rural Waste Water Management in India

- ✚ With Population growth and rapid industrialization, wastewater management has become a serious issue. Rural India with old or no infrastructure has reached a tipping point.
- ✚ India has the highest number of people who don't have access to clean drinking water. Even abundance of water in certain places do not guarantee access to safe, reliable, drinking water.
- ✚ United Nations Sustainable Development goal 6 focuses on access to clean water and sanitation for all. The goal of the initiative is to sensitize communities to the advantages of hygiene and sanitation.

Practices for Rural Waste management in India

Various interventions are made under Swachh Bharat Mission (SBM-G) to mitigate the ecological and health related impacts of liquid waste in rural areas. These include infrastructure development financial compensation, awareness programs etc. targeting remotest of the villages (Table 31).

Table 31. Policies undertaken for waste water management in rural India

Current Policy	Sponsoring agency	Remarks
Construction and Usage of Individual Household Latrines (IHHLs)	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	There are various models of toilets available based on safe sanitation technologies like Twin pit, Septic tank, Bio toilets etc.
Availability of Sanitation Material through Rural Sanitary marts (RSM), Self-help groups (SHGs)	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	To provide material, services and guidance needed for constructing different types of latrines and other sanitary facilities for clean environment.
Community Sanitary Complex (CSCs)	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	Such complexes comprise of appropriated number of toilet seats, bathing cubicles etc. (Only where there is lack of space in the village for construction of household toilets.)
Financial Assistance	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	- Up to Rs.12000 is provided to BPL (below poverty line) households and identified APL (Above poverty line) households for construction of one unit of IHHL. - It is not the cost of the toilet but an incentive amount.
Menstrual Health Management	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	It is aimed at making behavioural change in women and adolescence girls using a clean menstrual management material to absorb or collect blood that can be changed in privacy as often as necessary for the duration of the menstruation period, and having access to facilities to dispose of used menstrual management materials.



Q

GROUND WATER EXTRACTION/CONTAMINATION AND RE-CHARGE

Groundwater is found underground in the cracks and spaces in soil, sand and rock. Over 70% of the earth's surface is covered in water but of that water, just 1% is readily available for human use, out of which, 99% is stored beneath our feet as groundwater (*The Groundwater Foundation, 2021*).

Ground water extraction:

Over 80-85% of our country population depends on groundwater for drinking water. Groundwater is also one of our most important sources of water for irrigation. Due to overuse and leverage of high amount of groundwater water table decreasing with rapid rate and it will very harmful for mankind

Ground water contamination

Groundwater contamination occurs when man-made products (such as, gasoline, oil, road salts and chemicals) get into the groundwater and makes it unsafe and unfit for any kind of use for humans and as well as other animals (*The Groundwater Foundation, 2021*). Unfortunately, groundwater is susceptible to pollutants. Hazardous materials from the land surface can move through the soil and end up in the groundwater. For example, pesticides and fertilizers can find their way into groundwater supplies over time. Also, groundwater is contaminated by the untreated waste from septic tanks and toxic chemicals from underground storage tanks and leaky landfills.

Groundwater Recharge

Groundwater recharge is a hydrologic process, when water (rain, snow-melt etc.) moves downward from surface to groundwater. Mostly groundwater recharged by naturally but due to high amount of groundwater extraction, water table is falling down day by day. Saving groundwater is very important for mankind as it is the major sources of drinking water and agricultural irrigation water (*The Groundwater Foundation, 2021*). A comparison of depth to water level of August 2019 with decadal mean of august (2009-2018) indicates that there is decline of more than 4m in the groundwater level in state of Uttarakhand (CGWB, 2019-20). Therefore, some artificial methods (Rainwater harvesting, Injection wells) are applied nowadays to save groundwater.

Groundwater management in Chamoli district

Chamoli district is quite rich in terms of water resources. Alaknanda, one of the two headstreams of the holy Ganga originates and flows through the district (Table 32). After the commencement of the flagship 'Namami Gange' project, all the major towns along the river valleys are connected through the sewerage network to prevent direct outfall of the contaminated water in the river. Also, many steps have been taken in recent years to prevent the dumping of waste and to prevent open



defecation along with the river bodies (Table 33). Since the widespread network of river and rivulets of the district are substantial to fulfil the needs of the regions lying adjacent to the river valleys, still, the upper reaches of the district are relying on the groundwater sources such as springs to fulfil their daily needs still the groundwater potential of the district is not estimated so far (Table 34).

Table 32. Water resources in the District

S. No.	Water Resource	Remarks
1.	Rivers/Streams in the District	Alaknanda river originates from Satopanth glacier at 3641m. is the major river flowing through the district. Several rivers meets the Alaknanda river in the district.
		<i>River</i> <i>Confluence point with Alaknanda</i>
		Saraswati Downstream of Mana Village
		Khilrawan Ganga Badrinath
		Dhaul Ganga Vishnuprayag
		Nandakini Nandprayag
		Pinder Kamprayag
2.	Lakes and ponds	<i>Lake</i> <i>Elevation (m)</i>
		Rupkund 4536
		Hemkund 4633
		Satopanth Lake 4600
		Auli Lake (Artificial) 2909

Table 33. Pollution Control in Water Resources

S. No.	Parameter	Current Status
1.	Open Defecation in River/Nala/Khad	Fully controlled
2.	Dumping of Solid waste on River Banks	Fully controlled
3.	Control Measures for idol immersion	Measures taken
4.	Nalas/drains meeting rivers	All the major Nalas/drains have already been tapped in the recent year under the Namami Gange mission. Currently, No major contaminated drain has a direct outfall in the water bodies in the district.
5.	Disposal of Untreated Sewage in Rivers	Sewage is not directly discharged into water bodies.
6.	Monitoring of Action Plans for rejuvenation of Rivers	Monitored
7.	Encroachment near flood plains	Encroachment is found in almost all the urban settlements along the river valleys.
8.	Protection of flood plains	Robust measures has not been taken so far.



Handwritten signature or mark.

Table 34. Information of Groundwater in District

S. No.	Parameter	Current Status
1.	Groundwater polluted area in the district	Not Identified
2.	Adequacy of Groundwater Availability	No studies are conducted so far by the concerning department for the assessment of the groundwater.
3.	Disposal of Untreated Sewage in Rivers	Nil
4.	Access to surface water and groundwater quality data at DM office	Available

Current standpoint regarding Water Resources Management in Chamoli**Present state of affairs**

- ✦ Common water sources used for water supply schemes over the district are:
 1. Deep Tubewells
 2. Khadins / Nadins / Tankas / Ponds / Wells / Ooranis
 3. Rivulets / Naulas / Godheras
 4. Spring
 5. Streams
 6. Treated surface water
- ✦ Springs (70.3%) followed by Streams (20.4%) and Rivulet / Naula / Godhera (7.3%) are noted to be highly tapped for water schemes in Chamoli
- ✦ The Ghnat block of Chamoli district has the highest water dependency on Springs (84%).
- ✦ Awareness activities are organized quarterly to bring awareness amongst people about the declining standards of water quality as well as overexploitation of Naulas and Dharas.
- ✦ No information is currently available on the annual change of Ground water level in the district.

Artificial Recharge of Groundwater

The geographical area of the district is divided into units like high relief glaciated area, Structural hills, Denudational hills, dissected fans, River terraces and flood plains. Major part of the hilly area has a slope more than 20%. the slope of this magnitude makes the area unsuitable for groundwater development due to low groundwater potential. In this region the groundwater mainly manifests in the form of springs and occurs under unconfined conditions and the water table follows the topography. However, there is some scope of artificial recharge in the district as mentioned in (Table 35).



Handwritten signature/initials.

Table 35. Scope of Artificial recharge in Chamoli district

District	Area (km ²)	Area identified for AR (Artificial recharge) (km ²)	Volume of unsaturated zone (MCM)	Available sub-surface space for AR (MCM)	Water required for artificial recharge (MCM)	Surplus available for recharge (MCM)
Chamoli	7520	1880	3760	564	750	4703

The major part of the district is hilly with localized small valleys through which the entire runoff passes. Major part of the rainfall is lost as surface runoff. Apart from this the small rivers, nullas also act as carriers for base flow & spring water. In spite of good rainfall there is acute shortage of water especially during the summer. The state government is constructing infrastructure for artificial recharge of groundwater to mitigate acute shortage of water. The number of artificial structures constructed proposed and their estimated cost is mentioned in (Table 36 and 37).

Table 36. Artificial Recharge and RTRWH Structure constructed in Chamoli under catchment area conservation Program (CACMP)

District	Number of structures					Total cost (in lakhs)					Total cost (in lakhs)
	CD	CK	RTRWH	PT	CT	CD	CK	RTRWH	PT	CT	
Chamoli	0	0	50	0	1000	0	0	17.5	0	1	18.5

CT-Contour Trench, CK- Chul Khal, RTRWH- Rooftop Rain Water Harvesting, CD- Check Dam, PT- Percolation Tank, NA- Data Not Available

Table 37. Artificial recharge and cost estimate in Chamoli

District	Structures proposed					Unit cost estimate (in lakhs)					Total cost (in lakhs)					Total cost (in lakhs)
	RTRWH	CD	PT	CK	CT	RTRWH	CD	PT	CK	CT	RTRWH	CD	PT	CK	CT	
Chamoli	375	275	100	250	300	0.5	0.3	0.07	0.15	0.015	187.5	82.5	7	37.5	2.5	322

CT-Contour Trench, CK- Chul Khal, RTRWH- Rooftop rainwater harvesting, CD- Check Dam, PT- Percolation Tank, NA- Data not available



ILLEGAL SAND MINING

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 has empowered state governments to make rules to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals. However, still large numbers of illegal mining cases are registered in the country and in some cases; many of the officers even lost their lives while executing their duties to curb illegal mining. Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) put forward the sustainable sand management guidelines (SSMG) 2016, which focus on the management of sand mining in India, but there is a need to revamp the existing system for effective enforcement of regulatory provisions and their monitoring. Recently, in 2020, new set of guidelines have been put forward by (MoEF&CC) in 2020, which focuses on the effective monitoring of sand mining *(from the identification of sand mineral sources to its dispatch and end-use by consumers and general public)* and uniform protocol for the whole country. Also, states are advised to conduct river audits and monitoring of mining activities with night vision drones and other modern surveillance equipment.

Sand being an important economic resource and the second most used mineral after water is one of the main ingredients of concrete and mortar. Besides its economic importance, it also constitutes an important abiotic component in the aquatic ecosystem like rivers. As our country has seen robust growth in the infrastructure sector in the recent decade the demand for sand increased by manifolds. Further, with the announcement of the national infrastructure pipeline project, the demand for sand is going to increase exponentially in the near future. In recent years, Uttarakhand has also seen an increase in riverbed quarrying operations. With the establishment of the stone crusher industry especially in the southern Terai and Bhabar region of the state, the scale and intensity of RBM (Riverbed Minerals) excavation has further increased in the past few decades. Uncontrolled and illegal mining of river bed minerals like sand has led to the loss of revenue to the state, degradation of aquatic and riparian habitat *(through large changes in the channel morphology)* and geology of adjoining groundwater systems.

Current Standpoints Regarding Mining Activities in the district

River bed mining and Soapstone mining are prevalent in the district. Two mining sites are operational and both of them are authorised by the concerned department. However, some cases of illegal mining have been registered related to river bed mining for which penalties are charged (Table 46). *None* the mining sites are meeting environment clearance conditions and assent from UKPCB (Table 4).



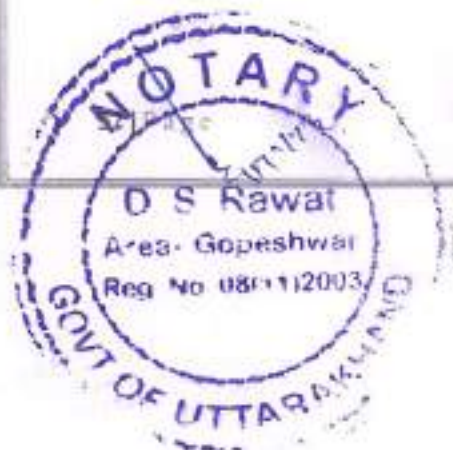
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. K." or similar.

Table 46. Prevalent Mining Activities

Parameter	Outcome			
Total Area of District (km ²)	8030			
Area Covered under Mining (km ²)	0.15662			
Type of Mining Activity	<i>Mining activity</i>	<i>Legal/Illegal</i>	<i>Area under mining (km²)</i>	<i>Revenue</i>
	River Bed Material	Legal	0.00375	829168 (In the financial year 2020-21)
	Soapstone	Legal	0.15287	300000 (In the financial year 2020-21)
Penalties charges for illegal sand mining activities	<i>Type of Mineral</i>		<i>Total no of cases registered</i>	
	River Bed Material		20	
	Soapstone		00	
Number of mining sites operational	02			
Number of sites where permission for mining is given to the district authority by the environmental ministry	02			
Action against illegal mining activities in the district (in the financial year 2020-21)	<i>Amount received from the penalties charged for illegal mining</i>		<i>Amount received from the penalties charged for illegal storage & transportation of minerals</i>	
	11,29,168		26,76,923	

Table 47. Compliance with environmental standards

Parameter	Outcome
Mining areas meeting Environmental Clearance Conditions	02
Mining areas meeting consent conditions of UKPCB	02
Mining operations were suspended for violations of environmental norms	Nil
Pollutions related complaints against Mining operations in past one year	Nil



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. S.' or similar, located below the notary stamp.

REJUVENATION OF WATER BODIES

Most of India's major water resources (*underground waterways, lakes, rivers and reservoirs*) have to depend on monsoon rains to replenish/recover them. Nearly 600 million Indians faced high to extreme water stress and about 2 lakh people died every year due to inadequate access to safe water. The NITI Aayog in 2018 released the results of a study warning that India is facing its "worst water crisis" in history and that demand for potable water will outstrip supply by 2030, if concrete steps are not taken. If matters are to continue, there will be a 6% loss in the country's GDP by 2050. Due the high amount of water extraction and mismanagement of water resources are causing drought and sudden flood in several part of our country. Rejuvenation of water bodies also play a vital role to improve the water quality and storage of surface runoff water. For these reasons we must need to store, manage and rejuvenate the existing water bodies. We can use several government policies/Schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Atal Bhujal Mission etc. to restore and rejuvenate the water bodies. The Water Stress Index 2019 by London-based Verisk Maplecroft ranks India as the 46th highest risk country (*Verisk Maplecroft 2019*). India is also 13th on the Aqueduct's Water Risk atlas and listed as one of the world's "extremely water-stressed countries" (*World Resources Institute 2019*).

Rejuvenation works in Chamoli district

Rainwater harvesting and augmentation works such as construction of water tank, pirul check dam and contour trench are prevalent in Chamoli district. These works are performed specifically in forest areas (Reserved forests and Civil/Forest panchayat).

Mission Mothugad

General Information

Ramganga River is a major river in the Gairsain development block of district Chamoli. It is the main tributary of Ramganga which originates from Dudhatoli which is 2800 meters above sea level. The Ramganga River, which originates in the form of a small drain, takes the form of a river only after meeting Mothugad. The total catchment area of this river is 76. 56 km². About 40% of the catchment area of the Mothugad River is reserved forest

Mothugad River Rejuvenation Program

In the past years, the water level of Mothugad decreased significantly which lead to existential crisis for the river. Due to timely intervention from multiple departments, Mothugad River Rejuvenation program was undertaken to revive the flow of the river. Under this, catchment area of the river has been divided into 12 recharge zones to improve the health of river and to mitigate water-related risks (Table 4).



Table 48. Identified Recharge zone and their area

Recharge zone	Area (ha)
Chorarakhal	305.9
Devdhar recharge	283.5
Dewali khal	348.3
Dudhatoli	571.9
Gairsain	262.6
Ghandiyal khal	294.6
Himwalghat Gad	383.7
Kudiyabagar	430.9
Musa ka kotha	458.8
Nanda devi	470.5
Silkot	263.5
Parwari	448.7

Works to be carried out under this Project

Forestry and engineering measures are proposed to revive the flow of the river as well as to maintain the riverine ecology. These are as follows:

1. Infiltration Holes
2. Infiltration trenches
3. Biological check dams
4. Dry stone masonry checks dams
5. Afforestation
6. Chal-khal & Jalkund



PLASTIC WASTE MANAGEMENT

Plastic waste is defined as the accumulation of plastic objects (e.g. Plastic bottles, bags etc.) in the environment that adversely affects the Wildlife and Humans. Its broad range of application is in packaging films, wrapping materials, shopping and garbage bags, fluid containers, clothing, toys, household and industrial products, building materials, etc. The ongoing pandemic has caused a rapid growth in the generation of plastic waste for the medical, packaging and other services (like PPE kit, gloves, face shield, packaged food, etc.).

Plastic products have become an integral part in our daily life pertaining to the fact that its production has crossed 150 million tons per year globally (CPCB, 2013). India generates 15 million tons of plastic waste every year but only one fourth is recycled due to lack of a functioning solid waste management system. This leads to burden on the landfills and poor socio-economic conditions of the waste pickers, mostly women (UNDP, 2018-2024).

India is committed to take action for mitigation of pollution caused by littered single use plastics. In the 4th United Nations Environment Assembly held in 2019, India has piloted a resolution on addressing single-use plastic products pollution, recognizing the urgent need for global community to focus on this very important issue. The adoption of this resolution at UNEP was a significant step.

Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021

Keeping in view the adverse impacts of littered plastic on both terrestrial and aquatic ecosystems, the MOEF&CC has notified the Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021, which prohibits identified single use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022. Salient features of this amendment are as follows:

- The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022.
- In order to stop littering due to light weight plastic carry bags, with effect from 30th September, 2021, the thickness of plastic carry bags has been increase from 50 microns to 75 microns and to 125 microns with effect from 31st December, 2022. This will allow reuse of plastic carry due to increase in thickness.
- The plastic packaging waste, which is not covered under the phase out of identified single use plastic items, shall be collected and managed in an environmentally sustainable way through Extended Producer's Responsibility of the Producer, Importer and Brand Owner (PIBO). For



34

effective implementation of Extended Producer Responsibility, the guidelines for extended producer responsibility being brought out have been given legal force through Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021.

- The State government and concerned Central Ministries and associated departments have also been requested to develop a comprehensive Action plan for elimination of single use plastics and effective implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016 and its execution in a time bound manner.
- Directions under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986, have been issued to all state for setting up for institutional mechanism for strengthening enforcement of Plastic Waste Management rules, 2016.

Current Status Regarding Plastic Waste Management in the urban areas of the district

Due to increased awareness among the natives and efficient waste management of the municipal bodies of the district, the amount of plastic waste generation is not so high. Plastic waste generation is maximum in Nagar Palika Parishad Joshimath and least in Nagar panchayat Gauchar (Table 49). Almost all the ULBs are trying to implement integrated solid waste management that includes operations from collection to recycling of the plastic waste (Table 50). Some of the ULBs are also lacking in the necessary infrastructure required for the management of plastic waste. (Table 51).

Table 49. Inventory of Plastic Waste Generation

Name of Urban Local Body	Population (2011 census)	Number of Wards	Estimated Quantity of Plastic Waste Generated (MT/Day)
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	21447	11	0.03
Nagar Palika Parishad Gauchar	8864	7	0.015
Nagar Palika Parishad Joshimath	16709	9	0.09
Nagar Palika Parishad Karanprayag	9850	7	0.08
Nagar Panchayat Badrinath	2438	4	0.05
Nagar Panchayat Gairsain	8665	7	0.035
Nagar Panchayat Pokhari	5295	7	0.05
Nagar Panchayat Thrali	4649	4	0.07
Nagar Panchayat Pipalkoti	3521	4	0.03
Nagar Panchayat Lohildewari	1641	4	0.04



Table 50. Plastic Waste Management Operations

Waste management Operations	Outcome	
Door to Door Collection	All the ULBs except Gopeshwar, Gauchar and Joshimath have 100 percent coverage for door-to-door collection.	
Segregated Waste Collection (Single used plastic, Recyclable plastic, etc.)	ULB	Segregation (%)
	Nagar Palika Parishad Gopeshwar	75
	Nagar Palika Parishad Gauchar	75
	Nagar Palika Parishad Joshimath	90
	Nagar Palika Parishad Karanprayag	85
	Nagar Panchayat Badrinath	70
	Nagar Panchayat Gairuain	40
	Nagar Panchayat Pokhari	90
	Nagar Panchayat Thruli	85
	Nagar Panchayat Pipalkoti	85
	Nagar Panchayat Nandprayag	90
Material Recovery Facility (MRF) operation	No ULB in the district have a Material Recovery Facility	
Linkage with Public Relation Officers (PROs) of producers	No ULB in the district has linkage with Public Relation Officers (PROs) of producers.	
Involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs)/ private agencies	Only Nagar Palika Parishad Karanprayag is taking the assistance of a private firm (i.e. Green Energies private limited).	
Authorization and issuance of Identity cards to Waste Pickers/Sanitation workers	ULB	Numbers
	Nagar Palika Parishad Gopeshwar	91
	Nagar Palika Parishad Gauchar	21
	Nagar Palika Parishad Joshimath	61
	Nagar Palika Parishad Karanprayag	42
	Nagar Panchayat Badrinath	26
	Nagar Panchayat Gairuain	17
	Nagar Panchayat Pokhari	14
	Nagar Panchayat Thruli	17
	Nagar Panchayat Pipalkoti	16
	Nagar Panchayat Nandprayag	16



Table 51. Present infrastructure for plastic waste management operations

Name of ULB	Inventory of infrastructure available for plastic waste management operation				
	Plastic Waste collection centres	Availability of plastic compacter	Linkage with Plastic waste Recyclers	Material recovery Facility (Available/Not Available)	Remarks
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	10	Available	Established	Not Available	Nagar Palika has earned 15 lakhs so far by selling the waste to the recyclers.
Nagar Palika Parishad Gauchar	16*	Available	Established	Not Available	ULB is declared as bin free city in January 2021.
Nagar Palika Parishad Joshimath	03*	Available	Established	Not Available	Nagar Palika has earned 62 lakhs so far by selling the waste to the recyclers.
Nagar Palika Parishad Karanprayag	08	Available	Established	Not Available	Nagar Palika has earned 14 lakhs so far by selling the waste to the recyclers.
Nagar Panchayat Badrinath	40*	Not Available	Established	Not Available	ULB is declared as bin free city in April 2021.
Nagar Panchayat Gairsain	60	Available	Established	Not Available	-
Nagar Panchayat Pokhari	20	Available	Established	Not Available	Nagar Palika has earned 80,000 so far by selling the waste to the recyclers.
Nagar Panchayat Thrall	40	Not Available	Not Established	Not Available	-
Nagar Panchayat Pipalkoti	06*	Not Available	Not Established	Not Available	ULB is declared as bin free city in June 2021.
Nagar Panchayat Nandprayag	25	Available	Established	NA	-

* Liter bin of capacity lesser than 50 litres are provided within ULB to collect plastic waste.

* Secondary storage bins

* Plastic waste is sold to local rag pickers which are authorized by the ULB.

58/B-58



Gaps identified in the management of plastic waste in the district

Plastic waste management is also an important part of the solid waste management system. So, the shortcomings in the management of plastic waste are more or less similar as specified in section of solid waste management. As segregation, collection, compaction and linkage with authorised recyclers are some of the necessary aspects in the management of plastic waste and all the ULBs are somehow lagging in one or more of these aspects. Also, no system is there in the rural areas of the district for the management of plastic or any other kind of waste.

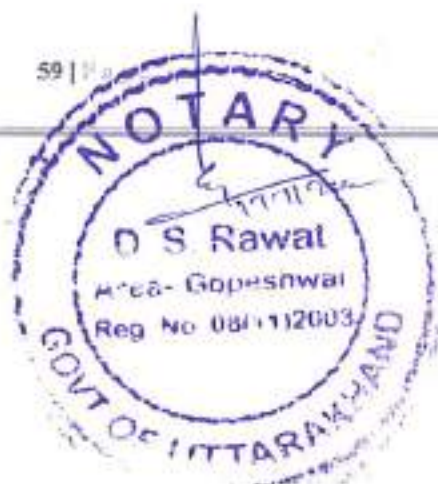
Estimated Future Population and Plastic Waste Generation in Chamoli District

Plastic waste in India has increased steadily over the past 50 years. It is expected to double over the next 20 years. Its growth rate in India is considered to be the highest in the world.

Projecting waste quantities in coming future is a difficult task. It is because of its changing composition over the seasons and periods due to ever changing dietary habits, economic conditions of the people and pandemic situation like COVID-19 in the concerned region. Crop harvesting season with adequate availability of a variety of food also affect the plastic generation. Lower is the level of economic development, greater will be the change between plastic waste generation and disposal. Moreover, COVID-19 like pandemic situation also caused remarkably plastic waste generation for creating medical tools and devices. These could be syringes, insulin pens, intravenous line (IV), surgical gloves, catheters, inflatable splits, etc.

Census population data for the year 2001 and 2011 is taken for population forecast. Decadal population and subsequent waste forecasts is done based on following presumptions:

- Arithmetic increase method is used for the decadal population forecast, hence the rate of change of population with time is assumed constant.
- The per capita generation of plastic waste was estimated to be 11 kg/annum (Centre for Science and Environment, 2019).
- It is assumed that 70% of the total plastic waste consumed is discarded as waste (CPCB, 2013).
- 16 % yearly growth in per capita plastic waste consumption has been taken keeping in mind the changing waste paradigm and floating population. (Centre for Science and Environment, 2019)



A handwritten signature in blue ink, possibly reading "RSC", located in the bottom right corner of the page.

This analysis included population and waste generation estimations for only urban local bodies and did not include peri-urban and rural areas (Table 52 and 53).

Table 52. Projected Population and Waste Generation

ULB	Projected Population			Present/Projected Waste Generation (MTPD)		
	2021	2031	2041	2021	2031	2041
Gopeshwar NPP	23061	24675	26289	0.03	0.08	0.23
Gauchar NPP	10425	11986	13547	0.02	0.04	0.13
Joshimath NPP	20214	23719	27224	0.09	0.27	0.82
Karanprayag NPP	12723	15596	18469	0.08	0.25	0.79
Badrinath NP	3194	3950	4706	0.05	0.16	0.50
Gairsain NP	11816	14967	18118	0.04	0.12	0.36
Pokhari NP	6400	7505	8610	0.05	0.15	0.45
Tharali NP	5341	6033	6725	0.07	0.21	0.60
Pipalkoti NP	4178	4835	5492	0.03	0.09	0.27
Nandprayag NP	1578	1515	1452	0.04	0.10	0.25
Total				0.49	1.48	4.39

Table 53. Decadal Change in plastic waste Generation

Name of ULB	Rate of growth % (2021-2031)	Rate of growth % (2031-2041)
Gopeshwar NPP	17.82	17.70
Gauchar NPP	19.89	19.39
Joshimath NPP	20.51	19.84
Karanprayag NPP	21.87	20.79
Badrinath NP	22.15	20.98
Gairsain NP	22.93	21.47
Pokhari NP	20.49	19.83
Tharali NP	19.37	18.98
Pipalkoti NP	20.09	19.53
Nandprayag NP	14.96	14.92



Handwritten signature in blue ink.

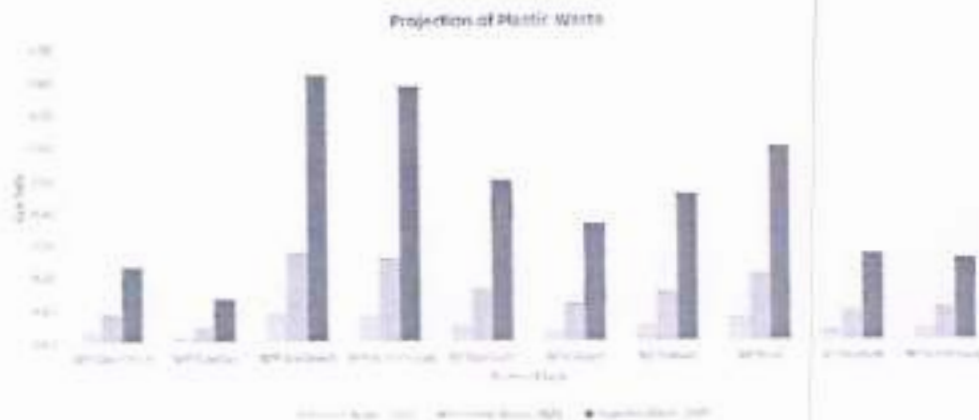


Fig. 6. Projected plastic waste generation in Chamoli district

Inferences drawn from the projected data

- Total plastic waste generation in all the urban local bodies is likely to increase by 1-5 MTPD in the coming decades.
- Maximum growth is liked to occur in Nagar Panchayat Gairsain due to sharp population growth in the ULB.
- Huge Pilgrim influx adds to the overall waste generation in the district. Plastic waste could be one of the largest contributor and will alter the waste composition.



ASSESSMENT OF URBAN LOCAL BODIES IN CHAMOLI DISTRICT

In order to push the Urban Local bodies to adopt effective waste management, an assessment of their waste management operations has been carried out (Table 54 and 55). The main objective of this assessment is to let ULBs know their present status regarding various waste management operations in Solid waste management, bio-medical waste management, C&D waste management etc. Based on the adopted methodology, few inferences have been drawn to let administration know about their performance in various indicators.

Table 54. Assessment of Urban local bodies in Chamoli district

Indicators	Maximum Points	Urban Local Body					
		NPP Gopeshwar	NPP Gauchar	NPP Joshimath	NPP Karnprayag	NP Badrinath	NP Gairsain
Solid Waste Management							
Segregation	4	3	3	3	3	3	2
Collection	4	3	3	3	4	4	4
Segregated Waste Transport	4	1	1	1	1	1	1
Wet Waste Processing	2	2	2	2	2	2	2
Dry Waste Processing	4	2	2	2	2	2	2
Disposal	2	1	1	1	1	1	0
Inclusion of Informal Sector	1	0	0	0	1	0	0
Bio-medical waste Management							
Linkage with CBWTF (Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility)	1	0	0	0	0	0	0
Hazardous Waste Management							
Linkage with TSD (Treatment, Storage and Disposal Facilities)	1	0	0	0	0	0	0
C&D Waste management							
C&D Waste	1	0	0	0	0	0	0



[Signature]

<i>E-Waste Management</i>							
E-waste Collection and Linkage with Recyclers	2	0	0	1	1	0	0
<i>General Information</i>							
Innovation and use of indigenous Techniques	2	0	1	1	0	1	0
Enforcement of By-laws and Waste Management Rules, 2016	2	2	2	2	1	2	1
Total	30	14	15	16	16	16	12

Continue.....

Indicators	Maximum Points	Urban Local Body			
		NN Pokhari	NN Tharali	NPP Pipalkoti	NPP Nandprayag
Solid Waste Management					
Segregation	4	3	3	3	3
Collection	4	4	4	4	4
Segregated Waste Transport	4	1	1	1	1
Wet Waste Processing	2	2	2	2	2
Dry Waste Processing	4	2	0	0	2
Disposal	2	0	1	1	1
Inclusion of Informal Sector	1	0	0	0	0
Bio-medical waste Management					
Linkage with CBWTF(Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility)	1	0	0	0	0
Hazardous Waste Management					
Linkage with TSDF (Treatment, Storage and Disposal Facilities)	1	0	0	0	0
C&D Waste management					
C&D Waste Processing	1	0	0	0	0
E-Waste Management					



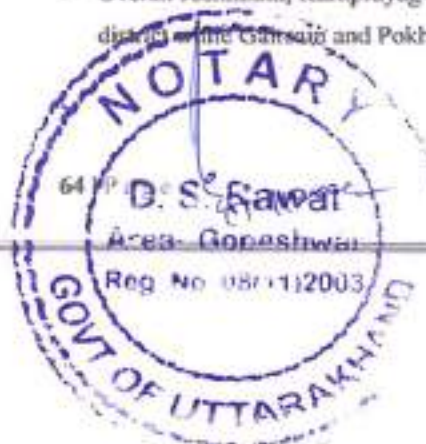
E-waste Collection and Linkage with Recyclers	2	0	0	0	0
<i>General Information</i>					
Innovation and use of indigenous Techniques	2	0	0	1	0
Enforcement of By-laws and Waste Management Rules, 2016	2	0	2	2	1
Total	30	12	13	14	14

Table 55. Final Assessment of Urban Local bodies of Chamoli District

Name of ULB	Score (out of 30)	Score Percentage (%)
Nagar Palika Parishad Gopeshwar	14	46.67
Nagar Palika Parishad Gauchar	15	50
Nagar Palika Parishad Joshimath	16	53.34
Nagar Palika Parishad Karanprayag	16	53.34
Nagar Panchayat Badrinath	16	53.34
Nagar Panchayat Gairsain	12	40
Nagar Panchayat Pokhari	12	40
Nagar Panchayat Tharali	13	43.34
Nagar Panchayat Pipalkoti	14	46.67
Nagar Panchayat Nandprayag	14	46.67

Observations from data assessment

- All the ULBs are lagging behind when it comes to segregation of waste at the household level. Some ULBs such as Gopeshwar, Gauchar and Joshimath have inadequate door to door collection of the waste. However, it is quite satisfactory in other ULBs of the district.
- None of the ULB is having an operational material recovery facility for the segregation of collected waste.
- In Gairsain and Pokhari trenching ground is not available for the disposal of inert waste. Some ULBs such as Tharali and Pipalkoti have not established linkage with authorised recyclers.
- None of the Urban Local Bodies has linkage with Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBWTF) and Treatment Storage and Disposal facility (TSDF) for the disposal of municipal sanitary waste and domestic hazardous waste respectively.
- Overall Joshimath, Karanprayag and Badrinath are performing better among all the ULBs of the district while Gairsain and Pokhari need to revamp their waste management operations.



ACTION PLAN



Ge

Action Plan for Solid Waste Management

Chamoli district is still lacking scientific management of dry waste. Unavailability of any material recovery facility has further exaggerated the issue. Most of the ULBs have their DPR approved to buy equipment's and machinery for scientific waste management operations. It is expected that the district would be able to scientifically manage its waste in a decadal timeline. The current action points must be addressed in a timeframe of 5-10 years considering the financial constraints (Table 56).

Focus Areas

- Scientific recovery and disposal of waste.

Table 56. Action plan for solid waste management

Action areas	Concerning ULB	Strategy/Approach	Stakeholder Responsible	Purpose
Primary Segregation (Segregation at Source)	All ULBs	• Separate Storage Bins. • Regular awareness campaigns • Man power Management. • Behavioural change Communication techniques. • Promoting Home composting for wet waste.	Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat Residents and NGOs	• Higher Recovery of Recyclables. - Hygienic environment for handling of waste.
Door to Door Collection	NPP Gopeshwar, NPP Gauchar, NPP Joshimath	• Training waste pickers. • Providing equipment, infrastructure and management support.	Nagar Palika Parishad	• To counter the Monkey menace in local dump sites and secondary storage bins. • To limit the open dumping of waste • To formulate Sustainable waste management model.
Segregated Waste Transport	All ULBs	• Optimizing Waste Management Infrastructure (Collection trucks, trolleys). • Man power optimization at Recovery facility.	Nagar Palika / Nagar Panchayat	• To reduce open dumping of waste. • Reduction of Historical waste. • To reduce contamination of ground water.



				Redaction of transportation charges.
Linkage with Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) and Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBMWTF)	All ULBs	• Separate bins for sanitary and domestic hazardous waste. • Linkage with nearby TSDF and CBMWTF	Nagar Palika/Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat	Segregation and proper disposal of Municipal sanitary waste and domestic hazardous waste.
Linkage with authorised recyclers		Either the local scrap pickers can be authorised or direct linkage could be established with any recycling unit.	Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat	• To reduce open dumping of waste. - To insure proper recycling of the waste.
Cluster based Approach to Solid waste management	All ULBs	• By merging schemes from Central and state government department with Rurban Mission of Ministry of Rural development	District Administration District Panchayati Raj Officer (DPRO)	• To club the villages in peri-urban areas of the town with the nearby solid waste management facility for effective waste management in rural areas. • To execute Rurban mission of Government of India.
Community participation for waste management	All ULBs	• Information, Education and Communication (IEC) activities in Educational institutions. • IPC (Inter-personal communication): School children and Sanitation workers to spread awareness amongst people regarding waste management.	District Administration	• Social and Behavioural Change Communication Cleanliness drive campaigns throughout the district



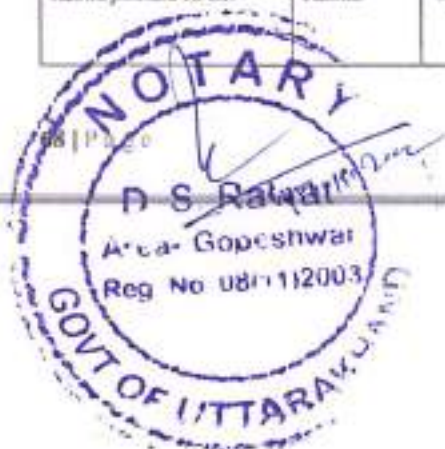
Establishment of Green Protocol	All ULBs	By encouraging Green protocol in local schools, public functions, IEC campaigns, sports events, annual temple festivals and other gatherings.	District Administration	- To prevent use of disposables and using alternatives like glass/Stainless steel etc. - To bring generation of non-biodegradable waste close to zero.
---------------------------------	----------	---	-------------------------	---

Phytoremediation as a mitigation measure (For treatment of Solid waste)

Natural or planted vegetation on a landfill has an important role in erosion control and removal of contaminants, besides imparting aesthetic value. Moreover, it may also be used in leachate treatment. Phytoremediation is a promising, plant-based technology in which the plants and their associated microbes are utilized to absorb and clean up environmental contamination through engineered constructed systems. The ultimate aim is to either remove the pollutant from the contaminated media or to alter the chemical and physical nature of the contaminant so that it eliminates the risk to human health and the environment. Several plants are being identified to be used in phytoremediation task (Table 57).

Table 57. Suggested vegetation for reclaiming landfill sites in the district Uttarakashi

Botanical Name	Local and English Name	Altitude (m)	Life form	Assimilating capacity	References
<i>Quercus leucotrichophora</i> A. Camus	Banj oak	1200-2400	Tree	Microbial biodegradation, binding, holding soils, and/or decreased leaching	Momakshy et al, 1981
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Kachnar	1250-1800	Tree	Absorbs Zn, Hg, As, Pb, Cu and Cd from wastewater	Das, 1981
<i>Bauhinia acuminata</i> L.	Kachnar	1150-1500	Tree	conversion of Hg to volatile chemical from groundwater	Chaphekar, et al., 1980
<i>Adina cordifolia</i> (Roxb.) Hook. f. ex Brandis	Haldu	Upto-1500	Tree	conversion of Se and Hg to volatile chemical from groundwater	Prajapati, 2012
<i>Berberis aristata</i> DC.	Kingort	1350-2000	Shrub	Metals, radionuclides, hydrophobic organics	Das, 1981
<i>Berberis asiatica</i> Roxb. ex DC.	Kilmora	1650-2400	Shrub	Adsorb' all the dissolved gases	Das, 1981
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon	Duhla, Doob	700-2500	Herb	Absorbs Arsenic and Fluoride from wastewater	Chaphekar, et al., 1980
<i>Azolla pinnata</i> R. Br.	Azolla	400-2200	Herb	Ceetrol the Hg, and Cd from wastewater also known as bio-fertilizer	Rai, 2008



Handwritten signature or initials in blue ink.

Action Plan for Rural Waste Management in India

The Government of India as well as state government is looking up at every Gram Panchayats (GPs) to come up with a working system to manage solid waste. At the moment there are Gram Panchayats in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat and Chhattisgarh which have created a robust and sustainable system to manage solid waste.

Presently in Chamoli district, the amount of solid waste generation from rural areas is unaccounted due to lack of waste management facilities and awareness. Some of the policies are propagated by both Central and State government to come up with an array of practicable models for solid waste management in rural areas (Table 58).

Table 58. Policies undertaken for rural waste management in India

Current Policy	Sponsoring agency	Remarks
Decentralized Waste Management	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	Decentralized systems such as household compost and biogas plants shall be encouraged.
Community Sanitary Complex(CSCs)	Under Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G)	Such complexes comprise an appropriate number of toilet seats, bathing cubicles etc. <i>(Only where there is a lack of space in the village for the construction of household toilets).</i>
Cluster Approach to Solid Waste Management	Rurban Mission of Ministry of Rural Development	It aims at developing infrastructure and livelihood opportunities in a cluster of Gram panchayats that demonstrate economic growth potentials.
Community Participation through IEC(Information, Education and Communication) Activities	National Institute of Rural Development and Panchayati Raj	All the stakeholders need to plan for a series of IEC campaigns to educate the residents on how proper segregation at the household levels eases the entire process of managing waste at subsequent stages.



Action Plan for Bio-Medical Waste

There is no proper system for the scientific disposal of biomedical waste in the Chamoli district. Healthcare facilities and ULBs have no linkage with any common bio-medical waste treatment facilities. Due to this, proper segregation and disposal of biomedical waste seems difficult. The district should collect biomedical waste by connecting all health-related facilities by cluster based approach. This action plan provides a holistic approach which includes governance, infrastructure, training and vaccination, services, etc. for proper management of biomedical waste in near future (Table 59).

Focus Areas

- Pre segregation at healthcare facilities
- Streamlining domestic households waste in biomedical waste management
- Centralized collection of biomedical waste.

Table 59. Action plan for bio-medical waste

Action Areas	Purpose	Stakeholders
Governance		
Periodic inspection of Health-care Facilities (HCFs) by Uttarakhand state Pollution control board (UKPCB).	To ensure proper segregation of Biomedical waste as per Biomedical waste management rules, 2016.	Uttarakhand state Pollution control board
Linkage of ULBs with (Common Biomedical waste treatment facility (CBWTF).	To ensure segregation of Biomedical waste from Municipal solid waste and thus its proper disposal as per Biomedical waste management rules, 2016.	All ULBs
Infrastructure		
Construction and maintenance of Biomedical waste collection shed at district level HCFs and CHCs.	To ensure proper segregation of Biomedical waste into different categories as specified under Biomedical waste management rules, 2016.	Health Department
Installation of effluent treatment plants in district level HCFs and CHCs.	To ensure disposal of liquid effluent generated in the HCFs.	Health Department
Training and Immunisation		
State level and District level orientation programs for healthcare workers to sensitize them about effective Biomedical waste management.	To ensure proper handling and segregation of biomedical waste in HCFs	Health department
• Setting up of Biomedical Waste Database at State level (specifically for primary health-care facilities) • Training on Biomedical Waste Management Information System	To keep records of biomedical waste generated in every HCF of the district (especially in PHCs at rural areas).	Health department



(BMWIS)) to all data entry operators and pharmacists.		
Immunisation (Tetanus and complete doses of Hepatitis-B) of all hospital staff involved in Biomedical waste management.	To avoid any kind of infection while handling Biomedical waste.	Health department
Services		
Establishing bins and bags at each generation points in HCFs with IEC posters displayed.	- To ensure segregation at each generation point and avoid mixing with MSW. - To spread awareness amongst the people related to biomedical waste management.	Health department
Timely replacement of bags, BMW transfer to collection shed and then prompt lifting to biomedical waste treatment facility from the shed.	To ensure timely disposal of biomedical waste.	Health Department and Uttarakhand state Pollution control board (UKPCB).
Bar code system for tracking bags and containers and use of GPS enabled systems in transportation vehicles.	To ensure tracking of biomedical waste collection, Transportation, disposal and recycling as specified under Biomedical waste management rules, 2016.	Health Department and Uttarakhand state Pollution control board (UKPCB).
Information		
Development of an IT-enabled data management system to keep inventory of waste collection, consumables supply, training programs etc. in HCFs (including PHCs in the district)	To ensure transparency in the biomedical waste management system up to primary level.	Health Department
Display details of authorisation, treatment, annual report of all Health-care facilities (HCFs) on website.	To make the information open source and ensure transparency.	Health Department and Uttarakhand state Pollution control board (UKPCB).



Action Plan for C&D Waste Management

The amount of construction and demolition waste in the Chamoli district is currently minimal. But due to the development of Char Dham All Weather Road and Rail Project, the overall construction work is escalating. Therefore, the amount of construction and demolition waste will increase exponentially in the district. Hence it is important to make dumping zones as well as treatment facilities for construction and demolition waste management. Separate dumping zones needs to be defined by the government organization in charge of construction of road and rail projects in the district. This action plan (Table 60) provides a sustainable approach to the management of C&D waste in compliance with the latest C&D Waste Management Rules 2016.

Focus Areas

- Establishment of dumping zones for C&D waste in ULBs and peri-urban areas
- Framing of by-laws

Table 60. Action plan for C&D waste management

Action Point	Strategy/Approach	Stakeholder Responsible	Purpose
Setting up of C&D waste dumping Site for local construction activities and road construction debris.	- Establishment of dumping zone such that it also caters for C&D waste of Peri-urban areas nearby villages. - Proper collection and transportation systems should be set up to aid processing. Illegal dumping practices must be discouraged due to penalties on open dumping. - Establishment of dumping zone in district road, village road,	- All ULBs and District Panchayati Raj officer (DPRO) - Public Works Department (PWD)	To ensure compliance with C&D Waste Management Rules 2016.
Framing by-laws for C&D waste management.	- By-laws should be framed by each ULBs and DPRO as per C&D waste management rule for proper disposal of C&D waste in the district. - Provision of heavy fines should be done under these by-laws for illegal dumping of demolition waste such as excavated earth material on the banks of river or on the hill slopes.	- All ULBs and District Panchayati Raj officer (DPRO) - Public Works Department (PWD)	To ensure compliance with C&D Waste Management Rules 2016.



Management of C&D waste.	- Managing C&D waste separately from municipal solid waste. - Enhancing awareness and incentivization for efficient C&D waste handling and processing.	- All ULBs and District Panchayati Raj officer (DPRO) - Public Works Department (PWD)	To ensure that C&D waste comes to the recycling plants as segregated input, and the recycled products are picked up for use in construction.
Plantation in old dump sites.	Plantation at old dumping zone should be done with the help of community participation to stabilize the slope over there.	- All ULBs and District Panchayati Raj officer (DPRO) - Public Works Department (PWD)	Established the slope at old dumping zones.



Action Plan for Hazardous Waste

At present, the number of industries generating hazardous waste is very less in the district, however it has been inventoried to some extent. Hazardous waste is not yet streamlined in waste management operations of Chamoli district. But its quantity may increase in future. The district also does not have any treatment, storage, and disposal facilities for the management of hazardous waste. This action plan provides some key areas in which the district needs to work to achieve effective hazardous waste management complying with latest hazardous waste management rules, 2016 (Table 61).

Focus Areas

- *Inventorization of hazardous waste from industries and domestic households.*
- *Linkage of ULBs with TSDF.*

Table 61. Action plan for hazardous waste

Action Point	Strategy/Approach	Stakeholder Responsible	Purpose
Linkage of ULBs with common Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDF) or disposal facility	All the ULBs of the district should establish linkage with nearby common TSDF or disposal facility to ensure proper disposal of hazardous waste to avoid its dumping in the landfill site. One Collection facility should be setup in the district to collect domestic hazardous waste from the rural areas of the district.	All ULBs & District Panchayat Raj officer (DPRO)	To ensure segregation of domestic hazardous waste from municipal solid waste and its proper disposal.
Training of sanitation workers regarding segregation of domestic hazardous waste	Training programme should be organised at state/district level for handling and segregation of domestic hazardous waste so that sanitation workers should not catch any kind of infection during its handling and its proper segregation could be possible.	State government and District Administration	To ensure segregation of domestic hazardous waste from municipal solid waste
IT enabled systems for inventorization of the hazardous waste in	State pollution control board should inventories the generation, collection, and disposal of both domestic and industrial hazardous waste on its website so that complete transparency is maintained in the management of hazardous waste in the district.	State pollution control board	To ensure compliance to Hazardous waste management rule 2016.



Action Plan for E-Waste

E-waste cannot be quantified in the district due to a lack of basic waste management functions. This may be due to a lack of awareness among people about e-waste as well as a lack of concern by the district administration. There is a need to streamline e-waste in the current waste management operations, besides a comprehensive framework should be developed for its management. This action plan discusses the key areas where interventions are required to achieve effective waste management in compliance with the E-Waste Management Rules, 2016 (Table 62).

Focus Areas

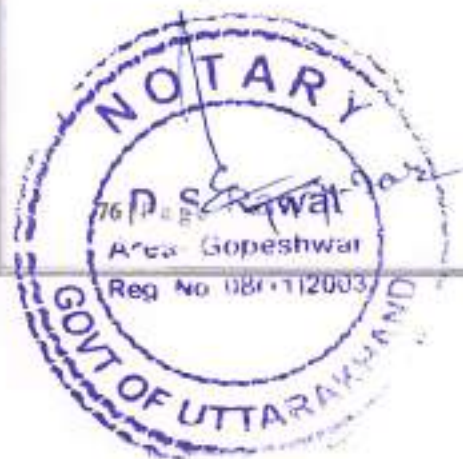
- *Inventorization of e-waste generated.*
- *Establishment of e-waste Collection Centres*
- *Authorization of e-waste pickers*

Table 62. Action plan for E-waste

Action Point	Strategy/Approach	Stakeholder Responsible	Purpose
Establishing E-waste Collection Centres.	- Collection centre should be established for all ULBs in such a way that they could also cater the collection from nearby rural areas. - A Toll Free Number must be issued for the collection of E-waste	All ULBs	- To ensure proper segregation of E-waste from municipal solid waste - Capacity building of stakeholders to promote effective E-waste management.
Authorization of E-Waste Pickers	Authorization of E-waste pickers should be done by district administration and urban local bodies. For that, Identity cards should be issued to them.	District administration and ULBs	To avoid illegal trading and processing of e-waste.
Linkage of ULBs with authorized recyclers/ Dismantlers	All the ULBs in the district should establish linkage with any of the five authorized E-waste recyclers.	All ULBs	To ensure proper recycling if possible and if not then proper disposal as per E-waste management rule 2016.
District level Awareness campaign	- Promoting Information, Education and Communication (IEC) activities in educational institutions (Schools, Colleges etc.) - Promoting Awareness programmes under Digital India Initiative (Initiated by Ministry of Electronics and Information Technology) about alternate methods of disposing E-waste.	District administration	Promoting behavioural change in public.



Extended Producer Responsibility	• Random sampling of electrical and electronic equipment's placed on market to monitor and verify the compliance of <i>Restriction of Hazardous Substances (RoHS)</i> provisions as per the guidelines of <i>Central Pollution Control Board (CPCB)</i> • "E-waste Return" Programme should be initiated to incentivize people and bring about behaviour change	State government	• Proper Collection and Disposal of E-waste • Channelization of e-waste generated from the "end-of-life" products to ensure environmentally sound management
----------------------------------	---	------------------	--



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Action Plan for Waste Water Management (STPs)

Under the Namami Gange Project, several STPs have been constructed with limited capacity. Other ULBs still rely on conventional treatment of wastewater which has become obsolete and leads to environmental degradation. However, some policies have been implemented in the district to improve

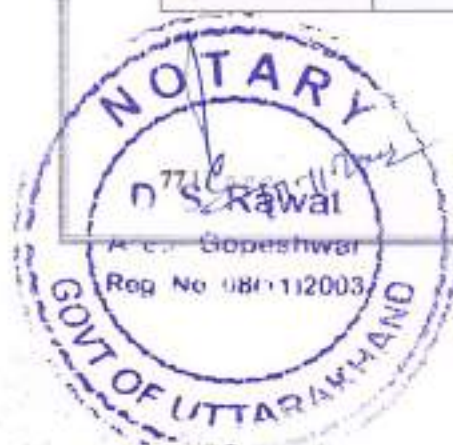
Focus Areas

- Laying of sewer lines
- Reconnaissance survey to find out appropriate sewage management technique for a region.

liquid waste management in the district. This action plan focuses on addressing the concerns of each ULB regarding the policies and designs accepted by the respective administrations (Table 63).

Table 63. Action plan for waste water management

Action areas	Concerning ULB	Strategy/Approach	Stakeholder Responsible
Upgradation of Sewer Network	• Gopeshwar • Joshimath • Karnprayag • Badrinath • Nandprayag	• Reconnaissance survey of rest of the ULB. • Preparation of estimation for the required sewer network to receive the financial grant from the government. • If off-site sanitation is not financially viable then septage management is also one of the possible options by upgrading the existing STPs for co-treatment.	Jal Nigam/Jal Sansthan
Continuous Effluent Monitoring station	• Gopeshwar • Joshimath • Karnprayag • Badrinath • Nandprayag	• Self-monitoring mechanism in the form of Online Continuous effluent monitoring system.	• Jal Sansthan • State Pollution control board
Decentralized waste water management under Atal mission for Rejuvenation and Urban transformation (AMRUT) by Faecal Sludge and Septage Management system (FSSM)	• Gauchar, • Gairsain • Pokhari • Tharali • Pipalkoti	• In line with National FSSM policy, each state is expected to develop and issue an FSSM implementation strategy and plan guideline. This may be integrated with overall city land use planning. • Capacity building and training on FSSM (at City level) to build their personnel capacities and organizational systems for delivery of sanitation services.	Ministry of Housing and Urban development Government of India



City Sanitation Plan under National Urban Sanitation policy	All ULBs	- Enhance synergy among municipal government agencies, the private sector, NGOs and others. - Increase funding from sources other than municipal government (such as from the national and provincial governments, donor agencies, the private sector)	Ministry of Housing and Urban Development, Government of India
---	----------	---	--

Phytoremediation as a mitigation Measure (for domestic waste water)

With removal of some biotic and abiotic pollutants (by absorbing these pollutants), certain plants, can help in the natural treatment of domestic waste water (Table 64).

Table 64. Mitigation Measure for domestic waste water.

Botanical name	Local name	Remarks
<i>Jacaranda mimosaefolia</i>	Jacaranda	Antimicrobial action against E.coli and Staph bacteria
<i>Salix babylonica</i>	Willow	Improve the quality of ground water by absorbing ammonical nitrogen and heavy metals
<i>Canna spp.</i>	Canna	Used for removal of ammonical nitrogen from sewage
<i>Azolla pinnata</i>	Azolla	Used for cleaning of sewage and degrades diesel fuel and absorbs mercury and cadmium
<i>Typha domingensis</i>	Southern Cattail	Reduces bacteria from water and absorbs Al, Fe and Zn from Sewage.

Action Plan for Water Resources Management and Ground Water Extraction/Contamination

Water Resources and Groundwater management requires an integrated approach from different departments such as the District administration, Panchayati Raj, Jal Sansthan, Jal Nigam, Payjal Nigam, Forest Department etc. Each department is expected to work in tandem with each other to achieve effective management of resources, be it land or water.

Focus Areas

- Watershed and spring shed management
- Water quality monitoring and maintenance of environment flow

Channel discharges in the drainage basin of numerous river, Hence, groundwater and surface water sources remains replenished throughout the year. It becomes important to maintain the riverine



ecology so that water quality and discharge are maintained as per the standards. EIA assessment of hydropower projects needs to be rigorous in which ecological imperatives should be considered. This action plan focuses on the areas, which form the prerequisite for effective water resource management. Each action point is in compliance with the guidelines under Water (prevention and control of pollution act, 1974), (Amendment) Rules 2021 of water resource management act, 1986. The current action points must be addressed in a timeframe of 5-10 year considering the financial constraints (Table 65 and 66).

Table 65. Water Resources management

Action Point	Strategy/Approach	Purpose
Integrated water resources management (IWRM) at River basin level	By Considering basin/sub basin as a basic unit for planning and management.	To achieve water security for all purposes ,managing risks and to mitigate disasters
River Basin Master Plan	By analysing River Basin Characteristics	Periodic review of hydrological conditions prevailing over a basin Identification of protected areas
Mapping of water scarce areas in a district	• By using modern mapping tools such as Geographical Information System (GIS) and Remote sensing • By setting up an interdisciplinary framework consisting of Local institution and empowered government agency	• To get estimate of vulnerable areas in the district.
Assessment of water Resources in various river basin	Using Modern technology and Hydrological modelling	To collect reliable data To assess water resources potential and analysing water requirements for various uses,



Public Awareness and use of Low Cost technologies	Using field application methods such as Drip irrigation/micro sprinkler irrigation systems in water scarce areas. This can be achieved by bringing government subsidies in this area as the local people needs incentives to up bring this modern technology.	For better water application efficiency
Integrated Rural area Programme (IRAP)	By bringing together all the programmes of different ministries as well as rural employment and development programme into one for effective collaboration and planning.	• For constant interactive relationships between different departments - Location specific programmes can be drawn up locally under this overall programme.

Table 66. Ground water management

Action Point	Strategy/Approach	Purpose
Multidisciplinary Approach (Nexus between groundwater, agricultural policy, urban infrastructure and energy consumption)	By integrated vision and coordination amongst different departments.	For groundwater sustainability
Mapping of aquifer at micro level	By Maintaining an Aquifer information and Management system	• To quantify the available ground water resources - To formulate plan appropriate to the scale of demands and aquifer characteristics.
Artificial recharge of Ground water	• By demarcating groundwater recharge zones by identifying critical natural recharge areas of an aquifer and those areas that require special attention with regard to recharge of groundwater. • By using broad leaf plants to improve the moisture content in the soil and thereby increasing the groundwater level and water holding capacity of soil. • Improving the scale of work done through various schemes such as MNREGA which will help develop indigenous recharge methods (such as Chal-khal).	• To ensure sustainability of ground water resources • To ensure the quality of recharge to prevent possible contamination
Identification of Non-point sources of Pollution (Pollution)	• Controlling soil erosion by planting more trees and covering bare soil with vegetation.	• Non-point source pollution is a leading cause of deteriorating water quality as when the runoff moves, it



[Handwritten signature]

resulting from land runoff, precipitation, drainage, seepage, etc).	• Constructing wetlands.	picks up and carries away natural and human-made pollutants, finally depositing them in lakes, rivers and groundwater.
Mitigating Groundwater Contamination	• Reducing the use of pesticides and fertilizers. • Encouraging organic farming in the area by organising various Information, Education and Communication (IEC) campaigns.	• To ensure the ground water quality of an area. • To reduce health hazards caused due to contaminated water.

ACTION PLAN MINING ACTIVITY MANAGEMENT PLAN

River bed mining is prevalent in Chamoli district owing to the flood plains of major rivers. Environment impact assessment must be rigorous to maintain

Focus Areas

- Association of different departments in curbing illegal mining
- Advanced surveillance techniques
- Digitisation of trading process

ecological balance in the site and its periphery. The action plan provided below mainly emphasize on areas, which includes monitoring of the mining operation by using the latest technologies as per the sustainable sand mining guidelines 2016 (Table 69)

Table 69. Mining activity management plan

Action Areas	Strategies/Approach	Stakeholders	Purpose
Monitoring of mining activity	• A district-level task force should be formed to monitor mining activities and to conduct river audits and surveillance. • For the rivers marking the boundaries with other districts, a combined task force should be formed to monitor mining activity in the river.	District Administration	To ensure sustainable mining activity within the district.
System for online purchase and sale of Sand and other RBMs	An online system should be made at the state or district level for e-auctioning the mines to ensure transparency in the system.	State Government and District Administration	To ensure compliance to Enforcement and Monitoring guidelines for Sand mining, 2020.
Identification of hotspots for illegal mining	The district task force should identify the possible hotspots for illegal mining through surveillance and patrolling.	District Administration	To have check on the mining activities in the district.



Community participation	A toll-free number must be issued for citizens in the district to register any complaint against any illegal mining practices as identified by them in their vicinity	District Administration	• To understand local community's willingness in curbing illegal mining from the area. To have local check on the illegal mining activities in the district.
-------------------------	---	-------------------------	--



Action Plan for Rejuvenation of Waterbodies

Mission Mothugad has been undertaken in the district to revive the flow of Mothugad River. Several works have been started under the project by intervention of different departments. Some technological interventions are desired in this project to reap maximum benefit. This action plan provides a holistic approach, which includes scientific interventions as well as convergence activities for rejuvenation of water bodies (Table 70).

Table 70. Action Plan for Rejuvenation of water bodies

Action Point	Strategy/Approach	Purpose
River Catchment/Basin Management	Participatory and self-management institutional framework for administering the catchment with a combination of engineering, social and scientific management.	- Reducing levels of potential contaminants in raw water. - Distribution of water and prioritization of water uses under stressed conditions.
Plantation in Flood plain zones (FPZ)	Vegetation that acts as natural resistant to soil disturbances and standing water must be encouraged.	- To reduce shoreline erosion - Particular type of plants acts as natural barriers to dissipate waves and back-lying areas from flooding.
Prohibition of disposal of municipal plastic waste and Biomedical waste (specially in flood plain zones)	- Awareness and behavioural change activities. - Provisions of heavy fine for those found throwing garbage in rivers.	- To maintain ecological balance of the water body - To prevent pollution activities nearby river basin.
Spring-shed and Stream shed management	- By constructing loose boulder, check dams. - Encouraging IEC (Information, Education and Communication) activities in local institutions (schools, colleges etc.)	- To improve water resource sustainability - To enhance water discharge from springs and rivers
Convergence Activities	By making use of social media platforms.	Ensuring Community participation

*Key points for the action areas in this thematic are influenced by rejuvenation activities carried out for Kosi river (Bihar), Bilela river (Kashipur) and Deval River (Tehri Garhwal)



Action Plan for Plastic Waste Management

Plastic waste causes a plethora of problems when it leaks into the environment. Stranded single use plastics create visual pollution. There is evidence that the toxic chemicals added during the manufacture of plastic, transfers to animal tissue, eventually entering the human food chain. Moreover, by clogging sewers and providing breeding grounds for mosquitoes and pests, plastic bags can increase the transmission of vector-borne diseases like malaria, cholera.

Focus Areas

- Collection centres in rural areas.
- Formalisation of waste pickers

Plastic waste generation in the district is not much as compared to the urban local bodies of other district. This could be due to awareness amongst households. However, Chamoli district witness huge influx of tourist throughout the year, hence floating waste and littering needs to be streamlined in the existing waste management operations. The current policies and legislation against use of plastic in fragile Himalayan ecosystem needs revamp as most of the policies are plain centric. However, some basic action areas like source segregation, effective collection and transport requires urgent redressal. Each action point complies with the guidelines of Plastic Waste Management rules, 2016. The current action points must be addressed in a timeframe of 5-10 years considering the financial constraints (Table 71).

Table 71. Action Plan for Plastic waste management

Action Point	Strategy/Approach	Stakeholder Responsible	Purpose
Source segregation	• ULBs should distribute separate bins to households, street vendors and other shopkeepers. • Distribution of separate bins to every households and shopkeepers in rural areas under Swachh Bharat Mission Gramin should be ensured. • Mass awareness programmes regarding source segregation with the inclusion of institutions such as schools and colleges.	All ULBs, District Panchayati raj Officer (DPRO), Village Panchayats	• To ensure better efficiency in waste processing • Higher recovery of resources.
Effective Collection and segregated waste transport	• Training waste pickers and providing them proper equipment suitable as per the topography of the area for door to door collection in urban areas. • Establishing plastic waste collection centres in rural areas where door to door collection is not possible. • Provision of separate vehicles is done for dry and wet waste to ensure utilisation of manpower.	All ULBs, District Panchayati Raj Officer (DPRO), Village Panchayats	• To reduce open dumping of waste • To reduce monkey menace (which is a huge issue in the urban areas of the state) • To ensure optimum utilisation of manpower



	• ULBs can establish linkage with the NGOs working in this field for effective waste collection in the urban areas.		To ensure compliance with plastic waste management rules 2016
Linkage of ULBs & other collection centres with recyclers/ cement plants / Public Works Department	• Plastic waste collection centre to be started in rural areas should also be linked with recyclers. • Plastic waste can be used in road construction for this; ULBs should coordinate with the construction agencies such as Public Works Department.	All ULBs, DPRO (District Panchayat Officer),	• To avoid open dumping of plastic waste. • To ensure reuse and recycle of plastic waste.
Implementation of extended producer responsibility (EPR) through producer/Brand owner	ULBs can ask the manufacturers collectively or individually in line with the principle of extended producer responsibility (EPR) to provide the required finance to establish plastic waste collection centres.	All ULBs	To reduce the workload of ULBs
Community participation for waste management	• Information, Education and Communication (IEC) activities in Educational institutions. • Inter-personal communication (IPC): School children and Sanitation workers to spread awareness amongst people regarding waste management	District Administration	Social and Behavioural Change Communication (Cleanliness drive campaigns throughout the district)
Establishment of Green Protocol	By encouraging Green protocol in local schools, public functions, IEC campaigns, sports events, annual temple festivals and other gatherings.	District Administration	• To prevent use of disposables and using alternatives like glass/Stainless steel etc. • To bring generation of non-biodegradable waste close to zero.



25476

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
गोपेश्वर।



Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Gopeshwar-246401

Email : <pmganga.gc@gmail.com>

पत्रांक 1601/जी-4/158	दि 25/10/2023	प्रेषण का माध्यम	ई-मेल	डाक द्वारा
-----------------------	---------------	------------------	-------	------------

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर-धमोली।

विषय:-

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014, (C.W.P. No 3772/1985) (I.A. no 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 में प्रतिशपथ पत्र तैयार करते हुए प्रतिशपथ-पत्र अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी महोदय की ओर से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दाखिल किए जाते संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2114/29-3 (3), दिनांक गोपेश्वर 16.10.2023 के अनुपालन में इस इकाई द्वारा जनपद धमोली में अलकनन्दा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिये किये गये कार्यों की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

पृ0सं0 एवं दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, धमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

परियोजना प्रबन्धक

परियोजना प्रबन्धक



जल संरक्षण-जीवन सचय "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये"
प्राकृतिक स्रोतों - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

(Signature)

25477

377

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मोपेश्वर।

एसटीपी का विवरण

क्र.सं.	नगर/ब्लॉक का नाम	योजना का नाम	नगर में निर्मित एसटीपी	नगर में कवरिज लाईन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	वदीनाथ	वदीनाथ आई० एण्ड डी० विद् एसटीपी योजना	एसटीपी - (1.00 एम०एल०डी०) निकट रामणी झूला पुल एसटीपी - (0.01 एम०एल०डी०) मन्दिर की नीचे	0.270 कि०मी०	एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
2	जोशीमठ	जोशीमठ आई० एण्ड डी० विद् एसटीपी योजना	एसटीपी 1- (2.70 एम०एल०डी०) मारवाडी एसटीपी 2- (1.08 एम०एल०डी०) पोखरी	2.10 कि०मी०	एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गान्धिका) उत्तराखण्ड पेयजल निगम हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है। एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
3	बगौली-मोपेश्वर	बगौली-मोपेश्वर आई० एण्ड डी० विद् एसटीपी योजना	एसटीपी 1- (0.76 एम०एल०डी०) गहनदा शोलम बगौली एसटीपी 2- (1.19 एम०एल०डी०) विवेकानन्द कालोनी मोपेश्वर एसटीपी 3- (1.25 एम०एल०डी०) पोखरी बैण्ड मोपेश्वर एसटीपी 4- (1.12 एम०एल०डी०) दीनदयाल उपाध्याय पार्क मोपेश्वर एसटीपी 5- (0.05 एम०एल०डी०) पुराना झूला पुल बगौली	1.046 कि०मी०	एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
4	नन्दप्रयाग	नन्दप्रयाग आई० एण्ड डी० विद् एसटीपी योजना	एसटीपी 1 एवं 3- (0.10 एम०एल०डी०) फेरिस्ट नाला एसटीपी 1- (0.05 एम०एल०डी०) संगम नाला	0.45 कि०मी०	एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
5	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग आई० एण्ड डी० विद् एसटीपी योजना	एसटीपी 1- (0.05 एम०एल०डी०) पुलिस चौकी एसटीपी 3- (0.05 एम०एल०डी०) शुभाष नगर एसटीपी 2- (0.10 एम०एल०डी०) पुराना पुल एसटीपी 4- (0.05 एम०एल०डी०) बी०आर०ओ० पुल एसटीपी 5- (0.10 एम०एल०डी०) वाई नं० 1	1.225 कि०मी०	एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। एसटीपी का अनुसंधान एवं रखरखाव निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गान्धिका) उत्तराखण्ड पेयजल निगम हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है।

25478

378

आई० एण्ड डी० कार्यों का विवरण

क्र०सं०	नगरों के नाम	योजना का नाम	नगर में बिछाई गई सीलर लकीन
1	2	3	4
1	बदीनाथ	बदीनाथ आई० एण्ड डी० योजना	5.115 कि०मी०
2	जोशीमठ	जोशीमठ आई० एण्ड डी० योजना	14.64 कि०मी०
3	समोली-गोपेश्वर	समोली-गोपेश्वर आई० एण्ड डी० योजना	24.23 कि०मी०

mohar
परियोजना प्रबंधक



25479

Annexure-2-107

379

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग - गोपेश्वर।

सदस्य सयोजक-जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली।

विषय:-

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014, (C.W.P) no 3772/1985 (I.A.no 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05-09-2023 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या -6911/इक्कीस -एलबीसी-1 /2022-23 दिनांक 18 सितम्बर 2023 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 2114/29.3(31) दिनांक 16 अक्टूबर /2023 के अनुपालन में स्थानीय निकाय जनपद चमोली द्वारा नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु सॉलिड वेस्ट मनेजमेंट की आख्या तैयार कर संलग्न प्रेषित की जा रही है।

अतः स्थानीय निकाय जनपद चमोली की सॉलिड वेस्ट मनेजमेंट रूल 2016 की अनुपालन आख्या 01 अप्रैल, 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक की आख्या स्वीकार करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

बैजी. नं. 3028
काइत है 29-3(3)
दिनांक 23/10/2023
प्रमाण - बद्रीनाथ वन प्रभाग

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चमोली-गोपेश्वर।



(Signature)

1. डोर टू डोर कलेक्शन: स्थानीय निकाय जनपद चमोली के अन्तर्गत 10 नगर निकाय हैं जिनमें वर्तमान समय में पर्यावरण मित्रों तथा आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार से डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।

क्र. स.	निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	वार्ड के अन्तर्गत दुकान व संस्थाओं सहित कुल घरों की संख्या	डोर-टू डोर कलेक्शन की संख्या	गत माह तक डोर टू डोर कलेक्शन से अर्जित आय	माह में डोर टू डोर कलेक्शन से प्राप्त आय	कुल अर्जित आय
1	चमोली-गोपेश्वर	11	6469	6025	378785	35880	414665
2	जोशीमठ	9	4439	4244	914445	305920	1220365
3	कर्णप्रयाग	7	2776	2776	1620685	18200	1638885
4	गौचर	7	3250	3250	1171776	25696	1197472
5	पीपलकोटी	4	1187	1187	134880	32000	166880
6	नन्दप्रयाग	4	597	597	2666602	0	2666602
7	बद्रीनाथ	4	1166	1166	73710	24600	98310
8	थराली	4	1306	1306	2200	2300	4500
9	गैरसैण	7	1365	1365	54350	4000	58830
10	पोखरी	7	1770	1596	210050	2100	212150
	योग	64	24325	23512	7227483	450696	7678659

2. स्थानीय निकाय जनपद चमोली के सभी 10 निकायों के अन्तर्गत नालों पैदल मार्गों, मोटर मार्गों व नालियों व सार्वजनिक स्थलों पर नियमित रूप से सफाई की जाती है तथा बाजारों में दो पालियों सुबह व सांय में सफाई की जाती है।
3. सभी स्थानीय निकाय जनपद चमोली द्वारा सार्वजनिक स्थानों से बड़े बिनो को हटाकर नगर को दिन छी निकाय घोषित कर लिया गया है।



अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चमोली-गोपेश्वर

4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन / प्लास्टिक प्रबन्धन हेतु वाहनों का विवरण:- स्थानीय निकाय जनपद चमोली में उत्पन्न कूड़े पर्यावरण मित्रों के माध्यम से खपरा, बैल्चा फाउंडा, हाथ गाडी, बैगों तथा जैविक - अजैविक कूड़ेदानों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को कम्पाट-युक्त वाहनों के माध्यम से द्वितीयक संग्रहण स्थल, व एमआरएफ सैन्टर्स में भेजा जाता है। वाहनों का प्रबन्धन निम्नवत है। वाहनों की निगरानी प्रभारी सफाई निरीक्षकों के माध्यम से की जाती है।

क्र. स.	निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	कुल उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा टी0पी0डी0	डोर टू डोर कलैक्शन हेतु निकाय में वर्तमान में उपलब्ध अलग - अलग कंपार्टमेंट युक्त वाहनों की संख्या	डोर टू डोर कलैक्शन हेतु निकाय में वर्तमान में उपलब्ध अलग - अलग कंपार्टमेंट विहीन वाहनों की संख्या	डोर टू डोर कलैक्शन हेतु निकाय में वर्तमान में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या	डोर टू डोर कलैक्शन हेतु निकाय में वर्तमान में उपलब्ध GPS युक्त कुल वाहनों की संख्या
1	चमोली-गोपेश्वर	11	5	4	5	9	9
2	जोशीमठ	9	3.2	1	6	7	7
3	कर्णप्रयाग	7	2.2	2	2	4	4
4	गौचर	7	4.2	1	3	4	0
5	पीपलकोटी	4	1.2	1	1	2	0
6	नन्दप्रयाग	4	0.5	2	1	3	1
7	बद्रीनाथ	4	0.6	3	0	3	3
8	थराली	4	0.5	2	1	3	3
9	गैरसैण	7	1.2	1	1	2	0
10	पोखरी	7	2.0	1	1	1	1
		64	20.6	21	21	38	28

5. एमआरएफ सैन्टर्स में कूड़े का पृथक्कीकरण कर जैविक / गीले कूड़े को नाडा पिटो व बायो कम्पोस्ट बिनों के माध्यम से त्रैमासिक खाद तैयार की जाती है तैयार खाद का अधिकतम उपयोग निकाय के पार्कों तथा वन क्षेत्रों में किया जाता है।



अधिसारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चमोली-गोपेश्वर

6. एमआरएफ सैन्ट्रों में पृथक्कीकृत प्लास्टिक को कम्पैक्ट मशीन के माध्यम से कम्पैक्ट कर रिसाइकलर को विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निकायों द्वारा प्लास्टिक कूड़े से विक्रय आय निम्न प्रकार से है।

कॉम्पैक्टर मशीन से तैयार प्लास्टिक कॉम्पैक्टर एवं उससे प्राप्त आय का विवरण।

क. सं.	निकाय का नाम	गत माह तक कम्पैक्ट किये गये प्लास्टिक की मात्रा किग्रा०	माह में कम्पैक्ट किये गये प्लास्टिक की मात्रा किग्रा०	कुल कम्पैक्ट किये गये प्लास्टिक की मात्रा किग्रा०	गत माह तक कम्पैक्ट किये गये प्लास्टिक को विक्रय कर प्राप्त आय रु० में	माह में कम्पैक्ट किये गये प्लास्टिक को विक्रय कर प्राप्त आय रु० में	कुल कम्पैक्ट किये गये प्लास्टिक को विक्रय कर प्राप्त आय रु० में
01	02	03	04	05	06	07	08
1	चमोली-गोपेश्वर	214141	4481	25895	175614	52928	228542
2	जोशीमठ	200929	0	200929	2411826	0	2411826
3	कर्णप्रयाग	117900	4900	122800	1818291	53809	1872100
4	गौचर	126997	4458	131455	807973	47000	854973
5	पीपलकोटी	0	0	0	0	0	0
6	नन्दप्रयाग	295	200	495	30000	0	30000
7	बद्रीनाथ	54461.6	19596	74057.6	457638	134767	128422
8	थराली	0	300	300	0	29400	29400
9	गैरसैण	4149	2890	7039	62848	65574	128422
10	पोखरी	45056	800	45856	334399	0	334399
	कुल	571201.6	37625	608826.6	6098589	383478	6482067



4
जिला अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चमोली-गोपेश्वर

7 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनोंक 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना संख्या:- सा0का0नि057(अ) के माध्यम से स्थानीय निकाय जनपद चमोली में विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनोंक 30.06.2022 से पूर्णतय प्रतिबन्धित है। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत समय-समय पर प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध गठित संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूल कर लिया जाता है।

एंटी लिटरिंग एण्ड एंटी स्पिटिंग एक्ट के तहत किये गये चालानों एवं उससे प्राप्त आय का विवरण।

क्र. सं.	निकाय का नाम	गत माह तक किये गये चालानों की संख्या	माह में किये गये चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	गत माह तक प्राप्त धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	कुल प्राप्त आय।
01	चमोली-गोपेश्वर	41	9	50	32700	2700	34800
2	जोशीमठ	69	0	69	55700	0	55700
3	कर्णप्रयाग	61	6	67	51200	6000	57200
4	गौचर	185	10	195	48900	2000	50900
5	पीपलकोटी	23	0	23	28850		28850
6	नन्दप्रयाग	17	3	20	18600	1500	20100
7	बद्रीनाथ	141	26	167	61250	14500	75750
8	थराली	3	2	5	1500	1000	2500
9	गैरसैण	48	0	48	15400	0	15400
10	पोखरी	38	2	40	8300	300	8600
	कुल	626	58	684	322400	28000	349800



अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चमोली-गोपेश्वर

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम-2013 की धारा 3 की उपधारा (1) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत किये गये चालानों की संख्या व उससे प्राप्त आय का विवरण।

क्र. सं.	निकाय का नाम	गत माह तक किये गये चालानों की संख्या	माह में किये गये चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	गत माह तक प्राप्त धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	कुल प्राप्त आय।
1	चमोली-गोपेश्वर	46	2	48	17700	400	18100
2	जोशीमठ	27	0	27	25100	0	25100
3	कर्णप्रयाग	26	4	30	46100	2000	48100
4	गौचर	58	2	60	20800	1000	21800
5	पीपलकोटी	32	4	36	29250	3700	32950
6	नन्दप्रयाग	78	2	80	35800	2000	37800
7	बद्रीनाथ	6	1	7	8500	1000	9500
8	थराली	0	2	2	0	1000	1000
9	गैरसेण	77	1	78	29900	500	30400
10	पोखरी	63	2	65	29700	200	29900
	कुल	413	20	433	242850	11800	254650



अभिशासी अधिकारी
बनार पालिका परिषद
चमोली-गोपेश्वर

25485

Annexure-Z-(08)

385

कार्यालय- श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति, श्री बदरीनाथ धाम।

पत्रांक-606 /या0व्या0/2023-24

दिनांक- 22.10.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

बदरीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर/

सदस्य संयोजक-जिला गंगा संरक्षण समिति जिला चमोली।

विषय :- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014, (C.W.P. no 3772/1985) (I.A. no 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05-09.2023 में प्रतिशपथ पत्र तैयार करते हुए प्रतिशपथ-पत्र अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी महोदय की ओर से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्र 2197/29-3(3) दिनांक, गोपेश्वर, 20 अक्टूबर, 2023।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के क्रम में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति से सम्बन्धित आख्या निम्नवत् है :-

1. अलंकन्दा बेसिन माणा एवं बदरीनाथ से गन्दगी एवं कूड़े के निस्तारण से सम्बन्धित कार्य हेतु नमामि गंगे परियोजना, नगर पंचायत, सिंचाई विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा किया जाता है, मन्दिर समिति द्वारा धाम में स्थित अपने विश्रामगृहों, आवासीय परिसरों की जल-मल निकासी व्यवस्था मानकों के अनुरूप अन्य विभागों के सहयोग से की जाती है।
2. श्री बदरीनाथ मन्दिर व उसका परिक्षेत्र मन्दिर के अधीन है, जिसकी निरन्तर सफाई व्यवस्था एवं कूड़ा निस्तारण हेतु मन्दिर समिति की ओर 22 सफाई कार्मिक तैनात किये गये हैं, इनके द्वारा एकत्रित कूड़े को गनी बैगो में भरकर नगर पंचायत बदरीनाथ के कूड़ा निस्तारण वाहन तक पहुँचाया जाता है। सम्पूर्ण सफाई, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को सतत् रूप से यात्राकाल के दौरान बनाये रखने के लिये मन्दिर समिति की ओर से एक नोडल अधिकारी की तैनाती भी की गयी है।
3. यात्रियों द्वारा मन्दिर में चढ़ाये गये फूल, तुलसीमाला आदि पत्रों के निस्तारण के लिये मन्दिर समिति द्वारा Phoolcom कम्पनी के साथ एक M.O.U. भी गठित किया गया है। कम्पनी की ओर से 02 कार्मिक मन्दिर परिसर में तैनात हैं, जो कि फूल तुलसीमाला आदि के कूड़े को गनी बैग में भरकर ले जाते हैं। कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वे इस बचे हुये फूल, तुलसी पत्रों से धूप अगरबत्ती आदि तैयार करते हैं।



4. श्री बदरीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को मन्दिर समिति की ओर से सफाई रखने व धाम में गन्दगी न फैलाने हेतु सतत् रूप से ध्वनियंत्रों के माध्यम से लगातार उद्बोधन द्वारा जागरूक किया जाता है।
5. मन्दिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न स्थानों पर साईनेज स्थापित कर "आस्था संदेश" लिखे गये हैं, जिसमें उनसे कूड़े को निर्धारित कूड़े दान में डालने, गन्दगी व कूड़े को अलकन्दा नदी में प्रवाहित न करने का अनुरोध किया जाता है।

अतः अनुपालन आख्या प्रस्तुत है।

शुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न :-

1. मन्दिर समिति के श्री बदरीनाथ धाम में तैनात सफाई कार्मिकों की सूची।
2. कूड़ा निस्तारित करते सफाई कार्मिकों की फोटोग्राफ।
3. साईनेज के द्वारा आस्था संदेश प्रसारण की फोटोग्राफ।


प्रभारी अधिकारी

श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति।

प्रतिलिपि: - श्रीमान् मुख्य कार्याधिकारी महोदय, श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति को सादर सूचनार्थ।




प्रभारी अधिकारी

श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति।



संलग्न - ①

25487

3871

श्री बदरीनाथ धाम में तैनात स्वच्छकों की सूची

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1	श्री वीरू लाल	हैड स्वच्छक	सफाई कार्मिकों पर नियंत्रण
2	श्री रघुवीर लाल	स्वच्छक	टी०टी०डी० व नारायण सदन
3	श्री मुन्ना लाल	स्वच्छक	मा० अध्यक्ष जी० आवास
4	श्री विजय पाल	स्वच्छक	02 नम्बर गेट, कार्यालय, हॉल
5	श्री धमेन्द्र	सी० स्वच्छक	गाँधीघाट
6	श्री प्रकाश	सी० स्वच्छक	नीलकण्ठ धर्मशाला
7	श्री राकेश	सी० स्वच्छक	गाँधीघाट से बह्मकपाल
8	श्री राजे	सी० स्वच्छक	गाँधीघाट से बह्मकपाल
9	श्री सोमवीर	स्थिर वेतन स्वच्छक	मन्दिर चौक से तप्तकुण्ड
10	श्री ओमप्रकाश	स्थिर वेतन स्वच्छक	02 नम्बर गेट से सिंहद्वार
11	श्री अमित (प्रथम)	यात्राकालीन स्वच्छक	03 नम्बर गेट
12	श्री सुरेन्द्र	यात्राकालीन स्वच्छक	दर्शन लाइन
13	श्री राकेश	यात्राकालीन स्वच्छक	कर्मचारी आवास, शंकराचार्य
14	श्रीमती लक्ष्मी देवी	यात्राकालीन स्वच्छिका	बद्रीश सदन
15	श्री रोनी	यात्राकालीन स्वच्छक	03 नम्बर गेट खोली
16	श्री मिथुन	यात्राकालीन स्वच्छक	03 नम्बर गेट खोली
17	श्रीमती सविता	यात्राकालीन स्वच्छिका	तप्तकुण्ड मन्दिर आने वाली सीढ़ी
18	श्री अमित (द्वितीय)	यात्राकालीन स्वच्छक	पित्ती भवन, चांद
19	श्री मीनू	यात्राकालीन स्वच्छक	दर्शन लाइन
20	श्री जितेन्द्र कुमार	यात्राकालीन स्वच्छक	दर्शन लाइन
21	श्री सोनू	यात्राकालीन स्वच्छक	शकुन्तला भवन
22	श्री विशाल	यात्राकालीन स्वच्छक	वी०वी०आई०पी० कार्यालय



स्वच्छता, नोडल अधिकारी
श्री बदरीनाथ मन्दिर



NOTARY
D S Rawal
Area- Gopeshwar
Reg No 08/112003
GOVT OF UTTARAKHAND

Handwritten signature

25489-25

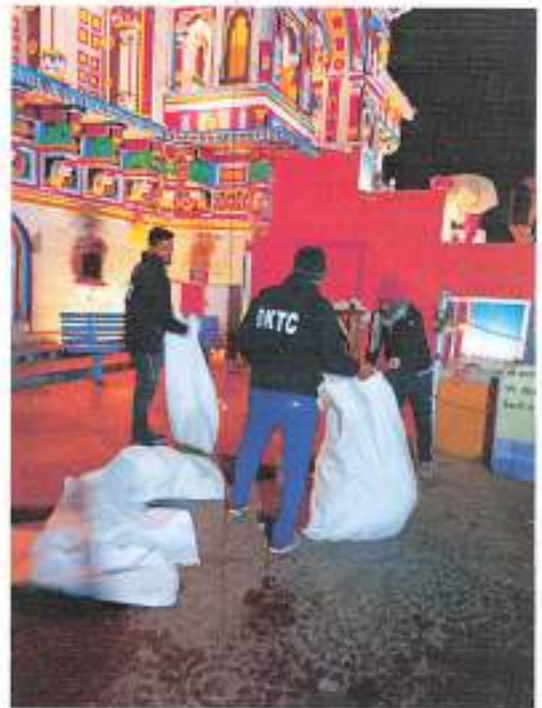
25489

388



NOTARY
D S Rawal
Area- Gopeshwar
Reg No 08/11/2003
GOVT OF UTTARAKHAND

Handwritten signature in blue ink.





(Handwritten signature)

25492

Annexure-2-(09)

391

कार्यालय उपजिलाधिकारी जोशीमठ जनपद-चमोली।
[मूलेख अधिष्ठान-जोशीमठ]

दस्तावेजसंख्या: 01389-222109

E Mail-sdmjoshimath2015@gmail.com

संख्या - 64- / 20का0 -मा0एन0जी0टी0 प्रकरण / 2023-2024

दिनांक: जोशीमठ 08 नवम्बर 2023

सेवा में

प्रमाणित कर्ताधिकारी

बद्रीनाथ दन प्रमाण गोपेश्वर।

संख्या - 64

/ 20का0 -मा0एन0जी0टी0 प्रकरण / 2023-2024

दिनांक: जोशीमठ 08 नवम्बर 2023

विषय-

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014(C.W.P no 3772/1985) (I.A.no 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या-522/इक्कीस-एल0बी0सी0-1/2022-2023 दिनांक 02 नवम्बर 2023 के अनुसार मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014(C.W.P no 3772/1985) (I.A.no 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के प्रस्ताव-07 के बिन्दु संख्या-02 में आदेशित किया गया है कि "जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ एवं चमोली में गम्भीर भू-स्खलन और भूमि धसाव की समस्याओं का सामना कर रही है, जिससे राज्य सरकार को कई गांवों को खाली करना पड़ा" की अनुपालन आख्या आपको उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

प्रेषित है-

उक्त क्रम में तहसीलदार से जाँच करवायी गयी। तहसीलदार जोशीमठ से प्राप्त आख्यानुसार अनुपालन आख्या निम्नवत

1- दिनांक 03.01.2023 से तहसील जोशीमठ के नगर पालिका परिषद जोशीमठ के समस्त 09 वार्ड भू-धंसाव/भू-स्खलन से प्रभावित हुए हैं। जिनमें अवस्थित आवासीय/व्यावसायिक व राजकीय भवनों का तकनीकी सर्वेक्षण सी0बी0आर0आई0 रुड़की द्वारा किया गया है तथा सर्वेक्षण उपरांत उपलब्ध करायी गयी। तृतीय के अनुसार कुल 32 भवन ध्वस्तीकरण(ब्लैक श्रेणी), व 480 भवन अनुपयोगी(रेड श्रेणी) में दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार कुल 512 भवन ब्लैक व रेड श्रेणी में दर्ज हैं। जोशीमठ भू-धंसाव में सर्वेक्षण दल/सी0बी0आर0आई0 रुड़की की सर्व रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में 323 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास पैकेज की अग्रिम धनराशि व गैर समायोज्य एकमुश्त ग्रांट सहित ₹ 1,50,000.00(रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) प्रति परिवार की दर से कुल धनराशि ₹ 4,84,900.00(रुपया चार लाख चौरासी हजार पैंध सौ मात्र) वितरित की जा चुकी है। भू-स्खलन की स्थिति स्पष्ट न होने वाले 37 भवन स्वामियों को गैर समायोज्य एकमुश्त ग्रांट की धनराशि ₹ 50,000.00(रुपया पचास हजार मात्र) प्रति परिवार की दर से कुल धनराशि ₹ 18,50,000.00(रुपया अठारह लाख पचास हजार मात्र) वितरित की जा चुकी है। प्रभावित भवनों में निवासरत कुल 304 किसानों को गैर समायोज्य एकमुश्त ग्रांट की धनराशि ₹ 50,000.00(रुपया पचास हजार मात्र) प्रति परिवार की दर से कुल धनराशि ₹ 1,52,00,000.00(रुपया एक करोड़ बावन लाख मात्र) वितरित की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त 172 प्रभावित भवन स्वामियों के भवनों का तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन किये जाने उपरांत अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए उक्त भवनों का पूर्ण भुगतान कुल ₹ 40,96,92,076.00(रुपया चालीस करोड़ छियाब्बे लाख ब्याब्बे हजार छियत्तर मात्र) की धनराशि सम्बन्धित भवन स्वामियों को वितरित की जा चुकी है। प्रभावित भवन स्वामियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में प्री-डेवलपमेंट हट भी तैयार किये जा रहे हैं। वर्तमान में आर0डब्ल्यू0डी0 द्वारा 15 प्री-डेवलपमेंट हट (2 बी0एच0के0) तैयार किये जा चुके हैं।

2- ग्राम पगनी की सीमान्तगत आबादी क्षेत्र के हितसाइड में भूस्खलन होने के कारण आबादी क्षेत्रों को उत्थन हुए खतरे को देखते हुए उक्त गांव का भूतन्वीय सर्वेक्षण करवाया गया है। भूतन्वीय सर्वेक्षण आख्या के आधार पर विस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। तत्पश्चात्काल के दृष्टिगत उक्त ग्राम में निवासरत परिवारों को अस्थायी टिन रोड हेतु 645 टिन सीट वितरित की जा चुकी है।

3- ग्राम चार्म के तहसील वरिष्ठा तोक में भूस्खलन/भूधंसाव से प्रभावित 41 परिवारों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर अवस्थित उनकी निजी गन्त भूमि पर विस्थापित किया गया है।

उपरोक्तानुसार तहसील जोशीमठ अन्तर्गत भू-धंसाव/भू-स्खलन से प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अतः अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संतन- यथोपरि।

सचदीव

(कुमकुम जोशी)
उपजिलाधिकारी
जोशीमठ।

प्रतिनिधि - श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के अवलोकनार्थ प्रेषित।



उपजिलाधिकारी
जोशीमठ।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बड़ीनाथ।

संख्या 162

/एनजीडी/एनजीडी/सिपि-2023

दिनांक: चमोली 09 नवम्बर, 2023।

विषय-

मा0 एनजीडी नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014, (C.W.P. no. 3772/1985) (I.A. no. 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 34/इजीसी-एनजीडी-1/2022-23 दिनांक 06 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एनजीडी नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014, (C.W.P. no. 3772/1985) (I.A. no. 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के प्रतर-07 के बिन्दु संख्या-02 के संबंध में अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी बड़ीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व निरीक्षक चमोली/नंदप्रयाग से आख्या प्राप्त की गयी है। मा0 एनजीडी नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014, (C.W.P. no. 3772/1985) (I.A. no. 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के प्रतर-07 के बिन्दु संख्या-02 में जलकनंदा बेसिन के सापेक्ष अंकित स्थान पीपलकोटी, चमोली, गोपेश्वर एवं नंदप्रयाग में जलकनंदा नदी के किनारे/तटीय क्षेत्र में कहीं भी गम्भीर भू-स्खलन के कारण राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा किसी भी गाँव को खाली नहीं करना पड़ा है, तथापि जलकनंदा बेसिन से इतर तहसील चमोली/नंदप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत भू-स्खलन से प्रभावित ग्राम बौला तहसील चमोली के 6 प्रभावित परिवारों को वर्ष 2019 में ग्राम बौला के दुर्गापुर के छीड़ा तोक में राज्य सरकार की भूमि में सुरक्षित स्थान पर में विस्थापित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम रोपा तहसील चमोली में भू-स्खलन से 3 प्रभावित परिवारों को वर्ष 2022-23 में ग्राम के ही समीप उनकी निजी नग्न भूमि में विस्थापित किया जा चुका है। ग्राम भदाकोटी तहसील चमोली में भू-स्खलन से प्रभावित 3 परिवार जिनके आवासीय मकान अध्यासन योग्य नहीं रह गये थे, को उनकी निजी नग्न भूमि में विस्थापित किये जाने हेतु राहत सहायत की प्रथम किरत के रूप में रु० 3.00 (तीन लाख रु०-) प्रति परिवार को भुगतान कर विस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। ग्राम भठझरेवा तहसील चमोली में भू-स्खलन से 4 प्रभावित परिवारों को विस्थापन किये जाने हेतु भूमि अधिन की कार्यवाही कर भू-गर्भीय सर्वेक्षण कार्यवाही गतिमान है।

अधिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



मा0 (दीपक सेनी)

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
चमोली।

महोदय चमोली को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र में अनुक्रम में प्रेषित।

मा0 (दीपक सेनी)

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
चमोली।

25494

Annexure 240

ALC-I

393

प्रेषण,

मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

OC (10)
11-10-23

पत्रांक-

विषय-

प्रभागीय बनाविकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

सदस्य-संयोजक-जिला गंगा संरक्षण समिति चमोली।

कृषि-4 / प्रा0अनु0 / विविध / 2023-24 / दिनांक-10-10-23

मा0एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014,
(C.W.P.no. 3772/1985) (I.A.no. 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम
भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 में प्रतिशपथ पत्र तैयार करते हुए
प्रतिशपथ पत्र अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति/जिलाधिकारी महोदय की ओर
से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0- 1742/29-3(3)/दिनांक 23.09.2023 के द्वारा
मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के क्रम में Applicant द्वारा उठाये गये Issue की अनुपालन
आख्या तैयार कर सादर प्रेषित है।

Issue	अनुपालन आख्या
Agricultural - Run-off and Contamination of Rivers and Streams with Pesticides and Other Chemicals.	नामानि गंगे योजनान्तर्गत समस्त कलस्टरो में पीड़कनाशी/रसायन की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा विभाग द्वारा कृषकों को जैव उर्वक तथा जैव रसायन प्रदान किये जा रहे हैं जिससे रन ऑफ में रसायन न होने के कारण नदियां तथा जलधारायें प्रदूषित नहीं हो रही हैं।

भवदीय,

मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।

पृष्ठ सं0- 777/उक्त दिनांकित।

प्रतिनिधि- जिलाधिकारी महोदय, चमोली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।